शुक्रवार, 2 मई, 1997

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 2 मई, 1997/12 वैशाख, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

| कॉलम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) | (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) |
| 63 | 12 | श्री नंदी यैल्लया | श्री नंदी येल्लैया |
| 64 | 29 | (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) | (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) |
| 97 | 24 | श्री ओमपाल सिंह "निहर" | श्री ओमपाल सिंह "निडर" |
| 108 | पाद टिप्पण | *कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया । | *भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित |
| 111 | नीचे से 8 | श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्कनी) | श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) |
| 151 | 7 | सामनस्यता | सौमनस्यता |

# विषय-सूची

*[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार), 1997/1919 (शक)]*

**अंक 2, शुक्रवार, 2 मई, 1997/12 वैशाख, 1919 (शक)**


| विषय | कालम |
|---|---|
| कार्य मंत्रणा समिति | |
| बारहवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत* | 7 |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति | |
| पांचवां और छठा प्रतिवेदन – *प्रस्तुत* | 7-8 |
| गृह कार्य संबंधी स्गयी समिति | |
| सैंतीसवां अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन – *सभा पटल पर रखा गया* | 8 |
| सभा का कार्य | 8-11 |
| मई दिवस पर आत्मदाह का प्रयास किए जाने के बारे में | 11-25 |
| रेल बजट – अनुदानों की मांगे, 1997-98 | 26 |
| प्रो० रासा सिंह रावत | 26 |
| श्री दिलीप सिंह भूरिया | 29 |
| श्री जोआचिम बक्सला | 31 |
| श्री मधुकर सरपोतदार | 32 |
| श्री रामबहादुर सिंह | 41 |
| श्री बृज भूषण तिवारी | 43 |
| श्री इलियास आजमी | 45 |
| श्री पी०सी० थामस | 47 |
| श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा | 48 |
| श्री के०पी० सिंह देव | 49 |
| प्रो० अजित कुमार मेहता | 50 |
| श्री सैयद मसूदल हुसैन | 52 |
| श्री राम विलास पासवान | 53-108 |
| मंत्रियों का परिचय | 38 |
| राज्य सभा से सन्देश | 39-40 |


---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कालम |
|---|---|


विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1997 — *पुरःस्थापित* . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम विलास पासवान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

खंड 2, 3 और 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109-110

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — *पुरःस्थापित* . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 171 में संशोधन)

श्री के०सी० कोंडय्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

(दो) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 54क अंतःस्थापन)

श्री भगवान शंकर रावत . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

(तीन) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)

श्री भगवान शंकर रावत . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

(चार) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

(धारा 51 में संशोधन)

श्री भगवान शंकर रावत . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

(पांच) आतंकवाद और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण)

(विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक

श्री जी०एम० बनातवाला . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

(छः) संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक,

(अनुसूची में संशोधन)

श्री पी० कोदंड रमैया . . . . . . . . . . . . . 113

(सात) पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक

*(अनुसूची में संशोधन)*

श्री सत्य पाल जैन . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

(आठ) प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक

श्री जी०ए० चरण रेड्डी . . . . . . . . . . . . . 114

| विषय | कालम |
| --- | --- |


संविधान (संशोधन) विधेयक . . . . . . . . . . 115

(अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सत्य पाल जैन . . . . . . . . . . 115

श्री हन्नान मोल्लाह . . . . . . . . . . 120

श्री पी०आर० दासमुंशी . . . . . . . . . . 123

श्री मोहन रावले . . . . . . . . . . 131

श्री अनादि चरण साहू . . . . . . . . . . 137

प्रो० रासा सिंह रावत . . . . . . . . . . 142

श्री इलियास आजमी . . . . . . . . . . 144-157

भिक्षावृत्ति का उत्सादन विधेयक . . . . . . . . . . 158

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी . . . . . . . . . . 158-160

# लोक सभा

**शुक्रवार, 2 मई, 1997/12 बैशाख, 1919 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई*

**[अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए***]**

*[हिन्दी]*

**श्री प्रमोद महाजन** (मुम्बई–उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष जी, कोई भी मंत्री सत्ता पक्ष का मौजूद नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, सदन में कोई भी मंत्री सत्ता पक्ष का नहीं है। यह सदन की अवमानना है। ...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** दूसरे हाउस में मंत्रियों की इंट्रोडक्शन हो रही है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (दक्षिण दिल्ली) : इंट्रोडक्शन होने दीजिए। इंट्रोडक्शन मंत्रियों की हो रही है या सब की हो रही है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, परिचय पहले लोक सभा में दिया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं यह बात जानता हूँ।

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** प्रधान मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वे पहले मंत्रि-परिषद में शामिल किए मंत्रियों के बारे में लोक सभा को सूचित करें और उनका यहां परिचय कराएँ। पहली प्राथमिकता लोक सभा है। यदि लोक सभा के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो यह अच्छी बात नहीं है। लोक सभा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रधान मंत्री का दायित्व है कि वे पहले लोक सभा में आएं और अपने मंत्रि-परिषद से परिचय कराएं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** 6 लोगों की इंट्रोडक्शन हो रही है, बाकी कहां है ? पूरे ट्रैजरी बैंचिज के एम०पीज़ कहां है ? ...*(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक :** जब तक प्रधान मंत्री नहीं आते हैं तब तक सदन का काम नहीं चल सकता है। पहले मिनिस्टर को इंट्रोडक्शन करा देना यह संकेत और परम्परा है और उस परम्परा को हम तोड़ने नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** उपाध्यक्ष जी, लोक सभा के सदस्य राज्य सभा में कब से बैठने लग गये हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय :** कैबिनेट मिनिस्टर तो एक आ गये हैं।

**श्री राम नाईक :** उपाध्यक्ष जी, आप प्रधान मंत्री को पहले बुलाइये।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** हम लांछन नहीं लगा रहे हैं। हम संसद और लोक सभा की परम्पराओं की बात कर रहे हैं। इस मामले में लोक सभा सर्वोच्च है और प्रधान की लोक सभा के प्रति प्रतिबद्धता है ...*(व्यवधान)* यह सही नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** इन्हें देखिये। आप खाली कुर्सियों के नेता हैं। आपकी सब कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री श्रीकान्त जेना को स्पष्ट करने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** मैं समझ सकता हूं कि श्री चिदम्बरम और कुछ मंत्रियों को कुछ ज्योतिषियों द्वारा परसों की बजाए कल शपथ लेने का परामर्श दिया गया था। परन्तु अपने सहयोगियों का परिचय लोक सभा से कराने की प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता है। यदि वे अपने कर्त्तव्य निर्वहन में असफल होते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

*[हिन्दी]*

**श्री लालमुनी चौबे** (बक्सर) : क्या आज लोक सभा 12 बजे से है। क्या यह राज्य सभा हो गयी है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जैना साहब आपको कुछ कहना है ?

*[अनुवाद]*

*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया उनकी बात सुनिए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** हो सकता है, किसी ज्योतिषी ने उन्हें 12 बजे के पूर्व उनका परिचय न कराने की सलाह दी हो। किसी ज्योतिषी ने उन्हें परसो की बजाए कल शपथ लेने की राय दी थी। हो सकता है कि उन्हें परामर्श दिया गया हो कि बाहर बजे के पहले वे अपना परिचय न कराएं। उन्हें ही यह बताने दीजिए ...*(व्यवधान)* परन्तु मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं।

**संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) :** महोदय, वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री दूसरे सदन में है और वे नए मंत्रियों का परिचय करा रहे हैं।

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** कहां ?

**श्री श्रीकान्त जेना :** वे राज्य सभा में नए मंत्रियों का परिचय करा रहे हैं।

**श्री मधुकर सरपोतदार** (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : इस सभा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री श्रीकान्त जेना :** वे यहां आते ही होंगें।

*[हिन्दी]*

**श्री लालमुनी चौबे** (बक्सर) : प्रधान मंत्री सदन के नेता हैं, वह ही नहीं है तो क्या यह लोक सभा का अपमान नही है ? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप एक मिनट बैठ जाइये।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राजेश पायलट** (द्रौसा) : यह प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। यह परम्परा का प्रश्न है ...*(व्यवधान)* यह प्राथमिकताएं नहीं है, यह परम्पराएं है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उनकी बात सुन लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं ?

*(व्यवधान)*

**श्री श्रीकान्त जेना** : जब नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन राज्य सभा में हो रहा था तो उस समय कुछ मंत्री उपस्थित नहीं थे।

*[अनुवाद]*

इसी कारण, परसों जो मंत्री राज्य सभा में उपस्थित नहीं थे, उनका परिचय वहां कराया जा रहा है, और इस बीच कुछ नए मंत्री भी शामिल हो गए हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : श्री श्रीकान्त जेना, ये वो परम्पराएं है जिन्हें बनाए रखना है। यह राज्य सभा और लोक सभा के बीच प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। ये प्रजातंत्र की परम्पराएं है। उनका पहले लोक सभा में परिचय कराया जाना चाहिए। कृपया उस परम्परा को बनाए रखिए।

**श्री श्रीकान्त जेना** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रधानमंत्री ने स्वयं और अन्य मंत्रियों का लोक सभा में परिचय कराया और बाद में वे राज्य सभा में गए थे।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आज के गवर्नमेण्ट बिजनस में भी नहीं लिखा कि नए मिनिस्टर्स से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा।

*[अनुवाद]*

मैं नहीं जानता क्यों ?

**श्री श्रीकान्त जेना** : महोदय, परसों ही प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रि-मण्डलीय सहयोगियों और अन्य मंत्रि परिषद के सदस्यों का परिचय पहले लोक सभा में करवाया था। तत्पश्चात् परिचय के लिए वे राज्य सभा में गए थे। वहां पर कुछ मंत्री उपस्थित नहीं थे, जैसे कि सदन के नेता, जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे और वहां उनका परिचय कराया जाना था। इसी कारण वे आज वहां परिचय कराने के लिए गए हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नए मंत्रियों ने कल ही शपथ ली थी।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल मुनी चौबे** : सभी मंत्री पुराने है। मैं नहीं समझता कि कोई सदस्य इससे अनभिज्ञ है कि सभी पुराने मंत्री है और सभी को वही विभाग मिला हुआ है। इसलिए उनके परिचय की क्या आवश्यकता है ? आप संसदीय कार्य मंत्री न होकर ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री श्रीकान्त जेना** : यह सही नहीं है कि मंत्रियों का परिचय पहले लोक सभा में नहीं कराया गया था। उनका परिचय पहले लोक सभा में ही कराया गया था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनका परिचय कब कराया गया था ? उन्होंने कल ही तो शपथ ली थी।

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : मंत्रि-परिषद में कई मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसी कारण, प्रधान मंत्री का यह प्राथमिक कर्त्तव्य था कि वे पहले लोकसभा में उनका परिचय कराएं। कल शपथ लेने के पश्चात्, प्रधान मंत्री का यह प्रधान कर्त्तव्य था कि वे उनका लोक सभा परिचय पहले कराते ...*(व्यवधान)*

**श्री श्रीकान्त जेना** : ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : यह परम्परा है।

**श्री श्रीकान्त जेना** : इसलिए तो उनका पहले लोक सभा में परिचय कराया गया था ...*(व्यवधान)* मंत्रियों का परिचय पहले लोक सभा में कराया गया था।

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री या लीडर ऑफ दी हाउस जब तक नहीं आते तब तक हाउस नहीं चलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : यद्यपि राज्य सभा के किसी सदस्य के प्रधान मंत्री बनने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है, वे कह रहे हैं कि लोक सभा के सदस्य को प्रधान मंत्री बनना चाहिए। यह राज्य सभा के सदस्य का प्रधान मंत्री बनने का मामला है ...*(व्यवधान)* साथ ही नए मंत्रियों का परिचय पहले लोक सभा में कराया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : हम यह अवमानना सहन नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थामस** (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, *अध्यक्ष के निदेश* के निदेश संख्या 2 के अनुसार यह एकदम स्पष्ट है कार्य की

व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। कार्य को इस आदेश के अनुसार व्यवस्थित किया जानाा चाहिए।

अब, यदि कोई मतभेद होता है जिसके बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है, मेरे विचार से, उचित प्रक्रिया यह हो सकती है कि सरकार की ओर से अनुमति मांगी जानी चाहिए जिससे कि अध्यक्ष बिना किसी परिचय के आगे कार्यवाही को चलाने की अनुमति दे सकता है।

अब, इस मामले के सम्बन्ध में, निदेश के अनुसार, यह बहुत स्पष्ट है।

निदेश-2 में उल्लिखित है :

"यदि किसी विशिष्ट अवसर पर अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें तो सभा के समक्ष कार्य के निम्न निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात् :—

(एक) शपथ या प्रतिज्ञान

(दो) संसद की दोनों सभाओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण का रखा जाना

(तीन) मंत्रियों का परिचय

(चार) निधन संबंधी उल्लेख

इसी कारण, निधन संबंधी उल्लेख के भी पहले, यदि कोई हो तो, यह प्राथमिकता की मदें हैं। निदेश 2 में आगे उल्लिखित है :

(पाँच) प्रश्न (अल्प सूचना प्रश्नों समेत)

(छः) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति।

इसी कारण, प्रश्न केवल इसे पहले लोक सभा में और फिर राज्य सभा में लिये जाने मात्र का नहीं है। यह इससे भी बढ़कर है मैं यहां निवेदन करना चाहूँगा। तथ्य यह है कि इसे *अध्यक्ष के निदेश* के अनुसार किया जाना चाहिए। परन्तु यदि इसकी अनदेखी या इसको स्थगित किया जाना हो तो सरकार द्वारा अनुमति मांगी जानी चाहिए जिससे कि अध्यक्ष आगे की कार्यवाही को चलाने की अनुमति प्रदान कर सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अब बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं हाउस की राय जानना चाहता हूं कि अगर हाउस बिज़नैस टेक-अप करना चाहे तो करे अदरवाइज़ मेरे लिये कोई उपाय नहीं कि मैं थोड़ी देर के लिये हाउस एडजर्न करूं और उसके बाद ही प्राईम मिनिस्टर आकर मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : यदि आप सभा का कार्य शुरू करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हम इस बात को प्रबलता से अनुभव करते हैं कि इसे पुनः दोहराया नहीं जाना चाहिए। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। ... *(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मंत्रियों के परिचय के बारे में है। प्रधान मंत्री यहां नहीं है।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : उपाध्यक्ष जी, मेरा राज्य सभा में इंट्रोडक्शन होना था। परसों सारे के सारे मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया गया था। चूंकि राज्य सभा में क्वश्चन ऑवर नहीं था और रेलवे बजट शुरू होना था, इसलिए हमको इस हाउस में रहना था। इसके लिये हमने आग्रह किया था कि हम अकेले इस हाउस में रहेंगे और बाकी सब लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। आज मेरा इंट्रोडक्शन होना था और इसीलिये हमने अपने साथी श्री सतपाल महाराज को यहां भेज दिया कि रेल बजट पर बहस शुरू हो जायेगी। ये यहां पर रहे और मेरा वहां पर इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं वहां से भागते-भागते यहां चला आया। चूंकि प्राईम मिनिस्टर को सब मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन कराना था, इसलिए उनका रहना उतना ही जरूरी था जितना कि मेरा रहना जरूरी था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन कल हुआ, उनका यहां पर इंट्रोडक्शन आज होना था, इसलिये लोक सभा को प्रायरिटी मिलनी चाहिये थी।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : यह तो कोई बात नहीं हुई।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर हाउस चाहता है तो मैं बिज़नैस शुरू करता हूं।

**श्री राम नाईक** : उपाध्यक्ष जी, आप दस मिनट के लिये हाउस एडजर्न करिये। हम गलत परम्परा क्यों डालें ? आप दस मिनट के लिये हाउस एडजर्न करिये।

**श्री राम कृपाल यादव** : आप नइ परम्परा क्यों डालना चाहते हैं ?

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : महोदय सभा का स्थगन नहीं होना चाहिए। सभा का कार्य आरम्भ होने दीजिए। परन्तु सरकार को इसे दुहराना नहीं चाहिए।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर हाउस चाहता है तो मैं हाउस साढ़े ग्यारह बजे तक के लिये एडजर्न कर देता हूं।

**कई माननीय सदस्य** : नहीं नहीं।

**श्री राम कृपाल यादव** : उपाध्यक्ष, यह कौन-सा नियम है ?

*[अनुवाद]*

**श्री श्रीकान्त जेना** : ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए कि लोकसभा और राज्य-सभा के बीच कोई संघर्ष है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय :** कोई कनफिलक्टिंग बात नहीं है। यह ट्रेडीशन है कि पहले लोक सभा में इंट्रोडक्शन होना चाहिये। कल कुछ नये मिनिस्टर्स बने हैं, उनका इंट्रोडक्शन आज होना चाहिये।

*[अनुवाद]*

**श्री श्रीकान्त जेना :** पीठासीन से मेरा एक ही अनुरोध है कि ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए कि लोक सभा और राज्य सभा के बीच कोई संघर्ष है। कार्य आरम्भ हो चुका है और जब प्रधानमंत्री आयेंगे तो वे मंत्रियों का परिचय करवायेंगे।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? एक सभा को दूसरी सभा के विरुद्ध प्राथमिकता की दृष्टि से देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य सूची की प्रथम मद में मंत्रियों का परिचय होना चाहिए। जैसा कि आपने सही कहा है, कार्य-सूची में इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। आपने बहुत सही ढंग से इसका उल्लेख किया है। लेकिन इस बात का प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष से अनुमति ली गई है तो प्रक्रिया में कुछ हेर-फेर किया जा सकता है। चूंकि माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि हमें सभा स्थगित नहीं करनी चाहिए वे पीठासीन से इस बात की अनुमति ले सकते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री यहां आये और मंत्रियों का परिचय दे हम सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र इत्यादि से संबंधित अन्य कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

**श्री श्रीकान्त जेना :** महोदय, कृपया इसकी अनुमति दीजिए। प्रधानमंत्री मंत्रियों का परिचय देंगे, इस बीच हम सभा का कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

---

**पूर्वाह्न 11.14 बजे**

*[अनुवाद]*

## कार्य मंत्रणा समिति

### बारहवां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) :** मैं कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**पूर्वाह्न 11.14¼ बजे**

## खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

### पाँचवा और छठा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** (अमृतसर) : मैं खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2) नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

---

**पूर्वाह्न 11.14½ बजे**

## गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

### सैंतीसवां, अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री सुशील चन्द्र** (भोपाल) : मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन;

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन; और

(3) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन।

---

**पूर्वाह्न 11.15 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) :** महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 5 मई, 1997 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | कोयला | एक साथ चर्चा होगी। |
| (ii) | अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत | |
| (iii) | विद्युत | |
| (iv) | परमाणु ऊर्जा | |

3. वर्ष 1997-98 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में बकाया

अनुदान मांगों पर मंगलवार, 6 मई, 1997 को सायं 6.00 बजे सदन में मतदान के लिए प्रस्तुतिकरण।

4. वित्त विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।

*[हिन्दी]*

**श्री नन्द कुमार साय** (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें :-

1. मध्य प्रदेश एवं बिहार को जोड़ने वाले रायगढ़-रांची मार्ग जो दोनों प्रदेशों के सघन जनजाति क्षेत्र से होकर गुज़रता है, की हालत अत्यन्त जर्जर है। इस मार्ग के अच्छे निर्माण के लिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

2. मध्य प्रदेश अंतर्गत रायगढ़ जिले में वितरण व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है। गरीबों को राशन एवं मिट्टी का तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल नहीं पा रही हैं। वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत सरकार को तुरन्त पहल करने की आवश्यकता है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थॉमस** (मुवत्तुपुजा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किये जाएं :-

1. रबड़ उत्पादको को रबड़ की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।

2. भारतीय खाद्य निगम के लगभग 70,000 कर्मचारियों की मज़दूरी संबंधी मुद्दे पर समझौता।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : महोदय, निम्नलिखित मदों अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जायें :-

1. मीडिया नीति विशेष रूप से विदेशी इक्विटी भागीदारी के संदर्भ में।

2. कीमतों में बेरोक-टोक वृद्धि विशेष रूप से तेल की कीमतों की वृद्धि के संबंध में।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को पुर्नजीवित करने के संबंध में चर्चा।

2. हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के तीनों घटकों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की कार्यप्रणाली तथा उनके आपसी संबंधों पर चर्चा।

**श्री शिवराज सिंह** (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं :-

1. देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में विद्युत संकट बढ़ता जा रहा है। विद्युत की मांग और आपूर्ति में लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। जो स्थापित पावर प्लाण्ट हैं, उनमें भी विद्युत का उत्पादन कम होता जा रहा है। इस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता।

2. अमेरिका द्वारा हमारे देश भारत को धारा 301 के तहत प्राथमिक निगरानी सूची में से उत्पन्न परिस्थिति पर चर्चा की आवश्यकता।

**श्री संतोष कुमार गंगवार** (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करें:-

1. बरेली-बदायूं पर बरेली नगर के मध्य चौपला रेल क्रासिंग (उत्तर व पूर्वोत्तर रेल) पर रेल विभाग द्वारा जनहित में ओवर ब्रिज निर्माण की घोषणा की जाए, उत्तर प्रदेश शासन अपने भाग का धन देने को इच्छुक है।

2. इज्जतनगर बरेली में पूर्वोत्तर रेल के डिब्बा सुधार कारखाने को जिसमें वर्तमान में कोई कार्य नहीं हो रहा है, पर रेल विभाग द्वारा उपयुक्त कार्य प्रस्तावित किया जाए।

**डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :-

1. मध्य प्रदेश के रतलाम, इंदौर, विदिशा व शाजापुर में स्थित कैमिकल इण्डस्ट्रीज व फैक्ट्रीज द्वारा निरंतर प्रदूषित जल स्राव से आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों व कृषकों में व्याप्त प्रदूषण व पर्यावरणीय संकट।

2. मध्य प्रदेश व राजस्थान के अफीम काश्तकारों को असमय वर्षा व फसल में बीमारी के कारण भयंकर हानि होने से उन्हें उत्पन्न औसत देने का संकट।

**श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाये :-

1. बिहार अंतर्गत वनांचत (झारखण्ड) को अलग राज्य की मांग 1938 से की जा रही है। इस क्षेत्र में 18 जिले, 81 विधान सभा एवं 14 लोक सभा की सीटें है। अलग राज्य की मांग को लेकर बराबर आंदोलन चलता रहा है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुत क्षेत्र एवं जंगली पहाड़ी से घिरा क्षेत्र है। यहां की भाषा संस्कृति अलग है। अलग राज्य नहीं होने के कारण अवरूद्ध है। मुगलों एवं अंग्रेजों के कार्यकाल में भी अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में अवस्थित था इसी कारण राज्यपाल निवास भी बनाया गया था। अतः इस क्षेत्र को शीघ्र अलग राज्य का दर्जा दिया जाए।

2. बहुदेशीय स्वर्ण रेखा परियोजना चांडील पश्चिम सिंहभूम बिहार में विस्थापित परिवार को शीघ्र मुआवंजा का भुगतान जिनकों नहीं मिला है, दिया जाए एवं नौकरी, पुनर्वास की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा आदि सभी दी जाएं एवं अघूरा पड़ा परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री राजीव प्रताप रुडी** (छपरा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :—

(1) सार्वजनिक जनजीवन तथा न्यायपालिका और कार्यपालिका सहित संविधान की मौलिकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेवार लोगों के बीच बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा।

(2) उग्रवादी राजनीतिज्ञ दलों के प्रवेश, आतंकवादी संगठनों तथा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आई एस आई की गतिविधियों के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जाति संबंधी टकराव के कारण बिहार राज्य की कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा।

---

**पूर्वाह्न 11.23 बजे**

## मई दिवस पर आत्मदाह का प्रयास किए जाने के बारे में

*[हिन्दी]*

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मई सारे विश्व के अंदर मजदूरों और कामगारों के लिए एक महानतम दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब अपेक्षा की जाती है। कि सरकार के द्वारा मजदूरों के हितों की घोषणाएं की जायेंगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुख होता है कि दिल्ली में एक मई को तीन हजार मजदूर जब अपनी मांगों को लेकर प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जा रहे थे तो उस समय उनको रोका गया और पार्लियामेंट स्टीट में रोकने के कारण वे प्रधान मंत्री के कार्यालय में अपनी बात न कह सके। इसके बाद पुलिस द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया गया। उनमें सर्वेश नाम का एक मजदूर भूख के कारण तड़प रहा था, उसके दो बच्चे और एक पत्नी है, उसको सात महीने से पगार नहीं मिली थी। वह प्रधान मंत्री से जाकर यह कहना चाहता था कि आज एक मई है, कम से कम प्रधान मंत्री जी आज तो हमें कुछ न कुछ राहत दीजिए। तो उनको यह राहत दी गई कि उनको मिलने नहीं दिया गया और उसने वहीं पर आत्मदाह करके अपने आपको समाप्त कर लिया और इस प्रकार एक मई को दिल्ली में एक मजदूर की बलि चढ़ गई, जो हम सबके लिए सबसे अधिक शर्म की बात है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अभी अस्पताल में है।

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस बारे में पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए कि पुलिस की लापरवाही के कारण उसको आत्मदाह करने से क्यों नहीं बचाया जा सका और उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। इसके साथ में दूसरी तरफ यह भी दुखद है कि आरक्षण के प्रश्न को लेकर जब महिलाएं आई तो पुलिस द्वारा वहीं पर उनके ऊपर वाटर कैनन के द्वारा पानी की बौछार की गई। जो महिलाएं आरक्षण लेने के लिए आई थी वहीं पर उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए इतना बड़ा अत्याचार किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो पानी छिड़का है।

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** : मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर सारा हाउस . . .

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, पानी नहीं छिड़का है, महिलाओं को वाटर कैनन्स मारे हैं। उस दिन यहां अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में प्रधान मंत्री जी महिलाओं के बारे में बढ़-बढ़कर सारी बातें कह रहे थे कि मैं महिलाओं को अपने एजेंडा की प्राथमिकता में रख रहा हूं। लेकिन लोढ़ा जी जिस बात को अभी कह रहे हैं कि महिलाएं प्रधान मंत्री जी के द्वार पर आरक्षण मांगने के लिए मिलने के लिए जाती हैं और वहां पर पुलिस द्वारा उन पर वाटर कैनन्स मारी जाती हैं। ऐसे ही पानी नहीं छिड़का है। क्या महिलाएं वाटर कैनन्स की मार सह सकती हैं ? महिलाओं पर मई दिवस के ऊपर इस सरकार ने वाटर कैनन्स मारे हैं *(व्यवधान)*

**श्री बनवारी लाल पुरोहित** (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को सात महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ... *(व्यवधान)* क्या हमारा पूरा कन्सैप्ट और यहां बैठी पूरी सरकार इस मामले में बिल्कुल असहाय है। जिस मजदूर को 7 महीने से तनख्वाह न मिले, उसकी क्या हालत होती है इसलिए यह एक गम्भीर प्रश्न है, जिस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना आवश्यक है ... *(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आपकी बात हो गई अब डा० जटिया का नाम लिस्ट में है, आप उन्हें बोलने दीजिए।

**श्री विजय गोयल** (सदर-दिल्ली) : मैं भी इस विषय पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं, मुझे भी आप दो मिनट का समय दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, डा० जटिया के बाद, आपको समय दे दूंगा।

**डा० सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हमारे लिए यह बहुत चिन्ता की बात है क्योंकि देश भर में जिस प्रकार से श्रमिकों के श्रम का अवमूल्यन हो रहा है, उसके कारण मजदूरों में घोर निराशा व्याप्त है। एक के बाद एक कारखाने बंद होते जा रहे हैं। देश में कपड़ा मिलों की स्थिति बेकार और जर्जर हो गई है। देश भर में उद्योग धंधे बंद हो जाने के कारण, उनमें काम करने वाले मजदूरों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है जो हमारे लिए बहुत चिन्ताजनक है। यहां घोषणाएं तो की जाती हैं लेकिन किसी मजदूर के पुनर्वास की व्यवस्था आज तक सरकार के द्वारा नहीं की गई। मजदूरों को राहत देने की अनेकों योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से इम्लीमेंट नहीं किया जाता। मजदूर किन अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण मजदूरों के क्षेत्र में जाकर देखा जा सकता है जहां न उनके आवास की कोई व्यवस्था है, न उनके स्वास्थ्य-रक्षण का कोई इंतजाम किया गया है। कल की घटना सारे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल एक प्रतीक मात्र थी। सरकार को चाहिए कि मजदूरों को राहत देने की दृष्टि से पर्याप्त ठोस उपाय करे क्योंकि आज जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है, वह उपेक्षापूर्ण व्यवहार अब बंद होना चाहिए।

**श्री विजय गोयल** : उपाध्यक्ष जी, जिस मजदूर ने कल की रैली में आत्म-हत्या करने की कोशिश की, वह स्वतंत्र भारत मिल का मजदूर था जो मेरे क्षेत्र में थी। जो व्यक्ति 80 फीसदी जल गया हो, उसके अंदर क्या बचा होगा, उसे आप आत्म-हत्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जो सरकार अपने आपको मजदूरों की हितैषी बनती है, मैं बताना चाहता हूं कि जब से पर्यावरण के कारण यहां से कुछ मिलें स्थानान्तरित हुई हैं, तब से मजदूरों में भुखमरी छाई हुई है। उनके बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और न उनकी बात कोई सुनने वाला है।

उपाध्यक्ष जी, आप किसी भी मजदूर कालोनी में चले जाईए, आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उन मजदूरों के घरों में सवेरे का चूल्हा जला है या नहीं, कोई भी इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जिस मजदूर ने कल जलने की कोशिश की थी, वही केवल एक मजदूर नहीं था, न जाने कितने मजदूर आपको ऐसे मिलेंगे जो कारखानों के यहां से स्थानांतरण के कारण आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने उन कारखानों को तो यहां से स्थानान्तरित कर दिया लेकिन उनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की।

इस मामले में मैं पिछले दिनों अधिकारियों से मिला था और उनसे कहा कि जो 68 प्रतिशत भूमि आपने अधिग्रहण करनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, आज तक आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। उनमें काम करने वाले मजदूरों का हाल पूछने के लिए आज तक कोई केन्द्रीय मंत्री वहां नहीं गयां मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो मजदूर कल इस वेदना में जला है, उसके परिवार के भरण-पोषण के अलावा उसकी दवाई का सारा खर्च सरकार स्वयं वहन करे और इस बात को देखे कि उस वजह से कहीं दूसरे मजदूर भी जलने के लिए तैयार न हो जाएं।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन संस्थानों को उसने बंद कर दिया है, उनके संबंध में वह अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करें और यह बताए कि उनमें काम करने वाले मजदूरों को मुआवजा मिला था नहीं, उनके रहने के लिए घरों की व्यवस्था की गई या नहीं, उनके लिए बिजली, पानी की व्यवस्था की गई या नहीं। इस पूरे मामले में सरकार को सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक आन्दोलन चल रहा है।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : महोदय, यह एक पूर्णत : भिन्न मामला है ... *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : उपाध्यक्ष जी, क्या यह मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा और सरकार कुछ नहीं कहेगी ... *(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर सरकार कुछ कहना चाहे तो कहे।

**जस्टिस गुमान मल लोढा** : यह सरकार अपने आपको गरीबों का, मजदूरों का मसीहा कहती है, सदन के नेता यहां बैठे हैं, उन्हें इस मामले में यहां उठकर कहना चाहिए। *(व्यवधान)*

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : हमारे वामपंथी सदस्य भी यहां बैठे हैं, क्या वे भी मजदूरों के मामले में मौन धारण किए रहेंगे ... *(व्यवधान)*

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन हैं कि दिल्ली में कल मई दिवस पर आत्मदाह करने की घटना हुई है, भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है और यह पहला मौका है, क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि मजदूरों की सहन शक्ति जवाब दे रही है और वे घुट-घुटकर मरने की बजाए, तिल-तिल कर जान देने की बजाए, अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर मौत का आलिंगन करने को तैयार हो गए हैं।

यह ऐसी घटना है जिसकी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती। इसकी सदन भी उपेक्षा नहीं कर सकता। कारखाने बंद हो रहे हैं। मजदूरों को सात-सात, आठ-आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वे मजदूर क्या करें ? कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसे कोई राजनीतिक प्रश्न का रूप नहीं देना चाहता, लेकिन क्या यह खतरे की घंटी नहीं है कि मजदूर जान देने पर आमादा हैं ?

कहीं न कहीं व्यवस्था में दोष है। कहीं न कहीं सरकार अपने कर्त्तव्य पालन से चूक रही है। अगर ये घटनाएं और बढ़ गई, तो स्थिति भयावह हो जाएगी। देश में वैसे ही काफी विस्फोटक सामग्री फैली हुई है। अगर मजदूर क्षेत्र में इस तरह की आग लग गई, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकार की ओर से उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खेद प्रकट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पर सरकार की चुप्पी समझ में नहीं आती। सारी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं चाहूंगा कि यह विषय सीरियस है इसलिए सरकार को ट्रेड यूनियनों और पालिटिकल पार्टीज से बात कर के किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता, विरोधी दल एवं इनकी पार्टी के जिन अन्य सदस्यों ने इस भावना को व्यक्त किया है सरकार इससे चिन्तित है और मैं सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि संबंधित मंत्री इस संबंध में वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाएंगे।

---

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : महोदय, कल से आई०एन०टी०यू०सी० का तीन दिन का सत्र हो रहा है और भा०ज०पा० के नेताओं द्वारा यही मामला उठाया गया है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कामगारों तथा राष्ट्रीय जूट मिल के कामगारों के भाग्य के बारे में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में भी मामला गंभीर है। बीमा क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में श्री चिदम्बरम् के नए बजट ने एक नया खतरा उत्पन्न कर दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहता

[श्री पी०आर० दासमुंशी]

हूं कि राष्ट्र में इस संकट के समय से जबकि राष्ट्रीय एकता एक मुख्य मुद्दा है, कृपया पूरी गंभीरता से कामगार वर्ग को विश्वास में लीजिए। बी०आई०एफ०आर० में जो स्थिति विद्यमान है, वह सरकार को पिछली बातों की याद दिलाती है और कामगार वर्ग को सरकार के विरुद्ध ले जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल तथा सरकार की जो भी सिफारिशें होंगी उनमें बी०आई०एफ०आर० की प्रक्रियात्मक जटिलताओं के नाम पर जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि दो लाख से अधिक लोग, जो इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें इस तथ्य के बावजूद कि पूर्व सरकार द्वारा पैकेज को मंजूरी दे दी गई थी और सब कुछ तैयार था, राष्ट्रीय कपड़ा मिल की ओर से रोजी रोटी नहीं दी गई। लेकिन उनके बजटीय समर्थन को पिछले तीन महीनों से वापस ले लिया गया है। पिछले तीन महीनों से देश भर में किसी राष्ट्रीय कपड़ा मिल में कामगारों को मजदूरी नहीं मिल रही है। वे आत्महत्या के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। वे अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऋण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय जूट मिल निगम के कामगारों की भी यही दशा है। जिसे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री रामनाथ गोयनका के हाथों से निकाल कर उसका राष्ट्रीयकरण करवाया था और सपना यह था कि जूट मिल के कामगारों उनके अधिकार दिए जायेंगें। श्री चिदम्बरम् तथा सरकार के साथ मेरी बार-बार बातचीत के बाबजूद भी अभी तक बजटीय समर्थन नहीं दिया गया। जबकि मंत्रियों की और हमें अपनी रोज़ी-रोटी मिल रही है लेकिन कामगार वर्ग को पिछले तीन महीने से रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है।

कल, मेरा आधी रात तक घेराव किया गया कि एक गंभीर आशंका है। जिसका सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे रही है और वह यह है कि बहुत शीघ्र बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है 'ड्रीम बजट' के नाम पर। सार्वजनिक क्षेत्र को दी जाने वाली इस धमकी से पूरा कामगार वर्ग सड़क पर आ जाएगा। शॉ वैलेस प्रबंधन खूब मज़े ले रहा है। मैंने सरकार से कई बार कहा है कि शॉ वैलेस तथा छाबरिया ग्रुप के प्रबंधन ने सारी सम्पति पर कब्जा जमा रखा है और कामगार यदि आत्म-दाह नहीं तो आत्म-अत्या करने को मजबूर हैं। जहां तक इस मामले का संबंध है, यह केवल आई०एन०टी०यू०सी० की पुकार नहीं है बल्कि सभी की पुकार है। यह बहुत गंभीर मामला है और पिछले दो दिन से आई०एन०टी०यू०सी० की बैठक हो रही है और कल प्रधानमंत्री उनकी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रपतिजी भी उनके स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। आपके द्वारा सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि एन०टी०सी०, एन०जे० एम०सी०, सार्वजनिक क्षेत्र, बीमा क्षेत्र से संबंधित मामले को तथा भा०ज०पा० द्वारा उठाया गए मामले को गंभीरता से लें। दिल्ली में आत्मदाह किसी कारण नहीं हुआ बल्कि इससे पूरे विश्व के सामने पूरे राष्ट्र की बुरी छवि उभरी है कि देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं घटी हैं। अतः, मैं आपके द्वारा यह तर्क देता हू कि इस मामले को गंभीरता से उठाएं और बी०आई०एफ०आर० को बंद कर दें तथा मंत्रिमंडल कामगार वर्ग बचाने के लिए तत्काल निर्णय लें।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है *(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्य के घंटो को 12 अथवा 14 से आठ घंटे करने के उद्देश्य से '1 मई' को 'मई दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि कामगारो को आठ घंटे के लिए भी कार्य नहीं मिलता है। जिस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया है, वह यह है कि न केवल उन क्षेत्रों में बल्कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी एक बड़ी इंजीनियरिंग फर्म, जेसॉप एंड कम्पनी है। दो महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। पिछले तीन सालों से सेवानिवृत्त हुए लोगों को सेवानिवृत्ति के समय दिए जाने वाले लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। देश में कामगार वर्ग की यह स्थिति है।

हम चाहते हैं कि वर्तमान आदेश को बदलने के उद्देश्य से, वर्तमान प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से कामगार वर्ग को इस इरादे से अपने सिर उठाने चाहिएं कि वे समाज को बदलने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं, तभी समाज बदल सकता हैं लेकिन हम यह नहीं चाहते है। हम इस स्थिति को इस रूप में नहीं बदलना चाहते कि हम प्रत्येक कामगार को आत्मदाह करने को कहें।

श्री पी०आर० दासमुंशी ने बहुत सही तरीके से एक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुझे मंत्रालय के स्त्रोतों से भी पता चला है कि बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए न कि सार्वजनिक निवेश के लिए बजट में ब्याज-मुक्त ऋण का प्रावधान है। बजट में यह स्थिति है। हम विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए उस बारे में चर्चा करेंगें लेकिन तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि मजदूरी दी जाए, ताकि बंद एककों को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि आत्म-दाह जैसे मामले उत्पन्न न हों। यह कदम उठाए जाने चाहिएं। मुझे नहीं मालूम कि बी०आई०एफ०आर० के साथ क्या किया जाए।

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : बी०आई०एफ०आर० के साथ वह समस्या नहीं हैं समस्या यह है कि जब भी बी०आई०एफ०आर० सरकार से पूछता है कि एक अर्धक्षम परियोजना है और यदि सरकार धनराशि प्रदान करती है तो उस यूनिट को व्यवहार्य बनाया जा सकता है तो सरकार चुप रहती है। ऐसा कई यूनिटों के साथ हो रहा है जिनकी बी०आई०एफ०आर० से इस तरह की सिफारिश की गई है। अतः, इससे पहले कि प्रधानमंत्री आएं, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं। रेल मंत्री यहाँ हैं। उन्होंने नैमितिक कर्मचारियों को रेलवे में खपा कर एक अच्छी बात की है। मुझे बताया गया है कि नैमित्तिक कर्मचारियों को हवाई अड्डा क्षेत्र में भी खपाया जा रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया संक्षेप में बोलिए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं, महोदय। अब, सभा के सामने यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि बन्द हुए सभी एककों से मजदूरी की अदायगी में कोई विलम्ब नहीं

होगा। यदि वह एकक निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तो सरकार को यह देखने के लिए कदम उठाने होंगे कि कामगारों को मज़दूरी दे दी गई है और ऐसा मामला उत्पन्न नहीं होगा। उनको एक संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : गीता जी, आपका नोटिस इसी सबजैक्ट पर है या दूसरे सब्जैक्ट पर है।

*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर आपका नाम लिस्ट में है तो मैं स्वयं ले लूंगा। श्री चमन लाल गुप्ता।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमने श्री चमन लाल गुप्ता को पहले ही अनुमति दे दी है। कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री चमन लाल गुप्त** (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक बहुत गंभीर मसला रखना चाहता हूं। कश्मीर में इस समय करीब एक लाख ऐसे हरिजन बन्धु हैं जो पाकिस्तान से आये हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया आपस में बातें नहीं करिए।

*[हिन्दी]*

**श्री चमन लाल गुप्त** (ऊधमपुर) : वे हरिजन भाई 1947 में पाकिस्तान से आये थे। उनको आज तक वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। वे मात्र पार्लियामैंट के लिए वोट डालते हैं लेकिन स्टेट असेम्बली में वे अपना वोट नहीं डाल सकते। आज उनके ऊपर एक और आफ़त आ पड़ी हैं जम्मू से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रणबीर सिंह पुरा गांव है। उस गांव के अंदर 21 परिवार ऐसे हैं जो 1947 से वहां की जमीन के ऊपर अपना गुजारा कर रहे थे। वे सारे के सारे हरिजन परिवार हैं जिनको जमीन एलॉट की हुई है। वहां आज एक नयी समस्या पैदा हो गयी है। सरकार की तरफ से कुछ लोग जो 50 वर्ष पहले पाकिस्तान चले गये थे उनमें से कुछ लोग वापिस आ गये और आने के बाद उन्होंने क्लेम किया कि यह जमीन हमारी है।

सरकार उन हरिजन परिवारों को ऐविक्ट करवा रही है। जिस जमीन को उन्होंने अपने खून-पसीने से सींचा है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने जो कहना है बाद में कहिए।

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन शब्द कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप शैडयूल कास्ट कह लीजिए।

**श्री चमन लाल गुप्त** : वे अनुसूचित जाति के परिवार हैं जिन्होंने पिछले पचास वर्षों से उस जमीन को खून-पसीने से सींचा है। उसी के ऊपर उनका सारा दारोमदार है, पूरी रोजी उसपर चल रही है। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि उनको वहां से खाली करवाकर बिना किसी तरह का मुआवज़ा दिए, बिना किसी तरह की कोई ऑलटरनेटिव लैंड दिए हुए उनको वहां से निकाला जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। पासवान जी, बैठे हुए हैं, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि अगर आपने किसी को बसाना ही है, वैसे तो बड़ी अजीब स्थिति है कि पचास वर्ष पहले जो पाकिस्तान में गया और वहां का सिटिज़न बना हुआ है, वह वापिस आता है तो उसे यहां की लैंड दी जा रही है।, उसको यहां की प्रॉपर्टी रैस्टोर की जा रही है लेकिन जो पचास वर्ष पहले पार्टीशन की वजह से मजबूर होकर, अपना सब कुछ वहां लुटाकर हिन्दुस्तान में आकर बैठा है, उसे वहां से ऐविक्ट किया जा रहा है।

मेरा अनुरोध है, मैं सरकार से ऐश्योरैंस चाहता हूं कि किसी परिवार को वहां से ऐविक्ट न करवाया जाए और अगर वे किसी को लैंड देना ही चाहते हैं तो जो सरकार की ऑलटरनेटिव लैंड है, वे उसे उसमें से दें। लेकिन उन परिवारों के ऐविक्शन को हर तरह से रोका जाए। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस बात की ऐश्योरैंस दें।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। कृपया मुझे कुछ बोलने दें।

*[हिन्दी]*

मैं सरकार से चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे भी कुछ कहने की इजाजत है या नहीं। आप बैठ जाइए। ज़रा सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** : उपाध्यक्ष महोदय, यदि उनको हरिजन कहा जाएगा तो बाकी लोग औटोमैटिकली दुर्जन कहे जाएंगे और सबकी तौहीन होगी। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : हो गया, बैठिए।

मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा। श्री पासवान जी, यह 21 परिवारों का सवाल नहीं है। आज 21 शैडयूल कास्ट्स परिवारों को नोटिस मिला है। शैडयूल कास्ट्स के एक लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो सो-कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से यहां आकर बसे हैं। यह तलवार सबके सिर पर चलने वाली है। इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। ...*(व्यवधान)*

**श्री दत्ता मेघे** (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका नाम लिस्ट में नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं।

**श्री दत्ता मेघे** : लास्ट टाइम हमने प्रिविलेज मोशन दिया था जब विदर्भ का आन्दोलन चला था। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आज की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप बैठिए।

*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, मैं उनको नहीं बुला सकता,

*[अनुवाद]*

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री दत्ता मेघे** : यह पार्लियामैंट के मैम्बर का सवाल है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां, उसके लिए नोटिस देना चाहिए।

**श्री दत्ता मेघे** : सर, एक पुलिस ऑफिसर ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री दत्ता मेघे** : नोटिस दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसको दिया है। मेरे पास लिस्ट में नहीं है।

**श्री दत्ता मेघे** : पिछले सैशन में दिया है। ... *(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका नोटिस लास्ट ईयर का है, आज का नहीं है।

**श्री दत्ता मेघे** : वे जवाब नहीं दे रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उसमें आपकी रिपोर्ट चली गई है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृतात्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां, अगर उसमें है तो मैं देख लूंगा।

*[अनुवाद]*

जब तक आप सूचना नहीं देंगें, आज मुद्दा नहीं उठा सकते।

*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने अब श्री प्रमोद महाजन का नाम पुकारा है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका नाम लिस्ट में है।

(व्यवधान)

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल श्री महाजन का भाषण ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**उपध्यक्ष महोदय** : क्या आप बैठेंगे ?

*[हिन्दी]*

**श्री प्रमोद महाजन** (मुम्बई – उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, फिर एक बार अमेरिका ने भारत को, जो अमेरिका की व्यापार कानून धारा है, उसमें 301 के अन्तर्गत फिर से एक बार निगरानी की सूची में डाला है। जब से अमेरिका में उनकी अपनी व्यापारिक कानून धारा 301 बनी है, तब से प्रतिवर्ष हिन्दुस्तान को अन्यायपूर्वक इस निगरानी की सूची में रखा जा रहा है।

अमेरिका को यह शिकायत है कि बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों में, खासकर दवाइयों के सम्बन्ध में भारत के अपने कानून में अमेरिका को कोई शिकायत है और अमेरिका के दवाई निर्माताओं का दबाव है कि भारत की संसद ऐसा कानून पास करे, जिसके कारण अमेरिका के दवाई निर्माता यहां अपनी दवाइयां अनाप-शनाप भाव पर बेच सकें। उसके कारण प्रतिवर्ष अमेरिका अपने इस आन्तरिक कानून का उपयोग करके हिन्दुस्तान को निगरानी की सूची में रखता है, दबाव लाने का प्रयास करता है और इसी प्रकार चल सका तो आगे दण्डात्मक कार्रवाई भी इसमें आ सकती है।

हमें यह लगता है कि अमेरिका और भारत दोनों विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और जब दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को अगर भारत से कोई शिकायत है तो इन शिकायतों का निबटारा करने के लिए पहले विश्व व्यापार संगठन का उपयोग होना चाहिए। वहां बातचीत होकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन एकतरफा अमेरिका हिन्दुस्तान पर इस तरह का दबाव डाले, यह अनुचित है, इसकी संसद को और सरकार को भर्त्सना करनी चाहिए और हमें अमेरिका को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जहां तक हमें अपने कानून बनाने का सवाल है, भारत अपने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कानून अपने देश की आवश्यकता के अनुसार बनायेगा भारत अपने कानून अमेरिका को किसी धारा 301 के अन्तर्गत दबाव में नहीं आयेगा। आज अमेरिका जिस प्रकार सामरिक और आर्थिक व्यवस्था को एक ध्रुवीय बिल देना चाहता है, ऐसी स्थिति में भारत के सारे राजनैतिक दलों को अपने मतभेद मिटाकर इस प्रकार का हमपर जो एक आर्थिक अन्याय होने की स्थिति इसमें आती है, उसका विरोध करना चाहिए और संसद को अपनी ओर से यह कहना चाहिए कि अगर कोई शिकायत है तो संवाद की राजनीति अपनायें दबाव की राजनीति अपनायेगा तो भारत इस दबाव की राजनीति में आकर अपने कानून नहीं बदलेगा। यह स्पष्ट रूप से सरकार कहे, इसकी आवश्यकता है।

*[अनुवाद]*

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मेरा भी यह मुद्दा उठाने का इरादा था लेकिन शुक्रवार होने के कारण मैंने यह मुद्दा नहीं उठाया। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अमरीका की सरकार के व्यवहार के विरुद्ध सोमवार को एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं सरकार से यह प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। यह हमारे देश की संसद का अपमान है। अतः हमें सभा में एक सरकारी संकल्प पेश करना चाहिए।

**श्री पी०सी० थॉमस** : मंत्री जी इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री हाराधन राय** (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके का जो कोयला क्षेत्र है, उसमें राष्ट्रीयकरण होने के पहले 22 मौजा जो सब्सटेंशियल फायर वाला इलाका है, उसके लिए डी०सी०एम०एस० की तरफ से उसको नोटिस दिया गया है कि यह सारा इलाका खतरे में है, इसे छोड़कर चले जाइये। अभी 1994 तक उसका इलाका बढ़ता गया और चान हो गया और चान में 39 मौजा खतरे में आ गया। अभी जो स्थिति है, करीब-करीब 70 मौजा का भी इसमें खतरे में आ गया, उसको कहा जाता है कि तुम चले जाओ। करीब 70 स्क्वायर किलोमीटर इलाका छोड़कर सारे जो गांव हैं, वह खतरे में है। सरकार को बार-बार कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ जो एग्रीमेंट है, जो 1990 में हुआ था, उस पर अमल नहीं हो रहा है। और उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। इससे उनकी नौकरी और खेती बर्बाद हो रही है, वे लोग संकट में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ उसका पालन नहीं कर रही और दूसरी तरफ खदान को बंद कर रही है और विदेशों से कोयला मंगाने की बात की जा रही है। जबकि वहां कोयले का प्रचुर भंडार है, फिर भी हमें कोयले का आयात करना पड़ रहा हैं वहां कोयला जलाया जा रहा है, इससे देश का नुक्सान हो रहा है। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे और जो कोल इंडिया के साथ तय हुआ था, उसकी पालना की जाए। जो खदान बंद की गई है उसको पुनः चालू किया जाए। इसके अलावा वहां जो आदमी उस संरक्षित क्षेत्र में खतरे में हैं, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले और उनको नौकरी दिलाने की व्यवस्था करे।

**श्री निहाल चंद चौहान** (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बसे किसानों की समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से दस साल पहले राजीव गांधी जी के समय में सीमा पर कंटीली तार लगाई गई थी। उस तारबंदी में सीमा पर रहने वाले लोगों की कहीं एक एकड़ और कहीं दो एकड़ जमीन आ गई। इसका किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वे किसान उस जमीन पर न तो फसल बो सकते हैं, न काट सकते हैं, न वहां सिंचाई कर सकते हैं और न ही आ-जा सकते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर जो कंटीली तार लगाई थी उसमें जिन किसानों की जमीन आ गई है उनको या तो मुआवजा दिया जाए या उन्हें अन्य कहीं पर जमीन दी जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थॉमस** : महोदय, मैं रबड़ का उत्पादन करने वाले कृषकों के संबंध में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने दो मुद्दों के संबंध में सूचना दी है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने सिर्फ पहली आइटम लेनी है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थॉमस** : महोदय, मैंने दोनों मुद्दों के संबंध में सूचना दी है।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : दो नहीं, एक ही होगा।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थॉमस** : महोदय, यहां दो मुद्दे हैं। कृषकों का मुद्दा बहुत गंभीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ की कीमतें कम हो गई हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तब आप केवल कृषकों का ही मुद्दा उठाइए।

**श्री पी०सी० थॉमस** : पिछले वर्ष, प्राकृतिक रबड़ की कीमतें 55 रु० प्रति किलोग्राम थीं। अब वह कीमतें कम होकर 38 रु० प्रति किलोग्राम हो गई हैं जो कृषक रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं, वह देश के लिए काफी कमा रहे हैं, और देश भी काफी बचत कर रहा है। यहाँ सात अथवा आठ लाख लघु अथवा सीमान्त कृषक हैं जो कि रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं। वे, अब, काफी दबाव में है। कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। कोई भी सरकार उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आई है। वास्तव में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में इस मुद्दे को संसद में उठाया गया था। हमें यह जवाब दिया गया कि तत्काल ही कुछ किया जाएगा। एक आश्वासन दिया गया था कि रबड़ की खरीद के लिए 100 करोड़ रु० की सहायता दी जाएगी। इससे जब तक कि कुछ रबड़ की खरीद नहीं की जाती तब तक इन सात अथवा आठ लाख कृषकों को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है।

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः इस प्रकार की कृषि पर निर्भर करती

[श्री पी०सी० थॉमस]

है। रबड़ एक ऐसी मद है जिसका सभी जगह व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। पूरे विश्व में लघु कृषकों को कच्चे माल की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब उनके बीच निराशा होती हैं तो उनकी सहायता के लिए कोई नहीं होता है। हम इस सभा तथा इस सरकार से विशेषाधिकार चाहते हैं कि उनके लिए कम से कम 100 करोड़ रु० दिए जाएं। यदि केन्द्र सरकार उन्हें रबड़ की खरीद के लिए 100 करोड़ रु० देने के लिए तैयार है तो मैं नहीं जानता कि क्या राज्य सरकार इसके लिए इच्छुक है अथवा नहीं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे पहले हम 'सौभाग्यपूर्ण' कहते थे लेकिन अब हम कहेंगे यह 'दुर्भाग्यपूर्ण बात' है।

एक बड़े हिस्से अर्थात् 90% रबड़ का उत्पादन मेरे राज्य में होता है। वहां सरकार है। वह इसके प्रति अनुक्रियाशील नहीं है। वे शराब पीने वालो की आदतें खराब करने में इच्छुक हैं। वे अब कृषकों के लिए कुछ कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाये हैं। महोदय, इस सभा में एक उत्तर दिया गया था कि यदि राज्य सरकार आगे आती है तो वे अनकी मदद करेंगें। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सहायता लेने के लिए भी आगे नहीं आई। अतः, रबड़ उत्पादकों की मदद करना इस सभा का कार्य है। मुझे विश्वास हे कि सभी कृषक इस गंभीर मुद्दे से सहमत होंगे। महोदय, यदि 100 करोड़ रु० दिए जाते हैं और कुछ रबड़ की खरीद की जाती है, तो उससे रबड़ की कीमते बढ़ेगी।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पूरे कृषक समुदाय को भुगतना पड़ेगा और इससे भारत के राजकोष में काफी हानि होगी। महोदय मेरे विचार में, आपको सरकार को कुछ निर्देश देने चाहिएं। भारत सरकार की नीतियों को भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री पी०सी० थॉमस** : महोदय, हमने परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, अतः मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि कृषकों तथा उन श्रमिको द्वारा झेली जा रही समस्याओं के कारण सरकार को कुछ निर्देश दे जो कि प्रातः 4 बजे इन रबड़ के पेड़ो के निकट जाते हैं, और रबड़ लेते हैं और उत्पाद लाते हैं। मैं आपको यह तर्क देता हूं कि यह मानवाधिकार का प्रश्न है, यह कृषकों का मुद्दा है और यह लघु कृषकों तथा श्रमिकों का मुद्दा है कि आपको सरकार को कुछ निर्देश देने चाहिएं ताकि सरकार इस संबंध में कुछ कार्यवाही करे।

*[हिन्दी]*

**श्री रमेश चेन्नित्तला** (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष जी, रबर के दाम में जो कटौती हुई है और उसके बारे हमारे मित्र ने जो इधर बताया है, मैं उससे सहमत हूं। केरल में रबर पैदा करने वाले किसानों की परेशानी को दूर करने की मांग हम लोग लगातार इस सदन में और मंत्रालय के सामने रखते हैं। लेकिन इस सदन में ही हमारे कॉमर्स मंत्री जी ने वादा किया था कि सौ करोड़ रुपया इसमें लगाएंगे और रबर प्रोक्योर करके किसानों को आश्वासन देने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश में जो सरकार है, वह सरकार भी रबर किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज यह दिन आ गया है कि एक किलो रबर 35 रु० हो गई है। पहले जो दाम मिलते थे, उसमें कटौती हो गई है। आज सरकार को यह करना चाहिए कि रबर को प्रोक्योर करे, मार्केटिंग ठीक तरह से करे और एस०टी०सी० की तरह से अन्य कॉरपोरेशंस को रबर प्रोक्योर करने के लिए धनराशि देनी चाहिए ताकि वे किसानों की मदद करे सकें। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : उपाध्यक्ष जी, सऊदी अरब में हज़ यात्रा में जो हिन्दुस्तान से लोग गए थे, वहां 15 अप्रैल को जो घटना हुई और जिसमें चार-पांच सौ लोग मर गए थे। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो० पी०जे० कुरियन** (मवेलीकारा) : महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वे एस०टी०सी० को रबड़ की खरीद करने के निर्देश देंगे। पिछले महीने सरकार द्वारा, वाणिज्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

मैं रबड़ उत्पादकों का यह मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और सरकार से यह निर्देश देने का अनुरोध करूंगा कि वे उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करें। बस इतना ही है और मैं जो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, वह यह है कि गरीब कृषकों के लिए सरकार को निदेश दे कि वे अपनी वचनबद्धता पूरी करें।

**श्री राजेश पायलट** (दौसा) : महोदय, यह सत्य है कि सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास पहले से नोटिस नहीं हैं। उसके बावजूद कितने सदस्यों को बोलने के लिए एलॉउ किया जाएगा ? ज़ीरो ऑवर है। जो कहना चाहते हैं, कहें, में किसी को बोलने से रोकता नहीं हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री राजेश पायलट** : महोदय, आप सरकार से उत्तर मांग सकते है ...*(व्यवधान)* सभा के माननीय नेता यहां है वे केरल के किसानों की भलाई के लिए एक आश्वासन दे सकते है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप बैठिए।

*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वह कहना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं ?

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : यदि आश्वासन पहले दिया

गया है तो निश्चित रूप से उसके संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए थी। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो हम कार्यवाही करेंगे। ...(व्यवधान)

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थॉमस** : कृपया किसानों की एक बैठक बुलाइए ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह काफी है, कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : उपाध्यक्ष जी, सऊदी अरब में हज्ज यात्रा के समय पर जो अग्निकांड हुआ और जसमें चार-पांच सौ लोग हिन्दुस्तान के मर गए हैं तथा हजारों लोग घायल हुए हैं, उसके बारे में हमने शोक प्रस्ताव भी यहां पारित किया है। इस संबंध में हमारे देश के 38 प्रतिनिधि गए थे और उनके साथ 176 और लोग भी गए थे। मैंने ऐसा सुना है और इसमें दो-ढ़ाई करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब इतने लोगों के जाने के बाद वहां मंत्री जी गए थे और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। यह सब होने के बाद प्रधान मंत्री जी ने 25 अप्रैल को तीन सांसदों का एक और प्रतिनिधि-मंडल वहां पर भेजा है तथा उसमें जनता दल के श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, मुस्लिम लीग के श्री ई० अहमद और कांग्रेस की तरफ से श्रीमती बेगम नूर बानो को वहां पर भेजा गया। अब मुझे यह पूछना है, प्रधान मंत्री होते तो अच्छा रहता। क्या इस प्रकार से हादसे के बारे में दोबारा भेजना जरूरी था ? अब भेजा है तो क्या विरोधी पार्टियों में से किसी को भी नहीं भेज सकते थे ?

**मध्याह्न 12.00 बजे**

राष्ट्र में सामन्जस्य से काम करने की बात प्रधान मंत्री जी कहते हैं और जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय हादसा होता है, तो वहां पर इस देश की विरोधी पार्टियों से कोई भी सांसद नहीं भेजा गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने विरोधी पार्टियों से कोई भी सांसद क्यों नहीं भेजा ? भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, समता पार्टी, हरियाणा विकास परिषद्, शिव सेना और बहुजन समाज पार्टी से किसी को भी भेजा जा सकता था, लेकिन इन दलों में से किसी को भी नहीं भेजा। ऐसी बातों में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपनाना सरासर गलत है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने इस प्रकार से काम क्यों किया है। ऐसे सवालों पर इस प्रकार से काम करना, देश को एक जगह पर लाने की दृष्टि से यह कदम ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस घटना की निंदा करता हूं और साथ ही साथ यह मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें।

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात की ताईद करता हूं। बार-बार लोगों को भेजने में सरकार का पैसा खर्च होता है। उन्होंने जो वहां पर देखा, उसके बारे में वे रिपोर्ट क्यों नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि वे रिपोर्ट दें।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : शून्यकाल समाप्त हुआ।

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## रेल बजट - अनुदानों की मांगे, 1997-98

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा आगे चर्चा करेगी और अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1997-98 पर मतदान होगा।

प्रो० रासा सिंह रावत।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत से विषय हैं, जिन पर चर्चा करनी है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रो० रासा सिंह रावत के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल के बारे में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में रेल बजट पर चर्चा हो रही हैं। वैसे तो रेलें राष्ट्र की नसें हैं, जिनमें राष्ट्र की एकता का रक्त प्रवाहित होता है। रेलें राष्ट्र की एकता की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में रेलों की व्यवस्था, रेलों के अन्दर संचालन व्यवस्था, रेलों की समय की पाबन्दी तथा तीन चीजें - सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन - जो हर स्टेशन पर लिखी होती हैं, उनका पालन जिस ढंग से होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक करने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन प्रयास में जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल रही है।

रेलों में माल भाड़ें में वृद्धि की गई है, इससे मंहगाई में वृद्धि हो रही है। यह कदम मंहगाई बढ़ाने में सहायक हो रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि रेलों द्वारा माल कम भेजा जा रहा है और ट्रकों के माध्यम से माल भेजने की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से आज रात्रिकालीन रेलों में लूटमार, डकैती और चोरी की घटनायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में सरकार कहती हैं कि जी०आर०पी० जिम्मेदार हैं और कुछ कह देते हैं कि आर०पी०एफ० जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने इस मामले में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर निर्णय लेने के बारे में कहा था। मैं जानना चाहता हूं, इस बारे में क्या कदम उठाया गया है ?

रेलों के अन्दर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा, उनके माल

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० रासा सिंह रावत]

और जान की सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे की सुरक्षा के बारे में उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाया है ? इस बारे में वे क्या करने जा रहे हैं ? रेल मंत्री ने कहा था कि वे मंत्रालय के बोर्ड के अन्दर शिकायत प्रकोष्ठ बनाने जा रहे हैं। पिछले दिनों यह समाचार समाचार-पत्रों में आया था कि उत्तरी रेलवे के अन्दर रेलवे का जो दिल्ली डिवीजन है, वहां पर प्रकोष्ठ स्थापित किया है और उसका टेलीफोन नम्बर भी है। जब इस नम्बर पर हमारे साथियों ने सम्पर्क करने का प्रयास किया, तो वहां पर कोई रिप्लाई नहीं मिला। ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय में आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। आदेश दिया गया था कि आर०एम०-डी०आर०एम० हैडक्वार्टर के अन्दर शिकायत प्रकोष्ठ रहेगा और वहां से लेटैस्ट जानकारी प्राप्त और शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस बारे में कोई उचित रूप से व्यवस्था नहीं हो रही है। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान में एक नया जोन - उत्तरी-पश्चिमी रेलवे जोन - कायम किया गया है, लेकिन इसका हैडक्वार्टर जयपुर में बनाया गया है। जयपुर राज्य की राजधानी है, वहां मुख्यालय बनाना अच्छी बात है, लेकिन इसको अजमेर में बनाना चाहिए था। कारण यह है कि जानापुर में उत्तरी पश्चिमी जोन के लिए आज तक कार्यालय के लिए जमीन नहीं मिली है और जमीन को खरीदने के लिए रेलवे को करोड़ो रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर जमीन मिलेगी। जब कि अजमेर के अंदर रेलवे की सैंकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी है। वहां के लोगों ने कहा कि यहां पर जमीन भी पड़ी हुई है और भवन भी बने हुए हैं, वहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जयपुर में खेलने के स्टेडियम के अंदर प्रभारी अधिकारी को बिठाया गया है और वहां कार्यालय बनाने की स्थिति चल रही है। मान्यवर, एक तरह तो खेलों में हमारे देश की ओलाम्पिक्स के अंदर कितनी उपलब्धि रहती है और दूसरी तरफ खेल के मैदानों को रेलवे मुख्यालय बनाने के काम को टेम्पररली ले रही है। लेकिन बाद में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदेगी और फिर नये भवन में कितना करोड़ों रुपया खर्च होगा। जब कि अजमेर के अंदर सारा इनफ्रासट्रक्चर उपलब्ध था।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1984 में एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी ने रेकोमेडिशंस दी थीं कि अगर रेलवे का नया जोन बनता है तो नये रेलवे ज़ोन का मुख्यालय अजमेर के अंदर बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसको कैसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। ...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : रावत जी, जरा आप एक मिनट ठहरिए। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की राय जानना चाहूंगा। मेरे पास अभी आठ माननीय सदस्यों के बोलने वालों के नाम हैं और दो बजे रेल मंत्री जी ने जवाब देना है। हमारे पास अब एक घंटे से भी कम समय है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर पांच-पांच मिनट सब लें तो शायद गुजारा हो सकता है।

**प्रो० रासा सिंह रावत** : महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना है कि अजमेर के पास पुष्कर तीर्थस्थल है, उसको अभी तक रेलवे से नहीं जोड़ा गया। वह मुश्किल से दस किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां बहुत से विदेशी पर्यटक भी आते हैं। देश के लाखों तीर्थ यात्री पुष्कर के अंदर आते हैं। अगर अजमेर को पुष्कर से रेलवे लाईन से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सुविधाजनक होगा और वह रेलवे के लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर अजमेर, पुष्कर से हरिद्वार के लिए तथा अजमेर पुष्कर से अमृतसर के लिए सीधी गाड़ी चला दी जाए तो मैं समझता हूं कि यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। राजस्थान से हरिद्वार के लिए गंगा में बहुत से लोग दर्शन स्नान के लिए जाते हैं उनको कोई सीधी गाड़ी नहीं मिलती। उनको दिल्ली आकर ठहरना पड़ता है और नाना कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर अजमेर से हरिद्वार के लिए सीधी गाड़ी हो जाए तो वह वहां जाने वाले यात्रियों के लिए फलदायी होगी।

मान्यवर, मेरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अहमदाबाद, अजमेर लाईन ब्रॉड गेज़ बना दी गई हैं लेकिन वह चालू नहीं हुई है। रेलवे को करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। केवल हरी झंडी दिखाने के चक्कर में महीने, डेढ़ महीने से अजमेर से अहमदाबाद के बीच में एक भी गाड़ी नहीं चली है। डेढ़ महीने से ब्रॉड गेज़ कंवर्शन हो गया है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और निर्धारित समय से काफी देर लगी उसके बावजूद भी लाखों यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पालनपुर, मेहसाणा, अजमेर, कयावर, पाली और आबूरोड के यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही हैं मैंने पता लगाया है कि कल रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में जा रहे हैं। उसका उद्घाटन अजमेर से होना चाहिए था लेकिन पता नहीं किन कारणों से उन्होंने उसके उद्घाटन का कार्यक्रम अहमदाबाद में रखा है। इसी प्रकार से एक और लाईन कुई से आगरा फोर्ट जाने वाली है। अहमदाबाद, राजस्थान होकर आगरा से जोड़ने वाली गाड़ी थी, वह पटरी दो साल से ब्रॉड गेज़ में चेंज होने वाली थी लेकिन वह अभी तक नहीं हुई। उसका काम रुका हुआ है। मैं रेल मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि बांदीपुर से आगरा फोर्ट रेलवे लाईन, जिसका मीटर गेज़ से ब्रॉड गेज़ में कंवर्शन होना था। आपने इसकी घोषणा भी कर दी थी और कहा था कि यह काम पूरा हो जाएगा। दो साल होने लगे हैं लेकिन उसका अजमेर से आगरा का संबंध अभी तक टूटा हुआ है। अजमेर से अहमदाबाद के बीच में और अजमेर, ब्यार के बीच में, इसी तरह से शटल और पैसेंजर गाड़ियां भी जल्दी चलाने का प्रयास करें। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप कंक्लुड कीजिए।

**प्रो० रासा सिंह रावत** : महोदय, राजस्थान में कोई भी रेलवे के बारे में नहीं बोला है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले बोल चुके हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री राजेश पायलट (दौसा)** : महोदय, राजस्थान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है।

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** : पश्चिमी राजस्थान लम्बा-चौड़ा इलाका है।

फुलेरा से रीगस, रिवाड़ी लाईन को मीटरगेज़ से ब्राडगेज़ में शीघ्र बदला जाए। लोग हल्ला कर रहे हैं कि राजस्थान में रेलवे के लिए बहुत दिया।

लेकिन पिछले 40-45 सालों में अब जाकर उसकी ओर ध्यान गया है। तो जो स्थान रह गये हैं उनकी ओर भी ध्यान जाना चाहिए और उन्हें भी पूरा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से जो सीकर वाली लाइन है वह भी ब्रॉडगेज़ होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जयपुर में 54 ट्रेनें आती हैं और वहां कुलियों की संख्या 150-200 के करीब है जबकि अजमेर में 15 गाड़ियां आती हैं वहां पर कुलियों की संख्या 250-300 के लगभग है। पिछले तीन-चार महीने के अंदर वहां लाइसेंस दिए गये हैं जिससे लोगों में गुस्सा है और उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहां करना नहीं चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस बारे में निवेदन करूंगा। जो कुली सामान उठाकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलायी जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने अजमेर, उदयपुर के लिए बड़ी लाइन परिवर्तन की घोषणा की है जिसके लिए एक करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसे मीटर गेज़ से ब्रॉड-गेज़ में बदल दिया जाएगा। एक बात और है। अजमेर में कारखानों में नयी भर्ती पर पाबंदी लगा दी गयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनमें 15 हजार के करीब श्रमिक काम करते हैं, इनको छंटनी से बचाने के लिए इनको ब्रॉडगेज़ का अधिक से अधिक काम दिया जाना चाहिए।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** (झाबुआ) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पासवान जी ने यह बजट पेश किया है इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, रेलवे हमारे देश में आवागमन का सबसे बड़ा साधन है। लाखों लोग रोज इससे यात्रा करते हैं। पासवान जी ने लम्बी दूरी की रेलें शुरू की हैं। जो फर्स्ट-क्लॉस के यात्री रिजर्वेशन करके जाते हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं दी हैं। लेकिन जो गरीब आदमी हैं और उनमें भी जो एस०सी०एस०टी० के लोग हैं जिन्हें 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की सुविधा चाहिए वह नहीं दी गयी है। सारे के सारे डिब्बे उनमें रिजर्वेशन के लगा दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप उनकी जरूरत को आइडेंटिफाई करिये, गाड़ी का कलर चेंज करिये और ज्यादा से ज्यादा नॉन रिजर्वड डिब्बे लगाइये, जिससे आम आदमी रेल मे सफर कर सके। रिजर्वड डिब्बे का दरवाजा कोई भी आदमी नहीं खोलता है जिससे आदमी को बैठने का मौका नहीं मिलता है। रिजर्वेशन के लिए कई-कई महीने की वेटिंग-लिस्ट होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नॉन-रिजर्वड ट्रेने भी आप चलाइये, चाहे वह दिल्ली से मुम्बई के लिए हो या कलकत्ता-मद्रास के लिए हो, जिससे लोगों को यह लगे कि रेलवे में उनकी भी भागीदारी है।

दूसरा, जैसा उन्होंने कहा है कि हम पहाड़ी एरियाज में और पिछड़े एरियाज में नयी रेलवे लाइनें डालेंगे, तो यह एक अच्छी बात है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1995 में इंदौर, दाहोद, गोदरा लाइनें बजट में आ रही हैं। लेकिन सात-आठ साल हो गये, वे वैसी की वैसी पड़ी हैं। इस साल बजट में केवल 3 करोड़ रुपये दिये गये हैं। गुजरात का आदिवासी एरिया व मध्यप्रदेश का झबूआ एरिया आदिवासी एरिया है। इस साल के बजट में आपने तीन करोड़ रुपया रखा है। एक किलोमीटर का एक करोड़ रुपया बने तो तीन किलोमीटर का तीन करोड़ रुपया बनेगा। इस तरह से तो इसके बनने में 100 साल लग जाएंगे। शायद फिर भी यह रेलवे लाइन न बन सके।

उपाध्यक्ष जी, आज हमारे देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां लोगों ने रेल नहीं देखी है। वे रेल देखने के लिए कई किलोमीटर चलकर स्टेशन पर आते हैं। क्या हमारी प्राथमिकता नहीं बनती है कि ऐसे पिछड़े स्थानों को रेल से जोड़ा जाए। मैं मध्य प्रदेश मे आता हूं। वहां इतनी खनिज सम्पत्ति है लेकिन रेल नहीं है। अगर मैं इस बजट के आंकड़ों में जाऊं तो मध्य प्रदेश को उसके हिस्से से कम मिला है। मध्य प्रदेश जैसे कि नाम से ही विदित है देश के मध्य में है। आप चाहे नार्थ से साउथ जाएं या साउथ से नार्थ आएं या और किसी स्टेट में जाएं मध्य प्रदेश बीच में अवश्य पड़ता है। लेकिन इस बजट में मध्य प्रदेश के लिए जितने धन का प्रावधान होना चाहिए था वह नहीं किया गया है। हम रेल मंत्री जी से यह अपेक्षा करते हैं कि वे मध्य प्रदेश की उपेक्षा न करें। मंडला, नीमच, इंदौर, खंडुवा लाइनों को डवलप करने की आज आवश्यकता है। अगर आप मध्य प्रदेश से गुजरने वाली लाइनों को प्राथमिकता देंगे तो मध्य प्रदेश में जो खनिज सम्पदा है उसकी ढुलाई आसान हो जाएगीं आज सारा का सारा कोयला ट्रकों से ढोया जाता है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। इसलिए आप चाहे इंदौर-दाहोद हो या दल्ली से राजहरा हो, इन लाइनों को आप प्राथमिकता दें ताकि हमारे मध्य प्रदेश का विकास तेजी से हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने रेलवे कमेटी में भी किया है हमारा एस०सी०एस०टी० का कोटा पूरा नहीं हुआ है। हमारे जो रेलवे के बोर्ड बने हुए हैं जब तक उनमें एस०सी०एस०टी० के लोग नहीं होंगे तब तक हमारे लोगों का भर्ती होना बहुत मुश्किल काम है। आप बस्तर में, झबुआ में, आसाम में, पंचमहल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जाकर भर्ती कीजिए। वहां पर ट्राइबल्स का कोटा रेलवे में पूरा नहीं होता है। वहां का कोटा रेलवे में बहुत कम है। ऐसा लगता है कि रेलवे में हमारी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। हमारा जो सर्विस कोटा रेलवे में है, रेलवे स्टेशन पर है, दुकानों में है जब तक आप यह सारा का सारा कोटा नहीं देंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम आपसे उपेक्षा करते हैं कि आप रेलवे बोर्ड में केन्द्र और राज्य स्तर पर इनके भी मैम्बर बनाइये।

फास्ट ट्रेन मुम्बई-दिल्ली के बीच में राजधानी जो चलती है वह आठ घंटे लगातार चलती है। वह बड़ौदा से कोटा रुकती है। रतलाम में हैड-क्वार्टर है लेकिन वहां नहीं रुकती है। ऐसा लगता है कि जहां-जहां अपने पक्ष की इनकी बात होती है ये वही करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां आवश्यकता हो वहां इसे किया जाना चाहिए। आज हम वैस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हमें भोपाल जाना हो तो उसके लिए एक भी ट्रेन नहीं है। जबकि वैस्टर्न मध्य प्रदेश में कम से कम 10-12 जिले आते हैं, लेकिन हमें भोपाल जाना पड़ता है।

वहां के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन 111 अप 112 डाउन

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

जो चलती थी, वह बंद कर दी गई है शताब्दी गाड़ी और ई०एम०यू० गाड़ियां पांच-छः घंटे चलाएं ताकि हमारे लोग सुबह जाकर शाम को अपना काम करके वापस आ सकें। जब तक वहां के लोगों काह यह सुविधा नहीं देंगे, तब तक वहां के लोगों को रेल की अच्छी सुविधा नहीं मिल सकेगी। वहां के लोग सड़क यात्रा नहीं कर सकते। मंत्री जी ने कहा है कि मैं ये सारी बातें देखूंगां मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन आपने घंटी बजा दी। इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। मै रेल मंत्री जी द्वारा पेश बजट का समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं।

**श्री जोआचिम बक्सला** (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले अपनी बात कहूं, मैं माननीय रेल मंत्री पासवान जी जिन्होंने दोबारा रेल मंत्रालय का कार्य भार सम्भाला है, उसके लिए उन्हें सर्वप्रथम अभिनन्दन ज्ञापित करता हूं। उन्होंने रेल मंत्रालय का भार सम्भालने के बाद जो सिलसिला शुरू किया और जिस दिशा में काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, हम उसके लिए भी उनके आभारी हैं।

नॉर्थ ईस्ट बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस पिछड़े क्षेत्र की उन्नति के लिए वहां जब तक रेल पथ सेवा नहीं जाएगी तब तक उस क्षेत्र की उन्नति नहीं हो सकती। उन्होंने वहां गेल पथ के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं और उसमें से 300 करोड़ रुपए उस क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह शेडयूल्ड ट्राइब क्षेत्र है। मैं द्वारस रीजन के अलीपुरद्वार क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। उस क्षेत्र के लिए 25-30 सालों से कोशिशें हो रही थीं कि वहां रेल सेवा की उन्नति की जाए लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पिछले बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने उस ओर ध्यान दिया और न्यू जलपाईगुड़ी, सिलिगुड़ी से लेकर अलीपुरद्वार होते हुए न्यूबोंगाई गांव जो रेल लाइन जाती है, उस मीटर गेज रेल लाइन को डबल लाइन में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया, लेकिन इसके लिए जो राशि की आवश्यकता है, अगर वित्त मंत्रालय से वह राशि सही समय पर नहीं मिलेगी तो मुझे संदेह है कि वह 21वीं में प्रवेश करने से पहले पूरी हो पाए।

एक प्रस्ताव यह भी था कि मैनागुड़ी से चेंगराबंधा, माथाबंगा, तूफानगंज होते हुए जोगीगोटा तक रेल लाइन बनानी चाहिए क्योंकि वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा था 1997-98 में इसका सर्वेक्षण होगा। यह एक अच्छी बात है कि उन्होंने आश्वासन दिया। स्वाधीनता के बाद जब हमने शासन सम्भाला, उस समय सिर्फ 54 हजार किलोमीटर रेल लाइन थी। स्वाधीनता के पचास वर्ष पूरे होने के बाद सिर्फ आठ हजार किलोमीटर लाइन बन पायी है। हम रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वह वर्तमान प्रधानमंत्री श्री आई०के० गुजराज जी के नेतत्व में कोशिश करें ताकि सर्वेक्षण का ही कार्य न हो बल्कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछायी जा सके।

दूसरी बात यह है कि असम और द्वारस क्षेत्र के चाय बागानों में जो आदिवासी, शेडयूल्ड ट्राइब्स लोग काम करते हैं, उनकी इच्छा अपनी मातृभूमि बिहार के रांची, छोटा नागपुर क्षेत्र से सम्पर्क बनाए रखने की होती है, चूंकि वहां सीधी रेल सेवा नहीं हैं, इसलिए मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो रेल सेवा कटिहार, बरौनी लिंक एक्सप्रेस टाटानगर तक चलाने वाले हैं, उस रेल सेवा को न्यू जलपईगुड़ी से शुरू करके गंतव्य स्थान टाटानगर तक सीमित ने रखकर उसको रांची-हटिया तक ले जायें तो आंशिक रूप से गरीब और पिछड़े लोगों को बहुत बड़ी सहायता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सुन्दरबन एक टूरिस्ट स्थान है। यदि सोनारपुर-केनिंग-बरईपुर-लखीपुर तक डबल लाईन कर दी जाये तो वहां के लोगों को सहूलियत होगी। इसके साथ ही सोनारपुर-केनिंग सियालदह सैक्शन पर टोकन सिस्टम अभी तक चालू है। मेरा सुझाव है कि इसको टोकनलैस सिस्टम यथाशीघ्र किया जाये। मेरा एक अनुरोध यह भी हैं कि सियालदह-केनिंग-सोनाखाली-धानाखाली सैक्शन पर डबल लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बलूरघाट पर जो रेल लाईन बनाने की योजना थी, समय पर और सही ढंग से काम अभी तक नहीं करने से काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसके लिये राशि उपलब्ध कराई जाये ताकि यह रेल लाईन बन सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बक्सा फोर्ट है जिसे पर्यटन क्षेत्र बनाये जाने के लिये राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इस हेतु राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है कि यदि उनसे सहायता मिले तो इसको पर्यटन स्थान बनाया जा सकता है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री मधुकर सरपोतदार** (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज पहली बार रेल बजट पर बोलने का मौका मिला है।

जो रेल बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है और उनमें जो प्रावधान किया है, उसमें अगर देखा जाये तो यह स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र के साथ आपने न्याय नहीं किया है। मुझे इस बात का ज़वाब दें। मेरे पास समय की कमी है।, नहीं तो मैं और फिगर्स देता।

आपने वार्षिक योजना में 8300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, बजट सपोर्ट में 1831 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपया आपने बजट सपोर्ट करंट ईयर में लिया हैं इंटरनल रिसोसेंज़ में आप 3419 करोड़ रुपये जमा करने वाले हैं और 3050 करोड़ रुपया अन्य माध्यम से लेकर बजट में परिवर्तन करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतनी धनराशि बनाने के बाद आपने महाराष्ट्र के लिये कौन सी राशि छोड़ दी है या ऐसी कौन सी योजना है जिसे आप महाराष्ट्र के लिये करने वाले हैं। मुझे आपका एक खत मिला था, जिसे पाकर मैं खुश हुआ लेकिन आपने इस क्षेत्र के लिये क्या प्रावधान किया है, उसे मैं ढूंढ रहा हूं कि 1997 के तहत आप क्या करने वाले हैं। मुझे अभी तक पता नहीं कि 1997 के तहत ऐसी कौन सी योजना है जो पूरी हो जायेगी। ऐसी किसी योजना का इस खत के अंदर उल्लेख नहीं। आपने जो कुछ भी दिया है, वह केवल 3.3.98, 12.12.98 या 12.12.99 तक का नई योजना का टारगेट है और जो कुछ भी अपने आश्वासन दिया है, वह 1998 के बाद के साल का है लेकिन 1997 में क्या करने वाले हैं, यह

पता नहीं पड़ता है। मुम्बई शहर के लिये 170 करोड़ रुपया दिया है। यदि आप मुम्बई शहर को ही देखेंगे तो मालूम होगा कि 34 प्रतिशत लोग महाराष्ट्र के है और बाकी 65 प्रतिशत लोग देश के दूसरे हिस्सों से आये हुये हैं और उनमें भी बिहार के लोगों की तादाद ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार से ये लोग महाराष्ट्र में आ गए, मुम्बई शहर में आ गए तो उनका ख्याल रखने की कोई ज़िम्मेदारी रेलवे की है या नहीं ? जो सबरबन ट्रेन्स चलती हैं, उनकी हालत क्या है ? रोज़ बहुत बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, उनके ऐक्सीडेण्ट्स हो जाते हैं, कई आदमी मारे जाते हैं। उनको कुछ सुविधा देने के लिए अगर रेलवे बोर्ड सोचता है तो उसका भी जवाब आप देंगे तो अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर जो योजनाएं खत में दी हैं, यह खत पढ़कर मुझे खुशी हुई कि कम से कम मेरे रेकार्ड पर तो ये सब आंकड़े आ गए। जब तक मंत्री जी ने लिखा है, मैं तब तक इंतज़ार करूंगा और उस समय पूछूंगा कि आपने जो लिखा था, उसका क्या होगा ? भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम आपका वायदा पूरा होने तक आप रेल मंत्री बने रहें। यह सरकार पूरे समय काम करे, ऐसी मेरी उम्मीद है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको कुछ आशंका है।

**श्री मधुकर सरपोतदार** : आशंका तो रोज़ होती है। रोज़ अखबार में कुछ न कुछ ऐसी बातें आती हैं। जिसकी वजह से सरकार के ऐक्ज़िसटेन्स पर आशंका ज़रूर पैदा होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि कांग्रेस वाले चाहें और हमारे वामपंथी लोग चाहें तो यह सरकार पांच साल काम करे। हम बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं लाएंगे जिसकी वजह से शासन को कोई नुकसान हो।

मुम्बई के लिए आपने 2001 साल के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया है ? आपको 1917 करोड़ रुपये का प्रावधान करने चाहिए था, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी, वह आपने पूरी नहीं की। 3500 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने वाला था। मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण है मगर रेलवे बोर्ड यह कर्जा हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष जी, जब एक शहर के बारे में हम सही बात सुनना चाहते हैं तो उसका ख्याल करने की बड़ी ज़िम्मेदारी रेलवे की भी होती है। हाइलाइट्स में आपने जो कुछ प्रावधान किया है, उसमें पब्लिक ग्रीवियांसेज़ के बारे में दिया है। जो आपने यंत्रणा लिखी है, यह हकीकत में यंत्रणा कम करती है। केटरिंग सर्विसेज़ के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा है। आपने क्वालिफाइड लोग लिये, डिप्लोमा होल्डर लिये और ये लिखा कि जो फूड सर्व किया जाता है, उसका ख्याल वह रखेंगें मैं कहना चाहता हूं कि आप यात्रा करनें और वहां जो क्वालिफाइड सुपवाइज़र हैं, जो फूड सर्व किया जाता है, उसकी देखभाल करने की कोई व्यवस्था मौजूद है या नहीं, यह भी आप देखिए। रेलवे की सफाई देखिए, फूड सर्व करने का तरीका देखिए। एक बार फूड सर्व कर दिया तो उसके बाद बरतन उठाकर ले जाने के लिए कितनी देर बाद आते हैं, यह देखिए। कम्पार्टमेंण्ट्स में कैण्टीन का सामान पड़ा रहता है। कोई उसका ख्याल नहीं करता। ऐसी रेलवे की हालत है। जो न्यू लाइन्स आपने दी हैं, उसमें महाराष्ट्र के लिए लोगाद बारामती, अहमदनगर और शिरडी के लिए प्रावधान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से 48 संसद सदस्य चुनकर आते हैं और 48 में से 33 सदस्य भारतीय जनता पार्टी और शिव-सेना के हैं तो कम से कम 15 सदस्य कांग्रेस के हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। कम से कम इन 15 लोगों का तो आपको ख्याल करना चाहिए क्योंकि उनके कंधों पर ही आपकी सरकार टिकी है। एक बार थोड़ा सा कंधा उन्होंने हटा दिया तो क्या हालत हो गई, आप जानते हैं। आगे जाकर ऐसा करेंगे तो क्या होगा ? इसलिए आप थोड़ा सुधर जाइए। कम से कम इन 15 लोगों का तो ख्याल करें। ये चिल्लाते नहीं हैं। अगर मामला उठाना हो तो पूछकर उठाते हैं। इन 15 लोगों में से शरद पवार जी भी हैं। वह महाराष्ट्र के लिए चिल्लाते नहीं क्योंकि वह तो देश के नेता हैं। जब कोई व्यक्ति देश का नेता बन जाता है तो घर का ख्याल कुछ कम करता है। शायद ऐसा ही होता है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मुम्बई शहर में अन्य राज्यों से -बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु से जो लोग आते हैं, इन लोगों का ख्याल करने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है।

**श्री कल्पनाथ राय** (घोसी) : मुम्बई सबका है।

**श्री मधुकर सरपोतदार** इसलिए सबको ख्याल भी करना चाहिए। जब ख्याल करने का सवाल आता है तो सिर्फ महाराष्ट्र देखेगा। रोज़ी-रोटी देने का सवाल आता है तो यह लोग देश के हैं। यह नहीं चलेगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जब आप प्रावधान करते हो तो जरा मुम्बई का भी ख्याल करों इस शहर की क्या हालत हो रही है, किस हालत से यह गुजर रहा है। मुम्बई की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो रेलवे के लिए प्रावधान करता है वह रेलवे में सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आपने सिर्फ 1831 करोड़ रुपये का फंड रेलवे को दिया हुआ है इसको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है तथा मुम्बई शहर का भी ख्याल आप करें। नहीं तो एक समय ऐसा आयेगा कि यहां से कोई भी एम०पी०, मिनिस्टर मुम्बई शहर में जायेगा तो उसको बहुत बड़ी समस्या का मुकाबला करना पड़ेगां मैं यह नही कहता कि वह केवल महाराष्ट्र का हो, सारे प्रान्तों से आए हुए लोग रास्ते पर खड़े हो जायेंगे। इसलिए आप ये न भूलें। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यह समस्या बहुत गहरी होती जा रही है। आपने गेज कंवर्शन के बारे में जो प्रावधान किया है, उसमें महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, डबलिंग के लिए जो प्रावधान किया है, उसमें महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया है, यह बताइयें जो सर्वेज हुए हैं उनकी इतनी बड़ी लिस्ट है। इसमें महाराष्ट्र के सर्वे के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। जो हाइलाइट्स दी गई हैं उसमें मैंने देखा है और मुम्बई के लिए 170 करोड़ जो आपने एम०टी०पी० प्लान योजना के लिए दिया है उसके लिए मैं आपके धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन यह धनराशि बहुत कम है, आपको इससे अधिक धनराशि का प्रावधान करना पड़ेगा। मैं आपके यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर बांद्रा से होकर कुर्ला तक एक रेल लाइन है। इसके बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति यदि ठाणे

[श्री मधुकर सरपोतदार]

या कुर्ला की तरफ बोराबली, पाली से उस साइड जाना चाहता है तो जब तक वह दादर नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको उस एरिया में जाने का दूसरा विकल्प नहीं है। वहां के संसद श्री प्रमोद महाजन यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए बांद्रा से लेकर कुर्ला के बीच के लाइन के लिए आपने कोई प्रावधान धनराशि का नहीं किया है। यदि इसके लिए धनराशि का प्रावधान कर दिया जायेगा तो वह काम चालू हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे के बारे में हम लोगों ने आपसे पहले भी मिलकर पूछा था कि यह गाड़ी दादर से छूटनी चाहिए। आप अभी रेल मंत्री है, एक बार आप हमें मौका दीजिए, आप मुम्बई में आ जाइये। मैं आपको स्वयं बताऊंगा तथा कुर्ला लेकर जाऊंगा। वहां से वैस्टर्न तथा सैण्ट्रल रेलवे से लेकर जाऊंगा। कोंकण जाने के लिए कितनी बड़ी असुविधा हैं इसको जब तक आप स्वयं नहीं देखेंगे, तब तक आपको समस्या की जानकारी नहीं होगी। कोंकण की पूरी जनता में इस के बारे में बहुत बड़ा असंतोष है। क्योंकि उनको कुर्ला स्टेशन जाना पड़ता है और कुर्ला स्टेशन असुविधाओं से भरा पड़ा है। मैं यह बात जानता हूं कि शायद ऐसा करने में उसका असर किसी अन्य ट्रेन पर हो सकता है। लेकिन मैं यह भी कहता हूं

*[अनुवाद]*

मैं यह नहीं कह रहा हूं, जैसा कि सभी रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ है और जब तक कि कुछ और रेलवे लाइनें नहीं बिछायी जाती है तब तक नई रेलगाड़ी नहीं चलायी जा सकती है। लेकिन अन्ततः प्रत्येक को कुछ वैकल्पिक तरीके ढूँढने होंगे और समस्या का कोई हल ढूढ़ना होगा। यह एक गंभीर समस्या है और हम सब इसको हल करने के लिए यहां उपस्थित है। यह आवश्यक है कि श्री राम विलास पासवान को इस विशेष समस्या को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह समस्या हल हो जाए। यह मेरा नम्र निवेदन है।

*[हिन्दी]*

यह अच्छा हो गया है कि इस समय हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर आ गये हैं। उनके भी ख्याल में यह बात आ जायेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपनगरीय रेलवे का मुनाफा जो 85 करोड़ का है, यह मुनाफा आपको मिलता है। मुम्बई शहर में जो सबर्बन रेलवे चलती है, उस पर जितना यातायात है, शायद दुनिया में कोई ऐसी रेलवे नही है, जो इसका मुकाबला कर सकें लेकिन आप उनको मृत्यु के कुंए में डालना चाहते हैं। आप उनके लिए कोई सुविधा नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे ये कैसा चलेगा। आपकी रेलवे की जमीन पर कितना अतिक्रमण हुआ हैं आपको मैंने प्रोपोजल दिया था। आपने जो बांद्रा स्टेशन बनाया, उनकी क्या हालत है। बांद्रा स्टेशन पर आने-जाने की कोई सुविधा नहीं है।

*[अनुवाद]*

वहां कोई आधारभूत ढ़ांचा है ही नहीं। इस स्थिति में यदि आप कोई नई गाड़ी चलायेंगे अथवा नया स्टेशन बनायेंगे तो लोगों को क्या लाभ होगा ? लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है ? यह प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूं।

*[हिन्दी]*

यहां पर अभी रेलवे की बात चल रही है। दो दिन पहले मैंने सुना है कि मुम्बई – सबर्बन रेलवे की इंडिपेडेंट कारपोरेशन बनाने के लिए आपने आज्ञा दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है। यहां पर रेलवे बजट पर बात करते हैं तो वहां पर घोषणा किसने की यह मेरा रेलवे मंत्री जी से सवाल है। आपको अगर यह घोषणा करनी थी तो मैं ऐसा समझता हूं कि हाऊस के अंदर करनी चाहिए थी। मैंने स्वयं सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे बोला गया।

*[अनुवाद]*

यह कहा जा रहा है कि कोंकण रेलवे निगम की तरह की आप मुम्बई सबर्बन रेलवे निगम की स्थापना करने जा रहे हैं। हमारी भी यही मांग है।

श्री राम नाईक भी पिछले दो तीन वर्षों से यही विशेष मांग करते आ रहे हैं परन्तु इस पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया और आखिरकार जब इस सम्बन्ध में जो घोषणा की गई वह सभा में की जानी चाहिए थी।

यदि ऐसा होता है और रेल बोर्ड ने सदन को विश्वास में लिये बिना ऐसा किया है तो वह विशेषाधिकार का मामला बन जायेगा।

*[हिन्दी]*

यदि ऐसी कोई घोषणा की जाती है तो वह हाऊस में की जानी चाहिए, हमारे सामने की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे के अन्तर्गत आने वाले एरिया में जो जमीन खाली पड़ी हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इस मामले में रेल मंत्री जी ने बहुत अच्छी सूचना दी हैं हमारे यहां बांदरा, अंधेरी, बोरीवल्ली में आप छः लाइन का टैक डालने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस काम को आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार रेलवे को जो पुलिस प्रोवाइड करती है, रेल मंत्री जी, यह मामला बहुत गम्भीर है, आप जरा मेरी बात पर ध्यान दें।

*[अनुवाद]*

हमारे वित्त मंत्री भी यहां है। पुलिस उपलब्ध किए जाने के एवज में महाराष्ट्र की राज्य सरकार को रेलवे बोर्ड द्वारा 63 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है जो नहीं किया गया है। मेरे विचार से रेलवे बोर्ड को इस विशिष्ट अदायगी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

अगर आप वहां अच्छी सुरक्षा चाहते है तो जल्दी से जल्दी इस धनराशि को अदा कराने की व्यवस्था कीजिए।

*[अनुवाद]*

कुल बकाया धनराशि रु० 62,67,81,567/- है।

*[हिन्दी]*

इसका भुगतान तुरन्त करा दीजिए।

कोंकण रेलवे के बारे में मैं अपने सुझाव पहले ही दे चुका हूं। अब एक छोटे से रेलवे स्टेशन आंध्रनारी तहसील लीला जिला रहन गिरि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जिसका वर्णन आपके मैप में हुआ है, रेलवे मैंप में वह रेलवे स्टेशन है, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी आप इसे नोट कर लीजिए, आपकी प्लान में वह स्टेशन लिखा हुआ है मगर पता नहीं, गलती से या जान-बूझकर उस स्टेशन को इग्नोर करने की कोशिश चल रही है। इस एरिया की पूरी ग्राम पंचायतों ने डिमांड की है कि वहां रेलवे स्टेशन बनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बांदरा रेलवे स्टेशन में, जो मेरे लोकसभाई क्षेत्र में आता है, अभी कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस तरफ मैं आपका ध्यान कई बार आकर्षिक कर चुका हूं। वहां कम्प्यूटराइज्ड टिकट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन से बाहर चौड़ी सड़कों की बहुत आवश्यकता है। वहां चौड़ी सड़क न होने की वजह से कई तरफ की दिक्कत हैं। चौड़ी सड़के बनने की यहां गुंजाइश है। मैं रेलवे प्रशासन को कई बार चौड़ी सड़कें बनाने के बारे में लिख चुका हूं, लेकिन आज तक इस मामले में उसने कोई इनीशियेटिव नहीं लिया जिससे वहा बड़ी गंदगी है, रास्ता संकरा हैं और यातायात में कई प्रकार की समस्या पैदा होती हैं। मैं चाहता हूं कि अति शीघ्रता से इस पर ध्यान देकर आप इस कार्य को पूरा कराएं।

मेरे पास कहने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा बातें न कहते हुए –

*[अनुवाद]*

अपने शहर की दिन कतिपय समस्याओं का मैंने जिक्र किया है वे सभी ज्वलंत समस्याएं है। मेरा रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि वे इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और देखें कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। परन्तु मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सब काम इसी साल किया जाए। किसी काम को शुरू तो कर ही दिया जाना चाहिए और इसके परिणाम जनता के समाने लाए जाने चाहिए। केवल तभी मुम्बई के लोगों को यह अहसास होगा कि रेल बोर्ड उन्हें राहत पहुँचाने के लिए कुछ कर रहा है और यह कि वे जीविका के लिए उन्हें भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। आपको इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान देना होगा। केवल मुम्बई के लोगों के लिए ही कुछ करने का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश के लोगों से संबंधित मामला है क्योंकि इस शहर में सारे देश से लोग आते हैं।

अतः मुम्बई शहर के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करने हेतु देश के सभी राज्यों को अधिकतम प्रयास करने चाहिये।

---

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री कृपया मंत्रियों का परिचय कराएं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप प्रधान मंत्री जी को मंत्रियों का परिचय कराने की अनुमति दे रहे हैं, सदन में मंत्रियों का परिचय कराया जाए, यह खुशी का मौका है लेकिन निग्रमों का उल्लंघन करके यदि ऐसा होता है तो वह उचित नहीं है। मैं यहां किसी परम्परा की बात नहीं करना चाहती बल्कि बाकायदा रूल कोट करके अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं। आप रूल देख सकते हैं। नियम 31 के उप-नियम 2 में कहा गया है कि जो आइटम 'लिस्ट ऑफ बिजिनैस' में लिखे हैं, उनके अलावा किसी दूसरे विषय को सदन में नही लिया जा सकता। यदि प्रधान मंत्री जी ने मंत्रियों के परिचय से संबंधित विशेष स्वीकृति स्पीकर महोदय से ले ली है, तब तो ठीक है, वर्ना जो आइटम आज की लिस्ट ऑफ बिजिनैस में लिस्टेड नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए, आज के बिजिनैस में यह आइटम शामिल नहीं है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए, मैं इसका जवाब दूंगा। मैंने स्वीकृति दे दी है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : अगर आपने स्वीकृति दे दी है तो परिचय हो सकता है, वर्ना यह आइटम आज के एजेंडा में शामिल नहीं है। नियम 31 का उपनियम 2 स्पष्ट तौर से मना करता है कि जिस आइटम के लिए स्पीकर साहब ने स्वीकृति न दी हो, उसे सदन में नहीं लिया जा सकता। अगर आपने स्वीकृति दे दी है तो ठीक है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : इस मामले को सुबह ही निपटा दिया गया था। आपने अपने विचार सदन में बता दिये थे ...*(व्यवधान)*

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदया, आप शायद सुबह उपस्थित नहीं थीं।

---

**अपराह्न 12.45 बजे**

## मंत्रियों का परिचय

*[अनुवाद]*

**प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल)** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्रि-परिषद में शामिल होने वाले अपने कुछ सहयोगियों का परिचय सभा से कर दूं ?

### केबिनेट स्तर के मंत्री

| | |
|---|---|
| श्री एम० अरुणाचलम् : | श्रम मंत्री |
| श्री पी० चिदम्बरम् : | वित्त मंत्री |
| श्री एस० जयपाल रेड्डी : | सूचना और प्रसारण मंत्री |

### राज्य मंत्री

| | |
|---|---|
| श्री मोहम्मद मकबूल डार : | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन : | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |

धन्यवाद, महोदय।

**श्री पी०आर० दासमुंशी** (हावड़ा) : हम श्री एस० जयपाल रेड्डी के मंत्रि-परिषद् में शामिल किये जाने पर उनका अभिनन्दन करते हैं।

---

**अपराह्न 12.46 बजे**

## राज्य सभा से संदेश

*[अनुवाद]*

**महासचिव** : मुझे राज्य तथा महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में 10 मार्च 1997 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी :—

(एक) कि 1 मई 1997 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल 1998 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक सभा को लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की। और सभापति के निर्देशनुसार सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को इस समिति में कार्य करने हेतु निर्वाचित करें।

2. तदनन्तर में लोक सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रास्तव के अनुसरण में, राज्यसभा के निम्नलिखित सदस्य इस समिति के लिए विधि-पूर्वक निर्वाचित हुए है :—

1. श्री रामदास अग्रवाल
2. श्री आर०के० कुमार
3. श्री एन० गिरि प्रसाद
4. श्रीमती कमला सिन्हा
5. श्रीमती मारग्रेट एल्वा
6. श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला
7. श्री वायलार रवि

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि सोमवार 10 मार्च 1997 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी :—

कि 1 मई 1997 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल 1998 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहायोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की। और सभापति के निर्देशनुसार सभा के सदस्यों में सात सदस्यों को इस समिति में कार्य करने हेतु निर्वाचित करें।

2. तदन्तर मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुपालन में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उपरोक्त समिति में विधिपूर्वक चुना गया है :—

1. श्री महेश्वर सिंह
2. प्रो० राम कापसे
3. श्री दीपांकर मुखर्जी
4. श्री सोलीपेय रामचन्द्र रेड्डी
5. श्री एस०एस० अहलुवालिया
6. श्री अजीत पी०के० जोगी
7. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार 10 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति सम्बन्धी प्रस्ताव की मंजूरी दी :—

"1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत किया।" और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यय से सभा के सदस्यो में से दस सदस्य इस समिति में कार्य करने हेतु निर्वाचत करें।

(दो) तत्पश्चात् मैं लोक सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उपरोक्त समिति में विधिपूर्वक चुना गया।

1. श्री राधाकृष्ण मालवीय
2. श्री आववर्ड एल० मोन्टडू
3. श्री जागीर सिंह दर्द
4. श्री रामाचन्द्रन पिल्लै
5. श्री सतीश प्रधान
6. श्री ईश दत्त यादव
7. श्री जयन्त राय
8. श्री अनिल कुमार
9. श्री राम नाथ काविन्द
10. श्री जगन्नाथ सिंह।"

---

**अपराह्न 12.47 बजे**

## रेल बजट – अनुदानों की मांगें, 1997-98—*जारी*

*[हिन्दी]*

**श्री रामबहादुर सिंह** (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थाई समिति की रिपोर्ट के साथ अपनी सहमति जताते हुए, मैं एक-दो निवेदन माननीय रेल मंत्री जी से करना चाहता हूं।

मान्यवर, एक पत्र मुझे रेल मंत्रालय से मिला है जिसमें यह दर्शाया गया है कि किन-किन खंडों पर नई रेल चलाई जाएगी, किन-किन रेल खंडों का आमान परिवर्तन होगा, किन-किन रेल खंडों पर रेल लाइन डाली जाएगी, किन-किन पुरानी रेल लाइनों को चालू किया जाएगा और किन-किन रेल खंडों पर नई रेलगाड़ियां चलाने का सर्वेक्षण किया जाएगा, लेकिन उस पत्र में, मुझे खेद है कि महाराजगंज-दरौदा रेल खंड पर जो पुरानी रेल लाइन बंद पड़ी है, उसको पुनः चालू करने की कोई चर्चा नहीं है जबकि रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत दमखम के साथ कहा था कि महाराजगंज रेलवे लाइन को पुनः चालू किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में जितने भी व्यापारिक केन्द्र हैं उनमें महाराजगंज का भी स्थान है जहां से अंग्रेजीराज के समय में बहुत बड़ी मात्रा में किराने का सामान जैसे गुड़ और पटसन तथा पटसन से बने सामान देश के कोने-कोने में भेजे जाते थे और इसकी इसी महत्ता को देखते हुए अंग्रेजों ने दरौंदा से महाराजगंज रेल लाइन डाली थी और रेल चलाई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, 1980-81 में जब बाराबंकी और कटिहार का आमान परिवर्तन किया जा रहा था, तो वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि आमान परिवर्तन के काम के पूरा हो जाने के तुरंत बाद उस रेल को पुनः चालू कर दिया जाएगा, लेकिन वह रेल आज तक नहीं चलाई गई है। पिछले 10-11 वर्षों में से लगातार इस प्रयास में रहा और अंत में राम विलास पासवान जी ने मेरी बात को सुना और उन्होंने यह स्वीकार किया और कहा कि निश्चिततौर से उस रेल खंड पर रेल को चालू किया जाएगा और अपने बजट भाषण में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, लेकिन इसकी चर्चा उस पत्र में नहीं है। इसलिए मेरे मन में शंका पैदा हुई और उस शंका को व्यक्त करने के लिए मैंने आज यहां बोलना चाहा, अन्यथा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी।

माननीय रेल मंत्री जी, आपने मुझे वचन दिया है कि उस रेल खंड पर पुनः रेलगाड़ी चलेगी। यदि आप नहीं चलाएंगे, तो मेरा तो जो बिगड़ रहा है, वह बिगड़ेगा ही और आगे भी बिगड़ जाएगा, लेकिन आपका भी बिगड़ जाएगा क्योंकि आपकी लाज चली जाएगी। जैसा कहा गया है "बिगड़ेगी मेरा क्या, जायेगी लाज तेरी वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी।

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : इसकी घोषणा तो मैंने सदन में कर दी है। मैं फिर घोषणा कर दूंगा।

**श्री रामबहादुर सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या कहा, मैं सुन नहीं सका।

**श्री राम विलास पासवान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोहरा देता हूं कि माननीय सदस्य के पत्र के उत्तर में मैंने सदन में पहले ही घोषणा कर दी थीं अब फिर घोषणा कर दूंगा।

**श्री रामबहादुर सिंह** : तब तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है और मैं इस विश्वास के साथ इस बिन्दु को छोड़ रहा हूं कि आप निश्चित तौर पर उस रेल को पुनः चालू करवाने का कष्ट करेंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहीं इसमें कोताही हुई, तो आपके ऊपर बड़ा भारी दोष वचन-भंग करने का लगेगा। इसलिए मैं आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि वचन भंग करने के अपराध से बचने के लिए, जगहंसाई से बचने के लिए और मेरे यहां के लोगों के कल्याण लिए आप जल्द से जल्द उसका उद्घाटन करने की तिथि तय करें।

मान्यवर, मेरे गृह स्टेशन एक्मा से बहुत सारी एक्सप्रैस गाड़ियां दिल्ली तक जाती हैं लेकिन एक अवध-आसाम को छोड़कर दूसरी कोई गाड़ी वहां नहीं ठहरती है जबकि अन्य कई स्टेशनों पर कई गाड़ियां ठहरती हैं। और एक्मा की हैसियत उन स्टेशनों से 20 नहीं है तो 19 भी नहीं है। उन स्टेशनों के नाम हैं – मेरवा, बनघटा और भाटवार मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक्मा स्टेशन पर भी उन गाड़ियों का ठहराव दीजिए जिन गाड़ियों का ठहराव मेरवा, बनघटा और भाटवार में है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के बगल में एक महिन्द्रानाथ स्थान है। वहां पर बहुत पुराना विशाल शिव का मंदिर है। साल के प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के काफी लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। साल के बैसाख महीने की शिवरात्रि पर और फागुन महीने की शिवरात्रि पर तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल से लाखों की तदाद में लोग वहां आते हैं। उसकी इसी महत्ता को देखते हुए तत्कालीन रेल मंत्री स्व० श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने महिन्द्रानाथ के नाम से एक हॉल्ट स्टेशन खुलवाया था लेकिन एकाएक हम लोगों को जानकारी मिली कि वह हॉल्ट स्टेशन बंद कर दिया गया है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई नयी सुविधा नहीं दे सकते तो उस स्थान की महत्ता को देखते हुए, वहां आने वाले तीर्थयात्रियों के कष्टों को देखते हुए आप पुनः उस हॉल्ट स्टेशन को चालू करवाने का कष्ट करें।

मान्यवर, मैं खान-पान के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने खुद कहा है कि खान-पान की समस्या रेल में ठीक नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है ? आपकी विभागीय खान-पान की व्यवस्था तो है ही लेकिन जो ठेका सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है। उस दृष्टि से रेल के ऊपर माफिया लोगों का वर्चस्व कायम हो गया है। जो दागी लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से ठेका दे दिया जाता है और जिनका चरित्र साफ-सुथरा है उनको नजरअंदाज कर दिया जाता हैं रेल के अधिकारियों को बार-बार कहने के बाद, उनसे निवदेन करने के बावजूद भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता हैं। वे बराबर यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ही ठेका दिया जाये जिनको नहीं देना चाहिए। आपके यहां सलैक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी दोनों के निर्णय के बाद भी

[श्री रामबहादुर सिंह]

महीनों तक आपके यहां जो जनरल मैनेजर हैं, वे फाइल को दबाकर रखते हैं। उसका एक जीता-जागता उदाहरण हैं। अभी दक्षिण पूर्वी रेलवे के एक जनरल मैनेजर से मैंने जाकर कहा कि श्रीमान्, मैं किसी के पक्ष में नही कहता हूं लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आपका जो भी फैसला हो वह इंसाफ पसंद हो। आप चाहें जिस किसी को भी देना चाहें, दे दें लेकिन उसमें इंसाफ की बात होनी चाहिए, साफ-सुथरे आदमी को मिलना चाहिए लेकिन आज तक वह निर्णय नहीं लिया गया। इसका कारण यह है कि सलैक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के बाद जिस व्यक्ति का नाम भेजा गया है उसको छोड़कर दूसरे को देने की उनकी मंशा है। इसलिए महीनों तक साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर उस फाइल को दबाकर रखे हुए हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस ओर आप रुचि रखकर जो फैसला करें, वह इंसाफ वाला फैसला होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री बृज भूषण तिवारी** (डूमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के सिलसिले में मुझे केवल इतना ही अनुरोध करना है कि रेल हमारे देश के यातायात का सबसे बड़ा साधन है। परन्तु जिस प्रकार से हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से रेल सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा क्योंकि जब तक रेल सुविधाओं का विकास नहीं होगा तब तक हम विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ पायेंगे और उसी के साथ ही साथ हमारे रेल के यातायात का हिस्सा भी घटेगा। उसका परिणाम यह होगा कि हमारी सड़कों पर बोझ पड़ेगा और सड़कों पर बोझ पड़ने से डीजल और पेट्रोल की खपत भी बढ़ेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रेल की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। आज रेल के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत आर्थिक साधनों की है क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि रेल स्वयं अपने से साधन निर्मित करेगा, साधन पैदा करेगा परन्तु जिस प्रकार से रेल का दायित्व है जब तक उसे बजट का समर्थन नहीं मिलेगा, वह केवल अपने साधनों के द्वारा नहीं चल सकती। हम जो आंकड़े देखते हैं उसमें यह पाते हैं कि जैसे-जैसे रेल की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, रेल को विकसित किया जाता है, वैसे उसके अनुपात में बजट का जो समर्थन है, वह बढ़ने के बजाए घटा है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस बार जो बजट का समर्थन है, उसका अनुपात 17 फीसदी से बढ़कर 22 फीसदी तक हो गया है। लेकिन उसके साथ ही योजना में जो पैसा मिलना चाहिए, उसमें भी कटौती हुई है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि योजना के व्यय में भी रेल में बढ़ोतरी होनी चाहिए।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है और जिसे सूबे का आजादी की लड़ाई में विशेष योगदान रहा है, यह दुर्भाग्य है कि उसके साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है। आप जातने हैं, इसी सदन में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन विशेषकर पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पटेल आयोग की घोषणा हुई थी। परन्तु उसकी संस्तुतियों के बारे में कोई काम नहीं किया गया। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल का जो हिस्सा है, जब तक वहां पर रेल की सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी उसका विकास हो ही नहीं सकता। परन्तु जिस प्रकार से हमारी आबादी का बोझ है और जैसे आबादी देश के तमाम हिस्सों में रोजी-रोटी कमाने के लिए जाती है, उस हिसाब से हम देखते हैं तो पाते हैं कि रेल के विकास पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। इस बजट में करीब 300 करोड़ रुपये, जो भी छोटे-बड़े राज्य हैं, उनकी नई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए। परन्तु उत्तर प्रदेश में उनमें कुल हिस्सा करीब 48 करोड़ का है। कटरा और फैज़ाबाद के बीच रेल लाइन जोड़ने या रेल पुल के निर्माण की बहुत पुरानी योजना है। अच्छा हुआ कि माननीय रेल मंत्री जी ने इस बार उसकी शुरूआत की उसकी कुल लागत करीब 48 करोड़ है लेकिन उस 48 करोड़ में से केवल एक करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। यदि इस गति से उस पुल के निर्माण का काम शुरू करेंगे तो कितना समय लगेगा। उसी तरह से उस इलाके में तमाम सर्वेक्षण हुए परन्तु उसके बाद रेल मंत्रालय को जो रपट आई, उसमें अधिकारियों ने कह दिया कि यह अनुपयोगी है, अलाभकारी है। अनुपयोगी और अलाभकारी कहकर सारे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल दफ्तर या बस्ते में रख दी गई।

1977-78 में खलीलाबाद से लेकर बोलनपुर के बीच की रेलवे लाइन का सर्वेक्षण हुआ। लेकिन आज तक उसका क्या हस्र हुआ, इसकी कोई जानकारी सदन को नहीं है। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जी इसके बारे में भी बताएं। ताड़ीघाट से गाजीपुर का भी सर्वे 1993 में हुआ। गाजीपुर का 1992 में, सीतापुर-बहराइच का 1996 में हुआ। इस प्रकार से नई रेलवे लाइन के जितने सर्वे हुए हैं, उनका क्या भविष्य है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

गोरखपुर और गौंडा के बीच की जो रेलवे लाइन है, लूपलाइन है, उसके आमान परिवर्तन की भी घोषणा इसी सदन में रेल मंत्री जी ने की थी कि हम नौवीं पंचवर्षीय योजना में उसे लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है। उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। मेरी मांग है कि उस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

**अपराह्न 1.00 बजे**

विद्युतीकरण को भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, विद्युतीकरण के मामले में सबसे पिछड़ा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लखनऊ और कानपुर के बीच का जो हिस्सा है, वहां ही विद्युतीकरण नहीं हुआ, इसलिए हमारी मांग है कि लखनऊ और कानपुर के बीच उस हिस्से का विद्युतीकरण किया जाये और लखनऊ से लेकर कम से कम गोरखपुर का विद्युतीकरण किया जाये, जिससे रेल की गति बढ़े।

गोरखपुर से दिल्ली के बीच में एक डुप्लीकेट वैशाली एक्सप्रैस भी चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना दबाव है, इतनी भीड़ है कि दिल्ली आने के लिए जो वैशाली सबसे अच्छी गाड़ी हैं, उसमें किसी तरीके से कोई सफर नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण ही नहीं मिलता, इसलिए डुप्लीकेट एक वैशाली चलानी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन नौगढ़ है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटराज्ड आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। उसके साथ साथ मुम्बई और दिल्ली के आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उस

इलाके में सबसे ज्यादा आदमी रोजी-रोटी कमाने के लिए आते हैं और कोई साधन नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.01 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.10 बजे**

*मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत हुई।*

**[उपाध्यक्ष महोदय** *पीठीसीन हुए*]

## रेल बजट — अनुदानों की मांगें, 1997-98-जारी

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, यह तय हुआ था कि दो बजे रेल मंत्री जी रिप्लाई देंगे, लेकिन अभी भी आठ-नौ माननीय सदस्यों ने बोलना है और इस डिमान्ड को आज खत्म भी करना है।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** (मवेलीकारा) : आप पांच-पांच मिनट का समय दे दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पांच मिनट - माननीय सदस्य तो आठ-दस मिनट में भी चुप नहीं होते हैं। बी०एस०पी० से कोई सदस्य नहीं बोल पाए हैं और जो दल बोल चुके हैं, उनको मैं नहीं बुला पाऊंगा।

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पासवान जी ने रेल बजट पेश करते हुए बहुत सी घोषणायें की हैं और यह बताने की कोशिश की है कि इस बजट से जनता को बहुत कुछ दिया जा रहा है। मैं उनकी आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। उन्होंने मेरे आग्रह को मानकर सदन में घोषणा की थी कि गोला-मोहम्मदी होकर शाहजहांपुर-फरूखाबाद नई रेल लाइन का सर्वेक्षण शुरू किया है। इस संबंध में पत्र भी मेरे पास हाल ही में आया है। लेकिन सर्वेक्षण कहां हो रहा है, यह अभी तक नहीं बताया गया है, इसलिए कि मौके पर नाप-जोख करने के लिए कोई नहीं गया और न ही यह बताने की कोशिश की कि किस जगह से यह रेलवे लाइन निकलेगी। रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री, दोनों, सदन में मौजूद हैं, वे कृपया बतायें कि जो सर्वेक्षण कागज पर हो रहा है, वह लिखित रूप में भी हो, ताकि जनता जान सके कि रेल मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी कुछ कर रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और इस बारे में मैं कई बार लिख कर भी दे चुका हूं। जो पैसेंजर गाड़ी शाहपुर से दिल्ली के लिए चलती है, 375-अप और 476-डाउन, वह मेरे क्षेत्र जिला हरदोई से होकर दिल्ली के लिए गुजरती है। यह जिला बहुत बड़ा है। सभी गाड़ियां बिहार की तरफ से आती हैं, जिनकी छतों पर भी लोग बैठे होते हैं। किसी को बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। मैने मंत्री जी से आग्रह किया था, उस पैसेन्जर गाड़ी को, जिसको आप शाहपुर से दिल्ली के लिए चलाते हैं, बालामऊ तक चला दें, तो हरदोई की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय रेल मंत्री जी ने इस बारे में दिलचस्पी ली और बताया कि डिपार्टमेंट भी यह कहता है कि अगर बालामऊ तक चलायेंगे, तो डेढ़ घण्टा ट्रेन को रैस्ट मिलेगा। मैंने इस बारे में दोबारा सुझाव दिया कि इस प्रकार से इसमें यह तबदील कर दिया जाए। हमारे जिले में बहुत सटापेज हैं, तो हर जगह गाड़ी को मत रोकिए। हमने स्टेशन्स के नाम लिख कर दे दिए और कहा कि इस तरह से करेंगे, तो तीन-साढ़े तीन घण्टे का समय-मिल जाएगा। यदि आगे भी थोड़ी सी कटौती कर दें, तो चार घण्टे जो जरूरी हैं, उससे भी ज्यादा समय मिल जाएगा। मैं रेल मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि 375-अप और 376-डाउन, जो शाहपुर से दिल्ली आती है, उसको बालामऊ तक चलाया जाए।

यह सही है कि पासवान जी बहुत मेहनत करते हैं। इसमें कोई शुबह नहीं है। उन्होंने बजट के दौरान आश्वासन भी बहुत दिए हैं। वे संसद सदस्यों को ओब्लाइज भी करते हैं। इस बारे में मैं कोई शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि वे अपने विभाग में कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनाए कि जो आदेश आपके द्वारा किए जाते हैं, उनका कम्पलायेंस पूरी तरह से हो। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, पासवान जी जितने योग्य मंत्री हैं, उनके आदेशों का पालन जितना ज्यादा होना चाहिए, उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब कि जब इतने योग्य मंत्री होते हैं, तो उनके आदेशों का कम्पालयेंस पूरा होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मेरे क्षेत्र शाहबाद में पासवान जी ने दो ट्रेनों के रुकने का स्पष्ट आदेश दिया था, उस हिसाब से पहली अप्रैल से टाइम-टेबल मे आ जाना चाहिए था और उन्हें रुकना चाहिए था। लेकिन कहीं दूर-दूर तक उन ट्रेनों के रुकने का पता नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मैंने हमेशा यह कोशिश की कि जो समय मिला उस समय से एक मिनट कम हाउस का समय लिया, मैं कभी ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं की। अपनी उस परम्परा को बरकरार रखते हुए मैं ज्यादा न कह कर एक बार फिर पासवान जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि अपने आदेशों का कम्पालइंस कराने का सिस्टम ऑफिस में इस तरह का बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा आदेशों का कम्पलाइंस हो। वे बाकी काम तो ठीक ही कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०सी० थामस** (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मुझे बीच में एक छोटी सी बात कहनी है। इस चरण में हमें बजट पारित करना है और कई नई परियोजनाएं उसमें जुड़ गई हैं। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, यह बड़ी खुशी की बात है कि केरल में साबरोमल को एक नई लाईन दी गई है। यह वह स्थान है जहां करोड़ों लोग तीर्थ-यात्रियों के रूप में जाते हैं। इस तरह के पूजनीय स्थल की यात्रा करना, जिसे राष्ट्रीय स्तर मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस लाईन में केरल के केन्द्रीय

[श्री पी०सी० थामस]

भागों के कई छोटे-छोटे कस्बे शामिल हैं। यह रास्ता केरल के कृषि क्षेत्रों में से भी गुजरता है। अतः हमें खुशी है कि बजट में इस लाईन को शामिल किया गया है। हमें आशा है कि जब इस आवश्यक स्वीकृति मिल जाएगी। तो इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबन्ध किया जाएगा हमें यह भी आशा है कि जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने सभा में और पत्रों के माध्यम से मुझे और अन्य संसद सदस्यों को दिये हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा, और धीरे-धीरे इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि दिया जाएगा।

जो कुछ अन्य मामले उठाए गए थे उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम केरलवासियों को इस बात से बहुत परेशानी होती रही है कि इस क्षेत्र के लिए गाड़ियां नहीं दी जाती। हमें खुशी है कि इस सम्बन्ध में भी कुछ आश्वासन दिये गए हैं और कुछ निरपवाद निर्णय लिये गए हैं और इन मांगी गई लाईनों के बारे में सभी सम्बन्धित पक्षों को और करेल के संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे गए हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। निर्माणाधीन कोंकण रेल लाईन, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ऐसी लाईन है जो केरल से नहीं जुड़ती। परन्तु केरल इस लाईन के लिए धनराशि उपलब्ध करके अपना योगदान कर रहा है। इसका कारण केवल यह है कि भले ही यह परियोजना केरल के साथ नहीं जुड़ती है परन्तु इससे केरल को जाने का मार्ग कम हो जाता है।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : केरल को इसका लाभ तो मिलेगा।

**श्री पी०सी० थामस** : बेशक, केरल सभी खाद्य पदार्थो के मामले में इससे लाभन्वित होने वाला राज्य है। हमें इस अर्थ में लाभ होता है कि हमें अन्य राज्यों का निर्भर करना पड़ता है। अतः राष्ट्रीय एकता की इस प्रक्रिया में, जिसके लिए सरकार सफल प्रयास कर रही है, मेरे विचार से दक्षिणी किनारे पर पड़ने वाले इस छोटे से राज्य की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी हेतु हमने कुछ सुझाव भी दिये हैं। एक सुझाव यह था कि कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थी, परन्तु उनके सम्बन्ध में कार्य की प्रगति बहुत धीमी पाई गई। अध्ययन करने पर यह पाया गया कि यह इसलिए हुआ क्योंकि कार्यालयों के रूप में उचित आधारभूत ढ़ाँचे का केरल में अभाव है। उदाहरणार्थ, केरल में मुख्य अभियन्ता (निर्माण) का कार्यालय होना बहुत आवश्यक है। निर्माण कार्य सौंप दिये गये हैं। माननीय रेल मंत्री ने शोरनूर से कालीकट और फिर मंगलौर तथा क्विलों से त्रिवेन्द्रम तक की लाईन के दोहरीकरण की स्वीकृति देकर निर्माण कार्य शुरू कराया है।

परन्तु यह परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ेगीं। निर्माण कार्य तब तक नहीं चलेंगे जब तक केरल में सम्बन्धित कार्यालय नहीं खोले जाते। जो कार्यालय केरल में होना चाहिए था परन्तु अब चेन्नई में है उसे केरल में लाना कोई आसान काम भी नहीं है। हम चेन्नई में इस कार्यालय से भी खुश हैं। परन्तु समस्या यह है कि इससे काम बहुत धीमा हो जाता है। हर छोटी-बड़ी बात के लिए लोगों को चेन्नई भागना पड़ता है। काम में विलम्ब होने का यह भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यालय केरल को चार वर्ष पूर्व दिया गया था परन्तु किसी कारणवश उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मेरे विचार से माननीय रेल मंत्री इस सुझाव को मंजूरी देंगे।

फिर जोनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को जोनों में बांटा गया है। केरल के सभी संसद सदस्यों ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से केरल को भी एक जोन दिया जाना चाहिए था। यदि किसी भी राज्य को जोनों न दिये गए होते तो हम भी इसके लिए मांग नही करते परन्तु बहुत उदारता से जोन दिये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अतः विभिन्न राज्यों को बहुत से ज़ोन दिए गए हैं। तो यह छोटा सा राज्य इस लाभ से वंचित क्यों रहे ? हमें अपने राज्य में ज़ोन होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : माननीय रेल मंत्री इस बहस का उत्तर कब देंगे ?

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं तो दो बजे सोच रहा था लेकिन नाम बहुत है। दो आनरेबल एमपीज़ और बोलेंगे, उसके बाद टेक-अप करेंगे। आप तो हाऊस में मौजूद हैं।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : उपाध्यक्ष जी, पिछले बजट मे हमारे मंत्रिमंडल के अन्तर्गत ऐट से कौंच लाइन पर रेल बस सेवा का प्रावधान किया गया था। मैंने तो प्रयास किया कि रेल बस सेवा वहां चले लेकिन जनता ने उसे नकार दिया और एक माह से रेल बस सेवा चलाना तो दूर रहा ऐट-कौंच लाइन पर जो शटल चलती थी वह भी बंद कर दी गयी है। इस क्षेत्र की जनता आंदोलन पर उतारू है। उसकी मांग है कि ऐट-कौंच लाइन पर पुनः शटल चालू की जाए।

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : यह कौंच किसके अन्तर्गत है ?

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : श्रीमान, यह झांसी मंडल के अन्तर्गत है। वहां पर 31 मार्च से आज तक रेल शटल बंद है। वहां के यात्री परेशान हैं और हम लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो जनता कहती है कि लोक सभा में बैठकर आप क्या करते हैं। कई बार मंत्री जी से प्रार्थना भी की थी। माननीय मंत्री जी ने 28 तारीख का समय भी दिया था लेकिन बिहार जाने के कारण वार्ता न हो सकी।

**श्री राम विलास पासवान** : आप चाहते हैं कि शटल ही रहे।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : हमारा तो प्रावधान था कि रेल बस चलाई जाए लेकिन वहां की जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है।

**श्री राम विलास पासवान** : वहां शटल एक बार चलती थी और रेल बस 3-4 बार चलती थी और उससे लोगों को आने-जाने में सुविधा होती थी। आप बताएं कि आप दोनों में से क्या चाहते हैं। पहले जैसे शटल चलती थी वैसे ही चलती रहे और रेल बस न चले।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : जी हां, रेल बस न चलाई जाए। शटल चलाई जाए और वह रेल शटल आनंद नगर और सतैहे पर रोकी जाए तथा जो वहां हानि होने की समस्या है अगर उसे उरई तक बढ़ा दिया जाए तो जो रेल की शटल चलती है और लाखों का लॉस होता

है। उसे पूरा करने के लिए आप उसे उरई तक बढ़ा दें तो घाटा पूरा हो सकता है। इसके साथ-साथ पिछले बजट में हमने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि कौंच से औरैया होते हुए कानपुर इटावा के बीच में जो सर्वे हुआ था और जो अर्थ-वर्क हुआ था लेकिन आज तक उस परं कोई कार्य नहीं हुआ है इसलिए मेरी मांग है कि मंत्री महोदय उस पर शीघ्र ही कार्य शुरू करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को।

*[अनुवाद]*

**श्री के०पी० सिंह देव** (ढेंकानाल) : मैं आपको, और अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया।

हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं, के कार्यान्वयन में विशेषरूप से तालचेर-सम्बलपुर-दाईतारी-बनसपानी, बोलंगीर-खुरदा और लंनीगढ़-जूनागढ रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण अत्यधिक विलम्ब हुआ हैं मैं यह आशा करता हूं कि जिस गतिशीलता से रेल मंत्री जी ने इस रेल लाईनों पर काम शुरू किया है उसी गतिशीलता से वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन लाईनों पर कार्य, कम से कम इस शताब्दी के अन्त तक तो पूरे हो ही जाएं।

दूसरी बात, मैं माननीय रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के सदस्यों, रेल मंत्रालय और भारत सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने विश्व की सर्वाधिक उपयोगी लाईनों में से एक अंगुल-सुकिन्दा मार्ग को दस माह के अन्दर-2 सभी आवश्यक स्वीकृतियां दे दीं। यह मार्ग हरिदासपुर-पाराद्वीप को बरास्ता बुधपक—फरजंम्ब—कामाख्यानगर—दुबरी जोड़ेगा और इसकी प्रतिलाभ दर 29.83% होगी। मुझे आशा है कि रेल मंत्री बहस का उत्तर देते समय 577 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना पर अवश्य ही अनुकूल उत्तर देंगे। मुझे आशा है कि वह अपना वचन निभायेंगे और इस सत्र के समाप्त होने पर वहां जाकर इसे शुरू कराने का कष्ट भी करेंगे ताकि तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर हमें इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएं।

हमारे राज्य में बाजी राऊत नामक एक युवा स्वतन्त्रता सेनानी था जो राज्य के लोगों द्वारा शुरू किये गए 1938 के आन्दोलन में पुलिस की गोलीबारी से 13 वर्ष की अल्पायु में ही मारा गया। इस वर्ष स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि अंगुल से हावड़ा तक 1997-98 मे किसी समय एक नई गाड़ी शुरू की जाए। अंगुल में बाजी राऊत का *छात्रावास* है। यदि यह गाड़ी शुरू की जाती है तो *'दो बौटमैनूस ब्वाय'* नामक से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त श्री सच्चि राऊत राय ने एक पुस्तक लिखकर जिस युवा स्वतन्त्रता सेनानी की सच्ची यादगार स्थापित की है, उसके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

पिछली बार जब माननीय रेल मंत्री ने बजट पेश किया था तब उन्होंने अण्डमान ओर लक्षद्वीप को एक बच्चों की गाड़ी अवश्य दी थी। उड़ीसा में दूसरा चिड़ियाघर जिसे मान्यता प्राप्त है और जिसका वित्तपोषण जू अथारिटी आफ इण्डिया ('भारतीय चिड़ियाघर प्राधिकरण) ने किया, वह है 'कपिलेश जू'। जैसे उज्जैन में महाशिवरात्रि वाले दिन लाखों लोग एकत्रित होते हैं। यह चिड़ियाघर पकड़े गये अन्य जानवरों की तरह मगरमच्छ भी पैदा करता है। मैं इस कपिलेश चिड़ियाघर के लिए एक रेल गाड़ी (टॉय ट्रेन) की मांग भी करता हूं।

रेल में यात्रा के दौरान कलाकारों के प्रति बड़ा पक्षपात बरता जाता है। सलाहकार समिति की बैठक के दौरान मैंने अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया था कि रेलवे बोर्ड द्वारा 'कलाकार' की दी गई परिभाषा को नीचे के स्तर तक नहीं माना जाता। अतः दृश्य कलाकारों अभिनय कलाकारों, संगीतकारों, फोटोग्राफरों अथवा पेन्टरों की प्रति बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। मुझे आशा है सलाहकार समिति की बैठक के दौरान दिये गए वचन का माननीय रेल मंत्री पालन करेंगे। सस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई कलाकार की परिभाषा मान्य होनी चाहिए, स्टेशन काऊंटर पर बैठे या गाड़ियों के स्टेशन काऊंटर अथवा ट्रेन काउंटर पर बैठे किसी छोटे-मोटे अधिकारी द्वारा दी गई परिभाषा नहीं, वे अपनी सुविधानुसार निकाले गए अर्थों से कलाकारों के साथ भेद-भाव करते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भी उस तरह की उप-योजना के लिए कहते आ रहे है जैसी, योजना आयोग पर्वतीय और पिछड़े राज्यों के लिए बनाता है। चूंकि, चाहे रेल विभाग 'पिछड़े' शब्द का प्रयोग तो करता है परन्तु 'पिछड़ेपन' की कोई अवधारण उनके पास नहीं है अतः मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वह योजना आयोग और रेल मंत्रालय को कहें कि वह मिल-बैठकर उन पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक विशेष उप-योजना बनाएं, जो आधारभूत ढाचे की दृष्टि से ही पिछड़े जनजातीय, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र हैं ताकि एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

मैंने कहा है कि यह मेरा आखिरी मुद्दा है परन्तु रेल सुरक्षा से सम्बन्धित एक अन्य मुद्दा मुझसे छुट गया है। जी०आर०पी० और आर०पी०एफ० के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक विवाद काफी समय से चला आ रहा है। वही स्थिति रेल सम्पत्ति के बारे में हैं, जो करोड़ो रुपये की है। जब भारतीय रेल अस्तित्व में आई, उन्हें निजी रेल कम्पनी से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति मिली जिसकी कोई विवरण-सूची रेल विभाग के पास नहीं है।

अतः पिछले आठ वर्षों के दौरान सरकार इस सम्पत्ति की उपयोगिता के बारे में और रेल सुरक्षा बल, जी०आर०पी०, रेल इंजीनियर टीम के अधिकार क्षेत्र के बारे में टाल-मटोल वाला रवैया अपनाती रही है। अतः रेल में सफर कर रहे यात्रियों की कोई सुरक्षा नहीं होती। इससे रेलवे का नाम बदनाम होता है। मुझे आशा है। सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय होगी।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

**प्रो० अजित कुमार मेहता** (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब की अपेक्षाओं का समावेश करते हुए रेल मंत्री ने सदन में एक संतुलित रेल बजट प्रस्तुत किया हैं। मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ और बातें कहना चाहता हूं। पिछले सप्ताह रेलवे में स्वच्छता अभियान सप्ताह मनाया गया। परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि स्वच्छता के बारे में जागरूक होने के बाद भी अगर जन सुविधाओं का प्रबन्ध रेलवे स्टेशन

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

में बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या के अनुसार नहीं किया जाएगा तो सारी जागरूकता एक तरफ रहने के बाद भी लोग कहां पर निपटेंगे? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जन सुविधाओं को रेलवे स्टेशन पर बढ़ाया जाना आवश्यक है।

एक बात ओर है कि बहुत सारे स्टेशनों पर जन सुविधाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है यहां पर यात्री एक रुपया कुछ निर्धारित शुल्क देकर निपटते हैं, परन्तु जिन यात्रियों के पास इतना पैसा न हो तो वे निपटेंगे तो जरूर लेकिन कहा निपटेंगे। वे रेलवे प्लेटफार्म पर अथवा रेलवे ट्रैक पर इस काम के लिए जाएंगे। स्वच्छता के बारे में लोगों के जागरूक होने के बाद भी कभी-कभी यात्रियों को मजबूरीवश गन्दगी फैलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जितना पैसा स्वच्छता अभियान पर खर्च किया गया, अगर उसका कुछ हिस्सा सुलभ शौचालय के ऊपर लगा दिया जाता तो यहां शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर और सोनपुर मंडल में समस्तीपुर स्टेशन के बाद दलसिंग सराय स्टेशन पड़ता है। यह बड़ा स्टेशन होना चाहिए था लेकिन अभी तक इसका सौन्दर्यकरण और आधुनिकीकरण नहीं हुआ। इसमें एक और दिक्कत है कि जहां पर यह स्टेशन है, उसका एप्रोच बड़ा संकरा है, इससे यात्रियों को वहां पहुंचने में असुविधा होती है। मेरा अनुरोध है कि जहां स्टेशन है, आप उसको अपने स्थान से हटा कर माल गोदाम के नजदीक ले जाएं। इससे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। आशा है कि आप सौन्दर्यकरण का काम और माल गोदाम पर स्टेशन का लाने को काम करेंगे।

मैं एक और बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दलसिंग सराय रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे की बहुत फालतू जमीन पड़ी हुई है। वह निकट भविष्य में किसी उपयोग में आने की सम्भावना नहीं है।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि दलसिंग सराय और वहां के नागरिकों की असुविधा को देखते हुये छोटे-छोटे दुकानदारों को लीज़ पर जमीन देकर बसा दिया जाये ओर जब रेल मंत्रालय को आवश्यकता हो तो वह जमीन उसने खाली करवा दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप तो मालगाड़ी की स्पीड से चल रहे हैं।

**प्रो० अजित कुमार मेहता** : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल दो मिनट में खत्म कर दूंगा। यह पहले से मांग की जाती रही है कि हमारे क्षेत्र के दो स्टेशन विद्यापति नगर और नरहन का नाम बदल दिया जाये। विद्यापति नगर वह स्थान है जहां मिथिला के महान् कवि विद्यापति ने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिये इस स्टेशन का नाम विद्यापति धाम कर दिया जाये और नरहन स्टेशन सिंगिया गांव में बना हुआ है, इसलिये इसका नाम बदलकर सिंगियाघाट कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, कमला-गंगा इंटर सिटी एक्सप्रैस गाड़ी दरभंगा से पटना तक जाती है जिसका ठहराव उजियापुर, नाजीरगंज में कर दिया जाये क्योंकि पटना जाने के लिये इससे सुविधाजनक गाड़ी और कोई नहीं है। इसके अलावा वैशाली एक्सप्रैस पहले दलसिंग सराय पर रूका करती थी लेकिन अब उसका रुकना बंद हो गया हैं मेरा अनुरोध है कि इस गाड़ी का वहां पर ठहराव दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, पूसा रोड़ स्टेशन से अभी तक सीज़न्ड आम भेजे जाते रहे है लेकिन वैगन्स न मिलने से असुविधा हो रही है। मेरा अनुरोध है कि और वैगन्स की व्यवस्था की जाये। माननीय रेलमंत्री जी समस्तीपुर डीजल शैड का शिलान्यास करते हुये कहा था कि हाजीपुर में एक कोच फैक्टरी का निर्माण लिया जायेगा। हमने आश्वासन दिया था कि इतनी जमीन समस्तीपुर में उपलब्ध करा देगे। इसलिये हमारा अनुरोध है कि वह कोच फैक्टरी समस्तीपुर में स्थापित की जाये।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब भी रेल बजट पर चर्चा होती है, कई सदस्यों की ओर से रेल मंत्री को धन्यवाद दिये जाते है और वे सुनते-सुनते थक जाते हैं। लेकिन मेरी हालत यह है कि न तो मुझे पार्टी की तरफ से न तो वैल में जाने की परमिशन मिलती है और न खुले दिल से धन्यवाद कर पाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है जिसकी ओर रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें पिछड़े इलाकों के बारे में कहा गया है। आप नार्थ-ईस्ट में काम कर रहे हैं, बिहार में कई प्रौजैक्ट्स चल रहे है, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। आप हाजीपुर में कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिये धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन वैस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद पिछड़ा इलाका है जहां पर न कोई इंडस्ट्री है और न रेल की अच्छी सर्विस है

**श्री राम विलास पासवान** : कर रहे हैं।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : आप उठकर कह दीजिये।

**श्री राम विलास पासवान** : कह तो दिया।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : उपाध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर बैठ जाता हूं। धन्यवाद।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : उपाध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, ऐसे तो हर पार्टी के मैम्बरों को समय देना पड़ेगा।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। ऐसे मुझे हर पार्टी के मैम्बर को बुलाना पड़ेगा।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : हमारी पार्टी के श्री एम०एम० देव के समय में से कुछ दे दीजिये। ... *(व्यवधान)*

**श्री सुन्दरलाल पटवा** (छिन्दवाड़ा) : पासवान जी और आप यदि समय दें तो मैं केवल दो मिनट लूंगा। *(व्यवधान)*

**श्री पी०जे० कुरियन** : आप मुझे समय दीजिए, मैं हिन्दी में बोलूंगा ...*(व्यवधान)* मैं राष्ट्रभाषा में बोलूंगा। आप समय दीजिए। मेरी मेडेन स्पीच होगी राष्ट्रभाषा में।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले मंत्री जी की बात तो सुन लीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक ही आग्रह है। चूंकि पिछली बार जब यहां रेल बजट आया था तो मैंने डेढ़ पौने दो घंटे तक पोलिसी मैटर को रखने का काम किया था और हमने माननीय संसद सदस्यों से कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स का मामला है, अगली बार जब मिलेंगे और स्टैण्डिंग कमेटी से मामला आएगा तो हम प्रोजेक्ट्स के संबंध में विस्तार से बताएंगे। हमने माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखकर भेज दिया है और मैं चाहता हूं कि आज मै हर स्टेट के प्रोजैक्ट्स के संबंध में विस्तार से जानकारी दूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी पौने तीन बजे हैं और साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मेम्बर्स बिल शुरू हो जाएगा। कल तय हुआ था कि दो बजे से मंत्री उत्तर देंगे। हमे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि समय की पाबंदी हमारे ऊपर आप लगाएंगे तो मैं अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगा और माननीय संसद सदस्यों ने जिन पोइंट्स को उठाया है, उनके साथ भी न्याय नहीं होगा। माननीय संसद सदस्या का जितना समय आप देना चाहे आप दें और साढ़े तीन बजे तक बोलने दें। आप कहें तो हम सोमवार को जवाब दे देंगे। मैं चाहता हूं कि जो जवाब हम दे उसमें हर स्टेट के प्रोजेक्ट्स को हम विस्तार से बताए। पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी जिसमें हम अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए थे। कुछ सांसदों को लगा कि उनका नाम छूट गया और कुछ हल्ला-गुल्ला होने लगा था। बाकी आप जो भी निर्णय करेंगे, मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : या तो अभी माननीय मंत्री रिप्लाइ दे, नहीं तो छः बजे के बाद बैठने के लिए आप लोग तैयार रहें। आज इसे खत्म जरूर करना है।

**कई माननीय सदस्य** : आप रिप्लाइ शुरू करवा दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**श्री राम विलास पासवान** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पिछले सत्र मे मैंने विस्तार से पौलिसी मैटर पर चर्चा की थी और मैं नहीं फिर से उन बातों को दोहराकर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं कुछेक पोइंट्स की तरफ जो कल हमारे साथी राम नाईक जी ने शुरू से मुद्दा उठाया था, स्टैण्डिंग कमेटी के संबंध में, मैं समझता हूं कि उसके बारे में स्वाभाविक है कि वह बहुत ही सम्मानित समिति है और स्पीकर साहब के द्वारा गठित की गई है और हर मंत्रालय का अध्ययन भी करती है। मैं उस संबंध में जरूर कहना चाहूंगा कि स्टैण्डिंग कमेटी ने कुछेक जो रिपोर्ट्स भेजे हैं और उसमें कुछेक जो पोइंट्स हैं, उसमें पहला स्टैण्डिंग कमेटी कहा है कि जो सर्वे का काम है, समय से पूरा नहीं किया जा रहा है और इसका मूल कारण हैं कि सर्वे से संबंधित व्यवस्था एवं ओर्गनाइजेशन की कमी है। यह बात सही है उपाध्यक्ष जी कि जितने हमारे पास डिमाण्ड्ज आ रहे हैं, या संसद सदस्यों के ऊपर में यह जवाबदेही भी है कि जब उनके क्षेत्र में डिमाण्ड आता है तो वह डिमाण्ड कितना सही है या नहीं है, लाभदायक है या नहीं है, लेकिन माननीय संसद सदस्यों का यह कर्तव्य होता है कि वह डिमाण्ड्ज़ को रेल मंत्रालय के समक्ष में और जब भी रेल का बजट आता है, उस समय रखते हैं और मांग होती है कि इनको जोड़ा जाए। जब हम किसी रेलवे के प्रोजेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है, वह सर्वे का काम होता है और उस सर्वे के आधार पर ही फिर आगे मामला बढ़ता है। इसलिए सर्वे बहुत ही नितान्त आवश्यक है।

यह बात सही है कि जितना हमारे पास में सर्वे का डिमांड्स है उस सर्वे के डिमांड्स को देखते हुए हमारे पास में जो है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें मैं स्ट्रैंथ की कमी को महसूस कर रहा हूं और मैं सौ प्रतिशत इससे सहमत हूं और मैंने कुछ बढ़ाये हैं। लेकिन मुझको भी उससे बल मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको स्ट्रैंथ किया जायेगा, जिससे कि सर्वे का काम जब हम कहते हैं कि सर्वे समयबद्ध होना चाहिए, तीन महीना में होना चाहिए, छः महीना में होना चाहिए तो वह काम समय में सर्वे हो जाए। उससे ज्यादा समय उसमें नहीं लगे।

उसी तरीके से दूसरा इन्होंने मुझे उन्होंने जो दिया है वह जी० आर०पी० के संबंध में उन्होंने कहा है और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री के स्तर से भी बातचीत करने का प्रयास होगा। तो मैं इस संबंध में आपको बतलाना चाहता हूं कि इस संबंध में हमने जहां अपने रेलवे बोर्ड के स्तर पर डी०जी०पी० पुलिस को बुलाकरके और रेलवे बोर्ड के आर०पी०एफ० के चीफ को बुलाकरके बातचीत किया। अभी तीन दिन तक उसका सम्मेलन लिया। वहीं होम मिनिसटर के साथ में रेल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जहां-जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहां के डी०जी०पी० पुलिस को भी बुला करके और होम मिनिस्टर के साथ में गहन चर्चा किया गया है और उस संबंध में जो है हमको उम्मीद है कि उसका लाभदायक परिणाम होगा। जहां तक उसकी संख्या का सवाल है उसमें हम लोगों ने कहिये कि महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं। हमने निर्णय लिया है कि जित्तने भी करीब-करीब जो इम्पोर्टेंट जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशन पर हम क्लोज सर्किट टी०वी० की हम व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि चूंकि 60 परसेंट लोग, कुछेक लोग तो प्रोफेशनल क्रिमिशनल होते हैं और कुछेक लोग 60 परसेंट लोग ऐसे होते हैं कि जो फैन्स पर रहते हैं। मौका मिला तो कुछ गड़बड़ कर लिया, नहीं मौका मिला तो ठीक है। वैसे लोग जो हैं उनके ऊपर में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और यदि मॉनीटरिंग की व्यवस्था वहां हम करते हैं कि कौन लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, कौन लोग हैं जो दोबारा फिर से टिकट खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, कौन लोग हैं जो पिक पॉकेट का, तो जो क्लोज सर्किट टी०वी० का जो मामला है, उसको हमने विचार किया है और गंभीरता से लिया है और हम अगले महीने में ही, इसी महीने में 30 मई तक हम कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 प्रमुख स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी०वी० हम लगा दें, जिससे कि इस तरह की घटनाओं में निश्चित रूप से हमको लगता है कमी होगी और उसको हम और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। उसी तरीके से अभी तक का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आप जानते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन में

[श्री राम विलास पासवान]

बहुत सारे डिब्बे हैं। राजधानी हैं तो इसमें से एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा में नहीं जाया जा सकता है। तो उसके लिए हमने सोचा है। पहले तो हम सोच रहे थे कि यह जो वायरलैस का सैट वगैरह होता है उसके आधार पर, लेकिन उसमें बहुत सारा खर्चा का है और उसका रेलवे बोर्ड की क्षमता से अभी बाहर लग रहा है। इसलिए जो वाकी-टाकी सिस्टम है, उसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। जिसमें एक ड्राइवर के पास में रहेगा, एक गार्ड के पास में रहेगा और दूसरा जो जी०आर०पी० के अधिकारी रहेंगे, अफसर रहेंगे, या जो उनके पुलिस बल रहेंगे, उनके पास में सैट रहेगा, जिससे कि एक दूसरे, तीसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता रहे और कही भी इस तरह की यदि घटना हो, उसकी जानकारी एक दूसरे को मिल जाए और उस समय में वह तुरंत वह जो है कार्रवाई कर सके। तो ये कुछेक चीजे हैं। अभी हमने निर्णय लिया है। पिछले दिनों, उसका मैं आपके समाने बतलाना चाहता हूं।

उसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी ने पिछड़ा क्षेत्र के संबंध में कहा है कि पिछड़ा क्षेत्र की परिभाषा जो है, वह मापदंड क्या है। उसको करना चाहिए। यह सही है कि मैंने जैसा पिछली बार कहा था कि जो रेलवे को जब हम यह मानकर चलते हैं कि सिर्फ मुनाफा कमाने वाली नहीं, कल्याणकारी संस्था भी है, तो उस दृष्टिकोण से जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड क्षेत्र हैं, उनके यहां भी रेलवे लाइन का विस्तार होना चाहिए और इस रेलवे लाइन के विस्तार की जब हम बात कहते हैं तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र कौन है, उनका भी एक मापदंड जो हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए और इसके लिए हम लोग जो प्रीपेअर कर रहे हैं कागज। लेकिन अभी तक हम लोग जो प्लानिंग कमीशन और जो फाइनेंस कमीशन जिन-जिन क्षेत्रों को बैकवर्ड एरियाज मानकरके चल रही हे या जिन राज्यों को उन्होंने बैकवर्ड राज्य माना है, हम उसको अभी आधार मानकरके और हम उसी के आधार पर रेलवे बोर्ड में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो बैकवर्ड एरिया है, उसका एक स्पष्ट रूप, साफ तौर से उसका एक डेफिनीशन होना चाहिए और हमने भारत सरकार से यह भी मांग किया है कि बैकवर्ड एरियाज के लिए जो सुविधा है, वह रेलवे को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जाना चाहिए।

जैसे नौर्थ ईस्ट एरिया को रेलवे के मामले में कंसेशन दिया जाता है, उसी तरह किसी बैकवर्ड एरिया में अगर हम कोई गाड़ी चलाने के बारे में सोचते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि वहां गाड़ी चलाना घाटे में रहेगा। अब सवाल है कि उस घाटे की पूर्ति कैसे की जाए, हमने इस संबंध में भारत सरकार के लिए एक पेपर तैयार किया है और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उस पर गम्भीरतापूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

**श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट को आप बैकवर्ड मानेंगे ?

**श्री राम विलास पासवान :** उपाध्यक्ष जी, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि हमने कुछ कार्य बिना प्लानिंग कमीशन या एक्सपैंडिड बोर्ड या सी०सी०ई०ए० की सहमति से बजट में शामिल कर लिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1992 से पहले रेलवे बोर्ड ऐसे मामले स्वयं तय कर लेता था कि कहां-कहां रेलवे लाइन बिछानी है, लगानी है लेकिन 1992-93 के बाद यह प्रथा शुरू हुई जिसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि प्लानिंग कमीशन या सी०सी०ई०ए० की क्लियरैंस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राम विलास पासवान के समय में यह प्रथा शुरू हुई है, बल्कि उससे भी पहले से यह प्रथा चल रही है। अब हमारे सामने कठिनाई दो चीजों की है। एक कठिनाई यह है कि यह सदन सर्वोपरि है और यहां माननीय सदस्य जब अपने-अपने इलाके की परेशानियों को उठाते हैं, जैसा इन्होंने अभी मुर्शिदाबाद के बारे में कहा, मैं उस पर बाद में आऊंगा लेकिन जैसे ललितपुर-सिंगरौली लाईन का मामला उठाया गया, राजेश पायलट जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है, उन्होंने दौसा से गांगापुर लाइन का मामला उठाया क्योंकि दो साल पहले के रेल बजट में उसे शामिल कर लिया गया था, उसी तरह गिरिजा व्यास जी ने अजमेर-चित्तौड़- उदयपुर लाइन का मामला उठाया, उसे भी दो साल पहले रेल बजट में जोड़ा गया था। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के अनेकों प्रोजैक्ट रेलवे बजट में शामिल तो कर लिए गए लेकिन सी०सी०ई०ए० से उनकी मंजूरी हमें नहीं मिल पाई। जब से मैं रेल मंत्री बना हूं, उस समय से अनेक कठिनाईयों के बावजूद हमने कुछ प्रोजैक्ट्स को मंजूरी दिलाने का काम किया। नियम यह है कि यदि हम किसी प्रोजेक्ट को पार्लियामेंट में पास भी कर देते हैं लेकिन उसका काम उस वक्त तक हाथ में नहीं लिया जा सकता जब तक कि सी०सी०ई०ए० या कैबिनेट उसे अपनी मंजूरी नहीं दे देती, पास नहीं कर देती। जब कोई प्रोजैक्ट इस हाउस में, पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो कैबिनेट तथा रेलवे बोर्ड के ऊपर उसका प्रैशर रहता है हमें इसकी इम्पलीमेंटेशन की कार्यवाही जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। इस बारे रेलवे बजट में हमने जितने प्रौजैक्ट्स शामिल किए हैं, उनमें कई प्रोजैक्ट्स की क्लियरैंस हमें अभी तक नहीं मिल पाई है लेकिन एक बार जब बजट में आप किसी प्रोजैक्ट को पास कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस पर तेजी से काम चलना शुरू हो जाना चाहिए। इसमें दो नियम हैं — एक प्लानिंग कमीशन से संबंधित है। हर प्रोजैक्ट के संबंध में प्लानिंग कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। उसी तरह एक्सपैंडिड बोर्ड है जो रेलवे के अन्तर्गत नहीं है बल्कि उसमें एक्सपैंडीचर सैक्रेटरी तथा कुछ दूसरे महकमों के अधिकारी बैठते हैं। जब वहां से किसी प्रोजैक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो मामला सी०सी०ई०ए० के सामने, कैबिनेट के सामने जाता है।

मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल बना देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जैसे मैंने पहले कहा, रेलवे का एटीट्यूड लोक-कल्याणकारी संस्था के रूप में रहेगा और बैकवर्ड एरियाज को हम बढ़ावा देंगे लेकिन उसके साथ-साथ जब तक यही मनोवृत्ति एक्सपैंडिड बोर्ड में बैठे अधिकारियों की नहीं होगी, वैसी ही मनोवृत्ति प्लानिंग कमीशन में बैठने वाले अधिकारियों की नहीं होगी, जब तक मैं नहीं समझता हूं कि हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि प्लानिंग कमीशन के सामने हम बैकवर्ड एरियाज के जितने प्रोपोजल भेजते हैं, मैं कह सकता हूं कि उनमें से 90 परसेंट प्रोपोजल की निगोटिव रिपोर्ट आती है। हमारे साथी तसलीमुद्दीन साहब ने अररिया-गलगलिया लाइन की बात यहां उठाई, जिसको लेकर वे लड़ते भी रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : क्या अधिकारी पार्लियामेंट से भी बड़े हो गए ?

**श्री राम विलास पासवान** : वही बात मैं भी कह रहा हूं और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। यह बात स्टैंडिंग कमेटी ने कही है कि पार्लियमेंट में पास करने के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग कमीशन और एक्सपैंडिड बोर्ड तथा सी०सी०ई०ए० से क्लियरैंस लेना जरूरी हैं यदि हम इस प्रोसैस में जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी साल हम कोई प्रोजैक्ट पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है रमेश चेन्नितल्ला जी यहां हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : इन कठिनाइयों के होते हुए आप जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपका क्या सुझाव है ?

**श्री राम विलास पासवान** : आपने नहीं सुना। कल राम नाइक जी ने एक बात कही कि जो बजट का मामला है, उसमें हर मिनिस्ट्री का बजट जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में जाता है और स्टैंडींग कमेटी का क्या रिपोर्ट है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मैं वह बतला रहा हूं। जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है, मैं वह बतला रहा हूं। अब स्टैंडिंग कमेटी में जो सदस्य हैं, वे कोई बाहर के नहीं हैं। मैम्बर आफ पार्लियामेंट ही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट भेजते हैं। बासुदेव आचार्य जी हैं। मुझे उनकी रिपोर्ट शिरोधार्य है, लेकिन यदि उस रिपोर्ट पर जाएंगे, तो बांकुरा-दामोदर लाइन कभी संभव नहीं हो पाएगी। मैं साफ बात कहना चाहता हूं। इसीलिए मैं सबकी बात कहता हूं।

उमा भारती जी हैं गंगा चरण राजपूत जी हैं। यदि उस रिपोर्ट पर जाएंगे तो ललितपुर सिंगरौली, जो बैकवर्ड, ट्राईबल एरिया की लाइन है, पटवा जी यहां बैठे हुए हैं, कभी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट सर्वोपरि है। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी के दिग्गज लोग बैठते हैं इस तरह से पार्लियामेंट जिस तरह से सी०सी०ई०ए० का अधिकार है वह क्या कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन, एक्सटेंडेड बोर्ड को एग्जनरेट कर के उसी तरह से यह पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट भी सर्वशक्तिमान है और जब पार्लियामेंट पास करती है, तो मैं समझता हूं कि जवाबदेही में गवर्नमेंट बजट को पास करती हैं हां ठीक है, इसका जो रूल है, उस रूल के तहत जो भी हम पार्लियामेंट में पास करते हैं। जब तक सी०सी०इ०ए० का पास नहीं करती हैं अभी हमारे साथी कह रहे थे। के०पी० सिंहदव जी कह रहे थे। अभी सी०सी०ई०ए० का पास नहीं हुआ हैं अभी करने जा रहे हैं। कुमारघाट-अगरतल्ला तक था, हम लोगों ने पास कर लिया, लेकिन जब तक सी०सी०ई०ए० का पास नहीं हुआ, तब तक हम उसका इनऔगुरेशन नहीं कर पाए। इसलिए यह जो स्टेंडिंग कमेटी का है यह सिद्धान्तरूप में बहुत अच्छा है।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई–उत्तर) : मेरे कहने का मुख्य मतलब यह था कि जब आप यहां बजट पास करते हैं और उसके बाद पांच-पांच और छः–छः साल तक वे काम शुरू ही नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी प्रोजैक्ट की जो पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है वह न होते हुए केवल यहां घोषणा होती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बाद में तो उनसे आपको परमीशन लेनी है, तो पहले परमीशन लेकर आएं, तो जो बाद में लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आता है कि प्रोजैक्ट का नाम तो बार-बार आ रहा है, लेकिन उस पर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। उस प्रकार से कुछ रैगुलेट हो सके और इसलिए फायनेंश्यल डिसीप्लिन की आवश्यकता है।

**अपराह्न 2.57 बजे**

**[श्रीमती गीता मुखर्जी** *पीठासीन हुईं***]**

**श्री राम विलास पासवान** : मैंने इतना ही कहा, जब आप पहले लगा देंगे, देखिए आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने क्या लिखा है– स्टेंडिंग कमेटी ने इस बात पर ऐतराज किया है कि कार्यों को बिना प्लानिंग कमीशन, एक्सटेंडेड बोर्ड और सी०सी०इ०ए० की सहमति के बजट में शामिल किया गया हैं इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा कि सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं और फिर उन कार्यों को बजट में शामिल किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने प्रोजैक्ट्स हैं, आप बतला दीजिए, आप उसके मैम्बर हैं, आप उसके चेयरमैन हैं, हम जो आपके सामने प्रोजेक्ट रखते हैं, आप यह बतला दीजिए कि ये लोक हित में नहीं हैं। आप इसको काट दीजिए, लेकिन जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट जिस कांस्टीट्यूएंसी से आते हैं, उनके लिए वही प्रोजैक्ट अहम हैं। मैं समझता हूं कि हम अभी अहमदाबाद से दिल्ली तक की ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद से दिल्ली की ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु यदि कोई आदमी गांव में है, नेपाल की तराई में है, तो उसके लिए जो लोकल प्रोजैक्ट है, वही सबसे ज्यादा इम्पार्टेंट है। कुमारघाट से अगरतल्ला के लोगों के लिए क्या मतलब है कि मुम्बई से दिल्ली में क्या हो रहा है। उसके लिए तो कुमारघाट से अगरतल्ला कैसे पहुंचें, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि यदि यह रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि पहले आप स्वीकृति ले लें, तब पार्लियामेंट में जाएं, तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है।, लेकिन मैं समझता हूं कि कितने प्रौजैक्ट पार्लियामेंट के सामने आ सकेंगे ? ब्यूरोक्रेटिक जिसको आप कहते हैं, जिसकी हमको गाली मिलती है कि रेल मंत्री आदेश करते हैं और ब्यूरोक्रेट उसका पालन नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में कितने प्रोजैक्ट आ पाएंगे, यह मैं आपके लिए विचाराधीन रखता हूं, लेकिन मैं स्टेंडिंग कमेटी के किसी निर्णय पर, किसी रिक्मेंडेशन के ऊपर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता हूं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

*[अनुवाद]*

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : मंत्री महोदय, क्या इसका अर्थ यह है कि जिन लाईनों को संसद ने मंजूरी दी है, यदि उन्हें योजना आयोग और सी०सी०ई०ए० द्वारा मंजूरी नही दी जाएगी तो उन पर काम शुरू नहीं होगा ?

**श्री राम विलास पासवान** : उन पर काम शुरू नहीं होगा। परन्तु सी०सी०ई०ए० को योजना आयोग और सी०सी०ई०ए० के विस्तारित बोर्ड की रिपोर्ट को लांघने के अधिकार प्राप्त हैं। यदि आप योजना आयोग,

[श्री राम विलास पासवान]

विस्तारित (एक्सपेंडिड) बोर्ड और सी०सी०ई०ए० तीन के अनुसार चलेंगे तो एक प्रतिशत परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : आप ठीक कह रहे है और हम आपसे सहमत हैं यदि संसद द्वारा मंजूरशुदा लाईनों की सिफारिश योजना आयोग नहीं करता तो आशा है आप सी०सी०ई०ए० के साथ इस मामले को उठायेंगे और उनहें मंजूरी दिलायेंगे।

**श्री राम विलास पासवान** : हां अधिकतर मामलों में ऐसा ही किया जाता है।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : फिर ठीक है, हम सब आपका समर्थन करते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि ...*(व्यवधान)* मेरे पास चूंकि ऐसा बम गिरा देते हैं, बजट पेश करते ही राम नाईक जी कि एक प्रश्न के जवाब में एक घंटा लगता है। इन्होंनें एक मुंबई के संबंध में कह दिया। एक महाराष्ट्र के संबंध में। महाराष्ट्र के संबंध में रेल मंत्रालय और रेल मंत्री का ऐटिट्यूट ...*(व्यवधान)*

**श्री रमेश चेन्नित्तला** (कोट्टायम) : स्पेसिफिक इश्यू से जाने से पहले जो जनरल मुद्दा हमने उठाया रिक्रूटमैंट ऑफ रेलवे ...*(व्यवधान)* रेलवे में रिक्रटमैंट ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राम विलास पासवान** : पिछली बार नीतिगत विषयों पर मैं डेढ़ घण्टा बोला था तब मैंने यह भी कहा था कि अगली बार मैं दूसरे विषयों पर बोलूंगा। मैं जानता हूं कि आम मुद्दों की अपेक्षा आपकी रूचि कोट्टायम साबरीमाला रेल लाईन पर अधिक है क्या मैं ठीक कह रहा हूं ? यदि मैं एक घण्टा आम मुद्दों की ओर ध्यान दूं और कोट्टायम साबरीमाल लाईन पर न बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि आप संतुष्ट हो जायेगें। आप सीधे-सीधे प्वाइंट (विचार-बिन्दु) पर क्यों नहीं आते ?

*[हिन्दी]*

पहले मैं, सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राम नाईक जी ने और तोपदार जी ने इन दोनों आदमियों ने 3500 करोड़ रुपये के इन्होंने चार्ज लगाये थे। 3500 करोड़ रुपये जो विश्व बैंक से मिलने वाला था, मुंबई के डैवलपमैंट के लिए, मुम्बई के डैवलपमैंट के लिए, उसको रेलवे के नेगलीजैंस के कारण वह नहीं मिल पाया।

मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। राम नाईक जी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैंन से बातचीत हुई है और उन्होंने पूरा का पूरा उनके सामने सारी चीजों को रखने का काम भी किया है। हमारे पास पूरा का पूरा डाकूमैंट भी है। अब आप चाहेंगे तो जो महाराष्ट्र के, मुंबई के मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं, तोपदार साहब, सवले जी हैं और आप हैं, आ जाइये हम बैठकर बातचीत करना चाहेंगे लेकिन मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजैक्ट जिसको एम०यू०टी०पी० फेज-वन कहते हैं। यह बहुत पहले 1984 में, यह तो टू की अब बात है। इसके पहले वन था जो 1984 में शुरू हुआ था और बाद में इसको एम०यू०टी०पी० फेज-टू के लिए राज्य सरकार ने विश्व बैंक के पास 1994 में भेजा था। जो पहले प्रोजैक्ट था फेज-वन, वह केवल रोड़ के लिए था लेकिन अब दूसरा प्रोजैक्ट लेकर गये तो विश्व बैंक ने उनको समझाया, उनको सुझाव दिया कि लोन सिर्फ रोड़ के लिए नहीं मिलेगा बल्कि एक इंटीग्रेटी अप्रोच रोड़ और रेल के लिए होना चाहिए और उसी के लिए पैसा देंगे। राज्य सरकार ने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया और फिर रेलवे मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई और उसमें तीन निर्णय लिये गये। एक निर्णय लिया गया कि रेलवे के निर्णय में आधा खर्च राज्य सरकार और आधा खर्च रेलवे देगी जिसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि रेलवे जनरली अभी तक वन थर्ड से ज्यादा कभी स्वीकार नहीं करती है। महाराष्ट में जो एम०आर०टी०पी० है उसमें भी हमने वन थर्ड दिया। टू थर्ड राज्य सरकार किया है लेकिन मुंबई के मामले में चूंकि पूरे देश के जितने पैसेंजर्स चलते हैं, एक करोड़ दस लाख, पचपन लाख पैसेंजर्स सबर्बन ट्रेन में बम्बई में चलते हैं और मुंबई की मर्यादा, मुंबई की शान, मुंबई का क्या महत्व है उसको हम भी रेलवे के दृष्टिकोण से ही नहीं, हम भी जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि कोई क्राइटीरिया नहीं लेंगे। फिफ्टी परसेंट हम भी देंगे और फिफ्टी परसेंट आप भी देंगे उसी तरह से रेलवे का जो आधा हिस्सा है, उसके लिए कहा गया कि आप कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन में यह हुआ कि हम एक-तिहाई रेलवे के सबर्बन प्रोजैक्ट पर खर्च करेंगे, एक-तिहाई महाराष्ट्र के रेलवे पर खर्च करेंगे और एक-तिहाई पूरे देश में किसी भी रेलवे प्रोजैक्ट पर खर्च करेंगे। यह भी हुआ कि रेलवे में जो घाटा होगा, उसे स्टेट लेवी लगाकर पूरा करने का काम करेगा। स्टेट गवर्नमैंट ने रेलवे से यह भी कहा कि यदि रेलवे उचित समझे, हमारे ऊपर बाईडिंग नहीं थी, तो हम वर्ल्ड बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इसकी जानकारी स्टेट गवर्नमैंट ने वर्ल्ड बैंक को 1994 में ही दे दी।

एम०यू०टी०पी० फेज-II में दस प्रोजैक्ट्स हैं। वे कौन से हैं, वह पढ़कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन दस प्रोजैक्ट रखे गएं 1993-94 में प्रोजैक्ट पर 1526 करोड़ रुपये का खर्चा था। 1995 में वर्ल्ड बैंक ने 30 लाख डालर देकर इंटरनैशर्नल कंसलटैंसी के द्वारा अपनी स्टडी कराने की सहमति दी और मार्च 1996 में रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहमति के आधार पर कंसलटैंसी दे दी गई। उन्होंने कंसलटैंसी में चार एरिया रखे – एक था कोर डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे, डी०सी० को ए०सी० में परिवर्तन करेंगे, कम्प्यूटर सिमुलेशन स्टडी और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण था, वह था स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जिसमें ज़ोन, कौर्पोरेशन बनाना आदि आता है। स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जो रिपोर्ट थी, वह हमारी रिपोर्ट नहीं थी, वह वर्ल्ड बैंक की सहमति पर थी, वह हमारे पास अप्रैल 1997 में आई। उसमें मुख्य रिकमैंडेशन अनुशंसा-III थी – एक मुम्बई रेल डैवलपमैंट कौर्पोरेशन बनाया जाए, दूसरा एम०यू०टी०पी० फेज़-II योजना का कार्यान्वयन करेगी, तीसरा औपरेशन, मैनटेनैंस, कंसट्रक्शन या फाईनैंशल इम्प्लीकेशन का काम भी कौर्पोरेशन करेगी। रेलवे बोर्ड ने सारी चीज से सहमति जाहिर की और सिर्फ एक बात कही कि ओपरेशन, मेनटेनैंस के मामले पर वर्ल्ड बैंक

द्वारा जो शर्त रखी गई है, उसे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट मार्च में की गई थी, वह हमने 25 मार्च, 1997 को भेज दी। मार्च को स्टेट गवर्नमैंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी और हमारे रेलवे बोर्ड के अधिकारी की 17 अप्रैल, 1997 को वार्तालाप हुई और महाराष्ट्र सरकार के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने भी इससे सहमति जाहिर करने का काम किया। हमारा पास महाराष्ट्र सरकार का जो पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है–

*[अनुवाद]*

यहां तक कि रेलवे बोर्ड ने भी 12 मार्च को हुई अपनी बैठक में दीर्घवधि से लम्बित पड़े मामलों के समाधान के लिए सकारात्मक, पहल की है।

*[हिन्दी]*

उसके बाद दोनों ने मिलकर लाइन ऑफ एक्शन तय कर दिया। रेलवे ने वर्ल्ड बैंक को अपने विचार 25 मार्च को लिखकर भेज दिए जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने शायद 10 अप्रैल को भेजने का काम किया। महाराष्ट्र सरकार से पहले रेलवे ने 25 मार्च को भेज दिया और अभी तक वर्ल्ड बैंक ने उस संबंध में कोई जवाब नहीं भेजा है। लेकिन उसने यह भी कहा है कि हमने अपना दरवाजा भी बंद नहीं किया है।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई-उत्तर) : आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। 20 मार्च के लैटर में उन्होंने लिखा है–

*[अनुवाद]*

चूंकि बैंक के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि वह वर्तमान स्वरूप में इस परियोजना की वर्तमान लम्बित कार्यक्रमों में से निकाल दें।

*[हिन्दी]*

मैं इतना ही चाहता हूं कि सारा प्रयास करके फिर से लोन मंजूर हो जाए, उसके बारे में आप क्या करेंगे, इतना ही बताएं तो काफी होगा।

**श्री राम विलास पासवान :** मैं उन लोगों में से हूं कि मैं लोन को मंजूर करवाना भी चाहता हूं। लेकिन वर्ल्ड बैंक हमारे सामने अननैसेसरी दबाव डालकर यदि हमारे इंटरैस्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा तो हम उस प्रैशर के सामने झुकने वाले भी नहीं हैं और हम जानते हैं कि वे हमको लोन देंगे, लेकिन वे जो चीज चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसी कंडीशन रखकर हमको मनवा दें, पूरी की पूरी रेलवे जो हमारा, उपेन्द्र जी बैठे हुए हैं, रेलवे का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन उनके कहने के मुताबिक चलाना हम शुरू कर देंगे, यह भी होने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो इतना बड़ा पैसा है, लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिना वर्ल्ड बैंक की सहायता और बिना राज्य सरकार की सहायता से भी जो दस में से चार प्रोजैक्ट्स थे, हमने स्वयं शुरू कर दिये हैं। उनकी सहायता के लिए हम वेट नहीं कर रहे हैं, न उनकी सलाह के लिए वेट कर रहे हैं। कुर्ला थाणे पांचवीं और छठी लाइन, उनकी लिखी हुई है कंसलटेंसी में, हमने शुरू कर दिया है। हमने शुरू कर दिया है, सांताक्रुज से बोरिवली फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन, हमने शुरू कर दिया है, डी०सी० का ए०सी० में कन्वर्शन करना, ये सारी तो उनकी कंडीशंस में था कि उनके सहयोग से हम करेंगे। हम उनके बिना सहयोग के यह सारा का सारा काम शुरू कर दिया हैं नौ डिब्बे से बढ़ाकर 12 डिब्बे करना, सिगनल डिस्टेंस को कम करना, यह हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी मेरे सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट है। मैं रेलवे के मामले में और महाराष्ट्र के मामले में यह क्लेम तो नहीं कर सकता हूं कि आपकी सरपोतदार जी को या रावले जी को जितनी वहां की जानकारी है, उतनी जानकारी हमको हैं, इतना मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठ जायें और बैठने के बाद जो भी नेशन के इंटरैस्ट में, महाराष्ट्र के इंटरैस्ट में और हम सब के, रेलवे के इंटरैस्ट में जो भी बैस्ट रास्ता होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि बाल हमारे यार्ड में नहीं हैं, ईवन मैं महाराष्ट्र सरकार को भी दोष नहीं दूंगा, महाराष्ट्र सरकार की भी लाइन पोजिटिव लाइन है। बाल वर्ल्ड बैंक के कोटे में है, उनको इसके ऊपर डिसीजन लेना है। अब इसके साथ मैं प्रोजैक्ट्स के ऊपर आना चाहता हूं। मैंने हर माननीय संसद् सदस्य को ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : हमने स्वतंत्र बोर्ड मांगा है।

**श्री राम विलास पासवान :** वह तो हमने कह दिया है, हमने माना है, हम तैयार हैं। हमने सिर्फ एक पाइंट को नहीं माना है, बल्कि जो आपका कारपोरेशन है, कारपोरेशन हम मानने के लिए तैयार हैं। कारपोरेशन का एरिया क्या हो, वह भी हम करने के लिए तैयार हैं।

अब उसके बाद में थोड़ा इस मामले में या तो यह कर सकता हूं कि मैं स्टेटवाइज चलूं और एक बात का मैं आग्रह कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी चीजें, जो अपने रेलवे भाषण में या बोली थीं, मैंने कोशिश की कि माननीय संसद् सदस्यों को कि उसके पूरे प्रोजैक्ट को हम लिखकर भेजने का काम करें, लेकिन हो सकता है, उसमें कोई छूट भी गया हो, जो हमने किया है और जो नहीं हो पाया है, जैसे राम बहादुर जी ने महाराजगंज-घरोंदा का कहा था, अब आलरेडी हमने भाषण में वह कैबिनेट में स्पीच में और सब मैं जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश राइटिंग में कहीं छूट गया हो तो उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है।

अब आन्ध्र प्रदेश में जो पहली लाइन है, वह है ...*(व्यवधान)*

**रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) :** यू०पी० से चलिये।

**श्री राम विलास पासवान :** नहीं, ए०बी०सी०डी० से चलते हैं। आप जब कैबिनेट में बैठते हैं आपको जाना हो तो मैं यू०पी० से ही कर दूंगा।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** जाना है।

**श्री राम विलास पासवान :** चूंकि इनको जाना है, मैं उत्तर प्रदेश से शूरू कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* दस मिनट में खत्म कर दूंगा।

[श्री राम विलास पासवान]

आन्ध्र प्रदेश में जो पहला प्रोजैक्ट है, वह पेदापल्ली से करीमनगर-निजामाबाद का है। यह परियोजना 1993-94 की है। इसमें टोटल 177 किलोमीटर हैं, इस परियोजना का काम दो चरणों में हो रहा है। पहला पेदापल्ली से करीमनगर और दूसरा करीमनगर से निजामाबाद। इस परियोजना पर इस वर्ष के बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसे माननीय संसद् सदस्यों की राय को देखते हुए उसको बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव है और पेदापल्ली से करीमनगर 47 किलोमीटर लम्बी परियोजना है, इसका काम चल रहा है। यह 1999 तक पूरा हो जायेगा। करीमनगर-निजामाबाद के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण का काम चल रहा है और निजामाबाद से आदिलाबाद वाया आमरूप सर्वे का काम चल रहा है।

**श्री नंदी यैलैय्या :** मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं संगारेड्डी से पेद्दीपल्ली वाला मैटर 15 साल से चल रहा है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया मेरी बात सुनिये माननीय मंत्री जी से अपराह्न 3.30 बजे तक अपना उत्तर पूरा करता है। यदि आप स्पष्टीकरण मांगते जायेगें तो वह कैसे पूरा करेंगे।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** जो-जो विचाराधीन है, सर्वे में चल रहा है, एक्सटेंडेड सर्वे में आ गया है।

यह 1993-94 का प्रोजेक्ट है। मैं 1994-95 का बोल रहा हूं। दूसरा नांदयाल से येरूगुंटला नई लाइन का है। यह परियोजना 1996-97 की है, यह 126 किलोमीटर लम्बी है। सितम्बर 1996 में इस परियोजना को सी०सी०ए० द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके लिए अंतिम स्थान निर्धारण का काम चल रहा हैं इस वर्ष के बजट में इस परियोजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना को पूरा करने की तिथि निश्चित नहीं की गई है। धर्मावरम्-पेनुगोंडा-कुट्टापत्ती यह नई लाइन है। इसको 1997-98 के बजट में शामिल किया गया हैं यह बजट पास होने के बाद और आवश्यक क्लियरेंस मिलने के बाद इस काम को शुरू किया जाएगा।

उसी तरह से गेज कंवर्शन का है। मुडिखेड-आदिलाबाद का है, यह परियोजना 1984-85 की है। यह बोल्ट स्कीम के तहत है। यह रेल लाइन मनमाड से चलते हुए मुडिखेड होते हुए आदिलाबाद तक जाती है। मनमाड से मुडिखेड का काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ मुडिखेड से आदिलाबाद का काम 1998 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसमें टोटल कॉस्ट 111 करोड़ रुपये है और लम्बाई 162 किलोमीटर है। जिसमें बोल्ट द्वारा 104 करोड़ रुपया और रेलवे द्वारा सात करोड़ रुपया दिया जाना हैं गुंटूर से गुंटाकल और गुंटाकल से कुल्लूरू 458 किलोमीटर लम्बी परियोजना है। यह गुंटूर-नांदयाल होते हुए कुल्लूरू जाती है। गुंटूर से नांदयाल 274 किलोमीटर लम्बी परियोजना है जिसका काम पूरा हो चुका है और इस लाइन पर गाड़ी चल रही है। नांदयाल से गुंटाकल 136 किलोमीटर लम्बी परियोजना है और मार्च 1997 तक इसका काम खत्म हो गया है। अब गुंटाकल से कुल्लूरु तक काम शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए बजट में समुचित राशि की व्यवस्था की गई है। यह काम दिसम्बर 1998 तक पूरा हो जाएगा। हमने 1997-98 के बजट में इसमें 35 करोड़ रुपये रखे हैं। उसी तरीके से काटपाड़ी-पकाला तक तिरूपति परियोजना 1993-94 में शुरू की गई थी। यह परियोजना 104 किलोमीटर लम्बी है। अभी तक इस परियोजना पर पांच करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस बार हमने इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये दिए हैं। यह परियोजना 1998-99 तक पूरी होगी। इसी प्रकार सिकंद्राबाद से द्रोणाचलम और सिकंद्राबाद से बोलाराम यह लाइन महबूब नगर-सिकंद्राबाद होते हुए बोलाराम जाती है। महबूब नगर से द्रोणाचलम तक लाइन दिसम्बर 1997 तक पूरी हो जाएगी। इस वर्ष हमने इसके लिए 53 करोड़ रुपये रखे हैं। महबूब नगर से सिकंद्राबाद-बोलाराम तक यह लाइन पूरी हो गई है और अब इस लाइन पर गाड़ी चल रही है। सिकंद्राबाद-मुडिखेड-जनकपेट यह परियोजना 249 किलोमीटर लम्बी हैं इसको हमने 1997-98 के बजट में शामिल किया हैं उचित मंजूरी मिलने के बाद यह काम शुरू किया जाएगा। इसके ऊपर लागत 283 करोड़ रुपये की होगी।

उसी तरीके की नौपादा-गुणुपुर परियोजना 90 किलोमीटर लम्बी हैं इस परियोजना को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। आवश्यक क्लियरेंस मिलने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा। सोलापुर-गुड़ग तक यह काम दो फेस में चल रहा है। एक है बीजापुर-होतगी का, यह दिसम्बर 1997 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा है बीजापुर से गड़ग का, यह काम 1998-99 तक पूरा होगा। टैंडर वगैरह निकल रहे हैं। 1997-98 के बजट में 31 करोड़ रुपये हमने इसमें रखने का काम किया हैं जो सत्यनारायणपुर का है, उसके सम्बन्ध में क्या है कि यह काम भी होगा। उससे न केवल सत्यनारायणपुर को, बल्कि विजयवाड़ा को भी फायदा होगा।

**अपराह्न 3.20 बजे**

**[उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए]*

विजयवाड़ा-कृष्णा कैनाल तीसरी लाइन योजना है। यह योजना 1996-97 में स्वीकृति हुई और 31 दिसम्बर 1999 तक पूरी हो जाएगी। इस परियोजना के लिए धनराशि की कोई समस्या नहीं है। यह परियोजना पांच कि०मी० लम्बी है। कुल लागत 23.5 करोड़ है और 1997-98 में एक करोड़ रुपया रखा गया है। पूर्ण निर्माण होने वाला है। विकाराबाद-तान्दूर यह परियोजना 1997-98 में स्वीकृति हुई थी। यह परियोजना 41 कि०मी० लम्बी है। इसका काम 31 दिसम्बर 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है। कुल लागत 71.8 करोड़ है और 1997-98 में दो करोड़ रुपया रखा गया है। 62 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो गया है। गुडूर से रेनीगुंटा यह 1997-98 की नई योजना है। यह परियोजना 83 कि०मी० लम्बी है और इस पर 138 करोड़ रुपया खर्च होने की संभावना है। उचित मंजूरी प्राप्त होने के बाद यह कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम-संभलपुर-काकीनाड़ा यह परियोजना 1982-83 की है। यह परियोजना 386 कि०मी० लम्बी है। इस परियोजना का काम मार्च 1997 में पूरा हो गया है। पूरा हो चुका है।

*(व्यवधान)*

**श्री पी० उपेन्द्र** (विजयवाड़ा) : आन्ध्र प्रदेश के बारे में बताएं।

**श्री राम विलास पासवान :** उसी पर आता हूं। एक महीने तक आप लोगों ने सपोर्ट विदड्रॉ किया हुआ था। सारा काम ठप्प हो गया और आप कहते हैं कि आते नहीं हैं। ···*(व्यवधान)* नंजनपुर-विजयवाड़ा, यह हम लोगों ने इसी हाउस में प्रॉमिस किया था। नालापांडू-बी०बी० नगर थांड का दोहरीकरण सिद्धांत रूप में हमने डबल लाइन का मान लिया है और इसके सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। विजयवाड़ा रेलवे यार्ड की रीमोडलिंग का कार्य ले लिया जाएगा और विजयवाड़ा शहर के सतनारायणपुरम इलाके में रेलवे लाइन का हटाना शामिल होगा। सरवेधार्मावरम-पाकाला आमान परिवर्तनः– आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों को मालूम है कि अपने बजट भाषण में निम्नलिखित गाड़ियों की घोषणा की थी। सिकन्दराबाद-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रैस, विशाखापट्टनम-निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती एक्सप्रैस विजयवाड़ा के रास्ते से सप्ताह में दो बार, मद्रास इंटरसिटी यह मैंने लास्ट टाइम में घोषणा की थी। माननीय सदस्यों की मांगों को और हमारे रेलवे की रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए मैं निम्नलिखत अतिरिक्त रेल सेवाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं। गुंटूर-नन्दियाल-अमरावती एक्सप्रैस का वॉस्को तक विस्तार, गुंटूर नन्दियाल पैसेंजर का हुबली तक विस्तार और तिरुपति-कोंडुपुरम पैसेंजर का गाजीपटरी तक विस्तार। ···*(व्यवधान)* जितना कर दिया है, बता रहे हैं। आप यही कहेंगे कि घोषणा कर रहे हैं, काम नहीं होगा। ···*(व्यवधान)* अब हम आसाम पर आते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री राम नाईक :** वे उन्हें सम्बोधित कर रहे थे, आपको नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि वे आसाम के बाद में बोलने वाले है। मैं अपने आसन पर आ गया हुगा।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** जोगीघोपा से गुवाहाटी 1983-84 का प्रोजेक्ट था और इस पर करीब 635 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। लम्बाई 142 कि०मी० है और 31.3.97 तक 390 करोड़ रुपए का खर्च हुआ हैं। 1997-98 के बजट में हमने 45 करोड़ रुपया रखने का काम किया है। इसका पूरा होने का लक्ष्य जो कि हमने जोगीघोपा से ग्वालपाड़ा तक का था, दिसम्बर 1997 तक पूरा करने जा रहे हैं और बोलपारा से गुवाहाटी दिसम्बर 1998 में पूरा हो जाएगा। इसमें विलम्ब का कारण यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बन रहा है और इसके कारण विलम्ब का कारण हुआ है और हो रहा है। दुधनोई-दीपा योजना की मंजूरी 1992-93 में की गई और कुल लम्बाई 15.5 कि०मी० है तथा कुल अनुमानित खर्च 22 करोड़ है और 31.3.97 तक तीन करोड़ रु० खर्च हुआ है। हमारे पास उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। जो सबसे बड़ी कमी है, वह हमको भूमि मिलने में दिक्कत हो रही हैं हम, सर, आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप अपना थोड़ा प्रयोग कर-कर के और यदि राज्य सरकार से हमको जितनी जल्दी दिला दें जगह, भूमि हमको मिल जाएगी, हम भूमि मिलने के, लैंड मिलने के दो साल के अन्दर, इस काम को डेढ़ साल के अन्दर हम इस काम को पूरा कर देंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्राबलम है भूमि का। हमारे लिए पैसे का नार्थ-ईस्ट में कोई प्राबलम नहीं है।

कुमारघाट से अगरतल्ला – यह योजना की मंजूरी 96-97 से मिली थी। उसके बाद सी०सी०ई०ए० की मंजूरी भी मिल गई है। इसकी कुल लम्बाई 119 किलोमीटर है, लागत 575 करोड़ रुपए है। अभी तक एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसमें हमने इस साल के बजट में 10 करोड़ रुपया रखा है। हारमूटी से इटानगर, इसको 1996-97 के बजट में हमने रखा था। लम्बाई 33 किलोमीटर है, 156 करोड़ रुपया इस पर खर्चा हैं अभी तक एक लाख रुपया इस पर खर्चा हुआ है। क्लीयरेंस मिल चुका है। इस बार के 97-98 के बजट में हमने 10 करोड़ रुपया रखा है। फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। मैं चाहता हूं कि वहां के जो माननीय संसद सदस्य हैं, वे अपना प्रयोग कर-कर के कोशिश करें कि 10 करोड़ रुपया जो हमने रखा है, उसका उपयोग हो जाए।

उसी तरीके से दीफू-करोंग, इसको 97-98 के बजट में हमने रखा है। लम्बाई 123 किलोमीटर है, लागत 800 करोड़ रुपए तथा का प्रावधान एक लाख रुपये का किया है खर्च। अभी तक सी०सी०ई०ए० की मंजूरी नहीं मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बतायें, करोंग से इम्फाल तक का भी सर्वे करा रहे हैं। हमने सैद्धान्तिक रूप में करों से इम्फाल तक रेलवे लाइन बनाने का भी निर्णय ले लिया है।

आमान-परिवर्तन – लमडिंग से डिब्रूगढ़ 93-94 का है। लम्बाई 628 किलोमीटर है। इसका टोटल खर्च 552 करोड़ रुपये था। आप सब को जानकर खुशी होगी कि हमने 31.3.97 तक टारगेट रखा था और 31.3.97 तक यह काम पूरा हो गया है। उसी तरीके से ब्रान्च लाइन तिनसुकिया से लेखापानी, टाइमली इसका काम पूरा हो गया है। सीमालगुड़ी से मोरनाहाट काम चल रहा हैं। दिसम्बर, 97 तक हम इसको पूरा कर देंगे। मोरनाहाट से डिब्रूगढ़ तक का सर्वे का आदेश दे दिया गया हैं फरकटिंग से जोरहाट मरियानी लूप लाइन है, यह काम चल रहा हें दिसम्बर, 97 तक पूरा हो जाएगा। यह सारी जो लूप लाइन है, जो मेन-प्रोजैक्ट है, इसके ऊपर हमने 165 करोड़ रुपये, 155 करोड़ रुपए रखा है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही सफिशियेंट राशि है। उसी तरीके से लमडिग से सिलचर, 97-96 में हमने लिया था। इसी लम्बाई 198 किलोमीटर है और अनुमानित खर्चा 648 करोड़ है, खर्च अभी तक 6 करोड़ रुपए हुआ है। 97-98 के बजट में हमने 34 करोड़ रुपये रखने का काम किया है। न्यूजलपाईगुड़ी से बंगाईगांव, 276 किलोमीटर है, वर्ष 97-98 के बजट में, अभी सी०सी०ई०ए० की मंजूरी लेना बाकी है। लेकिन हमने इस बारे के बजट में 20 करोड़ रुपए उसके लिए रख दिया है। बोगीविल ब्रिज, इसका हमने 97-98 में फैसला लिया था, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी गए थे, यह 46 किलोमीटर का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। इस बार 97-98 में इसमें 15 करोड़ रुपए उसके ऊपर रखने का काम किया गया है। उसी तरीके से सिलीगुड़ी से गोलखोला एक लाइन पूर्व में दी थी, जो 1950 की बाढ़ में बह गई थी। इस लाइन के पुनर्निर्माण के लिए निरन्तर मांग की जाती रही है। मैंने इस लाइन के पुनर्निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार के आग्रह पर इस सर्वे को गैंगटोक बरास्ता वाया सिगडम तक, जहां एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, बढ़ा दिया गया है। सर्वे इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

[श्री राम विलास पासवान]

असम के माननीय सदस्यों को मालूम है, लमडिंग से तिनसुकिया-डिब्रूगढ़ के आमान परिवर्तन हो जाने के पश्चात् कुछ यात्री सेवाओं की व्यवस्था इस खण्ड पर की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रैस का डिब्रूगढ़ तक विस्तार सप्ताह में किया जाएगा। इसके साथ-साथ मंगलौर-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस का भी गुवाहटी तक विस्तार किया जाएगा। माननीय सदस्यों की मांगें और रेल के जो हमारे संसाधन हैं उनको देखते हुए हम निम्नलिखित अतिरिक्त रेल सेवा प्रारम्भ करने का ···*(व्यवधान)*

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : महोदय, प्राइवेट मेम्बर बिल का समय हो रहा है इसलिए उसे शुरू करवाया जाए और यह उसके बाद कंटीन्यू करवाया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री राम विलास पासवान** : महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि मैं अपराह्न दो बजे अपना उत्तर दूंगा ···*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : महोदय, हर सांसद अपने-अपने प्रदेश के बारे में सुनना चाहता है। माननीय मंत्री ने कहा था कि हमको पत्र लिख कर भेज दीजिए। ···*(व्यवधान)* मंत्री जी हर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हर सांसद अपने प्रदेश के बारे में सुनना चाहता है। मंत्री जी को कम से कम दो घंटे का समय चाहिए। ···*(व्यवधान)*

**श्री भगवान शंकर रावत** : ऐसा कर लीजिए कि छह बजे के बाद शुरू करवा दीजिए। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हमें क्या करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : हमारा तो कहना है कि इसको कंटीन्यू रखिए। ···*(व्यवधान)*

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** : महोदय, आधा घंटा और दे दीजिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह आधे घंटे में खत्म नहीं होगा। वह आधे घंटे में इसे पूरा नहीं कर पायेगें

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** : इसको आप सोमवार के लिए रख लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : जनरल बजट भी है।

*(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : यह बात तो सही है कि हर माननीय सदस्य अपने प्रदेश की जानकारी लेना चाहेगा। ···*(व्यवधान)* इसलिए ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए अगर यह एक घंटे में पूरा करते हैं तो उसके बाद अंत तक प्राइवेट मेम्बर बिल चलना चाहिए। उसका जितना समय है उतना चले तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसका लिंक टूट जाएगा तो बाद में इसमें बाधा आएगी। ···*(व्यवधान)* मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। ···*(व्यवधान)*

**श्री भगवान शंकर रावत** : प्राइवेट मेम्बर बिल की परम्परा यह रही है कि इसी समय पर होता रहा है। *(व्यवधान)*

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : महोदय, प्राइवेट मेम्बर बिल की परम्परा रहनी चाहिए। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी० उपेन्द्र** : महोदय, मेरा एक सुझाव है। माननीय मंत्री जी बजट में शामिल की गई कुछ परियोजनाओं के ब्यौरे दे रहे हैं। उनके लिए किए गए आवंटन, के बारे में माननीय सदस्यों को सब कुछ पता है इसलिए उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वे जो कुछ अनुमोदित करना चाहते हैं उसे बजट प्रस्तुत करने के बाद, या तो अभी अपने उत्तर के क्रम में या गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य के समाप्त होने के बाद अपराह्न 6.00 बजे, वे उसे स्पष्ट कर सकते हैं। इसी बीच वे इसका अध्ययन कर सकते है तथा रेलवे लाइन की लंबाई, आवंटन इत्यादि के संबंध में अन्य ब्यौरों को हटा सकते हैं जो पहले ही बजट दस्तावेज में हैं। जो कुछ भी वे अब अनुमोदित करना चाहते है उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। ···*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : महोदय, इनको आंध्र प्रदेश को बताने में 25 मिनट लगे हैं और अभी 16 प्रदेशों के बारे में बताना बाकी है। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी० उपेन्द्र** : पूरे आंध्र प्रदेश के लिए, बजट में केवल दो ही नई बातें है। ···*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रह्मानन्द मंडल** (मुंगेर) : महोदय, एक घंटे में नहीं होगा इसलिए सोमवार को रखा जाए। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, माननीय मंत्री जी अब अपनी बात जारी रख सकते हैं। हम गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य का समय बाद में बढ़ा सकते हैं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, अब मैं बिहार के ऊपर आता हूं। बिहार में जो पहली एक लाईन है वह मंदारहिल, रामपुर और दुमका लाईन है। जो 1994-95 में शुरू की गई थी और 1994-95 की यह लाईन है। यह 130 किलोमीटर है लेकिन अभी तक 1997 तक इस पर केवल एक करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

इस बार हमने पांच करोड़ रुपया उस पर डालने का काम किया हैं उसी तरीके से सुगौली-नरकटियागंज का काम 31.3.97 को पूरा हो गया है। नरकटियागंज से बाल्मीकी नगर में कार्य 1994-95 का हैं जिसकी लम्बाई 50 किलोमीटर है तथा जिस पर अनुमानित खर्चा 36 करोड़ का था लेकिन जिस पर खर्चा 31.3.97 तक आठ करोड़ रुपये का हुआ हैं इस साल के बजट में 25 करोड़ रुपया दिया गया है और यह जून 1998 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन बाल्मीकी नगर से गोरखपुर तक रेल पुल का काम पूरा हो गया है और रोड़ पुल का पैसा अभी आ गया है। वाटर रिसोर्स मिनिस्टरी ने 22.53 करोड़ रुपया दिया है और बिहार सरकार ने 4.5 करोड़ रुपया दे दिया है। यह काम भी तेजी से चल रहा है।

हाजीपुर-बछवाड़ा का काम 1996-97 में शुरू किया गया है जोकि 71 किलोमीटर का है तथा इसका बजट 54 करोड़ रुपये था और यह दिसम्बर 1997 तक पूरा होगा।

मनसी-सहरसा के काम को 96-97 में मंजूरी दी गयी थी। यह काम 155 किलोमीटर का है। इसमें 210 करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी 31.3.97 तक 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 1997-98 में 8 करोड़ रुपया और खर्चा होगा।

**अपराह्न 3.37 बजे**

**[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुई*]**

खगड़िया-समस्तीपुर लाइन का कार्य 86 किलोमीटर है। इसका 70 करोड़ रुपये का बजट हैं इसमें कोई राशि नहीं दी गयी है क्योंकि यह इस बार के बजट में शामिल है।

हसनपुर-सकरी का काम 76 किलोमीटर का है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपया दिया गया है।

कुसेसर स्थान खगड़िया 44 किलोमीटर है जिसमें 78 करोड़ रुपये की लागत होगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया है।

गिरडीह-कुरणमा नयी रेलवे लाइन 105 किलोमीटर की है जोकि गिरडीह-कुरणमा तथा बरखाखाना होते हुए हटिया तक है तथा जिसको इस बार के बजट में शामिल किया गया है। इसके ऊपर क्लीयरेंस मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा।

आरा-सासाराम की बहुत पुरानी मांग को भी इस बार के बजट में शामिल किया गया है, इसका काम भी क्लीयरेंस के बाद शुरू किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी का काम भी क्लीयरेंस के बाद शुरू किया जाएगा।

रांची, लोहारदंगा, टोड़ी आमान परिवर्तन पिछली बार के बजट में था। इसे सी०सी०ई०ए० की मंजूरी मिल गयी है। उसका उद्‌घाटन करने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

पटना पर गंगा ब्रिज के मामले उसके लिए इस बजट में 15 करोड़ रुपया रखा गया है। इस बार माननीय संसद सदस्यों और सदन की राय को देखते हुए तथा ब्रह्मानंद मंडल जी तथा सारे साथियों की राय को देखते हुए मुंगेरघाट पर गंगा तीर्थ जाने के लिए पुल बनाने का भी हमने सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है और इसके लिए काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)* इसी तरह से दोहरीकरण सोननगर से लेकर मुगल सराय तक है। इस पर 137 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इसके लिए 28 करोड़ रुपया दिया गया है।

पटना से परसा बाजार के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया है परसा बाजार से पुनपुन होते हुए यह गया तक जाएगा। करपुरी ग्राम से सिहो तक दोहरीकरण का कार्य है तथा यह लो-प्रिओरिटी में है। इसके लिए केवल एक लाख रुपया दिया गया है।

गोइलकेरा से मनोहरपुर तीसरी लाइन का काम है। यह 1997-98 के बजट में रखा गया है।

पत्रातु-सोननगर विद्युतीकरण का काम मार्च 1997 में पूरा हो गया है।

इसी तरीके से गुनिया-पत्रातु का जो काम है उसके लिए 3 करोड़ रुपया दिया गया है जोकि दिसम्बर 1997 में पूरा हो जाएगा।

सीता-रामपुर, दानापुर-मुगलसराय विद्युतीकरण का काम मार्च 1999 में जा करके पूरा होगा।

बोकारो स्टील

सिटी-मूरी-हटिया-बोना-मोंडा-बिमलगढ़-कीरीबुरू, पुरूलिया-कोटशिला का काम दिसम्बर 1998 में पूरा होगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपया दिया गया है।

चांडील से बरखाखाना के लिए कार्य 1993-94 के बजट में है और यह मार्च 1998 में पूरा होगा।

अध्यक्ष जी, निर्मली से लेकर भपतियाई एक हमारे साथी मांग कर रहे थें वह कार्य 15-20 किलोमीटर का है और उसके लिए नेपाल से घूम-फिरकर आना पड़ता है। उसके सर्वे कराने का आदेश दिया था। ज्यों ही सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, उस काम को मंजूरी दे दी जाएगी और वह हमारे हाथ में आ जाएगा।

इसी तरीके से सहरसा में एक रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए धनराशि देने की बात थी। मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा और हमारे बी०जे०पी० के एक माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया था, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी ओवर ब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार पैसा दे देगी, मैं रेल मंत्री की हैसियत से विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा पैसा होगा मैं उसे देकर तुरन्त उस काम को करवाने का काम करूंगा ...*(व्यवधान)* आपका पत्र आया था और राज्य सरकार का भी पैसे की स्वीकृति का पत्र आ गया है। उसे इस बजट में शामिल कर लिया जाएगा।

[श्री राम विलास पासवान]

इसी तरीके से अररिया-गलगलियागंज का सर्वे का काम चल रहा है। वहां प्रधान मंत्री जी गए थे। उस समय उनसे इस काम को करवाने के लिए कहा गया था। ज्यों ही सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। राजगीर से लेकर बोद्ध गया तक सर्वे का काम चल रहा है। जो बुद्ध सर्किट का मामला था, उसी तरीके से सुगोली होते हुए वैशाली तक का काम था। वहां सर्वे का काम जारी हैं राम बहादुर सिहं जी ने कुछ निवेदन किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाराजगंज में घरोंदा के सम्बन्ध में पिछले बजट भाषण में ही इसकी घोषणा कर दी थी। वह रेल लाइन रैस्टोरेशन करके वहां रेल बस चलाने की घोषणा हुई थी और वह घोषणा है। यदि इस बारे में आपके पास पत्र नहीं गया तो गलती से छूट गया होगा। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

बिहार के माननीय संसद सदस्यों को मालूम होगा कि हमने अपने भाषण में यात्री सेवाओं की घोषणा की थी जिस में रांची-दिल्ली स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस की बात थी और दूसरी कटिहार से बरौनी लिंग एक्सप्रेस टाटानगर तक चलाने की बात थी। हमारे एक साथी कह रहे थे कि धनबाद-टाटानगर स्वर्ण रेखा सप्ताह में छः दिन से बढ़ा कर प्रतिदिन की जाए। कुर्ला-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को और गोरखपुर-दरभंगा एक्सप्रेस को जयनगर तक बढ़ाने की बात थी। माननीय संसद सदस्यों की भावना को देखते हुए और रेलवे संसाधन की कमी को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस फैजाबाद, बनारस, बलिया के रास्ते से चलायी जाएगी। हमारे जो साथी फ़ैज़ाबाद की बात कह रहे थे और बलिया से चन्द्रशेखर जी और दूसरे लोग कह रहे थे कि वहां बड़ी लाइन हो गई हैं, इसलिए यहां सुपरफास्ट ट्रेन चलनी चाहिए, मैं समझता हूं कि इससे उनकी मनोभावना का निश्चित रूप से फायदा होगा। दरभंगा-जयनगर के बीच पैसेंजर शटल सेवाएं और सगोली-नरकटियागंज के बीच में पैसेंजर शटल सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। गया डेहरी-आन-सोन पैसेंजर शटल सेवा का गढ़वा रोड तक विस्तार किया जाएगा।

गुजरात के माननीय सदस्य जानकारी के अभाव में या मालूम नही दूसरे किसी कारण से नाराज हो रहे थे। मैं उनकी जानकारी के लिए बतला दूं कि पहली नई लाइन कपड़गंज-मोडासा है। इस लाइन की स्वीकृति 1978-79 में हुई थी। इसका मतलब आज से बीस साल पहले। अभी तक इसके ऊपर दो करोड़ रुपया खर्च हुआ। पहले पांच करोड़ रुपया रखा गया था। अब उसको बढ़ा कर दस करोड़ रुपया रखा है। मैं नहीं समझता कि 19 साल में ... *(व्यवधान)*

**श्री दिनशा पटेल** (खेड़ा) : 15 करोड़ रुपया रखने की बात थी।

**श्री राम विलास पासवान** : आप देख लीजिए कि दस करोड़ दिए हैं। यह योजना पहले फ्रोजन थी। 1994-95 में इसे डी-फ्रीज करके रेलवे द्वारा काम करवाया जा रहा हैं यह दिसम्बर 1999 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोधरा-इंदौर-देवास-मकसी स्वीकृति का वर्ष 1989-90 था। इसकी टोटल लम्बाई 316 किलोमीटर है। कुल लागत 597 करोड़ रुपए है। अभी तक इसके ऊपर 11 करोड़ रुपया खर्च हुआ हैं दो फंसीज में काम का प्लान है। मकसी से देवास काम चल रहा हैं दिसम्बर 1999 तक पूरा हो जाएगा। देवास से इन्दौर रेल लाइन पहले से है और इन्दौर से गोधरा, मकसी-देवास का काम बाद में शुरू किया जाएगा।

भीलडी-विरमगाम वाया मेहसाणा योजना की स्वीकृति 1991-92 में हुई थी। टोटल लम्बाई 157 किलोमीटर है अनुमानित लागत 155 करोड़ रुपए है। यह काम फ्रोजन है। इसका सिर्फ एक भाग विरमगाम से मेहसाणा बोल्ट के अधीन लिया गया था। और विरमगाम-मेहसाणा 67 किलोमीटर हैं यह पहले 'बोल्ट' के अधीन था, अब इसे रेलवे द्वारा चालू किया जा रहा है। इसकी लम्बाई 67 किलोमीटर है। इस पर 50 करोड़ रुपया खर्च होगा। 97-98 के बजट में दो करोड़ रुपये डाला गया हैं राजकोट-वेरावल। यह 94-95 का हैं। 155 किलोमीटर की लम्बाई है, 100 करोड़ रुपया इस पर खर्च है और अभी तक 6 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ था। इस बार के बजट में हमने 13 करोड़ रुपया रखा था लेकिन 13 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया इसके ऊपर कर दिया जायेगा।

गांधीधाम-भुज 1995-96 का हैं टोटल लम्बाई 58 किलोमीटर है जो अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपये का है। अभी इसको सितम्बर, 1996 में क्लीयरेंस मिला है, 31.3.97 तक 13 करोड़ रुपये था लेकिन खर्च केवल इसमें 1 करोड़ रुपये हुआ है। चूंकि पिछली बार खर्च नहीं हुआ, इसलिये मैंने दो करोड़ रुपये रखा था, बढ़ाकर 5 करोड़ करने का निर्णय लिया है लेकिन पिछला पैसा खर्च नहीं हुआ है, इसलिये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस दिशा में कार्यवाही की जाये। बाकांनेर-मालिया मियाना 95-96 का है। कुल लम्बाई 90 किलोमीटर है, अनुमानित लागत 79 करोड़ रुपये है। यह पहले 'बोल्ट' के अधीन था। यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे के द्वारा कराया जाये। इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 1999 रखा गया है।

सुरेन्द्रनगर-भावनगर-ढोला-ढांसा-महुआ-पीपवाव को 96-97 के पूरक बजट में लिया गया था। कुल लम्बाई 85 किलोमीटर और टोटल लागत 337 करोड़ रुपये है। सी०सी०ए० ने इसे पास कर दिया हैं सुरेन्द्रनगर-ढोला-पलिटाना तक पूरा गुजरात का पिपवाव पोर्ट अथारिटी देगा और ढोला-भावनगर एवं ढोला-पलिटाना रेलवे बनायेगी। पोर्ट अथारिटी ने धनराशि प्राप्त कराने हेतु ऑफर दे दी है और इसका काम 'बोल्ट' के नियम के समान होगा। अंकलेश्वर-राजपिपला जो नैरो गेज था, जो बारिश की वजह से 93-94 में बह गया था, इसी तरीके से झगड़िया-नेतरान-कौशम्भा-उमरपाड़ा और उसके बाद बादली से छोटा उदयपुर पहले रैस्टोरेशन के लिये मना कर दिया था लेकिन इसको बाद में हमने बजट में जोड़ लिया हैं वडोडरा स्टेशन के दूसरे छोर पर स्टेशन प्रवेश और बुकिंग कार्यालय बनाने की मांग मान ली है और इस कार्य को बजट में शामिल कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

धारांगधरा से खुदा नमक साइडिंग्र की बड़ी लाइन बदलने का काम गुजरात सरकार के नमक विभाग और केन्द्र सरकार की सांझेदारी में किया जाना हैं जैसे ही आपस में सहमति हो जाती है, यह काम शुरू कर दिया जायेगा। जो नये सर्वे का हमने आदेश दिया है उसमें गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन, भड़ौच-दहोद-वडोडरा नैरो गेज से ब्राड गेज का है गुजरात के माननीय सदस्यों को मालूम है कि अजमेर-अहमदाबाद आमान परिवर्तन होने के बाद कुछ यात्री सुविधाओं की व्यवस्था दिल्ली-

अहमदाबाद खंड पर की जायेगीं इसके अलावा दिल्ली-अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस साप्ताहिक चलाई जायेगीं इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं को शुरू करने का मैंने बजट में प्रस्ताव रखा था। सूरत-पटना एक्सप्रेस, सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस को सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर 5 दिन करना। माननीय सदस्यों एवं रेल समिति के संसाधनों को ध्यान में रखते हुये वेरावल-खिजरिया पैसेंजर का ढोला तक विस्तार किया जायेगा और जैसाकि हमने कहा अभी हम लोग 3 तारीख को कल अहमदाबाद जा रहे हैं जहां नई रेल लाइन बी०जी० का उद्घाटन किया जायेगा और उसके बाद राजधानी की बात कही गई है। यह इम्पार्टेंट लाईन है, उस पर सब गाड़ियां चलेगी लेकिन उद्घाटन करने के बाद धीरे-धीरे एक्सपैरिमेंट करेंगे। हमने स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर राजधानी ऐक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी और 15 अगस्त से की थी। यदि माननीय संसद सदस्यों की राय होगी तो हम बहुत जगह पर पहले भी चला देंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री दिनशा पटेल** : माननीय मंत्री जी, संसद सदस्यों को मालूम भी नहीं है कि आप कल जाने वाले हैं। हमें इनविटेशन नहीं मिला है।

**श्री राम बिलास पासवान** : मैंने गुजरात के ही नहीं, बल्कि गुजरात से दिल्ली आने के रास्ते में और दिल्ली के तमाम माननीय संसद सदस्यों को अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजा है। ...*(व्यवधान)*

**श्री दिनशा पटेल** : हमें नहीं बुलाया है।

**श्री राम विलास पासवान** : आपको नहीं मिला है तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैं लगातार कल से पेपर में भी दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

**श्री दिनशा पटेल** : आज का अखबार पढ़ लो आप।

**श्री राम विलास पासवान** : मैं पर्सनली आपको इनविटेशन दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)* हरियाणा। नयी लाइन। रेवाड़ी से रोहतक सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे आने के बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। रेवाड़ी से दिल्ली। यह काम 1995-96 के बजट में शामिल किया गया तथा 83 किलोमीटर लंबी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत 59 करोड़ रुपया आंकी गई है। 1997-98 के बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस लाइन पर लंबे समय से होने वाले कार्य, जैसे कि मिट्टी का कार्य, पुलों का कार्य इत्यादि शुरू किया गया है। आमान परिवर्तन का कार्य रेवाड़ी-सादुलपुर के साथ शुरू किया जाएगा जिससे कि मीटर गेज के यातायात में अड़चन नहीं हो। रेवाड़ी-सादुलपुर 1997-98 के बजट में शामिल हैं इसका अनुमानित खर्चा 110 करोड़ रुपया है। मंजूरी मिलने पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली से अंबाला-लुधियाना विद्युतीकरण। ये 1991-92 का है। इसमें 208 करोड़ रुपया खर्चा होने की संभावना है। अभी तक 187 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1997-98 के बजट में 20 करोड़ रुपया रखा है। दिल्ली से अंबाला तक का काम पूरा हो गया हैं दिसंबर 96 से गाड़ी चल रही है और अंबाला से लुधियाना का काम भी मार्च 97 में पूरा हो गया इसलिए यह काम पूरा हो गया।

कई साथियों ने जो मांग रखी है, उसमें सिरसा-अगरोहा-फतेहाबाद रेल लाइन के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है जिससे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा जो है जाखल से फतेहाबाद तक नयी लाइन के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। हरियाणा के माननीय संसद सदस्यों को मालूम है कि अजमेर-अहमदाबाद के आमान परिवर्तन हो जाने के पश्चात् कुछ यात्री सेवाओं की व्यवस्था दिल्ली अहमदाबाद खंड पर की जाएगी जिससे हरियाणा के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि गढ़ी हरस्वरूप-फर्रूखनगर पर रेल बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। माननीय संसद सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर-अमृतसर एक्सप्रेस हिसार के रास्ते से सप्ताह में दो बार चलाई जाए। हिसार-सादुलपुर के बीच पैसेंजर शटल ट्रेन चलाई जाए और हिसार-जाखल पैसेंजर का धुरी तक विस्तार किया जाएगा।

**श्री सत्यपाल जैन** (चण्डीगढ़) : हरियाणा के बारे में आपने कहा था कि चंडीगढ़ से जगाधरी होते हुए ...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : हिमाचल प्रदेश में नांगल डैम-ऊना-तलवारा नयी रेल लाइन। यह परियोजना 1981-82 में स्वीकृति हुई थी। इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये हो गई हैं इस परियोजना में 1997 तक 24.13 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई है जो नांगल से ऊना तक थी। ऊना से तलवारा तक 200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होगा। पहले समझौते के मुताबिक राज्य सरकार को जमीन देनी थी और स्लीपर भी देनी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जमीन और स्लीपर नहीं दिये जाने के कारण परियोजना को बंद कर दिया गया था। जुलाई 96 में जब मैं मंत्री बना तो जुलाई 96 में मैंने मुख्य मंत्री से बात की थी और आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को मद्देनज़र रखते हुए यदि राज्य सरकार सरकारी जमीन उपलब्ध करवा दे तो प्राइवेट जमीन को रेलवे खरीदकर और रेलवे स्लीपर देकर काम को शुरू कर देगी। मुख्य मंत्री तैयार हो गए और हमने 1996-97 के बजट के जवाब में इसकी घोषणा कर दी। लेकिन अभी तक न तो राज्य सरकार द्वारा सरकारी जमीन दी गई है न ही प्राइवेट जमीन के अधिग्रहण हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई है। हमने वर्ष 1997-98 के बजट में पांच करोड़ रुपया रखा है, लेकिन मुझको उम्मीद नहीं है खर्चा होगा। इसलिए मैं माननीय संसद सदस्यों को जहां विश्वास दिलाता हूं मैं वही आग्रह भी करता हूं कि राज्य सरकार से आग्रह करें कि आवश्यकता के मुताबिक जमीन तुरंत उपलब्ध करा दें, जिससे काम तत्काल शुरू किया जा सके।

*[अनुवाद]*

**श्री सत महाजन** (कागंड़ा) : सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि भूमि दे दी जायेगी।

**श्री राम विलास पासवान** : हमने कहा कि आप लोग शांति से सुन लीजिए, सब चीज पर है, लेकिन दिक्कत हो जाती है जब नहीं होता है। कालका-परवाणु यह परियोजना पांच किलोमीटर लम्बी साइडिंग है। परवाणु एक औद्योगिक क्षेत्र है। इस परियोजना की लागत 20 करोड़ रुपया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के खर्चे पर इसका सर्वेक्षण 1994 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई थी। अभी

[श्री राम विलास पासवान]

तक जो नियम है उस नियम के मुताबिक साइडिंग वर्क डिपॉजिट के द्वारा होता हैं जो पार्टी चाहती है वह पैसा देकर कराती है। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश और माननीय संसद सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए विशेष मामले में हमने इस परियोजना को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है और कालका से परवाणु तक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है। जिसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। भानुपल्ली से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सरकार रेलवे तथा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सहयोग से इस परियोजना को पूरा किया जाना है। इसके लिए एक नया कारपोरेशन खोला जायेगां जो सतलुज वैसी रेलवे कारपोरेशन के नाम से जाना जायेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव इस कार्य को देख रहे हैं और अभी तक तीन मीटिंगें हो चुकी है। पिछली मीटिंग मार्च 1997 में हुई थी। कारपोरेशन का लैवल ढांचा बनाया जा रहा है और जैसे ही ढांचा बन जायेगा, काम शुरू हो जायेगा। पठानकोट-जोगिन्दरनगर वाया कांगड़ा आमान परिवर्तन जोगिन्दरनगर से विलासपुर तक नई रेलवे लाइन की मांग संसद सदस्यों ने की है।

**श्री सत महाजन** : यह तो आमान परिवर्तन की है।

**श्री राम विलास पासवान** : हां, इसका सर्वेक्षण चल रहा है और संसद सदस्यों की मांग पर जुलाई 1997 तक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। ···*(व्यवधान)* जम्मू-कश्मीर में एक है, जम्मू-ऊधमपुर जो 1981-82 की परियोजना है, टोटल लम्बाई 53 किलोमीटर, अनुमानित खर्च 326 करोड़ 31.3.97 तक खर्च 235 करोड़ रुपये 1997-98 में हमने रखा है 29 करोड़ और यह काम पूरा होगा 31.12.99 तकं इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां रास्ते में तीन पुल और एक टनल, गुफा जो है वह बनना है। कुछ दिन तक जो लॉ एंड ऑर्डर का प्राब्लम था, जिसमें ठेकेदार वगैरह से जबरदस्ती पैसा वसूला जाता है। यह भी उसके विलम्ब का कारण रहा है।

**श्री चमन लाल गुप्त** : पिछली बजट स्पीच में आपने कहा था कि यह दिसम्बर 1997 तक कंप्लीट हो जायेगा। यह आपकी बजट स्पीच का एक हिस्सा हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो आप कह रहे हैं तो उस समय तक आप इसे पूर्ण नहीं कर पायेंगे।

**श्री राम विलास पासवान** : आप तो ऊधमपुर में मेरे साथ थें आप वहां के संसद सदस्य हैं। आप खुद देख रहे है कि 326 करोड़ में से 235 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं। अब तीन पुल और एक सुरंग बननी है। आप जितनी भी जल्दी काम करवा सकते हैं, कराइये, जितने पैसे की जरूरत हैं वह हम दे देते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप इसे दिसम्बर 1997 तक करवा दीजिए। आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए। हम उसके लिए भी तैयार है। पैसा देना हमारा काम है ···*(व्यवधान)* आप इसको सुनिये वहां पर काम नहीं होता था। वहां पर ठेकेदार को काम नहीं करने देते थे, ठेकेदार से जबरदस्ती पैसा वसूला जाता था।

**श्री पी० नामग्याल** (लद्दाख) : सर, एक प्वाइंट हाउस में रेज किया गया है कि बारामूला से क़ाजीगुन्ड तक रेल लाइन बिछानें का मामला है।

شری پی ۔ نامگیال (لدّاخ) : سر ایک پوائنٹ ہاؤس میں ریز کیا گیا ہے کہ بارہ مولا سے کاجوکوٹ تک کا معاملہ ہے ۔

**श्री राम विलास पासवान** : उस पर अभी कह रहा हूं। एक उधमपुर-श्रीनगर और बारामूला का मामला हैं इसकी मंजूरी वर्ष 1996-97 हैं। इसकी कुल लम्बाई 290 किलोमीटर है। 75 करोड़ रुपये हमने 1997-98 के लिए रखा है। भूमि अधिग्रहण के पेपर्स राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। ऊधमपुर मे जाकर हम लोगों ने उसका उद्घाटन कर दिया है।

**अपराह्न 4.00 बजे**

फिर मई में हम लोग बारामूला और काजिगुंड, दोनों जगहों पर जाकर उद्घाटन करेंगे और चाहेंगे कि तीनों जगह काम शुरू हो जाए जिससे कि भविष्य में उसे कोई रोक न पाए।

**श्री चमन लाल गुप्त** (ऊधमपुर) : मैंने जालंधर से जम्मू तक डबल लाइन ट्रैक बनाने की मांग की थी, वह एक मेन प्रोजैक्ट था, लेकिन उसमें क्या प्रगति हुई, वह आपने नहीं बताई। ···*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : इतने प्रोजैक्ट हमें कहां तक याद रहेंगे लेकिन माननीय सदस्यों ने जम्मू से राजौरी होते हुए पुंछ तक एक नई रेलवे लाइन की डिमांड की थी, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि जम्मू-राजौरी-पुंछ रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का आदेश हमने दे दिया है, उसका सर्वेक्षण हो रहा है तथा इसे प्रमुखता दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगे की कार्यवाही की जाएगी ···*(व्यवधान)* मंदारी-हिल लाइन के बारे में उसके वाया को चेंज करने का प्रश्न है, जिस पर हम बैठकर विचार करेंगे कि क्या हो सकता है।

कर्नाटक में कोटूर-हरिहर 65 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य 1995-96 के बजट में शामिल किया गया था, जिसकी लागत 66 करोड़ रुपए है। इसके फाइनल लोकेशन सर्वे और भूमि अधिग्रहण के कागजात तैयार किए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण होने के बाद, काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद मुनीराबाद से महबूबनगर लाइन ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री के०सी० कोंडय्या** (बेल्लारी) : कोटरू—हरिहर लाइन कब तक पूरी हो जाएगी ?

**श्री राम विलास पासवान** : जैसे ही भूमि अधिग्रहित हो जाती है, हम कोइ तारीख निर्धारित कर देगें।

**श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या भूमि अधिग्रहण के कागज तैयार है?

**श्री राम विलास पासवान** : भूमि अधिग्रहण के बाद काम शुरू हो जाएगा। अभी काम इस लिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

मुनीराबाद-महबूबनगर 222 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाइन का कार्य

1997-98 के बजट में शामिल किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 388 करोड़ रुपए है। यह कार्य उचित मंजूरी मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। कोडूर-चिकमंगलूर 100 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य 1996-97 के बजट में शामिल किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 157 करोड़ रुपए है। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, इसके फाइनल लोकेशन सर्वे तथा भूमि अधिग्रहण के कागजात तैयार किए जा रहे हैं और भूमि मिलने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हसन-मंगलौर 166 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य 1996-97 के पूरक बजट में शामिल किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 295 करोड़ रुपए है। इस कार्य के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे तथा भूमि अधिग्रहण के कागजात तैयार किए जा रहे हैं। भूमि मिलने पर इस लाइन का कार्य शुरू हो जाएगा। बंगलौर-सत्-मंगलम 200 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपए है। हुबली-अंकोला 164 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य 1996-97 के पूरक बजट में शामिल किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 480 करोड़ रुपए हैं इसके लिए केबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है और फाइनल लोकेशन सर्वे तथा भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। हॉस्पेट-हुबली-गोआ 489 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य 1992-93 में शुरू किया गया था जिसका अमान परिवर्तन का कार्य 522 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हाल ही में मुकम्मल हो गया है। अब हॉस्पेट से कॉसल-रॉक तक गाड़ी चल रही हैं कॉसल-रॉक से वास्को तक सवारी गाड़ी चालू कर दी गई है तथा सी०आर०एस० से मंजूरी लेने के बाद शेष भाग में सवारी गाड़ी चालू कर दी जाएगी।

बंगलौर-हुबली-बिरूर-शिमोगा-तालगुप्पा 469 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का कार्य 1992-93 में प्रारम्भ किया गया था जिसे 412 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पूरा कर लिया गया हैं शिमोग-तालगुप्पा सैक्शन पर आमान परिवर्तन करके, मैटीरियल में मौडिफिकेशन के तौर पर इसकी मंजूरी दी गई है और आने वाले वर्षों में इसके शेष कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। असीकेरे-हसन-मंगलौर 236 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का कार्य 1994-95 के बजट में शामिल किया गया था जो 185 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होना हैं इस लाइन पर असीकेरे-हसन कार्य पूरा हो गया हैं तथा उस पर गाड़ी चल रही है और हसन से सकलेशपुर तक का कार्य जून, 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा शेष कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा।

येलाहंका-चिकबालापुर और बांगरपेट-कोलार रेल लाइन का कार्य 1994-95 के बजट में शामिल किया गया था जिसकी अनुमानित लागत सत्तावन करोड़ रुपए आंकी गई हैं इसके येलाहंका-चिकबालापुर सैक्शन पर कार्य पूरा कर लिया गया है तथा बांगरपेट-कोलार लाइन मई, 1997 में शुरू कर दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**श्री पी० कोंदडा रमैया** (चित्रदुर्ग) : महोदय, आप चिकबालापुर-कोलार आमान परिवर्तन के बारे में नहीं कह रहे। इस बारे में कुछ नही कहा गया। सिंगल लाइन बंगलोर से के०जी०एफ० तक हैं दो क्षेत्रों पर कार्य किया गया है और मध्य के क्षेत्र को छोड़ दिया गया है ···*(व्यवधान)* तुमकुर-दावणगेरे लाइन के संबंध में सर्वेक्षण किया जा चुका है।

**श्री राम विलास पासवान** : पहले मुझे कर्नाटक की सभी परियोजनाओं की बात पूरी करने दीजिए।

**श्री पी० कोंदडा रमैया** : मैं केवल एक मिनट ही बोलूंगा। नई लाइनों का काम शुरू किया जा रहा है। तुमकुर-दावणगेरे सर्वेक्षण के संबंध में एक पुरानी रिपोर्ट हैं। यह एक साइड लाइन है। ···(व्यवधान)

**श्री पी०आर० दासमुंशी** (हावड़ा) : सभी मामले विश्व बैंक को भेज दिए जाएंगे। ···*(व्यवधान)*

**श्री पी० कोंदडा रमैया** : महोदय आप व्यक्तिवों की बात कर रहे हैं सिद्धान्तों की नहीं । ···*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : मैसूर-हासन लाइन : यह काम 1995-96 के बजट में शामिल किया गया था। 119 किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 116 करोड़ रुपए है। हासन से होलेनरसिपुर का काम पूरा हो चुका हैं गाड़ी चल रही है। होलेनरसिपुर से मैसूर का काम इस वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

मैसूर-चामराजनगर-आमान परिवर्तन तथा मैट्टपलियम तक विस्तार : यह का कार्य 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। इसकी लंबाई 210 किलोमीटर है और लागत 175 करोड़ रुपए है। यह नया काम है और उचित मंजूरी मिलने के बाद प्रारंभ किया जाएगा।

सोलापुर-गडग : यह कार्य 1993-94 के बजट में शामिल किया था। 300 किलोमीटर लंबे आमान परिवर्तन पर 208 करोड़ की लागत आएगी। यह काम दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में होतगी-बीजापुर सितंबर, 1997 में पूरा किया जाएगा और बाकी दिसंबर 1998 में पूरा किया जाएगा।

बैंगलौर-कंगौरी-कबली : यह काम 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है। 12 किलोमीटर के दोहरीकरण का खर्चा 24 करोड़ रुपए है। कार्य शुरू किया गया है, परन्तु कुछ सांसदों के सुझाव मिले कि इसका खंड मैसूर तक बढ़ा दिया जाए। इसलिए सर्वे हाथ में लिया जा चुका है जिससे मालूम हो जाए कि क्या सुविधाएं कहां पर प्रदान करने की जरूरत है, जो आवागमन के लिए सक्षम हो जाए।

कंगेरी-रामनगरम : 45 करोड़ रुपए की लागत से यह काम 1997-98 के बजट में शामिल किया गया हैं उचित मंजूरी मिलने के बाद यह काम प्रारंभ किया जाएगा।

बंगलौर सिटी-कृष्णराजपुरम : 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। इस पर 85 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा है। उचित मंजूरी मिलने के बाद यह काम प्रारंभ किया जाएगा।

हासपेट-गुंटकल : 1996-97 के बजट में शामिल किया गया है और इस 175 किलोमीटर लंबी लाइन पर 105 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

[श्री राम विलास पासवान]

व्हाइटफील्ड-कुप्पन : यह काम 1993-94 में प्रारंभ किया गया। इसकी लागत 105 करोड़ रुपए हैं। इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पहले चरण का काम व्हाइटफील्ड-मैलूर तक का मई 1997 में पूरा किया जाएगा। शेष काम नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है।

विद्युतीकरण : रेणीगुंटा-गुंटकल-हौसपेट-हौर्ससोनूर-रंजीतपुरा : यह काम 1992-93 में शामिल किया गया था। 448 किलोमीटर लंबी लाइन का विद्युतीकरण 177 करोड़ रुपए के खर्च पर मंजूर हुआ था, पर संसाधनों की कमी की वजह से इस कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया गया और कुछ चल रहे प्रोजैक्टों के मुकम्मल होने के पश्चात इस काम को शुरू किया जाएगा।

कर्नाटक के माननीय सदस्यों को मालूम है कि बंगलौर-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में दो बार कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने अपने बजट भाषण में निम्नलिखित यात्री सेवाओं की घोषणा की थी-वास्को-बंगलौर एक्सप्रैस, बंगलौर-निजामुद्दीन स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रैस हुबली के रास्ते और बंगलौर-कोयम्बतूर शताब्दी एक्सप्रैस। माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैंगलौर-कुड़ापुरा पैसेंजर का कोंकन रेलवे के कानापौना तक विस्तार करने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

केरल : अंगमाली-शबरामलाई : यह कार्य 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। 116 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर 550 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्य को मंजूरी मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। सी०सी०ए० क्लियरेंस जो कहा था स्टैंडिंग कमेटी ने। सी०सी० ए०, एक्सपेंडीचर बोर्ड यह इनका। उसके बाद रमेश चेन्नितला जी शुरू की एक लाइन की मांग कर रहे हैं जो आंगनमाली से शबरीमलआ है। एक और दूसरा कोट्टायम से शबरीमलआ है तो उस संबंध में उसका सर्वे का आदेश दे दिया गया है और सर्वे के आदेश आ जाने के बाद उस काम की दिशा में आगे बढ़ा दिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

**श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम)** : सर्वे की रिपोर्ट आ गयी है।

**श्री राम विलास पासवान** : ठीक है। मैं आपके माननीय संसद सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक ही जगह के लिए कभी-कभी आ जाता है। गुरूव्यूर है या आपका शबरीमलआ है। एक ही जगह के लिए तीन-तीन रूट, आंगनमाली से शबरीमलआ है। कोट्टायम से शबरीमलआ है। पुनलूर से ऐरीमेली होते हुए शबरीमलआ है। यह जो उसमें बहुत हैं। हालांकि ...*(व्यवधान)* शबरीमलआ बहुत बढ़िया हैं आपको प्रत्येक साल जाना ही चाहिए। क्विलोन, तिरिंचेन्दूर-तेनकासी, विरूद्धनगर का आमान परिवर्तन। लाइन, लम्बी लाइन के आमान परिवर्तन पर 280 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। यह नया कार्य है और अभी सी०सी० ए०ए० की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। उचित मंजूरी मिलने पर इस काम को शुरू किया जायेगा।

मंगलौर से शौरानूर दोहरीकरण। यह कार्य 1995-96 के बजट में शामिल किया गया। 277 किलोमीटर लम्बी लाइन के दोहरीकरण पर 300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। 37 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 1997-98 के बजट में 9 करोड़ रुपये मैंने दिया था जिसे माननीय संसद सदस्यों के आग्रह पर, पुरजोर मांग पर बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जा रहा है। फिफ्टी करोड़ रुपये। आप इंगलिश समझते हैं। ...*(व्यवधान)* फिफ्टी करोड़ रुपये कहने पर आपने ताली बजाई लेकिन 50 करोड़ रुपये पर नहीं बजाई।

इस खंड पर 31 स्टेशन्स हैं जिसमें 4 स्टेशन के बीच दोहरीकरण जून 1997 तक पूरा हो गया है जिसकी लम्बाई 29 किलोमीटर है। पूरी लाइन का दोहरीकरण 1999 तक पूरा होने का लक्ष्य है। कुट्टीपुरम-गुरूव्यूर, यह 36 किलोमीटर लाइन को वर्ष 1994-95 में 30 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गयी थी। अभी इसमें फाइनल लोकेशन की सर्वे की जा रही है क्योंकि इसके चार रूट सामने में स्टेशन के रूप में आये हैं जिसमें पहला जो है, वह गुरूव्यूर से कुट्टीपुरम। दूसरा है गुरूव्यूर से तानूर। तीसरा है गुरूव्यूर से तिरूर। उसी में एक वाया है कोस्टल और दूसरा वाया है हीटरलैंड। इन सबका संसद सदस्यों के आग्रह पर हमने सबका सर्वे का आदेश दे दिया है।

त्रिवेन्द्रम से किलोन। यह कार्य 1990-91 में बजट में शामिल किया गया था। इस पर पहले लागत 99 करोड़ रुपये की है जिसमें से 36 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 2 करोड़ रुपये बजट में रखे गये थे जिसे माननीय संसद सदस्यों से विचार-विमर्श करने के बाद 15 करोड़ रुपये कर दिया मया हैं यह कार्य राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की धीमी गति के कारण, धीमी गति से चल रहा है। त्रिवेन्द्रम से कोचीवेली लाइन का काम जून, 17 1997 में पूरा कर लिया जायेगा और बाकी की लाइन का लक्ष्य भूमि मिलने पर तय कर दिया जायेगा।

*[अनुवाद]*

जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी उसके दो वर्षों के अंदर वह काम पूरा हो जाएगा। परन्तु यह भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

*[हिन्दी]*

ईरोड पालघाट-ऐरनाकुलम में विद्युतीकरण। यह कार्य 1992-93 के बजट में शामिल किया गया। 324 किलोमीटर ...*(व्यवधान)* नहीं हम तो लॉस्ट टाइम भी सुनते तो इसी तरीके से कहा जाता लेकिन टाइम का अभाव है। यह कार्य 1992-93 के बजट में शामिल किया गया। 324 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 151 करोड़ रुपये आएगा। यह कार्य शौरानूर तक पूरा हो चुका है। शौरानूर से ऐरनाकुलम तक कार्य चल रहा है और कार्य भी जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य बना लिया जायेगा। दोहरीकरण की जो मांग है, ऐरनाकुलम से कायनकुलम। ऐरनाकुलम से कायनकुलम तक डबलिंग का निर्णय ले लिया गया है। हमने फैसला किया है मंगलौर से ऐरनाकुलम तक डबल लाइन हो रही है। कायनकुलम से त्रिवेन्द्रम तक भी डबल लाइन हो रही है। बीच में ऐरनाकुलम से कायनकुलम तक दोनों और बिजी है। एक और वाया एलपी और दूसरा वाया कोट्टायम। हमने दोनों तरफ सर्वे का आदेश दिया है। उसमें से जो भी फौज़िबल होगा, उसपर हम विचार करेंगे। सानूर से इर्णाकुलम-ऐरापल्ली तटिया लाइन के सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और उसपर आगे कार्यवाही की जाएगी। इर्णाकुलम से कायमकुलम दोहरीकरण की मांग केरल के माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैंने अपने बजट भाषण

में निम्नलिखित यात्री सेवा की घोषणा की थी। कोचीन-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रैस का तिरूवत्रंतपुरम तक विस्तार, मैंगलोर-मंगला एक्सप्रैस का कोंकण रेल के रास्ते इर्णाकुलम तक विस्तार। माननीय सदस्यों की मांगों और रेल के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित एक्स्ट्रा यात्री सुविधा सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। निज़ामुद्दीन-इर्णाकुलम एक्सप्रैस साप्ताहिक और कोल्लम-मदुरई के बीच डायरैक्ट ट्रेन। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : (मवेलीकारा) : आप इसे केवल एर्नाकुलम तक ही क्यों बढ़ा रहे है ? आप इसे त्रिवेन्द्रम तक क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं ?

**श्री राम विलास पासवान** : हम कोशिश करेंगे।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : आप कृपया इसका विस्तार बरास्ता कोट्टायम करें।

**श्री राम विलास पासवान** : कृपया ऐसी शर्त न रखें क्योंकि इससे समस्या खड़ी हो जाएगी और आप तीनों खड़े हो जाएंगे।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : इससे हम सभी सहमत हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : अगर आप सभी सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अगर कोई आपत्ति करता है तो हमें सोचना पड़ेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज सिंह** (विदिशा) : मध्य प्रदेश के मामले में कंजूसी मत कीजिए।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : केरल में जिस लाइन का सर्वे हो रहा है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। सर्वे आर्डर किया है, आपकी फाइल में होगा।

**श्री राम विलास पासवान** : अभी निर्णय लिया है। उसपर अभी बोल रहे हैं।

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : मैं तो इधर बैठा हूं फिर भी आप भूल जाते हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : आपको कभी भूलते हैं ?

गुना-इटावा वाया शिवपुरी-ग्वालियर-भिंड 1985-86 की योजना है। 348 किलोमीटर लम्बी हैं अभी तक 170 करोड़ रुपये इसमें खर्च हो चुके हैं। 1997-98 के बजट में 14 करोड़ रुपये रखे गए हैं और भविष्य में इस राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। गुना-खजूरी और परिहार-ग्वालियर-शनिचरा का काम पूरा हो गया है। एनिहार से खजूरी दिसम्बर 1998 तक पूरा होगा। शनिचरा से भिंड आमान परिवर्तन और भिंड से इटावा तक का काम जारी है। शनिचरा से भिंड दिसम्बर 1998 तक पूरा होगा। भिंड से इटावा के बीच क्योंकि दो बड़े-बड़े पुल चम्बल और यमुना नदी पर हैं, इसलिए इसमें और समय लगेगा और नौंवी योजना में इसे पूरा किया जाएगा। इटावा से मेनपुरी तक का भी हमने बजट में शामिल करने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए भी सर्वे का आदेश दे दिया गया है। जल्दी ही सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। दल्ली-राजहरा से जगदलपुर नई रेल लाइन, 1995-96 की योजना है। 135 किलोमीटर लम्बी है, 360 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्चा है। रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मध्य प्रदेश की सरकार, तीनों की भागीदारी से इस काम को पूरा करना है। इसमें रेलवे की भागीदारी 128 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश सरकार का 27 करोड़ रुपया और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का 241 करोड़ रुपया है। अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक क्लीयरैंस नहीं मिली है। वैसे मैमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो चुका है। ललितपुर-सतना-दीवा-सिंगरौली 1997-98 के बजट में रखी गई है। यह 627 किलोमीटर लम्बी है, 925 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।

**कुमारी उमा भारती** (खजुराहो) : कब तक हो जाएगा, यह बताइए। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : आपके नेता श्री राम नाईक ने रख दिया है कि जब तक सी०सी०ई० पास नहीं करेगा, प्लानिंग कमिशन में नहीं आएगा ...*(व्यवधान)* स्टैंडिंग कमेटी का चाबुक लगा दिया है, हम क्या करें।

**कुमारी उमा भारती** : अब मंजूरी में कितना समय लगेगा ?

**श्री राम विलास पासवान** : जल्दी करवायेंगे। आप लोगों के प्रयास से जब इतनी तेजी से यह इतना काम हो गया तो वह भी काम जल्दी से हो जायेगा। ...*(व्यवधान)* गोधरा-इन्दौर-देवास-मक्सी, यह लाइन 1989-90 के बजट में जोड़ी गई थी। इसकी लम्बाई 316 किलोमीटर और इसकी लागत 597 करोड़ रुपया है। देवास-मक्सी सैक्शन में कार्य चल रहा हैं अभी तक 11 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। देवास-मक्सी का कार्य दिसम्बर, 1999 में पूरा करने का लक्ष्य है। इन्दौर-गोधरा बाद में शुरू करेंगे।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** (झाबुआ) : यह प्रोयरटी पर लीजिए, मंत्री जी। आप इधर से इसका शिलान्यास करवाइये।

**श्री राम विलास पासवान** : इस बार अभी तो तीन करोड़ रुपया डाल दिये हैं, इसको और भी करेंगे। अभी आपसे बातचीत तो हुई ही थी न।

नीमच-रतलाम आमान पविर्तन, यह कार्य 1993-94 के बजट में जोड़ा गया। 135 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 116 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। इन लाइन के नवीं योजना के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य है, कयोंकि रतलाम खंडवा के आमान परिवर्तन होने तक इस मीटर गेज को रखना आवश्यक है, उसमें एक करोड़ रुपया अभी हमने रखा था। एक करोड़ बढ़ाकर उसको दो करोड़ करें। जबलपुर-गोंदिया-बालाघाट-कटंगी आमान परिवर्तन, यह कार्य 1996-97 के पूरक बजट में शामिल किया गया था।

**श्री सुन्दर लाल पटवा** (छिन्दवाड़ा) : मंत्री जी, रतलाम और नीमच के बीच में जो काम अधूरा पड़ा है, आप तो खंडवा और इन्दौर चले गये, पर कोटा से चित्तौड़ और नीमच तक हो गया और नीमच से रतलाम तक का जो काम शुरू है, उसमें फिर ढील हो गई, तो उसमें ढील क्यों की आपने, जो काम चल रहा था ?

**अपराह्न 4.22 बजे**

**[श्री पी०सी० चाक्को** *पीठासीन हुए*]

**श्री राम विलास पासवान** : इसके ऊपर हम चल रहे हैं। नीमच से रतलाम का भी हम बोले न। नीमच रतलाम 1993-94 के बजट में जोड़ा गया था और 135 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 116 करोड़ रुपया खर्च होने का इसमें अनुमान लगाया गया था। चार साल में इसपर अभी तक केवल दो करोड़ रुपया खर्चा हुआ चार साल में। दो करोड़ रुपया दिया गया। इसको बिल्कुल ही तो प्रायरटी में रखा गया था कि इसमें इसलिए भी रखा गया था, चूंकि इसमें कहा गया था कि रतलाम खंडवा के आमान परिवर्तन जब तक नहीं होता है, तब तक मीटरगेज रखना भी जरूरी है, लेकिन हमने इस वर्ष में जहां चार साल में दो करोड़ रुपया दिया गया, वहां हमने इस वर्ष इसमें पांच करोड़ रुपया रखा है और हम देखेंगे, जो आपकी भावना है, उसके मुताबिक इसमें जल्दी से जल्दी शुरू करवाएंगे।

**श्री सुन्दर लाल पटवा** : रतलाम तक पूरा कराने में कोई दिक्कत नही है।

**श्री राम विलास पासवान** : नहीं, सब में पैसा जितना है, उतना ही दे रहे हैं। जबलपुर-गोंदिया-बालाघाट-कटंगी आमान परिवर्तन, यह काम 1996-97 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। 285 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 356 करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसका क्लियरेंस अभी-अभी हो गया है और कार्य शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। दस करोड़ रुपया इसमें देंगे। दोहरीकरण ···*(व्यवधान)*

**श्री प्रह्लाद सिंह** (सिवनी) : मंत्री जी, जबलपुर-गोंदिया वाले में जो जानकारी है कि गोंदिया की तरफ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या जबलपुर की तरफ से स्टार्ट करने में कोई कठिनाई है क्या ?

**श्री राम विलास पासवान** : हमको मालूम नहीं हैं, हम बात कर लेंगे। हातिमपुर-घेर, दोहरीकरण कार्य में चम्बल नदी पर नया पुल बनाया जा रहा हैं। इसकी लागत 32 करोड़ रुपया है, जिसमें 27 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है और दो करोड़ रुपया इस साल के बजट में रखा गया है। यह कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूरा कर दिया जायेगा। इसमें पैसे का कोई कारण नहीं है, बल्कि चम्बल एरिया में जो काम करने में जमीन वगैरह की जो कठिनाई हो रही है, वह इस काम में विलम्ब का कारण है। पैसा इसमें विलम्ब का कारण नहीं है।

उरकुरा-रायपुर-सरोना, यह 11 किलोमीटर दोहरीकरण का काम, लागत 12 करोड़ रुपये है। इस वर्ष के दौरान चार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह काम मार्च, 1997 तक उरकुरा-रायपुर के दौरान और मार्च, 1998 तक बाकी सैक्शन का काम पूरा कर दिया जायेगा। अकलतरा-चांपा, यह 25 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 40 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इसमें 16 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं। इस बार हमने पांच करोड़ रुपये रखे हैं। यह कार्य 31 दिसम्बर, 1998 को पूरा हो जाएगा। कोरबा-सरगबूंदिया 15 किलोमीटर लम्बी लाइन है। इस पर 22 करोड़ रुपये खर्च आएंगे और पांच करोड़ रुपये खर्च कर लिए हैं। यह कार्य सितम्बर, 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिलासपुर-उरकुरा थर्ड लाइन 1997-98 का नया कार्य है। बजट पास होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इस पर कुल लागत 152 करोड़ रुपये की है। चांपा-सरगबूंदिया थर्ड लाइन का कार्य 1997-98 का नया काम हैं बजट पास होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इस पर कुल लागत 40 करोड़ रुपये हैं सरोना-बोलई तीसरी लाइन हैं यह 1997-98 का नया कार्य है। बजट पास होने के बाद यह शुरू किया जाएगा। इसकी लागत 33 करोड़ रुपये है और अभी एक लाख करोड़ रुपये है।

**कुमारी उमा भारती** : इसमें सी०सी०ए० की दिक्कत नहीं आएगी, केवल मेरे वाले में आ रही है।

**श्री राम विलास पासवान** : आपकी नई लाइन है। आप पर भी सी०सी०ए० आ जाएगा।

**कुमारी उमा भारती** : 20 मई के पहले हम आपसे शिलान्यास करा लेंगे।

**श्री राम विलास पासवान** : जब इतनी मेहनत की है तो सी० सी०ए० में क्यों नहीं करेंगे। पीरमरोड़-बेलचा एवम् बोलई अकोडिया पर 27 करोड़ रुपये की लागत पर अभी-अभी पूरा कर लिया है। कालापीपल-फंदा 41 किलोमीटर लम्बी लाइन के दोहरीकरण की लागत 53 करोड़ रुपये है। यह काम बंद किया गया है, क्योंकि प्रचालनिक दृष्टि से इसकी जरूरत कम महसूस हुई है। बोलई-काली सिंध-बेची एवम् पीरमरोड़ की 20 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण की लागत 49 करोड़ रुपये की होगी। अभी तक इस पर एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस साल के बजट में दो करोड़ रुपये रखे गए हैं चार ब्लाक सेक्शन पर काम शुरू किया जा रहा है। हम जब वहां गए थे तो काफी माननीय संसद सदस्यों ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विश्रामपुर से अम्बिकापुर तक नई लाइन की मांग की थी। इसको हमने स्वीकार कर लिया है।

इसी तरह से ललितपुर से सिंगरौली जो लाइन जाती है, वह खजुराहो के रास्ते से जाती है और खजुराहो से मोहवा तक भी माननीय संसद सदस्यों की पुरजोर मांग थी, उसको भी हमने स्वीकार कर लिया है।

**कुमारी उमा भारती** : उसमें सर्वे होने का स्वीकार किया है ?

**श्री राम विलास पासवान** : सर्वे नहीं है, लाइन को स्वीकार कर लिया हैं जो आवश्यक औपचारिकताएं है, वे पूरी कर ली जाएंगी। उसकी आपको भी जरूरत है, सबको जरूरत है। बिलासपुर से जबलपुर की मांग बहुत हो रही थी, उसको सर्वे में जोड़ा है और सर्वे का आदेश दे दिया है। दूसरा रायपुर-चंतारी-रजिम का आमान परिवर्तन एवम् बालोट तक बढ़ाने की सर्वे की मांग जो चल रही थी, उसका भी सर्वे का आदेश दे दिया है। इंदौर-नसरुल्लागंज होते हुए बुधनी तक का सर्वे का आदेश भी दे दिया है।

**श्री पुन्नू लाल मोहले** (बिलासपुर) : बिलासपुर-जबलपुर का सर्वे हो चुका है।

**श्री राम विलास पासवान** : यदि सर्वे हो गया होगा तो योजना आयोग को भेज देंगे। मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों के पत्र आए उसमें लिखा था कि सर्वे कराया जाए। लेकिन जिसका सर्वे हो गया होगा उसको योजना आयोग के पास भेज देंगे।

सुंदर लाल पटवा जी ने नागपुर से छिंदवाड़ा-पर्सिया तक नैरोगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में परिवर्तन करने के लिए सर्वे के लिए लिखकर आग्रह किया है, उसके सर्वे का आदेश देंगे। उसमें आपने सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का भी कहा है जो भोपाल से बारां के बीच चले, उसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम बातचीत करके फिर आपको पत्र लिखेंगे।

मध्य प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों को मालूम है कि मैंने अपने बजट भाषण में दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की थी, जो राज्य सरकार को भी प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त हावड़ा-सिंगरौली शक्तिपुंज एक्सप्रेस को जबलपुर तक बढ़ाने का निर्णय किया गया था। माननीय सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त रेल सेवाएं प्रारम्भ करने का मैं प्रस्ताव करता हूं इंदौर-जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस, दैनिक यात्रियों के लिए ग्वालियर पैसेंजर, वीना-कटनी और कटनी-मैंहर पर डी०एम०यू० सेवाओं का मैं प्रस्ताव करता हूं। ...*(व्यवधान)*

**एक माननीय सदस्य** : मंत्री जी, मालवा एक्सप्रैस को गुना से होकर दो दिन चलवा दीजिए। बहुत जोरो से मांग हो रही है। ...*(व्यवधान)* वहां पर प्रदर्शन की नौबत आ रही है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : एक समय में कृपया एक ही सदस्य बोलें। पहले उनकी बात सुनिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : जो चीज हम लाए हैं, रेलवे बोर्ड की सहमति तथा सबसे बातचीत

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : ऐसे नहीं चलता है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण पूरा कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : अभी तुरंत ही माननीय सदस्य कुछ कहेंगे तो भी उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं रह सकती हैं। ...*(व्यधवान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : बहुत हो गया। यह आश्वासन सभा में दिया गया था। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आखिर आप क्या चाहते हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री अशोक शर्मा** (राजनंदगांव) : मंत्री जी, अपने सारनाथ एक्सप्रैस को डोंगरगढ़ से छपरा करने का आश्वासन दिया था। मैंने संसद में भी इसी बजट सत्र की 13 तारीख को अपनी बात भी रखी थी। पूरे सांसदों के साथ मैं मिलने गया था। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि इसको हम बढ़ाएंगे। दुर्ग से डोंगरागढ़ चूंकि 61 कि०मी० की दूरी है और पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कवर होता है। आज मैं इसी के संबंध में निवेदन करूंगा। आज निश्चित रूप से इसकी घोषणा की जाये। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : यदि आश्वासन दिया है तो पूरा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण पूरा करें।

*[हिन्दी]*

**श्री पुन्नू लाल मोहले** : माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिलासपुर के बारे में बताएं। हम जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : माननीय सदस्य सारी चीज जानते हैं। लेकिन पता नहीं है जब जब भी बातचीत होती है, आप बिलासपुर जोन के संबंध में हमेशा कहते हैं। आप जानते हैं कि जब भी पार्लियामेंट बंद होता है, हम आप सबके साथियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डायरी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर भी एक ही बात को बार-बार कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी चीज है, हम आपके साथ बातचीत करके और साथियों के साथ बातचीत करके कर रहे हैं।

**श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या प्लानिंग कमीशन के पास इसको भेज दिया है ? हम यही जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया समझे। वह इसे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : अमरावती-नरखेड़ को 1993-94 के बजट में शामिल किया गया है। इस लाइन की लम्बाई 138 कि०मी० है और इस पर लागत 182 करोड़ रुपए है। 11 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और इस बार के बजट के लिए दस करोड़ रुपया उसमें रखा गया है। अहमदनगर बीड-पारली-बैजनाथ, यह 250 कि०मी० लम्बी लाइन है और इस पर 35 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह 1995-96 के बजट में शामिल की गई है लेकिन पहले सी०सी०ए० स्वीकृति नहीं मिली थी। अब हमने सी०सी०ए० स्वीकृति ले ली है और उस काम को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष के बजट

[श्री राम विलास पासवान]

में एक करोड़ रुपया उस पर रखा है। पनवेल-करजत नई लाइन 1995-96 के पूरक बजट में जोड़ दी गई थी। 28 कि०मी० लम्बी लाइन है और इस पर लागत 89 करोड़ रुपए आएगी। चार करोड़ रुपया खर्च कर लिया गया है और जमीन मिल गई है। कार्य शुरू किया जा रहा है। इसका आउट-ले एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया जाएगा। ···*(व्यवधान)* बारामती-लोनाद, यह काम 1997-98 के बजट में जोड़ा गया था और उचित मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। इसकी लम्बाई 54 कि०मी० है और इस पर 75 करोड़ रुपया लागत आएगी।

कोपरगांव-शिरडी, यह 16 कि०मी० लम्बी लाइन शिरडी के पवित्र स्थान को जोड़ने के लिए 1997-98 के बजट में 32 करोड़ की लागत से शामिल की गई है। उचित मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। आमान परिवर्तनः— गोंदिया-चांदाफोर्ड 1992-93 के बजट में शामिल की गई थी। 242 कि०मी० लम्बी लाइन है और इस पर 215 करोड़ रुपए की लागत से आमान परिवर्तन किया जा रहा है। 138 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इस वर्ष 15 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए रखा गया है। गोडिया-नागबीर तक काम पूरा कर लिया गया है। गाड़ी चल रही है। नागबीर-चंदापोर्ट का काम इसी वित्त वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। मिराज-लातूर-359 किलोमीटर लम्बी लाइन का आमान परिवर्तन 1993-94 के बजट में 310 करोड़ रुपए की लागत से शामिल किया गया है। इस पर अभी तक 24 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस वर्ष 1997-98 में 20 करोड़ रुपया रखा गया है। इस कार्य के पहले चरण में लातूर-लातूर रोड़ नई लाइन और कुर्दबाड़ी-पंडारपुर तक आमान परिवर्तन किया जाएगा। दिसम्बर, 98 तक पूरा कर लिया जाएगा और शेष कार्य का लक्ष्य 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान है।

दोहरीकरण — दीवापनवेल, यह 25 किलोमीटर लम्बी लाइन 52 करोड़ रुपए के खर्च पर दोहरीकरण के लिए 1995-96 के बजट में शामिल की गई है। कार्य पूरे जोर से चल रहा है। दिसम्बर, 98 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। दीवा-बसई — यह कार्य 95-96 के बजट में 90 करोड़ रुपए की लागत से शामिल किया गया था। चार करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है। 5 करोड़ रुपया 97-98 के बजट में रखा हैं यह कार्य 98-99 तक पूरा कर दिया जाएगा। पनवेल रोहा ···*(व्यवधान)* आपका उत्तर प्रदेश अभी तक आया नहीं है। ···*(व्यवधान)* पनवेल रोहा··· इतनी मेहनत किए हैं, इतना लिखे हैं, तब तो ···*(व्यवधान)* चूंकि पनवेल रोहा लाइन की दोहरीकरण की व्यवस्था करने की जरूरत महसूस हो रही है, इसके पहले चरण में भूमि अधिग्रहरण का कार्य किया गया है। इस पर चार करोड़ रुपए की लागत होगी। इसे दिसम्बर, 98 तक कर लिया जाएगा। उसके बाद अगले बजट में शामिल किया जाएगा। डोंड-बिगबां — यह 27 किलोमीटर लम्बी लाइन का दोहरीकरण 39 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत की गई हैं इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च हो चुका हैं इस कार्य को दिसम्बर, 99 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उदना-जलगांव तक दोहरीकरण का आदेश दे दिया जा चुका है। लेकिन माननीय सदस्यों यहां तक तीन काम कर रहे हैं। सिंगलनलिंग सिस्टम बेहतर कर रहे हैं। ट्रैक को बेहतर कर रहे हैं। उदना-जलगांव तक विद्युतीकरण की मंजूरी हो चुकी है। 19 करोड़ रुपए 97-98 के बजट में रखा गया हैं इसके लिए दोहरीकरण का सर्वे भी किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के माननीय सदस्यों को मालूम है, मैंने अपने बजट भाषण में दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर कई रेल सेवाओं की घोषणा की थी, जो महाराष्ट्र राज्य को भी सीमित करेगी। इसके अतिरिक्त नांदेड-अमृतसर एक्सप्रैस के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में एक दिन से तीन दिन किए जायेंगे। काचीगुडा-औरंगाबाद एक्सप्रैस का विस्तार मनमाड तक किया जाएगा। माननीय सदस्यों की मांगे और रेलवे के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए मैं पूणे-निजामुद्दीन स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रैस साप्ताहिक प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

गोवा के माननीय सदस्यों को भी मालूम है, हमने अपने बजट भाषण में बासको-बैंगलौर एक्सप्रेस की घोषणा की थी। लेकिन माननीय सदस्यों की भलाई को देखते हुए गोवा क्षेत्र में डी०एम०यू० सेवाओं चलाने का और बासको-कैसलरॉक लौंडा स्टेशन सेवा चलाने का भी मैं प्रस्ताव करता हूं।

उड़ीसा — हरदासपुर-पारादीप 78 किलोमीटर परियोजना को 1996-97 में शामिल किया गया है। 96-97 के बजट में इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि रखी गई हैं तालचर-बिमलागढ़ नई रेलवे लाइन की मांग है और इसका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। तालचर-सुकिंदा रोड़ — केपी सिंह देव जी हैं — इस लाइन को हम लोगों ने 1997-98 के बजट में जोड़ने का निर्णय लिया है और सी०सी० ई०ए० ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। इस काम को इस वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। ···*(व्यवधान)* तालचर-सम्बलपुर — यह 84-85 की 174 किलोमीटर लम्बी परियोजना है। इस परियोजना के लिए 1997-98 में बजट में 54 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इस परियोजना के कार्य को इसी वित्त वर्ष में 1997-98 में पूरा कर दिया जाएगा। दैतारी-बांसपानी — यह पार्ट बोल्ट स्कीम अन्तर्गत हो रहा हैं इसमें स्टील प्लान्ट को 50 करोड़ रुपए, इरकॉन को 170 करोड़ रुपए और बाकी 180 करोड़ रुपए रेलवे को देना था। रेलवे 110 करोड़ रुपए दे चुका है, 70 करोड़ रुपए रेलवे पर बाकी हैं। जिसमें 25 करोड़ रुपए इस साल 1997-98 में हमने रखें हैं और बाकी रकम 25-25 करोड़ रुपए की दो वर्ष में दे दी जाएगी। यह परियोजना 31 दिसम्बर, 2000 तक पूरी हो जाएगी। लांजीगढ़, जूनागढ़ रोड़, यह 1993-94 की परियोजना है, यह 54 किलोमीटर लम्बी हैं इस परियोजना पर करीबन सौ करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा है। अभी तक इस परियोजना पर दस करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस परियोजना पर इस वर्ष के बजट में दो करोड़ रुपए रखे गए हैं लेकिन माननीय सदस्यों की पुरजोर मांग को देख कर इसको बढ़ा कर दस करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। खुर्दा रोड, बोलंगीर 1994-95 की परियोजना है। यह परियोजना 289 किलोमीटर लम्बी है, इसके लिए 353 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च रखा गया हैं 1997-98 के बजट में इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है लेकिन इसे बढ़ा कर पांच करोड़ कर दिया जाएगा। आमान परिवर्तन रूपसा-बांगरीपोसी, इस परियोजना को 1996-97 में मंजूरी दी गई थी। यह परियोजना 89 किलोमीटर लम्बी है। अभी तक इस

परियोजना पर एक करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह परियोजना सी०सी०ए० द्वारा स्वीकृति हो गई है। इसके लिए अभी तीन करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसे बढ़ा कर पांच करोड़ रुपए कर दिये जाएंगे। ...(व्यवधान)

**कुमारी सुशीला तिरिया** (मयूरभंज) : दो करोड़ से दस करोड़ किया और आपने उस समय जब सब सांसद उड़ीसा के गए थे तो आपने कहा था कि दस करोड़ बढ़ा कर करेंगे, लेकिन उसमें आपने मात्र पांच करोड़ दिए हैं। ...(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** : अभी हमारा बजटरी सपोर्ट से कुछ पैसा आने वाला है, वह आ जाएगा तो हम बढ़ा देंगे। नौपाड़ा-गुनुपुर, यह 90 किलोमीटर लम्बी हैं इसे 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। अभी इसमें औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। विद्युतीकरण, खड़गपुर से भुवनेश्वर पाराद्वीप पोर्ट और भुवनेश्वर से विशाखापटनम विद्युतीकरण करने का निर्णय ले लिया गया है और इस वर्ष काम शुरू हो जाएगा। टोटल लागत 450 करोड़ 1997-98 में 30 करोड़ रुपए भुवनेश्वर, विशाखापटनम खड़गपुर से भुवनेश्वर पहले बोल्ट में था, अब रेलवे ने ले लिया है। इस पर साढ़े 16 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सर्वे, नौपाड़ा-गुनुपुर लाईन का रायगढ़ा तक विस्तार के लिए सर्वे का आदेश दे दिया गया हैं लांजीगढ़ रोड से अम्बागुड़ा तक नयी लाईन के सर्वे को अप-टू-डेट करने का आदेश दे दिया गया है। जयपोर से नौरंगपुर तक नयी लाईन के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। विमलगढ़ से तालचेर लाईन के लिए भी सर्वेक्षण को अप-टू-डेट करने का आदेश दे दिया जाएगा।

महोदय, उड़ीसा के माननीय सदस्यों को मालूम है कि उड़ीसा, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ा कर सप्ताह में दो बार किया गया है। इसके अतिरिक्त मैंने अपने बजट भाषण में निम्नलिखित यात्री सुविधाएं देने की घोषणा की थी। कोरापुट रायगढ़ा लिंग एक्सप्रेस का भुवनेश्वर तक हावड़ा, रायगढ़ा एक्सप्रेस का टोडापुर तक विस्तार, निजामुद्दीन, संबलपुर एक्सप्रेस का रायगढ़ा, कोरापुट तक विस्तार करने की मांग होती रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए रायगढ़ा और दिल्ली के बीच एक थ्रू पोस्ट सेवा शुरू करने का निर्णय भी ले लिया गया है।

पंजाब, तरनतारन, गोइंदवाल का काम 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। 21 किलोमीटर लम्बी इस लाईन पर 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह काम उचित मंजूरी मिलने पर शुरू किया जाएगा। चंडीगढ़, लुधियाना का काम 1997-98 के बजट में शामिल किया गया हैं 95 किलोमीटर इस लम्बी लाईन पर 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्य को उचित मंजूरी मिलने पर शुरू किया जाएगा। दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना विद्युतीकरण, यह कार्य 1991-92 में 208 करोड़ रुपए की लागत पर शामिल किया गया और 314 किलोमीटर लम्बी लाईन का विद्युतीकरण 31 मार्च, 1997 को पूरा कर लिया गया है। माननीय सांसदों ने मांग की है कि व्यास से डेराबाबा, जैमलसिंह तक 3.8 रेल बस के लिए लाईन बनाई जाए जिससे हजारों तीर्थ यात्रियों को ब्यास जाते समय सुविधा मिल सके। मैंने फैसला किया है कि योजना आयोग की मंजूरी मिलने के बाद इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। अबोहर से फाजिल्का के बीच नयी लाईन का सर्वेक्षण चल रहा है। योजना आयोग की मंजूरी लेने के लिए सर्वे रिपोर्ट भेज दी जाएगी और उचित मंजूरी मिलने के साथ ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

मैंने उत्तर रेलवे को निर्देश दिया है कि पटियाला, समाना, नवाना लाइन का सर्वे जून 1997 तक पूरा कर लिया जाए ताकि इस प्रोजेक्ट पर आगे विचार किया जा सके। चंडीगढ़ स्टेशन पर यातायात बढ़ गया है और उचित सुविधा न होने की वजह से समस्याएं आ रही हैं। सवारी डिब्बों के रखरखाव का कार्य बजट में पहले से ही है। अब माल डिब्बों के लिए भी सुविधाएं, फ्रैश ट्रैफिक, हैंडलिंग फैसिलिटीज के कार्य शुरू कर दिये जाएंगे।

पंजाब के माननीय संसद सदस्यों को मालूम है कि मैंने अपने बजट भाषण में यात्री सेवा की घोषणा की थी। जम्मूतवी, फिरोजपुर एक्सप्रेस को जोधपुर तक बढ़ाने, धनबाद-लुधियाना एक्सप्रेस को फिरोजपुर तक बढ़ाने और इसके अतिरिक्त श्री गंगानगर, हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस को भी चालू कर दिया गया है। माननीय संसद सदस्यों की मांगों को देखते हुए हमने फिरोजपुर लुधियाना पैसेंजर यात्री सेवा जल्द प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया है।

राजस्थान में दीसा, गंगानगर की लाइन को वर्ष 1996-97 के बजट में शामिल कर लिया गया है। 2392 किलोमीटर लम्बी लाइन की लागत 152 करोड़ रुपये होगी। उचित मंजूरी मिल गयी है और कार्य शुरू करने के लिए रेलवे फाइनल लोकेशन का काम हाथ में ले रही है। इसके पश्चात भूमि अधिग्रहण का काम किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण मिलने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ...(व्यवधान) अभी इसमें एक लाख की राशि रखी गयी है जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया जाएगा।

विरम गांव, जोधपुर वाया बिल्डी, समदारी, लूनी का कार्य 1990-91 के बजट में शामिल किया गया है। लेकिन वर्ष 1992-93 में दिल्ली, अहमदाबाद रूट का आमान परिवर्तन स्वीकृत हुआ। इस कार्य की ...(व्यवधान) प्रचालित कम हो गयी और इसे रोक दिया गया। अब इस रूट पर दिल्ली जोधपुर लूनी जोकि लूनी, मारवाड़ का भाग है सितम्बर 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाकी कार्य बाद में किया जाएगा। इस क्षेत्र में बाकी के आमान परिवर्तन के पूरा हो जाने पर यातायात स्थिर हो जाएगा।

फुलेरा, मारवाड़, अहमदाबाद का यह कार्य दिल्ली, अहमदाबाद आमान परिवर्तन का भाग है। वर्ष 1993-94 में इस बजट में 572 किलोमीटर लम्बी लाइन के लिए शामिल किया गया तथा जिस पर 540 करोड़ रुपया रखा गया। अभी 443 करोड़ रुपया खर्च हो चुका हैं। यह काम पूरा कर लिया गया है। इस लाइन का उद्घाटन तीन मई को रखा गया है, जोकि अहमदाबाद साबरमती यार्ड है। इसे इस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

लूनी मारवाड़ का यह काम 1995-96 के बजट में शामिल किया गया। 72 किलोमीटर लम्बी लाइन की लागत 46 करोड़ रुपया है। 30 करोड़ रुपया इस वर्ष हमने 1997-98 के बजट में रखा है। कार्य पूरी प्रगति पर है और सितम्बर 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा।

अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कार्य को 1996-97 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। 300 किलोमीटर के आमान परिवर्तन पर

[श्री राम विलास पासवान]

262 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस कार्य की उचित स्वीकृति मिल गयी है और कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। इस बार पांच करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। ···*(व्यवधान)* आपको मालूम है कि अजमेर और वहां 436 किलोमीटर दो महीने के अंदर कम्पलीट कराकर दिया है। ···*(व्यवधान)*

**प्रो० रासा सिंह रावत** उसके लिए धन्यवाद।

**श्री राम विलास पासवान** : शुरू में पैसा कम लगता है बाद में जब तस्दीक चलती है तब ज्यादा लगता है।

लूनी, बाढ़मेर, मूनाबाब का कार्य वर्ष 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। 300 किलोमीटर लम्बी लाइन के अमान परिवर्तन पर 240 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। क्लीयरेंस मिलने पर इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

कोटा, गुर्ला, चम्बल ब्रिज के दोहरीकरण के कार्य को 10 करोड़ रुपये की लागत पर लिया गया हैं कार्य अच्छी प्रगति पर हैं जून 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर वर्ष 1997-98 में पांच करोड़ रुपया रखा गया है।

रिवाड़ी, लुहारू, झुनझुनू, सीकर, जयपुर, एम०जी० से बी०जी० तक के सर्वेक्षण का आदेश पहले से दे दिया गया है और ज्यों ही यह सर्वे हो जाता है इस कार्य को हाथ में लेने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

मारवाड़, मावली, बड़ी, सादली के आमान परिवर्तन के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। टोडा, रायसीन और टौंक के रास्ते जयपुर से सवाई-माधोपुर तक नयी लाइन के सर्वे का भी आदेश दे दिया गया है।

पीपाररोड से विलारा के आमान परिवर्तन का निर्णय ले लिया गया है। राजस्थान के माननीय संसद सदस्य इस बात को जानते हैं।

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : पर्वतसर और मकराना के बीच में जो लाइनें बनी हुई हैं और बांदीकुई से आगराफोर्ट के बीच में जो पैसा मंजूर किया हुआ है उसका क्या है।

**श्री राम विलास पासवान** : राजस्थान के माननीय संसद सदस्यों को मालूम है कि अजमेर-अहमदाबाद के आमान परिवर्तन हो जाने के बाद कुछ यात्री सेवाओं की व्यवस्था दिल्ली-अहमदाबाद स्थान पर की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली-अहमदाबाद स्वर्ण जयन्ती राजधानी एक्सप्रेस भी चलायी जाएगी।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सेवाओं को भी शुरू करने का मैंने बजट भाषण में प्रस्ताव रखा था। जयपुर-मद्रास एक्सप्रेस के फेरे बढ़ा कर सप्ताह में तीन दिन करना, जम्मू-फिरोजपुर एक्सप्रेस का बीकानेर के रास्ते जोधपुर का विस्तार। माननीय संसद सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं निम्नलिखित यात्री सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूं। जयपुर-अमृतसर एक्सप्रेस हिसार के रास्ते सप्ताह में दो बार, बीकानेर-रतनगढ़ पैसेंजर का चुरू तक विस्तार। चुरू-सीकर पैसेंजर का जयपुर तक विस्तार। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया एक-एक करके प्रश्न पूछे। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** : आप अमृतसर वाली गाड़ी को अजमेर तक सप्ताह में दो दिन कर दें। जयपुर से अजमेर 110-115 किलोमीटर की दूरी है। जैसे जयपुर से गाड़ी चलती है, वैसे अजमेर से भी एक-आध गाड़ी चलायी जाए।

**श्री राम विलास पासवान** : हम इस बारे में आप से बात कर लेंगे। ···*(व्यवधान)* जितनी चीजें हम कर रहे है, उसे हम बिना पूछे ही कर रहे हैं। जो सम्भव होगा, हम कर देंगे।

**प्रो० रासा सिंह रावत** : सर्वे कराने के बाद अजमेर से पुष्कर को जोड़ने की घोषणा कर दी जाए ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया एक बार में एक ही सदस्य प्रश्न पूछें उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए और अन्य लोग कृपया बैठ जाए। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : समस्या यह है। मैंने आपको उसके बारे में कहा था। ···*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** : जब दूसरे माननीय सदस्य पूछ रहे थे तो उन्हें कुछ नहीं कहा गया। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और आपका संरक्षण चाहते हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : एक समय एक ही माननीय सदस्य बोले। मैं यही अनुरोध कर रहा हूं। अन्यथा माननीय मंत्री जी कैसे उत्तर दे सकते हैं। कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर तीन माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न पूछेगे। तो माननीय मंत्री जी उत्तर नहा दे सकते। इसलिए एक समय पर एक ही सदस्य प्रश्न पूछे। अन्य सदस्य स्थानों पर क्यों नही बैठते।

*[हिन्दी]*

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : बांदीकुई से आगरा एक बड़ी लाइन रह गई हैं। यह जुड़ जाए तो जयपुर से दक्षिण भारत को हर प्रकार की गाड़ी जा सकेगी। यह जब तक नहीं जोड़ी जाएगी तब तक लोगों को सवाई माधोपुर होकर आगे दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा। इसमें समय और पैसा जाता है। हररोज का 300 लाख रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होता है आपने इसे बोल्ट योजना से साधारण योजना में

कर दिया हैं इसके लिए एक करोड़ रुपया दिया है। इसका कोई लाभ नहीं हैं एक करोड़ दें या न दें, इस योजना को आप कम से कम 100 करोड़ रुपया दें। अगले वर्ष डेढ़ सौ करोड़ रुपया देना है। . . .*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : यह क्या है ? उन्हें अपना प्रश्न पूछने दीजिए तब मंत्री जी उत्तर देगें।

*[हिन्दी]*

**श्री निहाल चन्द्र चौहान** (श्री गंगानगर) : हमारी श्रीगंगानगर सरुपसर की लाइन थी। 1989 में मधु दंडवते जी ने उसे लिया था और 1994 में श्री सी०के० जाफर शरीफ ने भी इसे लिया था लेकिन इसके लिए कोई घोषणा नहीं हो रही है। उसका सर्वे हो गया था। 160 किलोमीटर की लाइन थी। हमें 100 किलोमीटर ट्रेन पर चलना पड़ता है। मैं संसद में सबसे छोटी उम्र का हूं। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दिया जाए।

**श्री राम विलास पासवान** : आप मिले भी थे। बहुत सी चीजों की जिस की बजट में आलरेडी घोषणा हो चुकी है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम उसे दिखवा लेंगे।

**श्री निहाल चन्द्र चौहान** : इसका तीन बार सर्वे हो चुका है।

**श्री राम विलास पासवान** : हम उसे दिखवा लेंगे। सम्भव होगा तो उस पर विचार भी करेंगे। उसमें ऐसी कोई बात नहीं हैं हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों की मांग पूरी हो। हम जब एम०पी० थे तो दूसरे मिनिस्टर्स से लड़ते थे कि यह काम होना चाहिए। हम आपकी भावना को स्वयं समझते हैं। इसमें जितना सम्भव होगा हम एकोमोडेट करने का काम करेंगे। आपने आगरा के बारे में कहा। जब कोई बोल्ट स्कीम के तहत रेलवे अपने आप उसे लेती है तो इसका मतलब है रेलवे उसको अपनी आवश्यकता के लिए भी महत्वपूर्ण मानती है। इसलिए उसे बोल्ट में रखा जाता है। बोल्ट में से निकाल कर रेलवे ने उसे अपने पास रखा हैं यदि एक करोड़ रुपए का मामला होगा तो रुपए को बढ़ाया भी जाएगा। हम उसे स्वयं देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण है, उसमें देख लेंगे। पैसे की कमी है लेकिन रेलवे का एक बार जब बजट बन जाता है, उसमें से घटाव-बढ़ाव नहीं कर सकते हैं। उसको हम भविष्य के लिये आश्वासन देंगे। अभी हमको भविष्य में 170 करोड़ आने वाला है, उसका हम बजट बनाकर कर रहे हैं। उसमें यदि पैसा बचेगा, इन योजनाओं के ऊपर भी हम देखेंगे।

करूर-सेलम नई लाईन। यह कार्य 96-97 के बजट में शामिल किया गया, 85 किलोमीटर लम्बी रेल लाईन। लागत 136 करोड़ रुपये हैं कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे और भूमि अधिग्रहण कागजात तैयार किये जा रहे हैं। यह काम भूमि मिलने, जमीन एक्विजीशन के बाद शुरू किया जायेगा। अभी हमने इसमें 5 करोड़ रुपया दिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो जमीन मिल जायेगी तो राशि बढ़ाई जायेगी। डिंडिगुल-त्रिची आमन परिवर्तन। यह काम 92-93 के बजट में शामिल किया गया था। 93 किलोमीटर लम्बी लाईन। 80 करोड़ रुपये लागत है। कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 98 में पूरा कर लिया जायेगा। इसमें तीस करोड़ रुपये राशि 97-98 में दी गई हैं। मद्रास-त्रिची आमान परिवर्तन। यह कार्य 92-93 के बजट में शामिल किया गया है 340 करोड़ रुपये की लागत से 340 किलोमीटर रेल लाईन पर 300 करोड़ रुपये लागत आयेगी। कार्य प्रगति पर हैं इसे इसी वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा। इस पर 151 करोड़ रुपया दिया गया है। . . .*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री एन०एस०वी० चित्तन** (डिंडीगल) : महोदय, डिंडीगल और मद्रास के बीच में आमान परिवर्तन के जिस काम के बारे में माननीय मंत्री जी कह रहे थे। वह दो चरणों में पूरा किया जाएगा। हाल ही में माननीय मंत्री महोदय ने मद्रास बीच परियोजना के संबंध में एक वायदा किया था।

**सभापति महोदय** : वे उसी बारे में बात करने वाले है चितयन जी, अन्यथा आप पूछ सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : त्रिची-मद्रास 139 करोड़ रुपया। त्रिची-कराईकल आमान परिवर्तन। यह काम 95-96 के बजट में शामिल किया गया। दो सौ किलोमीटर लम्बी रेल लाईन। लागत 139 करोड़ रुपया। कार्य प्रगति पर है। त्रिची से तजादूर जून 97 तक पूरा कर दिया जायेगा। बाकी के लाईन का काम साथ-साथ शुरू किया गया है। 1999 दिसम्बर तक प्रोजैक्ट पूरा कर दिया जायेगा। इस कार्य के लिये बजट में प्रावधान 10 करोड़ का था जिसे बढ़ाकर के 15 करोड़ रुपया कर दिया गया है।

**अपराह्न 4.59 बजे**

**[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]**

विलुपुरम-पांडिचेरी आमान परिवर्तन। यह काम 97-98 के बजट में है। पांडिचेरी स्टेट को बड़ी लाइन के लिये 30 करोड़ रुपये की लागत में शामिल किया गया है। मंजूरी मिलने पर काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

क्विलोन-तिरुनलवेलि-चिंदूर-तेनकांसी-विरुदनगर। यह काम 97-98 के बजट में 280 करोड़ रुपये की लागत से शामिल किया गया है। उचित मंजूरी मिलने पर शुरू किया जायेगा।

इरुगूर-कोयम्बत्तूर। यह काम 96-97 के बजट में शामिल किया गया। यह लाईन 18 किलोमीटर हैं इसपर 25 करोड़ रुपए आयेगा। नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। यह काम अगले वित्तीय वर्ष में पूरे जोश से शुरू किया जायेगा। ईरोड-वायलार इलैक्ट्रिफिकेशन्स। यह काम 92-93 के बजट में शामिल किया गया था। इसकी लम्बाई तमिलनाडु में 130 कि०मी०, केरल में 194 किलोमीटर है। इस पर बजट लागत 151 करोड़ रुपया है। ईरोड-शोरनूर सैक्शन में यह काम पूरा कर लिया गया है। बाकी भाग जो केरल में है, उसपर काम प्रगति पर है। 97-98 में 30 करोड़ रुपया रखा गया है। चेन्नई बीच लज एम०आर०टी०एस० यह काम 83-84 का है। नौ किलोमीटर लम्बी लाईन 260 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। पांच किलोमीटर लम्बाई चेन्नई बीच-चेपक सैक्शन खोल दिया गया है और बाकी काम चेपक में लज तक जून, 97 में पूरा कर दिया जायेगा।

[श्री राम विलास पासवान]

**अपराह्न 5.00 बजे**

1997-98 में 24 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है। लज-वेल्लाचेरी। यह काम 1996-97 के बजट में शामिल किया गया था। इसका खर्च 605 करोड़ रुपया है जिसमें रेलवे की भागीदारी 142 करोड़ रुपया और राज्य सरकार का 464 करोड़ रुपया हैं। यह कार्य मार्च 2000 ईस्वीं में पूरा किया जाएगा। रेलवे ने 1997-98 में 50 करोड़ रुपया उसमें दिया है।

*[अनुवाद]*

राज सरकार से 100 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। हमने यह पहले ही दे दिया है ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

*[हिन्दी]*

सांसदों की निरंतर मांग को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि अराकोणम-चेंगलपेट्टू का आमान परिवर्तन चेन्नई-त्रिची प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेटीरियल मोडिफिकेशन के तौर पर किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

हमने आमान परिवर्तन के लिए मुदरे से रामेश्वरम तक तथा नई रेलवे लाईन के लिए तंजौर से पुडुकोट्टाई तक सर्वेक्षण करने की कोशिश की थी।

*[हिन्दी]* -

तमिलनाडु के माननीय संसद सदस्यों को मालूम हे कि हमने अपने बजट भाषण में निम्नलिखित सेवाओं की घोषणा की थी कि निज़ामुद्दीन-चेन्नई राजधानी ऐक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन करना। कोयंबटूर-बंगलौर शताब्दी ऐक्सप्रेस, चेन्नई-जयपुर ऐक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर तीन दिन करना। माननीय संसद सदस्यों की मांगों और रेलवे के सीमित संसाधनों को देखते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त रेल सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। मदुरई-इरोड लिंक ऐक्सप्रेस सप्ताह में दो बार नई दिल्ली के रास्ते जम्मू तक।

*[अनुवाद]*

**श्री पी० षणमुगम** (वेल्लौर) : अब विद्युत हेतु चेन्नई ये आर्कोनम तक चल रही हैं क्या इसे जोलोरपेट्टी तक और यदि नहीं तो कम से कम काटपदी तक बढ़ाया जाएगा।

**श्री राम विलास पासवान** : हम इस पर चर्चा करेगें।

**श्री पी० षणमुगम** : मैं इस बारे में पहले ही इस पवित्र सदन में कह चुका हूं। *(व्यवधान)* कृपया मामले पर गौर कीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : मैं इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा।

*[हिन्दी]*

उत्तर प्रदेश में कटरा-फैजाबाद नयी लाइन। यह काम 1994 के बजट में जोड़ा गया। सात किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 51 करोड़ रुपया है, क्योंकि इस लाइन पर सरयू नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है और पुल निर्माण का कार्य इस वर्ष में आरंभ किया जाएगा। मऊ-शाहगंज आमान परिवर्तन का काम 1994-95 के बजट में शामिल किया गया थां यह कार्य 44 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है और इस पर गाड़ी चल रही हैं छपरा-औनरिहार आमान परिवर्तन का भी काम पूरा कर लिया गया है। 171 किलोमीटर लंबी लाइन का 145 करोड़ रुपये की लागत से और यह काम पूरा कर लिया गया है और गाड़ी अब चल रही है।

मथुरा-अचनेरा आमान परिवर्तन। यह कार्य 1995-96 के बजट में शामिल किया गया। 35 किलोमीटर लंबी लाइन के आमान परिवर्तन पर 20 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है। यह कार्य बोल्ट स्कीम के अधीन लिया गया था पर उचित दर न मिलने पर अब इसे रेलवे की लागत से करने का फैसला किया गया है। इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा के कार्य के साथ-साथ किया जाएगा। कानपुर-कासगंज मथुरा एवं कासगंज-बरेली आमान परिवर्तन। यह कार्य 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। इस लाइन की लंबाई 458 किलोमीटर है और इस पर 395 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उचित कार्रवाई मिल गई है और कार्य शुरू करने के प्रबंध किये जा रहे हैं। इस कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में एक लाख है जिसे बढ़ाकर दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में जिन लाइनों का दोहरीकरण ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में जिन लाइनों के दोहरीकरण का निर्णय लिया गया है उसमें टुण्डला-यमुना ब्रिज 21 किलोमीटर, कानपुर-पनकी तीसरी लाइन नौ किलोमीटर, मुरादनगर-मेरठ 30 किलोमीटर, गाजियाबाद-मुरादाबाद 37 किलोमीटर, गोण्डा-जरवल रोड़ 45 किलोमीटर, गोरखपुर-सहजनवा 15 किलोमीटर है। ...*(व्यवधान)*

**श्री गंगा चरण राजपूत** (हमीरपुर) : कानपुर झांसी का चौहरीकरण कर देंगे तो मुम्बई लाइन का पूरा चौहरीकरण हो जायेगा। सिर्फ सौ किलोमीटर पर खत्म कर दीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : अम्बाला-मुरादाबाद विद्युतीकरण ये काम 1992-93 के वर्ष में शामिल किया गया। 274 किलोमीटर लम्बी लाइन के विद्युतीकरण पर 152 करोड़ रुपये खर्च आयेगी। अम्बाला से सहारनपुर का काम मार्च 1998 तक पूरा कर लिया जायेगा। बाकी का काम बाद में किया जायेगा। खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर ये कार्य 1996-97 के बजट में शामिल किया गया है। 267 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण 89 करोड़ रुपये की लागत पर मंजूर है। लखनऊ-बरेली लाइन के दोहरीकरण की मांग हुई है। यह कार्य हमने पहले से ही आरंभ कर दिया है और इसे कई चरणों में पूरा किया जायेगा ...*(व्यवधान)* इसके दो चरण गोंडा-जरबलरोड वह कर्पूरीग्राम से सीहोर तक कार्य पहले से चल रहा है और गोरखपुर-सहजनवा 1997-98 के बजट में शामिल हैं। इस लाइन के दोहरीकरण आने वाले वर्षों में पूरा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये हैं कि हरिद्वार से रामनगर, कोटद्वार होते हुए और किच्छा से खटीमा, नानकमत्था होते हुए बेरली-पीलीभीत-टनकपुर-पूर्णागिरि

लाइन के सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर किये जाएं जिससे कि इन कार्यों पर आगे विचार किया जा सके। गोला-शाहजहांपुर-फर्रूखाबाद सर्वेक्षण को भी प्राथमिकता दी जायेगी। सिकन्दराराऊ और मैनपुरी-बिदुना के रास्ते अलीपुर से झिंझकपुर तक नई रेलवे लाइन का भी सर्वे का आदेश दिया गया हैं सीतापुर-पीलीभीत-टनकपुर-बरेली का आमान परिवर्तन, गुना-इटावा लाइन को मैनपुरी तक बढ़ाया जायेगा। शिकोहाबाद-मैनपुरी आमान परिवर्तन के संबंध में भी सर्वे के आदेश दे दिये गये हैं। और उसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा। उत्तराखंड के सदस्यों की मांग है कि कासगंज-बरेली का आमान परिवर्तन को बढ़ाकर लालकुंआ तक कर दिया जाए।

**श्री चन्द्रभूषण सिंह** (कन्नौज) : सर, शिकोहाबाद-मैनपुरी तो पहले से ही ब्रोड गेज है।

**श्री राम विलास पासवान** : नहीं, यह दोहरीकरण का है। यह मुलायम सिंह जी ने लिखकर दिया था।

**श्री चन्द्रभूषण सिंह** : मैनपुरी तो आधी रह जायेगी।

**श्री राम विलास पासवान** : उसे देख लेंगे ···*(व्यवधान)* देखिये, रेलवे में आपने देखा है, बहुत से सदस्यों को गलतफहमी थी और हमारे साथी उधर से बोलते थे कि राम विलास पासवाान ने प्रोजेक्ट का घोषणा कर दिया, पैसा कहां है, पैसा कहां है और अपने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट हमने दिये हैं, पहले से जितना पैसा मिला है, तीन-तीन साल और चार-चार साल में उससे ज्यादा पैसा हमने दिया है। जहां चाह होता है वहां राह होता है ···*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : देखिए इंटरप्शन बहुत ज्यादा होने लग गई हैं।

**प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर'** (जलेसर) : आपने यह प्रोजेक्ट वाली तारीफ तो अपने आप कर ली लेकिन जिसमें एक भी पैसा नहीं लगना था वह लाइन एक भी नहीं बनी है।

**श्री राम विलास पासवान** : उत्तराखंड के सदस्यों की मांग है कि कासगंज-बरेली के आमान परिवर्तन को बढ़ाकर लालकुंआ तक किया जाए। इस पर विचार करने के लिए मैंने सर्वेक्षण कार्य के आदेश दे दिये हैं कानपुर-लखनऊ यह वाजपेयी साहब ने कहा था, विद्युतीकरण के प्रस्ताव के देखते हुए मैंने इस कार्य को करने का निर्णय लिया है। इसके सर्वे को अप-डेटिड कराने का आदेश दिया है। इस कार्य को करने का निर्णय ले लिया गया है।

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : एक वर्ष में ही सब कुछ हो गया है।

**श्री राम विलास पासवान** : कुछ एक तो हमारे रेलवे के दृष्टिकोण से भी जरूरत है। उधर तक विद्युतीकरण हो जाए और उधर न हो, बीच में न हो।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : इस लाइन को पूरा करना है तो कानपुर-झांसी को जोड़ना बहुत जरूरी है। पहले तो आपने लखनऊ को कानपुर से जोड़ दिया। लेकिन अगर आप झांसी को नहीं जोड़ेंगे तो मुम्बई और दक्षिण का

**श्री राम विलास पासवान** : अब आप गड़बड़ मत कीजिए।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : झांसी में इंजिन बदलने में पौन घंटा लगता है।

**श्री राम विलास पासवान** : आप कल या परसो आइये। इस पर बैठ करके बात करेंगे। इंदारा-फेफना आमान परिवर्तन का काम फ्रीज कर दिया गया थां चंद्रशेखर जी नहीं हैं, उन्होंने पत्र लिखकर भी हमने कहा था। अब इसे डीफ्रीज कर दिया गया है। ज्यों ही हमारे पास साधन आ जायेगा इस काम को हम शुरू कर देंगे। ऐंट से कोंच तक शटल गाड़ी चलेगी। फिर वही बात सामने आयेगी, जो आपने कही थी ···*(व्यवधान)* लेकिन जब शटल चलेगी, आप देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि शटल गाड़ी दिन में छः बार चलती है जबकि रेल बस 6 बार चलती है रेल-बस से लोगों को गंतव्य तक तुरन्त पहुंचने की सुविधा हैं। वह छोटी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर जल्दी-जल्दी आती-जाती थी। शटल से एक फायदा यह होता था कि जो बड़े-बड़े व्यापारी थे, उन्हें अपना सामान ढोने में मदद मिलती थी। अब हम नहीं जानते कि पब्लिक प्रैशर क्या होगा क्योंकि हमारे पास ऐसे भी पत्र आए थे कि आपकी जो कोच-बस चलती है, वह दिन में 6 बार चलती है, जो पैसेंजर के दृष्टिकोण से अच्छी है लेकिन आप लोगों की राय से अगर मैं शटल को चलाऊंगा, फिर कोई चीज होगी, फिर आप मुझे कुछ मत कहिए कि क्यों चेंज किया ···*(व्यवधान)*

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : आपकी जो बस खाली हो गई है, उसे आप झांसी को दे दीजिए ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मैं माननीय मंत्री जी से अपना भाषण जारी रखने और प्रत्येक हस्तक्षेप का उत्तर न देने का अनुरोध करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैंने अपने बजट भाषण में निम्नलिखित यात्री सेवाओं की घोषणा की थी :–

(अ) गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रैस – सप्ताह में दो बार।

(आ) दिल्ली-गोंडा एक्सप्रेस का गोरखपुर तक विस्तार।

माननीय सदस्यों की मांग तथा रेलवे के सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए, मैं निम्नलिखित अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव करता हूं –

(क) दिल्ली-फैजाबाद-वाराणसी-बलिया-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस।

(ख) सीतापुर लखनऊ के बीच शटल सेवा।

(ग) वाराणसी-बलिया-छपरा के बीच अतिरिक्त पैसेंजर सेवा।

(घ) मऊ-वाराणसी इंटर-सिटी।

(च) गोंडा-बुडवल-सीतापुर पैसेंजर ···*(व्यवधान)*

[श्री राम विलास पासवान]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोंडा-गोरखपुर लूप लाइन का सर्वे हो चुका है और प्रोपोजल को हम प्लानिंग कमीशन के पास भेज रहे हैं ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है। आप माननीय सदस्यों से पूछ सकते है।

*[हिन्दी]*

कि अगर किसी को कोई सुझाव देना है या कोई काम करवाना है, वह लिखित रूप से आपको दे दे। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि रेल मंत्री जी यहां तुरन्त एनाउंसमेंट कर दें तो वह असम्भव है। इसलिए आप अपने सुझाव लिखकर मंत्री जी के पास भेज दें।

*[अनुवाद]*

कृपया व्यवधान न डालें।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : माननीय सदस्यों को मै बताना चाहता हूं कि स्टेट-वाइज एम०पीज० से मैं मिलता हूं, जोनल-वाइज एम०पीज० से मिलता हूं, रेलवे से संबंधित कंसल्टेटिव कमेटी में मिलता हूं, फॉर्मल तरीके से मिलता हूं तथा इन्फॉर्मल तरीके से भी मिलता हूं। उसी का परिणाम है कि मैंने मैक्सिमम संसद्-सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। यदि अब भी आप संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं तो आप आईए ··· *(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : मैंने 5 बार आपको लिखा है ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राम विलास पासवान** : रेल सम्पत्ति रेल मंत्री की निजी सम्पत्ति नहीं है मुझे कुछ नियमों और मानदण्डों का अनुपालन करना होता है।

*[हिन्दी]*

आप मेरे पास आईए। मैं अपने अधिकारियों को बुलाऊंगा और आपके सामने बातचीत करूंगा तथा बातचीत के बाद, अगर कुछ सम्भव होगा तो उसे करूंगा ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया व्यवधान न डाले।

*[हिन्दी]*

रेल मंत्री जी ने यहां जो कुछ कहा है, इनकी ट्रांसपेरेंसी तथा इनकी चितनी एक्सैसिबिलीटी हमें उपलब्ध हैं, शायद ही पहले कोई रेल मंत्री इस तरीके से मिलता होगा। इसलिए आप मेहरबानी करके इंटरप्शन मत कीजिए। जो भी आपकी डिमांड हों, उन्हें लिखकर इनके पास भिजवा दीजिए और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी उस पर पूरा ध्यान देंगे। अब आप बैठिए क्योंकि इसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनैस भी चलना है।

**श्री राम विलास पासवान** : अब मैं पश्चिम बंगाल पर आता हूं। आद्रा-आमटा रेल लाइन का कार्य 1994-95 के बजट में शामिल किया गया था ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री श्री बल्लभपाणिग्रही** (देवगढ़) : चूंकि आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम आपका समर्थन करेंगे।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : पाणिग्रही जी, हरियाणा को इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं इनकी तारीफ करता हूं।

**श्री राम विलास पासवान** : मैं आद्रा-आमटा रेल लाइन की बात कह रहा था कि 73 किलोमीटर लम्बी इस लाइन का अनुमानित खर्च 100 करोड़ आने की सम्भावना है। इस लाइन पर अभी तक 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ··· *(व्यवधान)* हावड़ा से बरगचिया तक का कार्य पूरा होने के बाद वित्तीय कारणों से उसे बंद कर दिया गया था लेकिन संसद्- सदस्यों के अनुरोध पर 1995-96 में फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया है।

बरगतिया-मुशीरहाट 8 किलोमीटर में काम किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 1997-98 में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि राज्य सरकार तीन किलोमीटर इलाके में जमीन रेलवे को दे दे। शेष भाग में अभी काम चालू नहीं किया गया है। 1997-98 में तीन करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है।

इकलाखी-बालूरघाट -यह काम वर्ष 1984-85 के बजट में शामिल किया गया। 87 किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 81 करोड़ रुपए है। अभी तक इस कार्य पर 13 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और 1997-98 के बजट में 10 करोड़ रुपए रखने का प्रावधान किया गया है। यह सही है कि यह कार्य संसाधनों की कमी के कारण धीमी गति से चलता आ रहा है। 1996-97 में सिर्फ तीन करोड़ रुपया इसमें था। इस पर 10 करोड़ रुपया रखा गया है और हम जल्दी से जल्दी आने वाले वर्षो में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

तामूलक-दीघा यह कार्य 1984-85 के बजट में शामिल किया गया था। गनी खान चौधरी जी का। यह 87 किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 135 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक इस लाइन पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष के बजट में हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह कार्य भी वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण धीरे-धीरे चलता आ रहा था। मैंने इस कार्य को प्राथमिकता दी है। पिछली बार मैंने इस पर सिर्फ दो करोड़ रुपए रखे थे।

लक्ष्मीकान्तपुर-नमखाना यह कार्य 1987-88 के बजट में शामिल किया गया है और 47 किलोमीटर लंबी लाइन की लागत 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक इस कार्य में 42 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस पर, इस वर्ष, बजट में पांच करोड़ रुपए को प्रावधान किया गया है।

लक्ष्मीकान्तपुर-निश्चितपुर तक का काम पूरा हो चुका है और निश्चितपुर से काशीनगर का काम इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। काशीनगर से नमखाना के बीच भूमि अधिग्रहण के कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगा।

यहां जो सबसे बड़ी समस्या है वह एन्क्रोचमेंट की समस्या है। आप जानते हैं।

दोहरीकरण : साहबगंज न्यूफरक्खा-मालदाटाउन यह कार्य वर्ष 1986-87 के बजट में शामिल किया गया तथा इस 49 किलोमीटर लंबी लाइन की कीमत 61 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक इस लाइन पर 58 करोड़ रुपया खर्च किया गया है तथा इस वर्ष के दौरान इस लाइन पर 33 किलोमीटर दोहरीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। 16 मिलोमीटर का काम जो कि भूमि अधिग्रहण के कारण रुका हुआ था, अब अच्छी प्रगति पर है और यह वर्ष 1997-98 में पूरा कर दिया जाएगा।

दत्तापुकूर-हावड़ा यह कार्य वर्ष 1990-91 के बजट में शामिल किया गया था तथा इस 14 किलोमीटर लाइन की लागत 18 करोड़ आंकी गई है। अभी तक 17 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है और इस वर्ष के बीच में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कार्य पूर्णरूप से पूरा हो चुका है।

खाना-सैंथिया फेज-1, खाना से झपटारडल। यह कार्य 1992-94 के बीच शामिल किया गया हैं। इस कार्य की लागत 12 करोड़ रुपया आंकी गई है। अभी तक इस कार्य पर सात करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। चार करोड़ रुपए का प्रावधान 1997-98 के बजट में किया गया है। यह कार्य कोर्ट के मामलों और ठेकेदारों की समस्या के कारण बन्द था, लेकिन अब उन्हें सुलझा लिया गया है और यह कार्य अब प्रगति पर है। यह कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करा लिया जाएगा।

झपटारडल से घुसकरा, फेज-दो–यह कार्य 12 करोड़ रुपए का है और अभी तक सात करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान चार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी तक एक ब्लाक का काम पूरा किया जा चुका है और शेष कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

घुसकरा से बोलपुर–इस कार्य की लागत 24 करोड़ की आंकी गई है और अभी तक 2 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए का प्रावधान है।

*[अनुवाद]*

यह चरणवार है। मैं तीसरे चरण की बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**डा० रामचन्द्र डोम (बीरभूम)** : चौथे चरण के बारे में आपका क्या कहना है ?

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : फोर्थ फेज, इसको अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है। यह काम जब पूरा हो जायेगा तो इसको देखा जायेगा। ...*(व्यवधान)* बजबज आकरा, यह काम लागत, यह काम आठ करोड़ रुपये का है। अभी तक इस पर एक करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है। यह कार्य दिसम्बर 1999 तक पूरा कर लिया जायेगा। गुरूप-शक्तिगढ़, यह कार्य की लागत 42 करोड़ रुपये आंकी गयी है। 1996-97 में यह शामिल किया गया था। 16 किलोमीटर लम्बाई है। अभी तक इस पर दो करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इस कार्य को दिसम्बर 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है। न्यूअलीपुर आकरा, इस कार्य की लागत 12 करोड़ रुपये आंकी गयी है। अभी तक दो करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इस कार्य को दिसम्बर 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बांदेल-कटवा, यह कार्य वित्तीय वर्ष 1992-93 के बजट में शामिल किया गया था। 205 किलोमीटर रेल का विद्युतीकरण। 50 करोड़ रुपये आंकी गयी है। अभी तक 42 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस वर्ष के दौरान 5 करोड़ का प्रावधान है। यह कार्य मार्च 1997 तक पूरा किया जा चुका है। आद्रा-मिदनापुर विद्युतीकरण। यह कार्य 1993-94 के वित्त में शामिल किया गया था। 155 मिलोमीटर विद्युतीकरण 84 करोड़ रुपये आंकी गयी है। अभी तक 19 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया गया है और यह कार्य मार्च 1999 तक पूरा कर दिया जायेगा।

राणाघाट-बडगांव विद्युतीकरण 1997-98 के बजट में था ही। इस पर स्पष्टीकरण किया जाना है।

संसद सदस्य की मांग। कुमारी ममता बनर्जी ने टोलीगंज घरिया, एम०आर०टी०पी० लाइन वालों की मांग की थी। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा कि जो एम०आर०टी०पी० का नियम है वही एम०आर०टी०पी० के लिए, पूरे देश में यह निर्णय सरकार ने लिया है कि वह काम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलपमैंट करेगी। यह काम शहरी विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। फिर भी मैंने माननीय संसद सदस्यौं की भावना को देखते हुए सरकार के नोटिस में लाया हूं, और मुझको खुशी होगी यदि यह काम रेलवे को दिया जाता है। लेकिन यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलपमैंट के अन्तर्गत आता है। यही बात मैं उस दिन भी कहना चाहता था। हमने राणाघाट-हसनाबाद विद्युतीकरण के सर्वे का आदेश दे दिया है। ...*(व्यवधान)* कृष्णानगर से लालगोला तक सर्वे का आदेश दे दिया गया है और उसके बाद विद्युतीकरण के ऊपर काम शुरू किया जायेगा।

बांकुरा-दमोदरघाट लाइन चूंकि इसमें छूट पता नहीं माननीय सदस्यों को लिखे पत्र में कैसे छूट गई। बांकुरा-दमोदरघाट एन०जी० रेलवे लाइन को, एन०जी० रेस्टोरेशन का हमने निर्णय ले लिया है और उस पर बस चलाने का हमने फैसला किया है। इसके लिए आवश्यक धनराशि रखी गयी है। यह रेलवे लाइन एन०जी० रेलवे लाइन को रेलवे खरीदेगा। पहले हम इसको खरीदेंगे। खरीदने के बाद तब, खरीदने का निर्णय हमने ले लिया है और उसके बाद लाइन खरीदने के बाद रेस्टोरेशन कर दिया जायेगा।

*[अनुवाद]*

**डा० रामचन्द्र डोम** : कटवा-अमितपुर खंड के बारे में आपका क्या कहना है।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : देख लेंगे। अभी तो नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसमें नहीं है।

[श्री राम विलास पासवान]

पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों को मालूम है कि ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो० पी०जे० कुरियन :** आप वामपंथी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगें।

**श्री राम विलास पासवान :** मुझे खुशी होगी अगर ··· *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** बहुत व्यवधान डाला जा रहा है। कृपया व्यवधान न डालें मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक हस्तक्षेप कर उत्तर न दें।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

पश्चिम बंगाल के माननीय संसद सदस्यों को मालूम है कि नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रैस के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में दो दिन करने से नई दिल्ली-हावड़ा के बीच धनबाद के रास्ते प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस सेवा उपलब्ध हो गयी है। इसके अलावा ई०एम०यू० सेवायें, आसनसोल, चितरंजन, झाझा एवं पुरूलिया आसनसोल वर्तमान खंडों पर चलाने की घोषणा की गयी है। पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य कलकत्ता और न्यूजलपाईगुड़ी के बीच एक अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं क्योंकि हावड़ा कोचीन काम्पलैक्स के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें कुछ समय लगेगा। इस बीच 3153-3154 स्यालदाह-मालदाह गौर एक्सप्रैस को न्यूजलपाईगुड़ी तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे एक अतिरिक्त दैनिक सेवा मुहैया हो जायेगी।

इसके अलावा कुछ माननीय संसद सदस्यों ने कहा था। उन्होंने लिखा है ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** (हावड़ा) : उत्तर सीमांत रेलवे के बरसोई जंक्शन और पश्चिम बंगाल के राधिकापुर जंक्शन के बीच आमान परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है।

*[हिन्दी]*

आपने पाकिस्तान के बार्डर के मुख में कश्मीर के लिए 300 करोड़ रुपये दिए, उसके लिए आपको बधाई देते है। चीन के बार्डर में कुछ पंथ हैं, उसके लिए रेल सेवा दी, उसके लिए बधाई देते हैं।

*[अनुवाद]*

बंगला देश की सीमा पर एक पिछड़े क्षेत्र में पिछले चालीस वर्षो ये बारदोई से राधिकापुर तक बड़ी लाइन नहीं बिछाई गई है। यह आमान परिवर्तन का कार्य किस कारण से नहीं किया जा रहा है। दूरी केवल 60 किलोमीटर है। पूरे जिले में रेलवे लाईन तथा मुख्यालय न प्रदान किया जाना ठीक नहीं है।

*[हिन्दी]*

मैंने आपको इसके बारे में चार बार लिखकर दिया। रेलवे बोर्ड का एक ही बहाना है कि वह बंगलादेश का बार्डर है। कश्मीर और पाकिस्तान के बार्डर में बन सकता है, बंगलादेश के बार्डर में नहीं बन सकता।

**श्री राम विलास पासवान :** आपका दो बार पत्र आया, आपने मिलकर भी कहा है। हम उसे सीरियसली देख रहे हैं। उसमें यह नहीं है कि हमने कोई नैगेटिव ऐटीट्यूड लिया है बल्कि उसे उस दृष्टिकोण से सीरियसली देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं।

हमारे साथी सुकदेव पासवान जी ने लिखा है कि मानसी-सहरसा, असल में मानसी-सहरसा-फारबिसगंज था। ··· *(व्यवधान)*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : दिल्ली से सियालदाह रेलवे ट्रेन की मांग भी बहुत है। उसके बारे में क्या हुआ।

*[अनुवाद]*

**श्री राम विलास पासवान :** दिल्ली-सियालदह ट्रेन विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

मानसी-सहरसा-फारबिसगंज और कटिहार से फारबिसगंज के बारे में पिछली बार के बजट में मैंने कहा था। लेकिन यह काम फेज़वाइज होगा। दूसरा, राम कृपाल जी ने मीठापुर में ओवरब्रिज के निर्माण के संबंध में कहा कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार का प्रस्ताव मेरे पास आ गया है। भारत सरकार का पैसा देकर हम उसे करने को काम करेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** मंत्री महोदय, मैं आपका, धन्यवाद करता हूं कि आपने गौर एक्सप्रेस को न्यू जलपाईगुड़ी तक पढ़ा दिया है। मेरा प्रस्ताव कलकत्ता और न्यू जलपाईगुड़ी तक शताब्दी एक्सप्रेस के लिए था। क्योंकि गौर एक्सप्रेस केवल दो जिलो दक्षिण दीनाजपुर और उत्तरी दीनाजपुर की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जहां कोई रेल लाइन नहीं है। अगर आप गौर एक्सप्रेस को न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ा देते हैं तो उस क्षेत्र के यात्रियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैं उस क्षेत्र का हूं। मैं भी इससे पीड़ित हूं। इसलिए गौर एक्सप्रेस को मालदा तक बढ़ा दें और कलकत्ता और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चला दें। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं यह प्रत्येक व्यक्ति की मांग है। कृपया इस पर विचार करें।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** जैसा मैंने उस दिन उनको कहा था कि हमारा दुर्भाग्य यह हुआ कि पिछले 3-4 सालों से शताब्दी के कोचेस का उत्पादन बिल्कुल बंद कर दिया गया था। इस बार भी हम यदि

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माईनूटली नहीं देखते तो वह हमारे रास्ते से स्लिप कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि इस बार हमने 2500 कोचेस का, जिसमें शताब्दी के लिए अलग कोचेस की जरूरत होती है, राजधानी के लिए अलग कोचेस की जरूरत होती है, अपने आप देखकर आर्डर दिया है, आप देखते होंगे कि बहुत सी ट्रैनों की हमने संसद में घोषणा नहीं की है लेकिन उनको चलाने का काम किया है चाहे पंजाब की हो चाहे दूसरी जगह की हो।...*(व्यवधान)*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : ऐसे ही यहां पर भी कर दीजिए।

**सभापति महोदय** : कृपया आप अपने सुझाव लिखित में दे दीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : आपकी मांग सही है। मैं सब सदस्यों की भावनाओं को देख रहा हूं। हम कोच के आधार पर ट्रेन बढ़ा रहे हैं। एक महीने में मेरे पास कुछ कोचेस आए तो मैंने उस आधार पर बड़ा दिया। फिर ज्यों ही हमारे पास कोचेस उपलब्ध होते जाएंगे, हम उनको बढ़ाएंगे और आपने जो कहा है, उसे भी ध्यान में रखकर काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब एक परिवार के हैं, एक जगह से आए हैं। आपकी जो कठिनाई है वह मेरी कठिनाई है। आज मैं रेल मंत्री हूं कल नहीं रहूंगा। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि ...*(व्यवधान)*

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए ...(व्यवधान

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** (विशाखापत्तनम) : महोदय, उन्हें सभी दलो से शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। श्री पासवान जी, सभी दल के आपके आभारी है। यह बहुत बड़ी बात है। सभी दल खुश है।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : मैं माननीय सदस्यों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह रेलवे बजट का भाषण मेरा अंतिम भाषण नहीं है। इसके अलावा भी जो छोटे-मोटा काम आपका होगा, हम सब परिवार के समान बैठकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। आपने जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपको और चेयर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं 1997-98 की रेलवे की अनुदान की मांगे इस सदन में संतुत करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं 1980 से इस सदन का सदस्य हूं और मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी भी रेल मंत्री ने बहस का 2 घंटे 43 मिनट तक उत्तर दिया हो। इस बात को देखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और हम सभी की तरफ से किसी कटौती प्रस्ताव और किसी संशोधन पर जोर नहीं दिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री अमर पाल सिंह** (मेरठ) : सभापति जी, मेरा कट मोशन नम्बर वन है और मंत्री जी से मैं आश्वासन चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यों, वर्ष 1997-98 के लिए अनुदानों की मांग (रेलवे) के लिए सदस्यों ने कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखूं या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

**श्री अमर पाल सिंह** : महोदय मैं अपने कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं।

*[हिन्दी]*

अगर मंत्री जी आश्वासन दे कि मैं मुरादनगर मेरठ में जो पचास लाख रुपया दिया है, उसे मैं बढ़ाऊंगा तो मैं कटमोशन को सैपरेटली मूव नहीं करूंगा।

**श्री राम विलास पासवान** : सभापति जी, ये तो हमसे मिले थे। मैंने इनसे कह दिया था कि अभी पचास लाख जिनको दिया है, सब को बढ़ा रहे हैं, जब सब को बढ़ा रहे हैं तो आपको क्यों नहीं बढ़ाएंगे।

**श्री अमर पाल सिंह** : हमारा आप पांच करोड़ रुपये करने का हमें आश्वासन दो।

**श्री राम विलास पासवान** : अब कितना बढ़ाएंगे, वह मत पूछिये। आपकी भावना को देखते हुए 50 लाख रुपये से बढ़ा देंगे।

**श्री अमर पाल सिंह** : अब तो उन्होंने आश्वासन दे दिया।

**सभापति महोदय** : आप विथड्रा कर रहे हैं ?

**श्री अमर पाल सिंह** : मैं उनको प्रेस नहीं कर रहा हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : क्या सदन इस बात से सहमत है कि श्री अमर पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया जाए ?

*कटौती प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : अब इसके बाद कोई और ऑनरेबिल मैम्बर अपने कटमोशन सैपरेटली मूव करना चाहते हैं ?

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : मैं भी विथड्रा कर लूंगा। मैं अपनी बात कर लूं। मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपका कोई कट मोशन है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कुछ भी कार्रवाई वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को, जिन्हें एक साथ प्रस्तुत किया गया है, मतदान के लिए रखता हूं

*30 अप्रैल, 1997 को प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।*

**सभापति महोदय** : अब मैं 1997-98 की अनुदानों की मांगों (रेलवे) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

*लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए अनुदान की मांगों (रेलवे)*

| मांग संख्या | मांग का नाम | लेखा अनुदान की मांग की राशि जिसकी स्वीकृति सदन द्वारा 13.3.97 को दी गई थी | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | रेलवे बोर्ड | 6,00,76,000 | 30,03,82,000 |
| 2. | विविध व्यय (सामान्य) | 28,23,30,000 | 141,16,52,000 |
| 3. | रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं | 201,62,50,000 | 1008,12,50,000 |
| 4. | रेलपथ और निर्माण कार्यो की मरम्मत और अनुरक्षण | 392,87,93,000 | 1964,39,67,000 |
| 5. | रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण | 222,81,85,000 | 1114,09,25,000 |
| 6. | सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण | 405,15,66,000 | 2025,78,28,000 |
| 7. | संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण | 209,22,22,000 | 1046,11,08,000 |
| 8. | परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर | 319,90,98,000 | 1599,54,91,000 |
| 9. | परिचालन व्यय-यातायात | 1324,39,10,000 | 2991,95,47,000 |
| 10. | परिचालन व्यय-ईंधन | 744,69,11,000 | 3723,45,55,000 |
| 11. | कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं | 147,21,59,000 | 736,07,97,000 |
| 12. | विविध संचालन व्यय | 182,75,71,000 | 913,78,58,000 |
| 13. | भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ | 418,84,00,000 | 2094,19,99,000 |
| 14. | निधियों में विनियोग | 1177,66,67,000 | 4406,33,33,000 |
| 15. | सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की आदयगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन | 4,28,11,000 | 1625,43,89,000 |
| 16. | परिसम्पतियां – खरीद, निर्माण और बदलाव | | |
| | राजस्व | 7,50,00,000 | 37,50,00,000 |
| | अन्य व्यय | | |
| | पूंजी | 1608,67,21,000 | 8043,36,04,000 |
| | रेलवे निधियां | 682,59,67,000 | 3412,98,33,000 |

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

---

अपराह्न 5.34 बजे

## विनियोग (रेल) संख्याक 3 विधेयक, 1997*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब सभा मद सं० 6 पर विचार करेगी।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।***

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय** : यह सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

**प्रश्न यह है कि** :

**"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"**

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

***खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।***

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

*अनुसूची विधयेक में जोड़ दी गई।*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधयेक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

*खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी बधाई के पात्र है। परन्तु मैं सभा में व्यवस्था लाना चाहता हूं।

यह सभा अब गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी।

---

**अपराह्न 5.37 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

**(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक***
**(अनुच्छेद 171 में संशोधन)**

*[अनुवाद]*

**श्री के०सी० कोंडय्या** (बेलारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री के०सी० कोंडय्या** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में **प्रकाशित**।

**अपराह्न 5.38 बजे**

**(दो) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक***
**(नई धारा 54क का अंतःस्थापन)**

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री भगवान शंकर रावत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 5.39 बजे**

**(तीन) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक***
**(धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)**

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री भगवान शंकर रावत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित।

**अपराह्न 5.40 बजे**

**(चार) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक***
**(धारा 51 में संशोधन)**

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री भगवान शंकर रावत** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 5.41 बजे**

**(पांच) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण)**
**(विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक**

*[अनुवाद]*

**श्री जी०एम० बनातवाला** (पोन्कनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, जो 23 मई 1993 को समाप्त हो गया था, के अंतर्गत सभी विधायी कार्यवाहियों तथा उससे संबंधित या प्रभावित मामलों को वापस लेने तथा निवारण वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आंतकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 जो 23 मई 1995 को समाप्त हो गया था, के अंतर्गत सभी विधायी कार्यवाहियों तथा उससे संबंधित या प्रभावित मामलों को वापस लेने तथा निवारण वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री जी०एम० बनातवाला** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित।

**अपराह्न 5.42 बजे**

**(छः) संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक***
**(अनुसूची में संशोधन)**

*[अनुवाद]*

**श्री पी० कोदंड रमैया** (चित्रदुर्ग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधयेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री पी० कोदंड रमैया** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मुझे कुछ पिछला अध्ययन करना होगा। श्री कांशीराम जी द्वारा एक विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना था और एक अन्य माननीय सदस्य का नाम भी इससे जुड़ा है। श्री कांशीराम राणा उपस्थित नहीं थे परन्तु मैं समझता हूं डा० जगन्नाथ जी उपस्थित हैं।

**कुछ माननीय सदस्य** : वे उपस्थित नहीं हैं।

**सभापति महोदय** : ठीक है, अब हम क्रम संख्या 19 पर चर्चा करते हैं।

**अपराह्न 5.43 बजे**

**(सात) पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक***
**(अनुसूची में संशोधन)**

*[अनुवाद]*

**श्री सत्य पाल जैन** (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री सत्य पाल जैन** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 05.44 बजे**

**(आठ) प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक***

*[अनुवाद]*

**श्री जी०ए० चरण रेड्डी** (निजामाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री जी०ए० चरण रेड्डी** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

**सभापति महोदय** : अब सभा संविधान (संशोधन) विधयेक, 1996 पर आगे विचार करेगी।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विधेयकों पर चर्चा के लिए मात्र एक घण्टा बचा है। इसीलिए मुझे अपने विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कुल चार घण्टें का समय दिया गया है। पिछली चर्चा में तीन घण्टे समाप्त हो गए थे। आज इस विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए मात्र एक घण्टा बचा है। इसीलिए मुझे इस एक घण्टे के भीतर अपने विधेयक, को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अन्यथा मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर खो दूंगा।

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : इस विधेयक पर अब चर्चा की जानी हैं चर्चा जारी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा के लिए आज आबंटित समय चार घण्टे हैं।

**सभापति महोदय** : आबंटित समय 4 घण्टे 21 मिनट है। लिया गया समय 3 घण्टे 21 मिनट है। बाकी समय एक घण्टा बचा है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** इस विधेयक पर चर्चा के लिए मात्र एक घण्टा आबंटित किया गया था। इसी लिए मुझे इस एक घण्टे के दौरान विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय :** आपके कहने का अभिप्राय है कि आपके विधेयक पर चर्चा आज आरम्भ होनी चाहिए।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** यदि केवल एक मिनट भी मुझे दिया जाता है तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। मुझे इसे आरम्भ करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय :** यही ठीक होगा। उस विधेयक पर जिस पर पिछली बार चर्चा की गई थी, श्री सत्यपाल जैन बोल रहे थे और वे पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके हैं। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

**उपराह्न 05.46 बजे**

## संविधान (संशोधन) विधेयक*

### (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

*[हिन्दी]*

**श्री सत्य पाल जैन** (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, श्री भगवान शंकर रावत जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात कर रहा था। पिछली बार समय समाप्त होने के कारण बहस पूरी नहीं हो पाई थी और मामला आज के लिए स्थगित हो गया था।

महोदय, मैं संविधान की धारा 44 पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है— भारत समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह धारा राज्यों की नीति के निदेशक तत्व हैं और उन धाराओं के अन्दर इसको शामिल किया गया है। संविधान की धारा 37 में कहा गया है कि जो मूलभूत निर्देश दिए गए हैं, सरकार की जितनी नीतियां बनेंगी, उनके अन्दर मूलभूत बातें होंगी। संविधान की धारा 37 कहती है—इस भाग में अंतर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किन्तु फिर भी इसमें अधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, राज्य विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्यों का कार्य होगा। इस भाग के अन्दर जो कुछ और बातें कही गई हैं, वे सारी महत्वपूर्ण हैं—ग्राम पंचायतों का संगठन, समान अधिकार, पुरुषों और महिलाओं को समान रोजगार भत्ता मिलना, अनुसूचित जाति का विकास और अन्य बहुत सारी बातें जो सरकार के दिशा निर्देश के लिए और सरकार चलाने के लिए मूलभूत हैं, इस खण्ड में शामिल की गई हैं। महोदय, आपको ध्यान होगा, 1971-72 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तब देश के अन्दर एक बहस शुरू हुई थी। उस बहस की यह दिशा थी—क्या भारत के संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, वे सर्वोच्च हैं या भारत के संविधान के अन्दर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वे सर्वोच्च हैं ? क्या सुप्रीमेसी फन्डामेंटल राइट्स की है या सुप्रीमेसी डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स की है — इस बात का विवाद शुरू हुआ था। उस समय हमारे वामपंथी विचाराधारा के लोग कांग्रेस में श्रीमति इंदिरागांधी का समर्थन कर रहे थे। यह सब तब कह रहे थे कि सरकार बनाने में और सरकार की नीतियां बनाने में जो दिशा-निर्देश हैं उनकी सर्वोच्चता होनी चाहिए और जो बातें दिशा-निर्देश में कही गई हैं उनको सरकार की नीतियां बनाते समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब संविधान की धारा 44 के अंदर यह बात कही गई है कि कोई सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगी। उस दिशा में जो एक कदम श्री रावत जी ने उठाया है मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, जो भारत के संविधान को मानता है वह इसका विरोध नहीं कर सकता।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित।

सभापति महोदय, बनातवाला जी उस दिन बोल रहे थे। उन्होंने बोलते समय संविधान की धारा 330 से लेकर 331 तथा कुछ और धाराओं का जिक्र किया था। संविधान की जो सारी धाराएं हैं, जो 301 से लेकर आगे तक हैं उनके चेप्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सारी धाराएं अस्थाई हैं और कम अवधि के लिए इनका गठन किया गया है। अगर आप भारत के संविधान की धारा 330 की ओर जाएं तो इसके ऊपर जो संविधान का भाग 16 है उसके अंदर लिखा हुआ है — कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यह अस्थाई है, स्पेशल प्रोविजंस हैं जो बहुत कम समय तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन धाराओं में एक-दो की बात का जिक्र करके अगर हम इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहें तो यह उचित नहीं होगा और संविधान तथा उसकी जो धारणा एवं भावना है उसके साथ बहुत ज्यादती करने वाली बात होगी।

सभापति महोदय, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने दस मई, 1995 को श्रीमती सरला मोदगिल वर्सेस भारत सरकार के मामले में अपना निर्णय दिया है और इसके अंदर केन्द्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भारत के अंदर एक समान आचार संहिता लागू करें।

सभापति महोदय, पिछली बार कुछ लोगों ने बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ सुपीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ इस बात के बारे में कहा है कि सरकार यूनीफार्म सिविल कोड बनाए बल्कि अब तक सरकार द्वारा न बनाए जाने के निर्णय की भी सुप्रीम कोर्ट ने निन्दा की है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट कहता है—

*[अनुवाद]*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत संवैधानिक आदेश को क्रियान्वित करने के अपने कर्त्तव्य में आज तक एक के बाद एक आने वाली सभी सरकारें पूर्णतः लापरवाह रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत यह एक स्पष्ट आदेश है जिसका आशय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में एक समान विधि को लागू करना है।

*[हिन्दी]*

आगे चल कर सुप्रीम कोर्ट कहता है–

*[अनुवाद]*

"अनुच्छेद 44 इस अवधारणा पर आधारित है कि एक सभ्य समाज में धर्म और स्वीय विधि के बीच कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को प्रत्याभूति देता है जब कि अनुच्छेद 44 का आशय सामाजिक संबंधों और स्वीय विधि से धर्म को अलग रखना है। हिन्दुओं की स्वीय विधि जैसा कि विवाह, उत्तराधिकार और ऐसी ही अन्य सभी का उद्गम धर्म संस्कारों से होता है उसी प्रकार जिस प्रकार मुसलमानों या ईसाइयों के मामले में होता है। सिखों, बौद्धों और जैनों के साथ हिन्दुओं ने राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के उद्देश्य हेतु अपनी भावनाओं का परित्याग कर दिया है, कुछ अन्य समुदायों ने नहीं किया है, यद्यपि संविधान सम्पूर्ण भारत के लिए समान सिविल संहिता का विधान करता है।"

*[हिन्दी]*

सभापति महोदय, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि आपने यूनीफार्म सिविल कोड के मामले में जो कदम उठाए हैं उनकी जानकारी हमको दीजिए। इससे पहले भी जो शाहबानो का केस आया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही थी। इसी जजमेंट में जस्टिस कुलदीप सिंह ने अपने निर्णय में लिखा है–

*[अनुवाद]*

"जब 80 प्रतिशत से ज्यादा नागरिकों को पहले ही संहिताबद्ध स्वीय विधि के अन्तर्गत लाया जा चुका है तो भारत के नागरिकों के लिए एक 'समान सिविल संहिता' लाने को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं है।"

*[हिन्दी]*

सभापति महोदय, जब उन्होंने स्पष्ट कहा है तथा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अब यूनिफार्म सिविल कोड लागू न करने का कोई भी यह कारण नही है और हिदायद भी दी है। मैं बड़ा हैरान हूं कि कैसे कोई व्यक्ति बोलते हुए कोई दूसरी बात कह सकता है।

अध्यक्ष जी, शाहबानों का केस सारे देश के ध्यान में है। एक वृद्ध महिला केवल ये मांग कर रही थी उसे तालाक के बाद अपने पति से क्रीमनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के अन्तर्गत एक रोजगार भत्ता जिसकी राशि 500 रुपये कानून पहले ही तय कर चुका है दिलाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया और मुझे याद है कि इस सदन के अंदर उस समय के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने उस समय के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को इस निर्णय के पक्ष में बोलने के लिये बधाई दी लेकिन राजनीतिक कारणों से वह दबाव में आ गये और उस निर्णय को बदलने के लिए एक कानून और बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यदि मुसलमान अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह क्रीमनल प्रोसीजर एक्ट की धारा 125 के अन्तर्गत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है लेकिन जो दूसरे धर्म की महिलाएं हैं या उनके बच्चे हैं वे गुजारा भत्ता ले सकते हैं इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि यह जो धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ ज्यादती करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और अपने धर्म की आड़ में उन ज्यादतियों को उचित सिद्ध करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि उनके इस कार्य को ठीक करने का एक रास्ता यह होगा कि देश में यूनिफोर्म सिविल कोड लागू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आज आ रही है। आबादी की बढ़ोत्तरी के कारण हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप स्कीमें बनाएं लेकिन आबादी के कारण हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और विकास का काम नहीं हो रहा है। अब अगर बढ़ती हुई आबादी को रोकना है तो यह नहीं हो सकता है कि आप किसी एक धर्म के लोगों को कहें कि "हम दो, हमारे दो" और दूसरे धर्म के लोगों को कहें कि "मेरी चार और मेरी चार के मेरे चालीस।" यह सिद्धांत नहीं चल सकता है। अब अगर "हम दो, हमारे दो" का सिद्धांत चलाना है तो प्रत्येक धर्म के नागरिक पर चलाना होगा, उसमें धर्म का भेद-भाव नहीं रखना होगा। आप जब धर्म के नाम पर इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां पैदा होती है। इससे मुस्लिम महिलाओं को भी लाभ नहीं होता है। आज के महंगाई के वक्त में एक पति को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल होता है तो कैसे वह चार-चार बीवियां और 15-15 बच्चों के साथ गुजारा कर सकता है। इस ओर भी हमें विचार करना होगा। आज इस महंगाई के युग में एक-एक परिवार के लिए अपना पेट पालना मुश्किल है। मुस्लिम धर्म में यह कहीं नहीं कहा गया है कि हर मुस्लिम चार शादियां करेगा। यही कहा गया है कि अगर एक से बेटा नहीं होता है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पर उसमें भी चार की सीमा बांधी गई है। अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी मुस्लिम देश के अंदर भी किसी भी मुसलमान को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार नहीं है। जब मुस्लिम देशों में ऐसा है तो यहां हिंदुस्तान में यह अधिकार क्यों होना चाहिए। इसका औचित्य हमें समझ में नहीं आता है। जबकि न यह मुसलमानों के हित में हैं, न मुस्लिम महिलाओं के हित में और न यह देश के हित में है।

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : महोदय, जब एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है तब संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है। हमें यह कहते हुए बहुत दुख होता है।

**सभापति महोदय** : संबंधित मंत्री ने सभापति की अनुमति ली है और यह माननीय महिला मंत्री उपस्थित हैं।

*[हिन्दी]*

**कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह)** : मैं सारा दिन रुकी रही हूं, आप क्या बात करते है। लॉ-मिनिस्टर आ रहे हैं।

**सभापति महोदय :** यह बहुत महत्वपूर्ण डिबेट हो रही है। इसे आप गौर से सुने। इसमें महिलाओं के हित की बात हो रही है।

**श्री सत्य पाल जैन :** मुझे खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने इस विषय पर नोट लेने के लिए एक महिला मंत्री को कहा है। उनकी हमदर्दी तो हमारे साथ होगी और जहां तक महिलाओं पर ज्यादती का प्रश्न है तो वह अपनी रिर्पोट के द्वारा सरकार को हमारे पक्ष में और महिलाओं के पक्ष में जरूर करने का प्रयास करेंगी।

अध्यक्ष जी, चार-चार शादियों के कारण मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है ओर बाकी धर्मों के लोगों का प्रतिशत जिनमें विशेष रूप से हिंदू आते हैं उनकी आबादी कम हो रही है। आबादी बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि उसको रोकना चाहिए। आप एक समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ने देंगे।

**अपराह्न 6.00 बजे**

और दूसरे समुदाय के लोगों की आबादी रोकने का प्रयास करेंगे तो इसके कई तरह के गम्भीर और खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। यह सच्चाई है और मैं किसी के ऊपर किसी किस्म का आक्षेप नहीं करना चाहता। इस हिन्दुस्तान के अन्दर अब अगर यह देखें कि जिन प्रान्तों में हिन्दू अल्पमत में हैं, वहां आपको कानून और व्यवस्था की समस्याएं अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगी। जहां हिन्दुस्तान में हिन्दू बहुमत में हैं, वहां एंटी-नैश्नल और एंटी-टैरारिस्ट एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिलेंगी। आप किसी प्रदेश में देख लें। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं एंटी-नैशनल एक्टिविटीज हो रही है तो जम्मू-कश्मीर में हो रही है जहां हिन्दू मैजोरटी में नहीं हैं। बाकी प्रान्तों में देख लीजिए जहां हिन्दू बहुमत में हैं, वहां राष्ट्र विरोधी ताकतों को सिर उठाने का समय और अवसर कम मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके सही मामले को यहा रखा जाना चाहिए।

आज समय है, जब हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक समरसता का वातावरण पैदा करना चाहिए। कब तक हम लोगों को इस बात का अहसास कराते रहेगे कि आप मुसलमान हैं, आप अलग रहिए, आप क्रिश्चियन हैं, आप अलग रहिए, आप जैन हैं, आप अल्पमत में हैं, आप अलग रहिए, आपका धर्म अलग रहे, आपका ढंग अलग रहे, आप राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रहें, यह देश के हित में नहीं है। अच्छा होगा यदि हम सब लोगों को मिला कर रखें। अगर किसी की थोड़ी बहुत भिन्नता भी है तो उनको समझाने का प्रयास करें कि आप भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए और उसमें शामिल होने का प्रयास करिए, इसमें आपका हित है। आजादी के 50 साल बाद भी हम संविधान द्वारा दिया गया निर्देश लागू नहीं करना चाहते। 50 साल के बाद भी उनको समझा कर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की बजाय जो उनके अलग-अलग प्वाइंट्स हैं, उनको हाई लाइट करना चाहते हैं। यह देश के हित में नहीं है।

मेरे एक वामपंथी मित्र एक दूसरी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसकी भावना से सहमत हूं लेकिन बिल का विरोध करता हूं। मैं उनका इतना भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे चाहे देश में पर्सनल लॉ की बात करें, बाकी दूसरी बातें कहे, दुनिया के किसी कम्युनिस्ट देश में देख ले, वहां एक ही कानून है और जो सब नागरिकों पर लागू होता रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक देश के अन्दर एक कम्युनिटी के लोग चार शादियां करें। ··*(व्यवधान)*

बनातवाला जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो बहु पत्नी प्रथा है, वह सबसे कम मुसलमानों में हैं और बाकी धर्मों के अन्दर ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वह हिन्दुओं के अन्दर ज्यादा हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि भले ही वह हिन्दुओं के अन्दर ज्यादा है, अगर बहु पत्नी प्रथा गलत है तो वह सब के लिए गलत है। सती प्रथा अगर गलत है तो सब के लिए गलत है और कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसलिए इस बात की तरफ मत जाइए कि हिन्दुओं में ज्यादा है, मुसलमानों में ज्यादा है। यहां बहु पत्नी प्रथा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री ए०सी० जोस ने अपने भाषण में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह "डीजायरेबल" है। बहुत सी चीजें डीजायरेबल चीज को लागू नहीं कर सकते। मैंने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ कर सुनाया। बिल्कुल स्पष्ट दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसलिए मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए संविधान की धारा का सम्मान करते हुए और उस संविधान की धारा का सम्मान करते हुए जिसे बनाने वाले डाक्टर अम्बेडकर थे, डाक्टर राधाकृष्णन थे, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन के बारे में हमारे विरोधी यह नहीं कह सकते कि वह साम्प्रदायिक थे। उनकी साम्प्रदायिकता के बारे में कोई शक नहीं है। उनके द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसकी धारा 41 को लागू करें। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** आज इस चर्चा के लिए कुल मिलाकर एक घण्टा दिया जाता है। मैं माननीय सभापति को फिर से याद दिया रहा हूं कि पहले ही आधा घण्टा बीत गया है। मंत्री को उत्तर देना है। परन्तु मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है।

**सभापति महोदय :** आपने कहा था कि विधेयक को पेश करने और वाद-विवाद को शुरू करने के लिए आपको पांच मिनट पर्याप्त होंगे।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** जब एक घण्टा दिया गया है तो डेढ़ घण्टे का समय लिया जा सकता है।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : आप सभा का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ?

**श्री रमेश चेन्नितला** (कोट्टायम) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर सदस्यों को बोलने दीजिए।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** भिक्षा वृत्ति का उत्साहन विधेयक ज्यादा महत्वपूर्ण है।

**सभापति महोदय :** मैं केवल माननीय सदस्यों से अपनी बात को संक्षिप्त में कहने का अनुरोध कर सकता हूं।

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा की जा रही है तो उन्हें बाधा नहीं डालनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कृपया वे अपने भाषण में कम समय लगाए।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ परन्तु मेरे मित्र श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के उद्देश्य से मैं मतभेद रखता हूं। मेरे विचार से यह एक गलत तरीके से बनाया गया, असमय और अत्यधिक संकीर्णता से प्रेरित विधान है जिसे उन्होंने प्रस्तावित किया है।

मैं उच्चतम न्यायालय के निवर्त्तमान न्यायाधीश श्री वी०आर० कृष्णा अय्यर के उद्धरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ।

"जल्दी में किए गए उपाय उत्साही व्यक्ति और अपने देश को अन्य देशों से बेहतर समझने की प्रवृति स्थिति को और गम्भीर बना देंगे; क्योंकि, सामाजिक-राजनितिक क्षेत्र में, एक गलत कदम उठाना दो दुखद कदम पीछे रेखने के बराबर है; और सल्चरित्र समझौते की नीति न कि कोरी सिद्धान्तवादी जड़ता या संप्रदायवाद, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ना, शायद, सही तरीका है।

प्रतिरोधी धड़े, राजनीतिक गूढ़ार्थ, समुदाय के प्रगतिशील पक्षों के आन्तरिक आग्रह और इसका रूढ़ि विरोधियों के जड़ दिखावे के साथ शक्ति समीकरण—विधि निर्माता राजनीतिज्ञ के लिए विचारणीय है और एक बहुसंख्यक प्रधान विधान सभा से अपने परिवार को अस्पृश्य रखने की एक अल्पसंख्यक की मनोवैज्ञानिक – सामाजिक ग्रंथि को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।"

**सभापति महोदय** : मैं अब सभा की बैठक को आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए सभा से अनुरोध करता हूं। सामान्य समय छह बजे तक है। मेरे विचार से आरम्भ में हम बैठक को दो घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं। मेरे विचार में इतना काफी है।

**कई माननीय सदस्य** : हाँ।

**सभापति महोदय** : इस प्रकार सभा का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाता है।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : जो मैंने जो कथन उद्धरित किया था वह इस तथ्य के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण है।

मैं जानता हूं कि इस विधेयक को सही मंशा से नहीं लाया गया है। इसे उस ओर से किए गए भाषणों में देखा जा सकता है। एक विशेष दृष्टिकोण जो कि इस विधेयक पर उनके द्वारा व्यक्त किया गया था वह यह था कि वे एक सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य बनाना था। माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले थे उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियाँ और एक संप्रदाय के विरोध में विषैली घृणा को व्यक्त किया। अभी हमने उसे सुना था।

यह मेरा नम्र निवेदन है। यह तर्क दिया गया था कि इस विधेयक का आधार संविधान का अनुच्छेद 44 है। इस अनुच्छेद को बहुत ही सोच-विचार कर शामिल किया गया है। इसमें उल्लिखित है :

"भारत समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब हमें देश में व्याप्त परिस्थिति, देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी और मनावैज्ञानिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यहां पर कई लोग है जो गुरू गोलवालकर से प्रेरित हैं। उन्होंने भी कहा था—

"भारत में सदैव असीम विभिन्नताएं रही है। फिर भी, काफी समय कालावधियों के लिए, हम अत्यधिक शक्तिशाली और अखण्ड राष्ट्र थे। एकता के लिए हमें समरसता की आवश्यकता है न कि एकरूपता की।"

इसी लिए भारतीय परिस्थिति में सभी पर एकसमान संहिता लागू करना पूर्णतः व्यावहारिक नहीं है।

निर्देशक सिद्धान्तों में कई बातें हैं जैसे सभी के लिए निशुल्क शिक्षा, सभी के लिए रोजगार इत्यादि। परन्तु धर्म और अन्य संवेदनशील मुद्दों के सम्बन्ध में हमें सतर्क रहना चाहिए। यह, जैसाकि मैं पहले उद्धरित कर चुका हूं, न्यायाधीश अय्यर द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण है और यही सही दृष्टिकोण है। उस परिस्थिति में हमें अत्यधिक सतर्क होना चाहिए जिससे कि इस देश की अनेकता में एकता को बनाए रखा जा सके। यही हमारे संविधान का आधार है।

दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों की चर्चा करते हैं। इन अनुच्छेदों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। परन्तु यह अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकारों के कुछ अन्य अनुच्छेदों, जो अनुच्छेद 25 से 28 है, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है, से प्रत्यक्षतः विरोध में है। इसलिए ये अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशों के अनुच्छेद 44 के सीधे विरोध में है। ऐसा करना सरल नहीं है।

संप्रदाय, परिवार, बच्चों और जनसंख्या के संबंध में दलीले दीं गई थी परंतु वे सारे तर्क अनावश्यक हैं जो केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही बदनाम करने के लिए दिए गए है। इसी कारण, मेरे विचार इस विधेयक में कही गई बातों से भिन्न हैं। मैं समझता हूं कि एक तर्कसंगत दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए; अल्पसंख्यकों द्वारा कोई अभियान शुरू किया जाना चाहिए; हमें समुदाय के प्रगतिशील उन्नत या समृद्ध प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बारे में मांग की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के प्रगतिशील और पढ़े लिखे लोग इस मांग को विचार-विमर्श द्वारा उठा रहे हैं; और संगोष्ठियों में वे इसके ऊपर अपने धर्म के कट्टर पंथियों के साथ बहस कर रहे हैं। इसलिए अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और अगर यह भावना धीरे-धीरे उस समुदाय के बीच से ही तैयार होती है तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और समय के अंतराल में यह हमारी विधि पुस्तक में शामिल हो जाएगा।

हम सामान्य नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं परंतु इसे इस देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इससे विखण्डन की शुरूआत

[श्री हन्नान मोल्लाह]

हो जाएगी। वे ऐसी कोई बात थोपना चाहते हैं क्योंकि वे विविधता के विरोध में हैं। इसी कारण मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का रवैया संसद, जो देश का उच्चतम मंच है, में नहीं ले जाया जाना चाहिए। हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए, हमें लोगों को एकत्र करना चाहिए और उनमें एकता, अंखडता और देशभक्ति की भावना भरनी चाहिए। इसी तरह हम प्रगति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे किसी विधेयक पर जोर न दिए जाने का प्रस्ताव किया है। इससे हमारे देश की एकता और अंखडता में मदद नहीं मिलेगी। एकरूपता के नाम पर, यह केवल अन्य वर्गों के हज़ारों लोगों की आवाज को दबाने की ही कोशिश करेगा और इससे देश के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इस तरह का कोई विधेयक पेश नहीं किया जाना चाहिए। हमें उस विशेष समुदाय की प्रगतिशील ताकतों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो आगे आ रही हैं जिससे कि उस समुदाय के भीतर से मांग आ सके; और समय के साथ-साथ इसे उस समुदाय के लोगों तथा पूरे देश के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

**अपराह्न 06.13 बजे**

**[श्री पी०सी० चाक्को *पीठासीन हुए*]**

इसलिए इस विधेयक पर मेरे यही विचार हैं और हमें इसपर और अधिक बहस नहीं करनी चाहिए। जिस तरह इस पर तर्क-वितर्क हुए, विशेषकर संसद के अंदर, वह कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे लोगों में दरार उत्पन्न होगी जो देश की एकता और अखंडता में बाधक है। यही मेरा विचार है। धन्यवाद।

**श्री पी०आर० दासमुंशी** (हावड़ा) : सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं पूर्व वक्ताओं – श्री हन्नान मोल्लाह और श्री सत्य पाल जैन के अभिमंतों या टिप्पणियों से असहमत हूं। यह टिप्पणियां या तर्क बुरी तरह निष्फल हुए हैं क्योंकि इस विधेयक के पुरःस्थापन का पुष्टिकरण करने के लिए एक समान सिविल संहिता लाने के लिए एक खास समुदाय को लक्ष्य बनाया गया है।

इम सभी जानते हैं कि समाज किस प्रकार बदलता है। हम यह भी जानते हैं कि भारतीय समाज बंधनों पर आधारित है। जब मैं अपने धर्म का नाम लिखता हूं तो मैं हिन्दु लिखता हूं। अगर कोई मुसलमान लड़का मुझसे पूछता है, 'आप सबसे ज्यादा किस की पूजा करते हो ? तो मैं यही जवाब दूंगा, *मर्यादा पुरुषोत्तम राम*'। अगर वह मुझसे पूछता है कि उनकी कितनी माताएं थी तो मुझे जवाब देना पड़ता है कि उनकी चार माताएं थीं। उनके पिता का नाम क्या है? राजा दशरथ। उन्होंने कितनी पत्नियों से शादी की थी ? उन्होंने चार पत्नियों से शादी की थी। क्या हमारी संस्कृति में ऐसा करना गलत था ? उत्तर है नहीं। अगर वही मुसलमान लड़का मुझसे पूछता है, "*जन्माष्टमी* के दिन मथुरा में आप सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं ? मैं कहूंगा "भगवान कृष्ण"। उनकी कितनी पत्नियां थी ? कुछ कहते हैं 100 से ज्यादा और कुछ कहते है कि 50 से ज्यादा। क्या यह तुम्हारी धार्मिक भावना में गलत था ? मेरा जवाब है 'नहीं'। अगर मुझसे कोई पूछता है कि, "महान यौद्धा अर्जुन की कितनी पत्नियां थी ?" मुझे यह जवाब देना होगा कि उनकी एक से ज्यादा पत्नियां थीं। क्या यह हमारी सामाजिक और धार्मिक मान्यता में गलत माना गया था ? मैं कहूंगा 'नहीं'।

परन्तु इतिहास बदल गया है। समाज बदल गया है। अगर अब आप किसी खास दृष्टिकोण से प्रत्येक बात की पुष्टि करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों का आधार गड़बड़ा जाएगा। वैदिक युग से लेकर आर्यो के शासन काल तक ऐसा समय भी था जब स्त्रियों की संख्या कम थी और पुरुषों की संख्या अधिक थी तथा किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए पुरुषों को युद्ध करना पड़ता था। ऐसा नियम था कि एक औरत के लिए अनेक आदमी लड़ते थे और आखिरी विजेता ही उस स्त्री को प्राप्त करता था। योद्धा क्या किया करते थे ? जब वह अंत में युद्ध जीत जाता था तो वह तलवार की नोक से उस स्त्री के माथे पर *तिलक* को छूता था और उससे निकलने वाले खून को जिसे हम *सिंदूर* कहते हैं, लगा कर वह उससे शादी करता था। यही वहां का सर्वमान्य नियम था। कोई भी धर्म सिंदूर की परंपरा के बारे में नहीं कहता। सिंदूर की परंपरा उसी प्रकार शुरू हुई। हिंदु नियम, विवाह अधिनियम और हिंदु शास्त्र क्या है? जब हम आग को छूकर किसी हिंदु लड़की से शादी करते हैं तो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं :

*[हिन्दी]*

यथास्तु हृदयम् तवा, तथास्तु, हृदयम् मम।

*[अनुवाद]*

और अंत में हम न केवल इस जन्म के लिए बल्कि जन्म-जन्मान्तर के लिए एक दूसरे से बंध जाते हैं। किन्तु नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हम तलाक ले सकते हैं। परंतु गुरु कहता है कि हम तलाक नहीं ले सकते। मंत्र का उच्चारण करके हम एक दूसरे से बंध जाते हैं और हम उस नियम का अनुपालन करते हैं जो कहता है कि अलग होना संभव है क्योंकि अलग होना सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है तथा धार्मिक रीति रिवाज हमारा विश्वास है।

इस पूरे विषय को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी मर्जी से कोई सिद्धांत नहीं थोप सकते। हम राज्य नीति के दिशा निर्देशों के 44 वे निर्देश के अध्ययन में बहुत सतर्क हैं। क्या आपने अन्य निर्देश पढ़े हैं जिसमें कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों के शिक्षा और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा, जो कि राज्य की प्राथमिकता है? अगर हम समाज की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करते हैं तो इस संदेश से बहुत कुछ होगा और यह संदेश समाज के लिए यह बाध्य कर देगा कि इसी संदर्भ में नियम बनाए जाएं। आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन किए बिना और जिन बातों में निर्देश दिए गए हैं वहां प्राथमिकता पर ध्यान दिए बिना हम नियम बना रहे हैं और एक समान सामाजिक संहिता में हमारा लक्ष्य और आत्म विश्वास अपने आप में देश को प्रभावित करने के

लिए अच्छा है। कोई भी जानकार व्यक्ति जो एक समान सिविल संहिता की बात करता है यही कहेगा कि यह जरूरी है। हम सभी जानते है कि यही जरूरी है जहां तक कि विवाह का संबंध है, समान सिविल संहिता क्या है। यह हमारे कानून का बहुत ही तुच्छ भाग है। क्या इतना ही काफी है। और सामाजिक वचनबद्धता क्या है ? वह धार्मिक बंधन क्या है जो हमारे समाज को एकता ओर अनेकता की वास्तविकता परिकल्पना में बांधता है ? हम अचानक मौलिक कर्त्तव्यों की ओर ध्यान दिए बिना राज्य नीति के दिशा निर्देशों से कुछ बातों का उद्धरण दे देते हैं। भारतीय संविधान में "मौलिक कर्त्तव्य" नाम से एक अध्याय है जिसमें ऐसा कहा गया है।

"51 क. (ख) हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें"

वे कौन से आदर्श हैं जिनपर अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह, ने पहले आदमी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले हीरो के रूप में सिपाही विद्रोह में लड़ाई की थी तथा वे कौन से आर्दश हैं जिनके आधार पर महात्मा गांधी जी लड़े थे ? आज़ादी के आधरभूत मूल्य क्या थे ? ये मूल्य हमारे अपने रीति रिवाजों, हमारे अपने प्रयोगों, हमारे अपने धर्मों, हमारे अपने बंधनों और हमारी अपनी दोस्ती में हैं। अब हम भारत का दौरा करें और दोस्ती की उस यात्रा में हम अपने आप को विकसित, शिक्षित और स्थापित करें तथा अन्य उच्च लक्ष्यों की कामना करें। धर्म और जाति से हटकर हम वैसा महसूस करेंगे ? अभी हमें वह सामाजिक परिवर्तन लाना है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समान सिविल संहिता अपने आपमें कोई गलत विचार है। मैं यह कह रहा हूं कि हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या यह राष्ट्र के लिए इस समय कोई प्राथमिकता की बात है ? क्या यह इस समय देश की कार्य सूची की प्राथमिकता में है ? क्या यह इस समय राष्ट्र की कार्यसूची की प्राथमिकता में है ? जनगणना रिपोर्ट को पढ़िए और इसकी पुष्टि कीजिए।

हमारे देश में यह धारण हैं कि मुसलमान एक से अधिक विवाह करते हैं। इसीलिए उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और एक दिन मुसलमान भारत पर कब्जा कर लेंगे। यह कितना घटिया और मूर्खतापूर्ण विचार है। जनगणना रिपोर्ट को उठाकर पढ़िए। इसमें कहा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का औसत अन्य धर्मों के बराबर ही है। मुसलमानों ने वह सीमा पार नहीं की है। इसके विपरीत बल्कि यह कम है। हाल ही की जनगणना रिपोर्ट को उठाकर देखिए। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन भी इसमें शामिल हो।" ···*(व्यवधान)* आप अपने आंकड़ों द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। ···*(व्यवधान)* आप अपने तथ्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है मैं भी तथ्य जानता हूं। आप मेरी बात सुनिए। मैं वही बताने वाला हूं। ···*(व्यवधान)* आपकी बारी आने पर आप इस बारे में बोलिए। आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं ?

**सभापति महोदय :** कृपया कोई हस्तक्षेप न करें।

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** आपको बोलने का अधिकार है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। समस्या क्या है ? समस्या यह है कि जनसंख्या बढ़ती है। यह केवल हिन्दुओं और मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है। आप कही भी जाकर देख लिजिए। आप भारत की किसी भी गंदी बस्ती में जाकर देख लीजिए। चाहे यह हिंदुओं की हो, दलितों की, मुसलमानो की या ईसाइयों की। आप इस क्षेत्र के सबसे गरीब के पास जाकर देखिए। किसी भी गरीब क्षेत्र में जाकर देखिए चाहे वह गंदी बस्ती हो या कोई गांव। आप यह देखेंगे कि जहां शिक्षा नहीं है, रहने का पर्याप्त स्थान नहीं है, कोई सकारात्मक मनोरंजन नहीं है या कोई सामाजिक विकास के साधन नहीं हैं उनका एकमात्र मनोरंजन सेक्स है। मुझे इस बारे में बहुत दुख है उन लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन सेक्स है। राष्ट्र को इस दुखद बात को समझना चाहिए।

हो सकता है आपके साथ यह बात न हो। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। यह मेरा अभिमत है। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। केवल संसद का एक सदस्य नहीं। मैं कई-गंदी बस्तियों में सामाजिक कार्य करता आ रहा हूं। मैंने अपनी चिंता व्यक्त करने की कोशिश की है। क्या ये सच है ? लोग अक्सर सोचते है कि मुसलमान हर हाल में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और हर समय मौज कर रहे हैं। नहीं मैं निर्धनतम हिंदु परिवारों को जानता हूं। उनके लिए बच्चों का होना इसलिए आवश्यक है कि अगर उनके बच्चे नहीं होते तो उनके खेतों की रक्षा कौन करेगा। एक बच्चा अपनी मां की सेवा करेगा और एक अपनी पिता की खेतों में सहायता करेगा।

यही धारणा किसी अन्य गरीब परिवार में भी होती है, चाहे वह मुसलमान का हो या किसी अन्य का। मैंने ऐसा गंदी बस्तियों में देखा है। मैं प्रत्येक गंदी बस्ती में गया हूं। क्या हमारा आपराधिक नियम सबके लिए समान नहीं है ? हमारा अट्ठानवे प्रतिशत कानून सबके लिए समान है। केवल यही एक क्षेत्र है जहां अभी भी सामाजिक स्थिरता और समझ लाई जानी है। और इस क्षेत्र में हम क्या खोज रहे हैं ? मुझे इस टिप्पणी पर दुख होता है कि जहां मुसलमानों की अधिकता है वहाँ से आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों का खतरा हैं मुझे इस बात का बहुत दुख है। क्या पंजाब में मुसलमानों की अधिकता है ? क्या तमिलनाडु में मुसलमानों की अधिकता है ? क्या पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों की अधिकता है ? ऐसा नहीं है। हमें ऐसा कहकर अपमान नहीं करना चाहिए। हमें किसी की नेक नियति पर शक नहीं करना चाहिए। मैं यह नही भूल सकता कि अगर मुझे भारत के नागरिक के रूप में अपनी डायरी में किसी दिन भारत का इतिहास लिखना होगा तो मैं महात्मा गांधीजी का नाम सबसे पहले नहीं लिखूंगा। मैं बहादुर शाह से इतिहास लिखना शुरू करूंगा। हमें इतिहास को उलझाना नहीं चाहिए। हमें उन व्यक्तियों का महत्व कम नहीं करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। अभी तक हमारी धारणा यही है कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान इकट्ठे रहते हैं वहां से राष्ट्र को खतरा है। मुझे इस बात का दुख है यह कोई सही धारणा नहीं है।

अगर हम इसी धारणा को लेकर चले तो चाहे समान सिविल संहिता हो या नहीं; क्या हम राष्ट्र की एकता को बनाए रख सकेंगे ? क्या हम राष्ट्र को एक जुट कर सकेंगे ? क्या हम कुछ निर्देशों द्वारा राष्ट्र की एकता बनाए रख सकेंगे। उस सामाजिक परिवर्तन और हमारे हृदयों के परिवर्तन का क्या होगा।

[श्री पी०आर० दासमुंशी]

सभापति महोदय, मैंने सभी गंदी बस्तियों में देखा है चाहे गरीब दलित हो चाहे मुसलमान उन्हें जिस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं और जिस प्रकार की सामाजिक सुविधाएं हम देते हैं वह शिक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं से अलग प्रकार की होती है। ऐसा हमेशा होता है ? यह मानसिकता का प्रश्न है। हमने अपनी प्रवृति नहीं बदली है। मैंने यह देखा है।

जब बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो एक महीने पहले से पंडाल बनाना शुरू कर देते देते हैं और पंडाल खोलने से लेकर पूजा समाप्ति के बाद मूर्ति के विसर्जन में लगभग डेड़ महीने का समय लग जाता है। *काली पूजा* और दीवाली के समय सड़के लगभग पंद्रह दिनों तक बंद रहती हैं। परंतु *ईद* के दिन जब मुसलमान एक दिन में कुछ घंटे के लिए सड़क बंद करते हैं तो हमें ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं देखों मुसलमानों को खुश किया जा रहा है। उन्होंने तीन घंटे सड़कें बंद कर दी और यातायात रूक गया। उनकी कोई *मस्जिद* नहीं है और इसीलिए उन्होंने मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली इत्यादि की मुख्य सड़कों पर कब्जा कर लिया है। हमें ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं और ये टिप्पणियां गरीबों द्वारा नहीं बल्कि इस देश के पढ़े हुए लोगों द्वारा की जाती हैं जो समान सिविल संहिता को एक जातिय दृष्टिकोण से देखते हैं जिससे कि किसी समुदाय को अलग थलग किया जा सके। ऐसा ही हो रहा है। हम तब कुछ नहीं कहते जब हिंदु दुर्गा पूजा मनाते हैं और प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाकर एक महीने तक पंडाल सजाए रखते हैं। क्या यह सहनशीलता है ? यदि हिन्दु धर्म में कुछ सिखाया गया है तो वह है सहनशीलता। यदि हम इस सहनशीलता को भूल जाएं तो हमें हिन्दु कहलाने का कोई हक नहीं है। आज इस देश में ऐसा ही हो रहा है।

सह समान नागरिक संहिता क्या है ? पंचायती प्रणाली के सम्बन्ध में एक कानून पास किया गया है। पंचायतों में क्या होता है ? नागालैंड की प्राचीन परम्पराओं में यह है कि गाँव का बूढ़ा ही सब निर्णय लेता है। संसद में कोई ऐसा कह सकता है कि गाँव बूढ़े का कानून यहां लागू किया जायेगा, यहां ऐसा कोई प्रश्न ही नही उठता। हम संविधान की किसी धारा का उद्‌घरण देकर कानून को लागू कर सकते हैं परन्तु आपको यह देखने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि इस निर्णय के फलस्वरूप नागालैंड भारत का भाग भी रहेगा या नहीं। हमें उस वास्तविकता को समझना है, जो बहुत आवश्यक है। एक सरगम में सात स्वर होते हैं। यदि कोई संगीतकार अच्छा संगीत बनाना चाहता है तो उसे यह पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा सुर बजाना है अन्यथा वह संगीत को बिगाड़ देगा। और हो भी यही रहा है।

अब समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा करते समय किसी ने उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दे रहा। उच्चतम न्यायालय ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार हमारी विधि की अनेक प्रकार व्याख्या की है। मैं यह भी जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उस हिन्दुत्व की व्याख्या करने का भी प्रयत्न किया है जिसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य, स्वामी विवेकानन्द और श्री रामकृष्ण भी नहीं कर पाए हो सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता अधिक हो। उन्होंने हिन्दुत्व की व्याख्या की है और मैं उसे कैसे चुनौती दे सकता हूं। मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र में उच्चतम है किन्तु, जब लोगों की मानसिक भावनाओं को समझने और अध्ययन करने और अपेक्षित दिशा में प्रगति के रास्ते पर देश को ले जाने की बात आती है तो संसद उससे उत्कृष्ट निवाय है। यदि हम उस रास्ते से मध्य जाते है या अपनी वचनबद्धता को भूल जाते है तो देश को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा।

अतः सभापति महोदय सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूगां कि समान नागरिक संहिता तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से ही आयेगा। यह विसंगतियों को दूर करके सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा ही आयेगी। आज समुदायों में परस्पर बेहद अविश्वास है। आप मेरी राजनीतिक पहचान को भूल जाइये। इस देश में सिक्खों ने देश की स्वतन्त्रता और रक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में सिक्खों और गौरखाओं के योगदान की कोई बराबरी नहीं कर सकता यहां तक कि इस बारे में मैं कुछ उन चुनिन्दा मुसलमानों का नाम भी ले सकता हूं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी अहम्‌ भूमिका अदा की। उस योगदान की कोई समानता नहीं उनके योगदान का केवल एक ही प्रत्युत्तर हो सकता है और वह यह कि संसद कोई ऐसा काम न करे जिसे इस घड़ी हमें करने की अनुमति भी है। यदि हम लोगों के न चाहने पर भी अपनी बात थोपें तो, यदि जानबूझ कर राष्ट्र के प्रति अपनी वचनबद्धता की उपेक्षा करना होगा।

आज सिक्ख समुदाय को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें नीचा दिखाया गया है। यदि आप की भावनाओं को ठेस लगी हो, तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है आप 1984 के दंगों का उदाहरण दे सकते हैं। मैं इससे बहुत महसूस करता हूं। एक ओर श्रीमती इन्दिरा गांधी का निघन हुआ और लोग भावनाओं में बह गए और दूसरी ओर निर्दोष सिक्खों को नई दिल्ली में मार दिया गया। मैं उस रात यहीं था।

**श्री मोहन रावले** : यह सब किसने किया ?

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : कृपया राजनीति को इसमें मत घसीटिए। यदि आप 'किस' की बात करेंगे तो क्या मैं फिर मुम्बई की ओर संकेत करूं ? समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी बातों पर चर्चा मत कीजिए। लोग धर्मान्ध होते हैं। ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मेरी पार्टी में भी हैं, आपकी पार्टी में भी है और सभी पार्टियों में है। क्या आप इस तथ्य से इन्कार कर सकते हैं ? आप यह सब क्यों कहते हैं। स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। धर्मान्धता की कोई भाषा नहीं होती। कोई आदमी इस पर काबू नहीं पा सकता। क्या श्री बाल ठाकरे, श्री रावले को उपवास पर बैठने से रोक सके वे उन्हें रोक नही सके वह उपवास पर क्यों बैठे ? उन्हें देश की वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए। उनका यह महसूस करना उचित है कि उन्हें नीचा दिखाया गया है। 6 दिसम्बर की घटना के पश्चात मुसलमान यह महसूस करते है कि उन्हें नीचा दिखाया गया है। इन परिस्थिति

में क्या संसद की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह लोगों में विश्वास की भावना बहाल करें ? यदि मेरे पिता ने कोई गलत काम किया हो, तो मुझे अपने पिता की हत्या कर देनी चाहिए और इतिहास के पन्नों से उनका नाम काट दिया जाए ? फिर मुझे सड़क की मुरम्मत करने दो। वे भी सड़क की मुरम्मत करने में हमारी सहायता कर सकते हैं क्योंकि सड़क तो हमारी है। मेरा भाई अथवा बेटा आएगा और वे इस दिशा में काम करेंगे। ऐसी हालत में क्या समान नागरिक संहिता लागू करना ही हमारी प्राथमिकता है ? आओ हम इस विश्वास को बहाल करें। आओ हम उनके मन की बात को जाने। किसी अधिनियम को यह कहकर कि यह एक अधिनियम है लागू करके हम नागालैंड की पंचायत के *गाँव बूरा* को नही हटा सकते। हमें भ्रम और निराशा नहीं पैदा करनी चाहिए।

कर्मकाण्ड और धर्म दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। मैं जानता हूं। धर्म को कानून को आदेश नहीं देना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं लेकिन कानून को ऐसी भ्रयात्मक स्थिति भी पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे किसी धार्मिक हक का उल्लंघन होता हो। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम सभी को एक दूसरे को समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कहां हमें सहयोग करना है और कहां नहीं। यहां तक कि हिन्दू धर्म में मुसलमान हमें यह नहीं कहने आए कि ब्राहमण और राजपूत, राजपूत और यादव, और यादव और दलित आपस में झगड़ा करें। मुसलमानों ने हमें ऐसा करने को कभी नहीं कहा। फिर हम क्यों लड़ते हैं और अपने आप को ही मारते हैं ?

जिन गुरूदेव टैगोर का लिखा हुआ राष्ट्रीय गान हम गाते हैं उन्ही की रचना 'पुजारिनी' हमें पढ़नी चाहिए। इसके अनुसार महात्मा बुद्ध के एक ही अनुयायी थे। बिम्बसार के पश्चात् जब अजातशत्रु ने सत्ता संभाली, उसने उस अनुयायी को भी नहीं बख्शा और कहा कि हिन्दुत्व के नाम पर मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा। उसे भी मार दिया गया। तब टैगोर ने कहा, "यदि यही धर्म है तो इसका समाप्त हो जाना ही बेहतर है। मानवता जाए और मानववाद के नये धर्म का जन्म हो। टैगोर ने यह कहा।

**श्री कल्पनाथ राय** (घोसी) : किसे मारा गया ?

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : वो राजा जो सोचता था कि हिन्दुत्व को बुद्धवाद पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए।

क्या यह सत्य नहीं है ? यही हमारा भारतीय समाज हैं इसके दृष्टिगत रखते हुए एक समान नागरिक संहिता बनाना बौद्धिक दृष्टि से सही है। राजनीतिक दृष्टि से वो यह बहुत अच्छा है परन्तु देश की वर्तमान स्थिति में सामाजिक दृष्टि में यह प्राथमिकता नहीं है। यह बहस किए जाने लायक मामला है और इसे एक दूसरे तक पहुँचाया जाना चाहिए और इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं अनेक ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानता हूं जो गो माँस नहीं खाते। वे उसे छूते भी नहीं है। मैं अनेक ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानता हूं जो हमसे अधिक परिवार नियोजन की आवश्यकता को समझते हैं। वे वास्तविकता से परिचित हैं। हमें उन्हें निरूत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि वे सब संदिग्ध व्यक्ति है। यह सब कितनी देर तक चलेगा ? यदि वे सब भारत में रहना चाहते हैं, तो मुसलमानों जैसे बड़े समुदाय को अथवा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को कब तक हम सन्देह के घेरे में रख सकते है और साथ ही राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म-निरपेक्षवाद जैसी बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं ? यह तो पूर्णतया गलत है। न तो इसकी आशा की जा सकती है और ने यह सम्भव है।

हमने यह फैसला किया था कि जिन्नाह के नारे के अनुरूप हम हिन्दु राज का एलान नहीं करेंगे और इसी कारण हम भारत में है। यदि हमने यह निर्णय लिया है तो हमें अवश्य इसको जारी रखना होगा। हमारी अपनी वचनबद्धता है। अतः समान नागरिक संहिता की अवधारणा हमारी प्राथमिकता नहीं है। इस क्षण तो इसकी आवश्यकता नहीं है इससे बुद्धिजीवी वर्ग का उद्देश्य हल हो सकता है जहां तक संगोष्ठियों का प्रश्न है। अथवा जहां तक किताबे लिखने का प्रश्न है यह ठीक है। परन्तु इस क्षण तो यह प्राथमिकता नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ हमें इसकी सम्भावना से भी इन्कार नहीं करना चाहिए।

परन्तु हमें यह अवश्य कहना चाहिए कि हम इस संदेश के सार का प्रसार करेंगे। हम जायेंगे और सभी धार्मिक समुदायों को यह समझायेंगे कि एक ऐसा समय भी आयेगा ताकि मानसिक रूप से वे अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करें जब आर्थिक नीति और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यह दिखायेंगे कि वे स्थिरता से अपनी दिशा में चल रहे हैं। किसी ने इनका सकारात्मक प्रयोग करना ठीक समझा और किसी ने नकारात्मक। क्या यह बात सच नहीं है ? यह गलत है या सही ?

इसलिए इस संकल्प के पेश कर्ता को मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजनीतिक चाल के रूप में समान नागरिक संहिता की अवधारणा को त्यागकर धार्मिक स्थलों में इसका उपदेश जारी रख सकते हैं। परन्तु सामाजिक परिवर्तन का वास्तिक पहलु तब तक केवल सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब संविधान में उल्लिखित संघ नीति के सिद्धान्त को मूल कर्त्तव्यों और अधिकारों के अनुरूप पूरा नहीं किया जाता। यदि कर्त्तव्यों और अधिकारों को दूसरी प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें मात्र उदाहरणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो मेरे विचार से यह बहुत खतरनाक होगा। अतः फिलफाल मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और इसका निरनुमोदन करता हूं इस स्थिति को विस्फोटक न बनाएं हम यह कहें कि हम स्थिति को अच्छे तरीके से सम्भालें।

आजकल समाज में अर्न्तजातीय और एक दूसरे धर्मों के अनुयायियों में शादियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यदि इनकी संख्या और बढ़े तो सामाजिक ताना-बाना और मजबूत होगा। यही हाल धर्मों के बारे में भी है।

हमारा अपना धर्म कहता है कि हिन्दू विवाह की प्रक्रिया और हिन्दू कानून दो अलग-अलग चीजे हैं। अतः हम दूसरों को यह न सिखाएँ कि धर्म की व्यवस्था यह है और कानून का रवैया यह है।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता हमारी प्राथमिकता सूची में नहीं होना चाहिए। हमें इसे इस पर उस समय चर्चा करनी चाहिए जब पूरा समाज इसके लिए तैयार हो। हम इसे नहीं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले :** सभापति महोदय, रावत जी कॉमन सिविल कोड का जो विधेयक लाए हैं, मैं उसका जोर से समर्थन कर रहा हूं। अभी श्री दास मुंशी ने दशरथ के बारे में बात की कि उनकी चार पत्नियां थीं। लेकिन चार पत्नियां होने के बावजूद भी हिन्दू लॉ बन गया और उसमें ऐसा तय हुआ कि वे एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। मैं श्री दास मुंशी को बताना चाहता हूं। उन्होंने बहु पत्नी की बात की है। आप ईरान, ईजिप्ट, इराक, बंगलादेश, सीरिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, पाकिस्तान, मोरक्को, साईप्रस, मलेशिया आदि में जाइए, वहां पर मुस्लिम जैसे बहु-विवाह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्सनल लॉ का संशोधन कर सहिंताबद्ध किया है। मैं आपके माध्यम द्वारा सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां का शरियत और हमारा शरियत अलग है, क्या वहां का इस्लाम और हमारा इस्लाम अलग है, क्या वहां अल्लाह और हमारा अल्लाह अलग है ? इस्लाम वही है, अल्लाह एक ही है। मैं बताना चाहता हूं कि ···*(व्यवधान)* पाकिस्तान में तो एक कमेटी बनी है। लेबनान में 1932 में, सीरिया में 1953 में, ट्यूनिशिया में 1956 में, इराक में 1959 में बहु-विवाह पर प्रतिबंध लगाए। ईरान की संसद ने एक कानून पास किया जिसमें बहु-विवाह प्रथा पर रोक लगाने के साथ ही वहां जो रखेल रखने की आदत थी, उस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसमें उन्होंने यह भी व्यवस्था की है कि केवल इच्छामात्र डाइवोर्स का कारण नहीं हो सकता है। आप पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे, पाकिस्तान में तो फैमिली लॉ आर्डिनेंस के नाम से एक अधिनियम बना है। पाकिस्तान में यह नियम बना है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक के बाद दूसरा विवाह करना चाहेगा तो पहली पत्नी और होने वाली पत्नी, दोनों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी और इस लिखित सहमति पर निर्णय के लिए एक मध्यस्थ परिषद् बनेगी। जिसमें पहली पत्नी का एक प्रतिनिधि होगा और एक होने वाली पत्नी का प्रतिनिधि होगा, जो इस निश्चय पर पहुंचेगी कि दूसरा विवाह करने की जरूरत है, तब दूसरा विवाह करने का उसे अधिकार होगा। पाकिस्तान के इस अधिनियम के हिसाब से सारा का सारा निर्णय लिखित में होगा और उस निर्णय को पाकिस्तान के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको चेलैंज नहीं किया जा सकता। न्यायालय भी उसको नहीं बदल सकते हैं। इस नियम के अन्तर्गत यह चीज आती है कि कभी-कभी वह सम्बन्ध विच्छेद करना चाहेगा तो भविष्य के लिए सारे जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी होगी और दहेज की सारी सम्पत्ति उसे लौटानी होगी, ऐसा पाकिस्तान ने अधिनियम बनाया है।

संविधान में सैकुलर शब्द है। अभी सैकुलर पर इस सदन में इतनी बहस होती है कि सैकुलर, सैकुलर तुम सैकुलर नहीं हो। आप तो सैकुलर हैं। सर्वधर्म सम्भाव, सर्वधर्म निरपेक्षता होनी चाहिए। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है। हमारी बहन यहां बैठी हैं, महिला मंत्री बैठी हैं। कोई किसी की बीबी होती है तो किसी की पत्नी होती है तो किसी की मां होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है तो क्या उसके ऊपर जुल्म नहीं है। एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून तो क्या उसके ऊपर जुल्म नहीं होता है। इसको इन्सानियत के नाते देखो।

शाहबानो ने मेरे क्षेत्र में मझगांव डाक कोर्ट में केस डाला हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गई। धारा 25 के अनुसार उसे गुजारे का पैसा देना पड़ा। पैसा देने का वर्डिक्ट दे दिया और उस वक्त राजीव गांधी जी ने, जैसा हमारे सहयोगी मित्र जैन साहब ने यहां कहा था, राजीव गांधी ने भी भूतपूर्व मंत्री आरिफ मोहम्मद खान की सराहना की थी। राजीव गांधी से मुस्लिम महिलाएं मिलने के लिए गई थीं तो उनको भी कहा था कि हम इसमें विधेयक में सुधार करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कॉमन सिविल कोड लाये ही नहीं, बल्कि इसी सदन में काला कानून पास किया। हमारी मुस्मिल महिलाएं हैं, शाहबानो के खिलाफ मुम्बई में मोर्चा निकाला था, जब यह शाहबानो केस के बारे में वार्डिक्ट हुआ तो तो इसके खिलाफ मोर्चा निकला था, उसमें पांच लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन पांच लाख से ज्यादा लोगों में एक भी महिला नहीं थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक शाहबानो का वर्डिक्ट मिलने के बाद इसी मझगांव डॉक के कोर्ट में हजारों एप्लीकेशन गईं कि हमें डाइवोर्स दिया है। डाइवोर्स देने वाला तलाक तलाक तलाक बोलकर उसे छोड़ देता है। क्या वह फेंकी हुई सब्जी है या सड़ी हुई सब्जी है कि उसे फेंक देना चाहिए। वह औरत होती है, वह बीबी होती है, उसे फेंक दिया जाता है। जब उसकी शादी होती है तो तीन बार उससे पूछा जाता है, उसकी सहमति ली जाती है, लेकिन उसको तलाक देते समय उससे सहमति नहीं ली जाती। शादी के वक्त उससे सहमति ली जाती है कि तुम्हें शादी मंजूर है, शादी मंजूर है, शादी मंजूर है, जब वह हां बोलती है, तब उसकी शादी होती है। लेकिन तलाक बोलते हुए उसे झट से विदा किया जाता है। यह इन्सानियत का सवाल है। ···*(व्यवधान)* हां, उससे मंजूरी ली जाती है न कि कबूल है, कबूल है, कबूल है करके मंजूरी ली जाती है।

अभी हमारे दोस्त प्रियरंजन दासमुंशी जी चले गये, जिनके बारे में हमें नाज है, जो बंगाल से आते हैं। मैं भी मिल मजदूर का बेटा हूं। उनके बारे में अलग से मेरे दिल में भावना है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जापान में जाओ, मलेशिया में जाओ, इजिप्ट में जाओ, सब ऐसी कंट्रीज़ हैं, जिनका डवलपमेंट हुआ है, उन कंट्रीज़ में पोपुलेशन कंट्रोल किया है, उन्होंने पोपुलेशन कंट्रोल करने के बाद वहां सब डवलपमेंट हुआ है तो अगर वह पोपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हमारे यहां डवलपमेंट नहीं होगा। अगर पोपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो खाना कहां से खाएंगे ? हमारे यहां 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं। मेरे क्षेत्र में ही मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं। हमारे पास ···*(व्यवधान)*

**श्री कल्पनाथ राय :** इस साल 20 लाख टन गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं।

**श्री पी०आर० दासमुंशी :** मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कितनी बीबियों को तीन बार तलाक कहकर सब्जी की तरह फेंक दिया जाता है, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कितनी ही हिंदू लड़कियों को दहेज ने लाने पर जिंदा मार दिया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ?

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक इसी देश में पैदा हुए थे, जिन्होंने इसके खिलाफ देश को जागृत किया।

**श्री पी०आर० दासमुंशी** : आपके ही राजस्थान में रूपकंवर को जिंदा जला दिया गया था और सती का नाम दे दिया था।

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : क्या आप फिर से देश को गर्त में धकेलना चाहते हैं ?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : यह बहुत संवेदनशील विषय है। सदस्यगण कृपया व्यवधान न डालें। कृपया एक दूसरे को उत्तर देने का प्रयास न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : जो सती प्रथा को बनाए रखना चाहते हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। इन्होंने बहादुर शाह की बात की, हमें उन पर नाज है। लेकिन यह नीति कांग्रेस के समय से चल रही है। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले बहादुर शाह ने वंदे मातरम कहते-कहते अपनी जान दे दी थी। इस वंदे मातरम शब्द में पराक्रम है, साहस है और शूरता है। इसको कहकर वे फांसी पर झूल गए।

**श्री कल्पनाथ राय** : क्या जफर ने वंदे मातरम कहा था ?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : जब तक बोलने वाला सदस्य कुछ न कहे कोई बीच में नहीं बोलेगा। यदि वह कुछ करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : आप सुनिए तो सही। मुस्लिम समुदाय को भड़काने वालों ने वंदे मातरम का इसलिए विरोध किया कि उन्होंने कहा इसका मतलब है माता मैं तेरे सामने झुक गया। जबकि इस्लाम धर्म कहता है कि कुरान के सिवा मुसलमान का सिर किसी के आगे नहीं झुकता। इस तरह की गलतफहमी ये राजनीति करने वाले पैदा कर रहे हैं। अभी राममोहन राय का नाम लिया गया। उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था। महाराष्ट्र में पहले महिला के विधवा होने के बाद उसके केश काट दिये जाते थे, लेकिन अब यह बंद हो गया है। इसी तरह से हमारे यहां 18 साल से कम उम्र की लड़की के विवाह पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आप इस बारे में मुस्लिम महिला की राय क्यों नहीं लेते। मैंने पहले भी कहा कि जब शाहबानो का वर्डिक्ट आया तो जो मोर्चा गया था उसमें एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी।

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करा दें।

**श्री मोहन रावले** : अगर हमारी खुद की मां, बहन या बेटी को तीन बार तलाक-तलाक कहकर कोई छोड़ दे, तो हमें समझ आए। हमारे वामपंथी साथियों ने जब इस मामले पर बहस चली थी तो इस बात का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि यह होना चाहिए लेकिन जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां क्या जबर्दस्ती नहीं होती। अगर वहां भी किसी को दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी की अनुमति लेनी होती है। अगर जबर्दस्ती कोई तलाक दे दे तो वह महिला कोर्ट मे जा सकती है।

आप यहां बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आप ब्रिटेन में कर सकते हैं। सल्मान रुश्दी ने जो भी लिखा तो लोगों में यह धारणा बनी कि उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद के बारे में गलत कहा है। इस पर कई लोगों ने उन्हें जाने से मारने की बात कही। यह भी कहा गया कि या तो हमारा कानून मानना होगा, नहीं तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाओ।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : हमें इस चर्चा के लिए समयावधि बढ़ानी पड़ेगी। अभी दो और वक्ता हैं।

**श्री सत्य पाल जैन** : पहले ही ऐसा किया जा चुका है।

**सभापति महोदय** : वह तो गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य-सूची के लिए था परन्तु विशेष कर इस चर्चा के लिए समयावधि एक घण्टे की बढ़ाई गई थी। हमने यह चर्चा उपराह्न 5.48 बजे शुरू की थी। अब 6.50 हो गए हैं। दा वक्ता और हैं। विधि मंत्री को इसका उत्तर देना है और प्रो० रासा सिंह रावत ने बोलना है।

**श्री सत्य पाल जैन** : इस अवधि को कृपया एक घंटा और बढ़ा दें।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** (विशाखापट्टनम) : मुझे विधेयक पेश करना है। वर्ना मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। अतः हम इस पर सहमत नहीं हो सकते। हमे यह भी तो करना हैं वर्ना मै धरना दूँगां समय बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

**श्री मोहन रावले** : इन्हें विधेयक पेश करने दें।

**सभापति महोदय** : आपको समय मिलेगा धरने की कोई आवश्यकता नहीं।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : यदि एक घंटे का समय दूं तो उसे आधा घण्टा और बढ़ाया जा सकता है। दोनों के लिए ऐसा नहीं हो सकता।

**सभापति महोदय** : श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी, आपको बोलने का समय मिलेगा। चिन्ता न करे। अपराह्न 8.05 तक समय है हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय अपराह्न 8.05 बजे तक बढ़ा दिया है। हमारे पास पर्याप्त समय है। हम केवल इस विधेयक को पूरा करने के लिए आधे घण्टे का समय और बढ़ा रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह पर्याप्त है। केवल दो वक्ता शेष हैं। कृपया जल्दी काम करें और अपने विषय समान नागरिक संहिता पर ही बोलें।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : इधर-उधर की बात बन्द करें विषय पर आएं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आधा घण्टा बहुत है।

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : एक घण्टा तो जरूरी है।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हां, जी।

**श्री भगवान शंकर रावत** : आपको पर्याप्त समय मिलेगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : ठीक है। हमने निर्णय लिया है कि इसके बाद हम उसे लेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : सभापति जी, मैं सदन के द्वारा हिन्दुस्तान के मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा हूं कि मुस्लिम देशों में कानून में सुधार हुआ है और वे आगे बढ़े हैं तथा उन्होंने तरक्की की है। इससे वहां मुस्लिम महिलाओं की इज्जत भी बढ़ी है। मुस्लिम देशों ने जब देखा कि पर्सलन लॉ से समाज के एक वर्ग पर जुल्म हो रहे हैं तो उन्होंने उसमें सुधार किया और महिलाओं की रक्षा की। लेकिन भारत के मुसलमान अभी तक अंधकूप में भटक रहे हैं। वे उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि महिलाएं सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। आखिर कब तक उन्हें गुलाम समझा जाएगा ? कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। कानून किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं। इसलिए कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए एक कानून हो और किसी के लिए दूसरा कानून हो। यह अन्याय और अनीति है।

शादी के समय परिवार-नियोजन मुसलमानों को छोड़कर सब पर लागू होता है। उन्हें क्यों छूट दी जाती है ? वे चाहे कितनी भी शादी करें, कितने भी बच्चे पैदा करें और बाद में आबादी बढ़ने के बाद रिजर्वेशन मांग कि हमारी इतनी आबादी है और हमें इतना रिजर्वेशन चाहिए। उनके लिए भी परिवार-नियोजन होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले श्री बाल ठाकरे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री आडवाणी जी को देशद्रोही कहा जाता है और क्या आप सैकुलर हैं ? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री मोहन रावले, आप मुख्य विषय से हट रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आवश्यकता नहीं, श्री रासा सिंह रावत वह करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : आप कहते हैं कि पर्सनल लॉ शरियत पर आधारित है। जिन मुसलमानों ने इसमें सुधार किया है, तो क्या उनका शरियत अलग है ? मैं दो-तीन महत्वर्पूण बातें बताना चाहता हूं। मुसलमान भाई चार-चार शादी कर सकते हैं। क्या मुस्लिम महिला चार-चार शादी कर सकती है ? आज सुबह छः बजे मैं टी०वी० पर एन०ई०पी०सी० पर प्रोग्राम देख रहा था। उसमें एक मुस्लिम भाई ने एक मुस्लिम समाज सुधारक से पूछा कि अगर मुस्लिम महिला चार-चार शादी करेगी तो क्या होगा ? कुरान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिला को चार-चार शादी नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

**श्री लालमुनी चौबे** (बक्सर) : आपके यहां महाभारत में हो चुका है। आप क्यों नही करते हैं ?...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** : इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा कानून ही है। भारतवर्ष में शरियत के खिलाफ अगर किसी ने परिवर्तन की आवाज उठायी तो वह पहला मुसलमान बादशाह था, जिसने मुसलमानी सल्तनत की नींव डाली थी। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने सबसे पहले ऐसा परिवर्तन किया। जब शरियत के खिलाफ उसने निर्णय दिया तो काली लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अल्लाह की अदालत में जब मैं पहुंचूगा, अगर मैंने सद्‌भावना से काम नहीं किया है, तो उस अदालत में मुझे गुनेहगार ठहराया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जो सजा मुझे मिलेगी, वह भोगने के लिए मैं तैयार रहूंगा। लेकिन मेरा निर्णय सद्‌भावना के साथ है, उसमें मैं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। जब संविधान सभा में यह प्रश्न उठा कि मुस्लिम रिवाजों में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो उस समय के विधि मंत्री, डा० अम्बेडकर ने उसको चुनौती दी और कहा कि ऐसा परिवर्तन तो जब सैन्ट्रल एसेम्बली हिन्दुस्तान में थी, तब एक बार 1935 में हुआ था, दूसरी बार हुआ 1937 में और तीसरी बार 1939 में, सैन्ट्रल एसेम्बली ने इस प्रकार का परिवर्तन किया। यह कोई नई बात नहीं कि इस प्रकार के कानून में परिवर्तन करने के लिए हम पहली बार सोच रहे हैं। इस लिए यह कहना कि संसद को अधिकार नहीं हैं, यह बात गलत है।

आश्चर्य की बात है कि हिन्दू कोड बिल के बारे में तो उन्होंने इतना जोश दिखाया कि राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की लिखित असहमति की भी परवाह नही की, किन्तु समान नागरिक संहिता के संसद में यह कह कर पल्ला छुड़ा लिया कि "मैं नहीं समझता कि इस समय भारत इस बात के लिए तैयार है। मैं समान नागरिक संहिता के पास कराने के लिए जोर लगाऊँगा।" मेरे विचार से किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं—भला और बुरा। जिस काम से ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को सुख पहुंचता है, उसे अवश्य किया जाना चाहिए। मैं समान नागरिक संहिता को इसी श्रेणी में रखना चाहता हूं। मेरे विचार से समान नागरिक संहिता से समाज के अधिसंख्य लोग लाभान्वित होंगे। यह भी संभव है कि कुछ लोग यह महसूस करें कि उनकी भावनायें आहत हो रही है, उन्हें दबाया-कुचला जा रहा है। पर इस तरह की सोच देश की एकता और अखंडता को कमजोर ही करेगी।

समान नागरिक संहिता मानवीय मूल्यों की पक्षधर है। इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। यह देखने के लिए कि विभिन्न देशों ने रीति-रिवाजों में क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन

किया और कहां विरोध किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अध्ययन करने के बाद अपने यहां कानून का प्रारूप तैयार करना चाहिए। संविधान निर्मात्री सभा की अल्कसंख्यक समिति के तीन सदस्यों श्री एम०आर० मसानी, श्रीमती हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कोर ने उसी समय अपनी असहमति लिखित रूप में प्रकट कर दी थी। उन्होंने लिखा था "राष्ट्रीयता की ओर भारत की प्रगति के मार्ग में जो अनेक बाधायें हैं, उनमें मजहब के आधार पर अलग-अलग निजी कानून का अस्तित्व भी है। ये निजी कानून जीवन के कई पहलुओं में राष्ट्र को सीलबंद डिब्बों में विभाजित कर देते हैं। पांच-दस वर्ष तो क्या पचास वर्ष बीत जाने पर भी हम इस दिशा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

**श्री कल्पनाथ राय** : डा० अम्बेडकर जी ने क्या कहा था ? ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** : उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जिन्होंने परिवर्तन किया। ...*(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** : मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं, कहीं पर परिवर्तन नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, यह इंसानीयत की मांग है। मुसलमान महिलाओं की बात है। हमारे क्षेत्र में हमारे दल के पास आकर रोती हैं।

**अपराह्न 7.00 बजे**

वे बोल रहे हैं, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे बोल रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए। अगर मैंने काम किया तो मेरा जिन्दाबाद करेंगे, मेरा जिन्दाबाद किया तो मैं समझ सकता हूं। अगर बालासाहेब ठाकरे का जिन्दाबाद करते हैं तो यह एक विचारधारा है। माननीय अटल जी और आडवाणी जी भी बोलते हैं कि देश के लिए एक कानून होना चाहिए। यह मुस्लिम महिलाओं की मांग है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और मेरा कहना है कि इसे पारित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : क्या मेरा नाम कट गया है ?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : जब आपका नाम पुकारा गया था आप यहां उपस्थित नहीं थे। हम इस सूची के अनुसार चल रहे हैं। कृपया अपनी जगह पर बैठिए।

**श्री अनादि चरण साहू** (कटक) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभी सदस्यों को वेदोत्तर काल के जम्बूद्वीप में ले जाना चाहता हूं। भारत जम्बूद्वीप का एक हिस्सा था। जब आप वेदोत्तर काल अर्थात उपनिषद काल में जाएंगे तो आप पायेंगें कि वहाँ पारिवारिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था का संचालन स्थिर, विनीति और शांत तरीके से अच्छी तरह किया जाता था।

मैं इस संदर्भ में एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस समय उदालका नामक एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम स्वेताकत्तू था। उस समय स्वतोकत्तू आठ या दस वर्ष का एक छोटा बालक था। एक सुबह उदालका सूर्य देवता की आराधना कर रहे थे। उनकी पत्नी उन्हें जल दे रही थी। जब वह आराधना में तल्लीन थे तब एक अन्य ब्राह्मण वहां आया और उसने उदालका की पत्नी से मैथुन करने का प्रस्ताव किया जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर स्वेताकत्तू भौंचक्का रह गया और उसने अपने पिता से कहा : "आपने मेरी माता को किसी अन्य पुरूष के साथ जाने की अनुमति कैसे दी ?" पिता उदालका ने कहा : "पुत्र, यह इस धरती का नियम है।" लेकिन स्वेताकत्तू इससे सहमत नहीं हुआ। बाद में वह एक महान ऋषि बना। उसने एक उपनिषद भी लिखा और उदालका-स्वेताकत्तू सिद्धान्तों से संबंधित प्रथम सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अंतर्गत व्यभिचार पर प्रतिबंध लगाया गया। आज भी भारतीय दंड संहिता में उसी सिद्धान्त के अनुरूप व्यभिचार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान है कि यदि कोई महिला अपने पति की आज्ञा के बिना किसी पुरूष के साथ संबंध रखती है तो ही वह पुरूष दंड का भागीदार होगा। अतः यह उसी सिद्धान्त पर आधारित है जिसे स्वेताकत्तू ने वर्षों पहले प्रतिपादित किया था। इस समय मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कहावत नियम बन जाती है। लेकिन याद हम लोगों पर कुछ थोपना चाहते हैं तो वह जबरदस्ती होगा।

एक लेटिन कहावत है :

*'सूमून जस सूमा इंजूरिया''*

यदि आप ज्यादा कानून बनायेंगे तो इससे नागरिकों को ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा यही होगा कि हम ज्यादा नियम न बनायें। दो दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने भी यह कहा कि सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो उन नियमों की जांच करेगा जिन्हें लोगों के उपर थोपा गया है। कम से कम नियम बनाये जाने चाहिए। मैंने लैटिन कहावत में यही कहा है :

*"सूमून जस सूमा इंजूरिया"*

तत्पश्चात मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कहावत कैसे प्रयोग में आया और हमने इसे लागू करने में कैसे असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं मनुस्मृति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मनुस्मृति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मनुस्मृति में धार्मिक प्रवचन की झलक है। मैं उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं संविधान—मैं इसे संविधान कहता हूं — के बारे में कहना चाहता हूं जिसे मौर्य काल में अर्थशास्त्री कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अपनी दूसरी पुस्तक में उन्होंने आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है।

यदि मैं उन आठों विवाहों का वर्णन करूं तो इसमें काफी वक्त लगेगा। उनमें से प्रथम चार *दैव* विवाह हैं तथा अंतिम चार *लौकिक* विवाह हैं। ये कैसे आये ? उपनिषद् अवधि से मौर्य काल तक भारत में दूसरे लोगों का प्रवाह काफी रहा है। *शकास, भावनास,* हूठस और

[श्री अनादि चरण साहू]

अनेक लोग भारत आये और शत्रुओं और आदिवासियों को हिन्दु समाज में शामिल किया गया। इन सभी प्रथाओं और वैवाहिक जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए कौटिल्य ने विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार के संबंध में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। यह हमारे जीवन में की सच्चाई बन गई है। अब हम अनुच्छेद 44 के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे मित्र ने विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार पर मुख्य रूप से जोर दिया है। यह वह चीज है जिस पर कौटिल्य ने ईशापूर्व चौथी शताब्दी में चर्चा की थी। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ चार *लौकिक* पद्धति के विवाह हैं। इसमें से एक गंधर्व विवाह है जहाँ लड़का लकड़ी से मिलता है और वे विवाह करने का निश्चय लेते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है। इसकी विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। ऐसे विवाह में न कोई धर्म, न कोई सामाजिक व्यवस्था और न ही कोई बंधन होता है। इसमें हिंदू या मुस्लिम या किसी जाति या वर्ग का कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है। यदि सभी को सामंजस्य करना है तो उसके लिए भिन्न प्रवृति, कानून, नियम आदि चाहिए।

अब मैं असुर विवाह पद्धति पर चर्चा करूंगा। इसमें लड़की को छीन कर ले जाना होता है तया लड़की के माता-पिता को कन्या-शुल्क दिया जाता है। हमारे राज्य में आज भी आदिवासियों, *अर्थात झींका* और *बदालिया* आदिवासियों, में दो तरह की असुर विवाह पद्धति है। उत्तर में यह *झीका* के नाम से जाना जाता है और *दक्षिण* में इसे *उदालिया* के नाम से जाना जाता है। वह *घोटुल* में लड़की से मिलता है और दूसरे दिन विवाह का प्रस्ताव करता है। जब वह 'शांडी' को लिए जा रही होती है तो वह उसे छीन कर ले जाता है ओर अपनी बहादुरी सिद्ध करता है। आप किसी भी तरह की हिन्दू विवाह संहिता की घोषणा कर सकते हैं लेकिन आप *गंधर्व* विवाह या ऐसे ही अन्य विवाह जैसे *बदालिया* या असुर विवाह को रोक नहीं सकते हैं। वे सब इस देश में आए हैं और हम किसी विधान द्वारा उन्हें रोक नहीं सकते।

महोदय, मैं आपको 19वीं शताब्दी के पोप पायस-द्वतीय का जिक्र करना चाहता हूं। जब रोमन कैथालिक मिश्नरीज का एक दल चीन जा रहा था तब से पोप के पास गए और उन्हें कहा : "महोदय, हम अपने धर्म *अर्थात* ईसाई धर्म के लिए चीन जा रहे हैं। आप क्या सलाह देते हैं?" पोप ने कहा : "विश्वास के अलावा और किसी चीज की शिक्षा न दें।" कृपया मेरे शब्दों को ध्यान से सुन ले, 'विश्वास के अलावा और किसी चीज की शिक्षा न दें।' केवल विश्वास का सहारा ले और किसी चीज का नहीं। दुर्भाग्यवश, इस देश के लिए इतिहास का मजाक या उत्पीड़न या ऐसे ही गलत कार्यों के परिणास्वरूप हमारे लिए अनेक समस्याओं का निर्माण हुआ है। जब अनेक धर्मों का प्रादूभवि हुआ तो वे अपने साथ अपनी प्रथा, परम्परा और तुच्छ संकुचित विचार भी लाये। के यहां रहने आए हैं और भविष्य में भी रहेगें। इस अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब वे यहीं रहेंगे।

अनेक धर्मों का प्रादुभवि हुआ लेकिन कुछ धर्म ऐसे आये जो यहाँ के आवोहवा में समा गए। उदाहरणार्थ बेपटिस्ट या स्कौटिश चर्च के लोग बहुत सुगमता से और अच्छी तरह से यहां घुल-मिल गए। लेकिन जो यहाँ के आवोहवा में घुल-मिल नहीं पाये उन्हें आप अपना सिद्धान्त, अपनी विचारधारा और अपनी सोच का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि आप उन्हें बाध्य करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपके लिए अनेक समस्याएं पैदा होगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष का एक सबसे अच्छा उदाहरण या 1871 में प्रतिपादित आदेश का अच्छा उदाहरण है। दुर्भाग्यवश, 1986 में हमने एक प्रतिगामी कदम उठाया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में निहितार्थ मूलभूत धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा को बदल दिया। यह एक इतिहास का भाग है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक प्रतिगामी कदम था। वास्तव में हमें इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था प्रणाली में, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों के मन में कोई भय उत्पन्न किए बिना, धीरे-धीरे अपनाना चाहिए था। धीरे-धीरे हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था अपना सकते थे।

भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र श्री मोहन रावले और श्री एस०पी० जैन मुझे यह कहन की अनुमति देंगे कि चार पत्नी रखना सातवीं शताब्दी की एक क्रांतिकारी प्रक्रिया थी। पैगम्बर मुहम्मद ने दो क्रांतिकारी सिद्धान्तों का उपयोग किया था। मैं एक नास्तिक हूं इसलिए मैं बहुत ही विरक्त और विश्लेषणात्मक रूप से इसका अध्ययन करता हूं। अरब देशों में उस समय 341 ईश्वर थे। उन्होंने इसे कम करके एक कर दिया, 'ला ईल्लाह ईलिल्लाह मुहम्मद-उर-रसूल अल्लाह"। उन्होंने इसे एक ईश्वर बनाया। लोग सैकड़ो विवाह करते थे। उन्होंने कहा, "आप, चार से अधिक नहीं कर सकते।" सातवीं शताब्दी में पैगम्बर मुहम्मद द्वारा लागू किया गया यह एक क्रांतिकारी कदम था।

अब यह कहना कि यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आज जिस चीज की आवश्यकता है वह समस्या को धीरे-धीरे समझने की है जिसे शिक्षित मुस्लिम समझ रहे हैं। वह अब चार विवाह नहीं कर रहे हैं। चार पत्नी रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*तलाक* दो तरह के होते हैं। शायद मेरे दोस्त इन दो तरीके की तलाक से अवगत हों। इन दो *तलाकों* के बीच सूक्ष्म अंतर है। मैं थोड़ा सा उनका उल्लेख करूंगा। सुरा 65 के पद्य 6 में काफी बातें कही गई हैं। *'असल्लाम'* और *'बरक्कत'* दो भिन्न तरीके हैं और अलग-अलग तरीके के *तलाक* भी हैं।

शैरियत कानून 1937 में बनाये गए थे। विवाह, विवाह-विच्छेद और उत्तराधिकार सिविल मुद्दे हैं जिन पर आप दवाब डाल रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे लोगों की, जो मुस्लिम शैरियत का पालन नहीं करते, उस कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। वह इतिहास है। इस बारे में विचार न करें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि गड़े मुर्दे ने उखाड़े।

अब वर्तमान संदर्भ में हमें यह सोचना चाहिए कि हम एक समान सिविल संहिता कैसे ला सकते हैं। एक समान सिविल संहिता तभी लागू किया जा सकती है जब लोगों की सोंच, प्रवृति में परिवर्तन आये और लोग यह सोंचे कि समाज में मध्यकालीन व्यवहार, जिस पर धर्म गुरूओं

का ही सर्वोच्च अधिकार था, ठीक नहीं था, तभी ऐसा किसा जा सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब धार्मिक नेताओं ने चाहे वह हिन्दू समाज हो या मुस्लिम समाज या फिर ईसाई समाज, समाज के लिए अनेक समस्यायें पैदा की है। और जहाँ कहीं भी पुरोहित राजा रहा है वह समुदाय के लिए विनाशकारी ही रहा है। ऐसा हुआ है अब हमें देश के लिए विनाश की बात नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में कई विविधताएं है और यहाँ रहने वाले विभिन्न जातियों की आकांक्षाओं और लोगों की भावना अलग-अलग है।

यही कारण है कि संविधान का निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं अनुच्छेद 35, जो बाद में अनुच्छेद 44 हो गया, के बारे में अच्छी तरह सोंचा था। उन्होंने कहा, "हमें मात्र कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए लेकिन हमें कभी भी बाध्य नहीं करना चाहिए।" अब जब आप माननीय श्री रावत के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार को बाध्य करना होगा जिससे विभिन्न अल्पसंख्यक समूहो, जिन्हें हम जातिय ग्रुप कहते हैं। के सामाजिक स्तर, प्रवृति और व्यवहार में बाधा उत्पन्न होगी। यहां अनेक ऐसे कानून हैं जिसे अब भी लागू नहीं किया जा सका है। अतः हमने अनेक ऐसे कानूनों को अधिनियमित किया है जिसे लागू नहीं किया जा सकता है। अतः उसे फिर से क्यों लिया जाए। यही कारण है कि 1947-50 के बीच संविधान पर चर्चा के दौरान डा० बी०आर० अम्बेडकर ने स्पष्ट, ईमानदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया था। मैं उनके कतिपय अंश को यहां उद्धृत कर अपनी चर्चा समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था :-

"मैं समझता हूं कि हमने इस बारे में लेख में काफी कुछ पड़ा है जिसका तात्पर्य यही है कि राज्य इस देश के नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा। इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि संहिता बनने के पश्चात् राज्य अपने नागरिकों पर केवल इसलिए लागू नहीं करेगा क्योंकि वे उसके नागरिक हैं।"

> कृपया उस पुरूष की दूरदर्शिता पर ध्यान दें : "राज्य उन पर इसलिए लागू नहीं करेगा क्योंकि वे इसके नागरिक हैं। इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। यह संभव है कि भविष्य में संसद इस दिशा में उपबंध के जरिये संहिता बना सकती जो केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो यह घोषणा करेंगे कि वे इसका पालन करने को तैयार है।"

यह स्वैच्छिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने का प्रश्न है जिसे प्रारम्भ में लागू किया जाना है। इस संहिता को मानना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। संसद इस प्रक्रिया से उस कमी को दूर कर सकती है। श्री पी०आर० दासमुंशी ने कहा है कि हम लोगों में से चुनकर आये हैं अतः हम लोग जानते हैं कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। और जब एक बार हम उनकी भावनाओं को समझते हैं तो हम लोग से उदालका स्वेताकतू द्वारा दिए गए सिद्धान्तों के अनुरूप उसका कतिपय उपयोग शुरू करा सकते हैं। सर्वप्रथम हम सामाजिक व्यवस्था की दिशा में कोशिश करते हैं। तत्पश्चात् हम संसद से नए विधान बनवाते हैं। ऐसा किए बिना, यह कहते हुए प्रारम्भ करना अनुचित होगा कि "हम अनुच्छेद 44 में शीघ्र संशोधन करें।" यह देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा।

अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मैं कहता हूं कि इस स्थिति में संयम रखना उचित होगा।

**सभापति महोदय** : अब प्रो० रासा सिंह रावत बोलेंगे।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : आपको सभा में उपस्थित रहना चाहिए। नाम पुकारने के बाद यदि आप उपस्थित नहीं होते तो मैं क्या कर सकता ? हमें समय के अनुरूप चर्चा करना होता है। अब यह ठीक है। अब आपको प्रो० रासा सिंह रावत के भाषण के पश्चात आपको मौका मिलेगा।

अब प्रो० रासा सिंह रावत बोलेंगे।

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** : माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 के अंदर लोप करके उसके स्थान पर नया अध्याय भाग-4 लगाये जाने का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

अभी कहा गया कि धीरे-धीरे प्रयास करना चाहिये। 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी, 1950 को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। अब संविधान को लागू हुये 47 साल हो गये हैं। उसके पश्चात् पं० जवाहर लाल नेहरू के समय में हिन्दू कोड बिल बना और 80 प्रतिशत लोग उसके आवरण में और 20 प्रतिशत लोग बचे रहे। हम यह नहीं कहते कि हिन्दू या मुसलमान या ईसाई या सिक्ख अलग हैं। हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई, हम सभी भारतीय भाई-भाई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक हमारा देश एक है, एक राष्ट्र है। यदि हमारे शरीर में अंगूठे पर चोट लग जाये तो सारे शरीर में पीड़ा होती है और उसे काटकर नहीं फैंक सकते हैं वरना सारा शरीर कैसे काम कर सकता है ? उसी प्रकार से एक राष्ट्र के लिये, एक राष्ट्रीय नागरिक के लिये भारतीयता की भावना पैदा हो, भारतीयों में एकता, अखंडता और समानता एवं समानता की एक भावना पैदा है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उनको जोड़ सकते हैं या नागरिक संहिता एक सी होनी चाहिये। यथासंभव, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य समान नागरिक संहिता के लिये हम सब लोगों का एक प्रयास किया जाता तो शायद हम आगे बढ़ते। हमारे संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह प्रावधान किया हुआ है कि हमारे देश के सभी नागरिकों पर एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जायेगा। उसके बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, तो उनके सामने एक समान नागरिक संहिता की बात कही गयी। समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि एक मति, एक गति, एक रीति और एक नीति।

सभापति महोदय, यह समान संहिता अत्यंत आवश्यक है लेकिन मुझे आपके माध्यम से यह कहते हुये अफसोस होता है कि हम राजनीतिज्ञों ने वोट बैंक के कारण, तुष्टिकरण के कारण इस बहुत सुन्दर चीज़ को विकृत करने का प्रयास किया है और अपनी-अपनी जगह पर तथ्यों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं जबकि केरल हो या तमिलनाडु हो, असम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या राजस्थान हो

[प्रो० रासा सिंह रावत]

या उड़ीसा हो, हम चाहे किसी भी प्रान्त के रहने वाले हों लेकिन एक भारत के हैं और हम सब में भारतीयता के साथ-साथ देशभक्ति भी है। इसलिये जैसे होंगे विचार वैसा बनेगा आचार। जैसी मिलेगी शिक्षा, वैसी प्राप्त होगी भिक्षा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता देश के अंदर लागू होनी चाहिए।

मान्यवर, अभी महाभारत की बात, उद्दालन्न की बात, श्वेतकेतु की बात और अन्य कई बातें कही गई। समाज के काम, समाज की धारा और समाज की जो परंपराएं हैं, वह बदलती रहती हैं।

"लीक-लीक गाड़ी चले, लीक हि चले कपूत।
लीक छाड़ि तीन चले, शायर, सिंह, सपूत।"

खल्लप साहब इसका अर्थ समझ गए होंगे। लकीर के फकीर तो सभी बने रहते हैं। लोग कहते हैं कि परंपरावादी हैं तो बने रहने दो, लेकिन अगर उनमें कुछ बुराइयां है तो समय के अनुसार उनको ढालना चाहिए। इलियास आजमी साहब बैठे हैं।

"लोग कहते हैं कि बदलता रहता है ज़माना।
मर्द वह है जो ज़माने को बदल दे।"

हज़रत मोहम्मद साहब जब धरती पर पैगम्बर के रूप में आए तो उन्होंने देखा कि अरब में किस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई थी। सारे समाज को व्यवस्थित करने के लिए जैसे उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से महर्षि दयानन्द सरस्वती आए, राजा राममोहन राय आए, स्वामी विवेकानन्द आए, रामकृष्ण परमहंस आए, महात्मा गांधी आए, या ज्योतिबा फुले आए, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने अपने-अपने समय में देखा कि समाज के अंदर कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो समाज में विकृतियां आ रही थीं, उन्होंने उसके खिलाफ समाज सुधार की आवाज उठाई। इसलिए आज देश की आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। देश के अंदर समानता के लिए, एकरूपता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए चाहे महिलाएं हों या पुरूष हों, समाज के किसी भी जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय वाले व्यक्ति क्यों न हों, उन सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जब तक राष्ट्र में हमें एकात्मकता की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम अलग-अलग चिन्तन करेंगे। वोटर टाइप कम्पार्टमेंट के हिन्दुओं के लिए अलग, मुस्लिम बंधुओं के लिए अलग, ईसाई बंधुओं के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, बौद्धों के लिए अलग, जैनियों के लिए अलग, यहूदियों के लिए अलग। फिर तो सारा देश अलग-अलग होकर, बंटकर अलगाववाद का शिकार हो जाएगा। हमारे बहुत से बंधुओं ने जो कुछ कहा, हालांकि वह वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे मनाने का प्रयास करना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि पिछले 47 वर्षों में अब तक धीरे-धीरे मनाने के कितने प्रयास किये ? जवाहरलाल नेहरू ने जब इतना प्रयास किया हिन्दू कोड बिल लाने का, तो हमें सारे देश के नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लाने का प्रयास करना चाहिए था। सभापति जी, मैं क्वोट करना चाहूंगा :–

"जब किसी निजी कानून के प्रथा, प्रचलन और धार्मिक विश्वास, समाज-विरोधी, मानवता-विरोधी और नैतिकता-विरोधी होने लगें तो उन पर कानून का अंकुश लगाया जाना चाहिए।"

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब शाहबानो प्रकरण आया या मुस्लिम महिलाएं नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का शिकार होने लगी, हिन्दू लड़कियां बाल-विवाह के कारण या अन्यान्य जो भी बातें हों, तो जब किसी निजी कानून के प्रथा, प्रचलन और धार्मिक विश्वास नैतिकता-विरोधी, समाज- विरोधी और मानवता-विरोधी होने लगें तो सरकार का कर्तव्य है कि कानून द्वारा उस पर अंकुश लगाए। *(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** (शाहबाद) : यह कहां से पढ़ रहे हैं ? ... *(व्यवधान)*

**प्रो० रासा सिंह रावत :** यह अंकुश सार्वभौमिकता पर आधारित हो, यूनिवर्सल ऐथिक्स पर आधारित हो और सब निजी कानूनों पर लगना चाहिए। हमारा वर्तमान समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन तीन सार्वभौम मूल्यों को स्वीकार करता है। भारत के संविधान में लिखा है कि हम स्वाधीन राष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक हैं। हमारा अपना स्वत्व है, हमारी अपनी अस्मिता है। भारत का हर नागरिक विदेश में जाए, उसके आचार-विचार, रहन-सहन, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसकी आस्था और विश्वास अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके आचार-विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज, विवाह, डाइवोर्स और गोद लेने का तथा ज़मीन बांटने का कानून सारे देश में एक होना चाहिए। हमारा वर्तमान समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुता, तीन सार्वभौम मूल्यों को स्वीकार करता है। हमारे संविधान के ये मूलभूत मूल्य हैं। जब हम भारतीय संविधान में शपथ ग्रहण करते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई भी सदन में रहकर इन मूल्यों का विरोध नहीं कर सकता।

हमें सभी निजी कानूनों को इन सार्वभौमिक मूल्यों को कसौटी पर कसना होगा। जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जैसे इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी, लिबर्टी इन सबके आधार पर हमें निजी कानूनों को कसौटी पर कसना होगा और जो भी प्रथा, प्रचलन अथवा धार्मिक विश्वास इनके विपरीत पाये जाएं, उन्हें बदलना होगा, अवश्य बदलना होगा। परिवर्तन होना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, रूढ़ियों को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, सड़ी-गली रूढ़ियों को एक दिन समाज से हटाना होगा, विकृतियां दूर करनी होंगी, अंधविश्वासों को मिटाना होगा, अशिक्षा को दूर करना होगा। इससे समाज में नई चेतना पैदा होगी, नई स्फूर्ति पैदा होगी। लेकिन वह तभी पैदा होगी जब समान नागरिक संहिता सार्वभौमिक मूल्यों और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर लागू होगी।

सभापति महोदय, मैं एक दृष्टान्त कहना चाहूंगा। बी०जे०पी० वाले ही समान नागरिक संहिता की बात क्यों करते हैं और तो कोई नहीं करता। मैं आजमी साहब से कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था, उस पर हजारों पक्षी रहा करते थे। कोई एक नादान व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। वह अज्ञानी था। उसके हाथ में केरोसीन का पीपा और दियासिलाई थी। उसने केरोसीन का पीपे से मिट्टी का तेल पेड़ पर उंडेल दिया और उसमें दियासिलाई से आग लगा दी।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** प्रो० रासा सिंह रावत एक मिनट के लिए। हम सभा का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री सत्य पाल जैन :** सर, उधर से पूछ लीजिए, मंत्री जी शायद जवाब नहीं देना चाहते हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** क्या समस्या है ? माननीय मंत्री के हस्तक्षेप के पश्चात् विधेयक को पेश करने वाले को उत्तर देना है। अतः हम सभा का समय और आधे घंटा के लिए बढ़ाते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी :** सर, इस पर मेरी बात भी सुन लीजिए। यह बिल जिस बात पर है उसका अकेला नुमाइंदा मैं यहां पर बैठा हूं।

**प्रो० रासा सिंह रावत :** सर, मैं यह कह रहा था कि जैसा डा० इकबाल ने कहा है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** प्रो० रासा सिंह रावत एक मिनट रूकिए।

**कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) :** महोदय, मुझे यह आशंका है कि यदि अगला विधेयक प्रस्तुत करने का वक्त नहीं मिला तो वह व्यषगत हो जाएगा जिससे समस्या का निर्माण होगा। आप कृपया मेरी और उनकी समस्या का ध्यान रखें जिससे यह व्यपगत न हो।

**सभापति महोदय :** मैं समझता हूं कि श्री भगवान शंकर रावत तुम्हें कुछ कहना चाहेंगे।

यह संविधान (संशोधन) विघयेक है। हमें मतदान द्वारा इसका निर्णय लेना होगा। अतः, यदि वह अपना विधेयक वापस लेते हैं तो वह एक अलग बात है।

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत :** आप डिसक्शन तो पूरा हो जाने दीजिए।

**श्री भगवान शंकर रावत :** सभापति महोदय, मेरा प्रॉब्लम यह है कि पहले माननीय मंत्री जी रिप्लाई करें और अगर मेरी बात को वह स्वीकार कर रहे हों तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, अन्यथा इतनी लम्बी-चौड़ी विद्वतापूर्ण डिबेट हुई है। लोगों ने बड़े विद्वतापूर्ण सुझाव रखे हैं। मंत्री जी भी इस राय के हैं कि लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव रखे हैं। उस पर रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। सारा देश इसको देख रहा है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** अब, श्री भगवान शंकर रावत, ऐसी गंभीर मुद्दे पर सभा में गंभीरता नहीं दिख रही है। कितने सदस्य यहां उपस्थित हैं। आप जो बात कह रहे हैं। उसका मतदान द्वारा निर्णय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी सम्बृद्ध दलो ने अपनी बात साफ-साफ कह दी है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसलिए आप इसे वापस ले लें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है हमें दूसरे मद में सूचीबद्ध अन्य विधेयक के पुरःस्थगन के लिए वक्त मिल जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण है।

*[हिन्दी]*

मेरा यह कहना है कि यदि आप इस पर जोर देंगे तो बेकार बात करने में कोई फायदा नहीं है।

**श्री शंकर सिंह रावत :** सभापति महोदय, मैं किसी आर्गूमेंट में इनवोल्व नहीं कर रहा हूं। आप इसको भी करा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन इस चीज का लोजिकल एंड तो यही होगा कि सरकार का इस पर व्यू आये ओर सरकार का व्यू आने के बाद मैं अपनी बात को कहूंगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह इस बात के लिए एश्योरेंस दे दें कि 'गवर्नमेंट शैल एंडेवर' शब्द जो लिखा हुआ है, उसको ये एंडेवर तो करेंगे। 50 साल में तो आज तक एंडेवर नहीं हुआ, इसलिए मुझे यह बिल जाना पड़ा। सरकार इस बारे में या तो एश्योरेंस दे दे।

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** किस नियम के अंतर्गत सभा को एक घंटा के लिए बढ़ाया गया है ? अतः मुझे भी अपना विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत :** आप इनका बिल भी ले लें, उसे इनसे एंटरटेन करा लें, फिर उसके बाद इस पर बहस चलती रहे··· *(व्यवधान)*

**श्री इलियास आज़मी :** सभापति महोदय, मेरी आर्गूमेंट भी सुनें···

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री इलियास आज़मी, आपकी समस्या मात्र बोलने की है। हम एक तकनीकी मुद्दे पर निर्णय कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है ?

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत :** सभापति महोदय, मैं अभी उनसे पूछ रहा था, मंत्री जी रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** यह एक बिल्कुल ही भिन्न बात है। मैं आपसे विधेयक वापस लेने को नहीं कह रहा हूं। एक मात्र चीज यह है कि इन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है।

[श्री भगवान शंकर रावत]

जब तक हम इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर लेते तथा तब तक हम आगामी मुद्दे को नहीं ले सकते हैं। क्रमांक संख्या 23 पर भी काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। जो कि दूसरा मुद्दा है। माननीय सदस्य. जो इस विधेयक के प्रस्तावक हैं, की समस्या यह है कि यदि इसे आज नहीं लिया जाता है तो वह व्यपगत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और काई चारा नहीं है। हमें औपचारिकता पूरी करनी है। और तभी हम इसे ले सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** : आप कोई रास्ता निकालिए।

**प्रो० रासा सिंह रावत** : अगर आपकी रूलिंग हो जाएगी तो इनका बिल भी इंट्रोड्यस हो जाएगा और वर्तमान बिल को भी पेंडिंग रखा जा सकता है।

**श्री भगवान शंकर रावत** : हां, ऐसा कर लीजिए क्योंकि मंत्री जी भी रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्री सत्य पाल जैन** : क्या हम इस विधेयक पर चर्चा आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं और इस समय दूसरा विधेयक ले सकते हैं ? अन्यथा विभाजन निश्चित है और तब सभा को स्थगित करना पड़ेगा। ऐसी दशा में अन्य विधेयक नहीं लिया जा सकता है।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : मैं इस विधयेक हेतु एक घंटे का समय बढ़ाये जाने का जोरदार विरोध करता हूं।

**श्री सत्य पाल जैन** : जब विभाजन होगा तो सभा स्थगित करनी होगी।

**सभापति महोदय** : अतः हमने निर्णय लिया है कि चार घंटे के अंदर इस पर चर्चा समाप्त हो जाएगी। हम इससे अधिक वक्त नहीं दे सकते। अन्यथा, यदि यह सभा कोई निर्णय करती है तो यह भिन्न बात है। इसलिए आज ही यह समाप्त करना हैं तब हम विभाजन करा सकते हैं। यदि हम विभाजन कराते हैं तब हम अगला मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

**श्री सत्य पाल जैन** : अच्छा यही होगा कि हम श्री भगवान शंकर रावत के विधेयक पर चर्चा अभी स्थगित कर दे और श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी की विधेयक को ले लें।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत** (आगरा) : माननीय सदस्य का बिल पेश करा लीजिए, मैं सभझता हूं कि इसमें कोई कानूनी हर्डल नहीं हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है जब हाउस में एक बिल पहले से चल रहा था, उसके बाद कोई इम्पॉर्टेंट बिल लगा था, उसे इन्ट्रोड्यूस करा दिया गया और जो बिल चल रहा था, उस पर बाद में चर्चा होती रही। ऐसा प्रिसिडैंस हैं। इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि राज्यसभा में ऐसा हुआ था या लोकसभा में हुआ था।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : इस पर कुछ प्रकाश डालें। मैं नहीं समझता कि इसको समाप्त किए बिना हम अन्य मुद्दा उठा सकते हैं। ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। इस बीच, प्रो० रासा सिंह रावत आप कृपया अपनी चर्चा पूरा करें।

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** : मैं कह रहा था कि एक पेड़ पर हजारों पक्षी निवास करते थे। कोई अज्ञानी व्यक्ति उस राह से जा रहा था। उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर पेड़ में आग लगा दी, जिससे वह पेड़ धांय- धांय करके जलने लगा और उसके साथ-साथ उस पर रहने वाले पक्षी भी जलने लगे। एक समझदार व्यक्ति भी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने पक्षियों को देखकर कहा—

आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे पात,<br>
तुम क्यों जलते पखेरुओ, पंख तुम्हारे पास।

उसकी बातें सुनकर उन पक्षियों में जो सबसे समझदार पक्षी थी, वह बोला—

फल खाये इस वृक्ष के, गंदे कीने पात,<br>
यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ।

इसके अलावा जैसा कई शायरों ने भी कहा है कि—

न हमें इज्जत दे, न अजमत दे,<br>
या रब मुझे वतन के वास्ते मरने की हिम्मत दे।

यही परम्परा हमारे देश में चली आ रही है। उस देशभक्ति की भावना को फिर से सुदृढ़ करने का समय आ गया है ताकि इस देश के सभी 95-96 करोड़ नागरिक आपस में एक दूसरे को माता और पुत्र के समान समझें। जब हम सभी आपस में बेटे-बेटियां, भाई-बहन तथा पुत्र-पुत्रियां होंगे तो हममें भाइचारे की भावना बढ़ेगी। कुछ निजी कानूनों के नाम पर हम कब तक चलते रहेंगे। उसके परिणाम-स्वरूप एक नागरिक, एक रीति, एक नीति, एक मति और एक वृत्ति की भावना का विकास हो पाएगा।

मैं कहना चाहता हूं कि 10 मई, 1995 का दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जिस दिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने नीति-निर्देशक तत्वों से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें कौमन सिविल कोड़ बनाने की बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि देश के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान आचार संहिता होनी चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वोट बैंक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को आज मुख्य धारा से अलग रखने की कोशिश हो रही है, यहां लोगों के मन में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अथवा माइनौरिकटी और मैजोरिटी की भावना पैदा की जा रही है। जब तक राजनितिज्ञों में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, एक देश, एक कानून, एक जैसी व्यवस्था और एक समान आचार-संहिता नहीं होगी, जैसे नारंगी एक होती है लेकिन उसके अंदर फांकें अलग-अलग

होती हैं जबकि वे ऊपर एक आवरण से ढकी रहती हैं। उन सभी फांकों का टेस्ट एक प्रकार का होता है। उसी प्रकार की वृत्ति इस देश के लोगों की होनी चाहिए।

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और माननीय न्यायमूर्ति सहाय ने जिस बात पर अफसोस प्रकट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत दिए गए निर्देशों को लागू करने का दायित्व अभी तक हमारे शासक लोग पूरा नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने प्रधान मंत्री के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि वे विचार करने का प्रयास करें और उसके बाद जब हम संसद के गलियारों में घूमते हैं, तो देखते हैं और पढ़ते हैं कि–

समानो मंत्रः समिति समानी,

समानः मनः सहचिन्त पेषः

समान मित्र मामि मंत्र येतः

समामेनतोह विषा घुहानि

संगच्छछत संबद ध्वं स्वो मनासि जानतां
देवा भागं यथापूर्ण संधानाना उपस्थिते।

हमारे मंत्र, हमारे विचार एक हों, हमारी चाल एक हो, हमारे उद्देश्य एक हों, हमारी विचारधारा एक हो, हमारे हावभाव और चेष्टा एक हो, तभी तो एकरूपता की भावना पैदा होगी। नहीं तो हम हमेशा कह देते हैं कि अनेकता में एकता है, लेकिन वह अनेकता में एकता कभी नहीं आ पाती है और अनेकता में अनेकता ही बनी रहती है। उसका अस्तित्व बना रहता है। पहले फूट को स्वीकार करते हैं और उसके बाद एकता की ओज जाते हैं। इसलिए इस बारे में हमें बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए।

मान्यवर, आज भारत संक्रमणकाल से गुजर रहा है। यहां वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सही और सच्ची बात कहने में हमारे राजनेता संकोच करते हैं, लेकिन जो सहाय साहब ने सताए लोगों की रक्षा की बात, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कही है और इन दोनों के लिए जरूरी है कि एक समान आचार संहिता बनाई जाए। सहाय साहब ने स्वयं कहा कि अल्पसंख्यकों से संबद्ध दीवानी कानूनों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द्रता बढ़े। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हम जानते हैं–

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय,
माली सींचे सी गुना ऋतु आए फल होय।

लेकिन 1947 के बाद आज तक इस बारे में कोई प्रयास नहीं हुआ, तो विवश होकर श्री भगवान शंकर रावत जी को यहां संविधान संशोधन का बिल इस संसद में लाना पड़ा और आपके सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ा।

मान्यवर, इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यकों से संबद्ध दीवानी कानूनों को तर्कसंगत (रीजनेबल) बनाया जाए ताकि धार्मिक और सांस्कृति सौहार्द्र बढ़े और हमेशा हम यह कहते रहें कि नहीं हमारे वे लोग नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। जब ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, मिश्र में हो सकता है, अल्जीरिया में हो सकता है, मोरक्को में हो सकता है, तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता ? हम कहते हैं–

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा

और

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा

हम देशभक्ति की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, हमारा कोई भी धर्म हो सकता है, कोई भी विश्वास हो सकता है, लेकिन पहले हम भारतीय हैं। जैसा मैंने कहा शरीर के अगर किसी भाग में दर्द हो, तो वह सारे शरीर का दर्द है। जैसे अंगूठे में यदि कांटा चुभ जाए, तो दिमाग यह नहीं कहता कि यह मेरा काम नहीं है, या आंखे यह नहीं कहती कि यह मेरा काम नहीं है, बल्कि फौरन दिमाग आंखों को संकेत देता है कि देखो और पैर को संदेश देता है कि ऊपर आओ और हाथ को झुकाकर कांटा निकालने के लिए इशारा करता है और कांटा निकाल दिया जाता है। सारे शरीर को राहत का अनुभव होता है। उसी प्रकार से जो निजी कानून सामाजिक जीवन में बाधाकारी हो, उत्पीड़नकारी हों, निराशा पैदा करने वाले हों, अलगाव पैदा करने वाले हों, उनका विरोध करना चाहिए और धार्मिक तथा सांस्कृतिक सौहार्द्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, यह दायित्व विधि आयोग का है। माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि विधि के जानकार लोगों की एक कमेटी बनाएं और उसको यह काम सौंपा जाए। विधि आयोग को यह काम सौंपा जाए। अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग आदि सभी से इस बारे में सलाह मशवरा करना चाहिए। उन सबका सहारा लिया जाना चाहिए ताकि हम धीरे-धीरे सबकी सहमति के आधार पर आचार संहिता का, एक नागरिक संहिता का निर्माण कर सकें और राष्ट्रीयता की दिशा में हम सही ढंग से बढ़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार के ऊपर मुझे हंसी आती है। केवल एक बात कह कर मैं अपने कथन को समाप्त करूंगा। सरकार के ऊपर से हंसी इसलिए आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कड़े शब्दों में आदेश दिया, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट कह दिया, जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणापत्र होता है, एक हलफनामा उच्चतम न्यायालय में दिनांक 28 अक्तूबर को तत्कालीन सरकार ने प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया कि जब तक स्वयं अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से यह मांग नहीं उठती है, तब तक सरकार किसी भी कीमत पर समान नागरिक कानून लागू नहीं करेगी। यह तो वही बात हुई कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न बांस होगा न बांसुरी बजेगी। फिर हम राष्ट्र के नागरिकों में कैसे सामंजस्य पैदा करेंगे ?

[प्रो० रासा सिंह रावत]

राष्ट्र के नागरिकों में सामनस्यता पैदा करनी चाहिए। सहृदयता पैदा करनी चाहिए। वैमनस्यकता को दूर करना चाहिए, अन्यमनस्यकता को दूर करना चाहिए। दिल से दिल मिलने चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुलकर प्रभु रहना लिखा देना। जब हम यह बात करते हैं तो हमें नागरिकों में समान आचार संहिता वाली बात भी जगानी चाहिए। यह सरकार किसी भी कीमत पर समान कानून लागू नहीं करेगी। पर्सनल लॉ में कोई हेरफेर करने का सरकार घोर विरोध करती है।

मान्यवर, यह सब वोट की राजनीति पर शायद भाजपा से डरने के कारण है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम भी करते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष हैं हम धर्म राज्य नहीं है। हमारा देश धर्मतन्त्रात्मक नहीं है। धर्म राज्य नहीं है। हमारे सब धर्म आस्थाओं को मानेंगे लेकिन उन सबके अंदर जब हम भारतीयता की बात करते हैं। भारत माता के पुत्रों की बात करते हैं तो फिर हमें कोई एकता की भावना पैदा करनी होगी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में छह पृष्ठों पर आधारित अपने शपथ-पत्र में संकल्प व्यक्त किया है और हलफनामा बयान में क्या कहती है सरकार। बड़ा अफसोस होता है। अंग्रेजी सरकार, गुलामी के दिनों की याद इस सरकार ने दिलाई। आजाद भारत के अंदर स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती वर्ष में। इस दस्तावेज के साथ ब्रिटिश सरकार ने छेड़छाड़ नहीं की। उस पर स्वतंत्र देश की धर्मनिरपेक्ष सरकार रद्दोबदल करने का विचार भला कैसे कर सकती है। शपथ पत्र में जो कुछ लिखा गया वह राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र जैसा लगता है। वर्तमान सरकार की मंशा भले ही हमें उपेक्षित करने की हो लेकिन सरकार यह भूल गयी कि अपना शपथ पत्र किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर रही है बल्कि वह सबसे बड़ी अदालत को दे रही है। 1996 तक ब्यौरा प्रदान करने की बात कही गयी थी। वह ब्यौरा सरकार ने क्या दिया, कैसे दिया, उससे हमें आश्चर्य होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सार्वभौमिक, इसमें किसी को विरोधी नहीं समझता। सार्वभौमिक जो नैतिक मूल्य हैं—स्वतंत्रता, समता, बंधुता अखंडता और एकता। इससे सबका प्यार है। जब इससे प्यार है तो हमें इस भावनाओं को ठीक रखते हुए समान नागरिक संहिता की ओर तेजी से कदम बढ़ाने चाहिए ताकि हम पीछे न रहें। एक देश, एक जननी, एक भाव, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य और एक विचार और हम स्वतंत्र हों। धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : महोदय, आपने क्या निर्णय लिया है?

**सभापति महोदय** : श्री आज़मी बोलने वाले अंतिम माननीय सदस्य होंगे। इसके लिए पर्याप्त वक्त है।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : महोदय, पंद्रह मिनट मात्र शेष है। माननीय मंत्री को भी जवाब देना है।

**सभापति महोदय** : आपको मात्र विधेयक पुरःस्थापित करना है। चर्चा बाद में हो जाएगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री आज़मी अब बोलेंगे। आप कृपया पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आज़मी** : सभापति महोदय, अपने पहले मेरा नाम पुकारा, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। उस समय मैं बाहर चला गया था लेकिन अब भी आप मुझे टाइम दे रहे हैं जबकि सुनने वाले यहां नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हमारे भाजपा के भाईयों ने जितनी भी दलीलें दी हैं वे सारी दलीलें के ऊपर उलटकर जाती हैं। मिसाल के तौर पर यह आस्था का भी सवाल है और यह उस पार्टी के लोग दलील दे रहे हैं जिन लोगों ने कुछ दिन पहले तक पूरे देश की एक-एक दीवार पर यह लिख डाला था कि जहां आस्था को सवाल हो, न कानून को मानेंगे, न सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, न हाइकोर्ट को मानेंगे, न पार्लियामेंट को मानेंगे। अयोध्या के सवाल पर इन्हीं लोगों ने एक-एक दीवार पर लिख डाला था कि जहां आस्था हो वहां हम कुछ नहीं मानेंगे। मैं पूछता हूं कि क्या मजहब भी आस्था का सवाल नहीं हैं जिन्हें आप हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं।

दूसरी बात कॉमन सिविल कोड का नारा कौन लोग लगा रहे हैं। जो कॉमन लफ्ज है वह बहुत अच्छी चीज है। वह लोग नारा लगा रहे हैं, उन लोगों की डामनेटिंग पार्टी जिन लोगों ने यहां हजारों साल तक इंसानों को कॉमन नहीं रहने दिया। उनकी तरफ सब इंसान बंटे हुए थे। किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रीय, किसी को वैश्य, किसी को शुद्र तो किसी को जानवर से नापाक बनाकर सालों साल तक जिन लोगों ने रखा। उनके मुंह से यह बात जेब नहीं होती कि वह कॉमन और एकता की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं पूछता हूं कि इस देश में आज भी क्या चीज कामन है। कामन बहुत अच्छी चीज है। रेल की बात कर रहे हैं। रेल में 6-7 श्रेणियां आपने बना रखी हैं। चलिए, खत्म कीजिए सारी श्रेणियां, थ्री टायर और जनरल कम्पार्टमेंट में एम०पी० और मंत्री भी चलें तो हम मानेंगे कि कोई कामन बात है। क्या चीज यहां कामन है? मुम्बई में एक मिनट बिजली नहीं कटती, दिल्ली में 80 प्रतिशत समय आती है और देहात में 5 प्रतिशत समय भी नहीं आती। यहां न खाना कामन है, न भाषा कामन है, न क्षेत्रीय मान्यताएं कामन हैं। यदि राष्ट्रीय एकता इसी से कायम होती है तो आप कल यह भी कह सकते हैं कि यहां धर्म भी एक होना चाहिए ताकि बिल्कुल समानता हो जाए। मैं कहता हूं कि आज भी इस मुल्क में कामन सिविल कोड लागू है। किसी भी जाति या धर्म के मानने वाले दो लोग जब चाहें कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। जब चाहें कोर्ट में जाकर तलाक लें या अपने शख़्सी कानून के जरिए तलाक लें। जहां दोनों सहमत हैं, वहां किसी को ऐतराज नहीं है। आज भी अदालतों में हिन्दू-मुसलमान की शादियां होती हैं। भाजपा के नेता सिंकदर बख्त हैं। उन्होंने जब एक हिन्दू लड़की से शादी की थी तो इन्हीं लोगों ने दिल्ली में फसाद मचा दिया था। चार मासूम जाने चली गई थीं, दिल्ली में आग लगा दी थी कि सिकंदर बख्त हिन्दू लड़की से कैसे शादी कर रहा है। आखिर वह भी तो कामन सिविल कोड था जिसमें उन्होंने जाकर कोर्ट मैरेज की थी।

जहां तक देश के फायदे का सवाल है, मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि यदि सिर्फ शादी-ब्याह का कानून बदलने से देश की तरक्की हो सकती है, अगर उससे पूरे मुल्क में बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है, डीजल की कमी के बावजूद यदि कामन सिविल कोड लाने से पम्पिंग सैट चलने लगें, देश की गरीबी, भुखमरी दूर हो जाए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो यह कहेगा कि यह ठीक है। इससे देश में कोई एक जेहती कायम नहीं होगी बल्कि देश में नफरत बढ़ेगी। एक जेहती के खूबसूरत नाम पर जो चीज ये पेश कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

हमारे दोस्त ने यहां तक बता दिया कि चार बीवियां करते हैं तो ज्यादा बच्चे होते हैं। मुम्बई में नारे भी लिखे गए थे – हम चार हमारे पच्चीस। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे भाजपा के भाई कानून की किताबें लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला लाते हैं, क्या भारत में हर दस साल के बाद जनगणना नहीं होती। मुसलमानों की आबादी का जो परसैनटेज 1951 के सैनसस में था, आज भी वही है, प्वांइट का फर्क हो सकता है लेकिन परसैनटेज का फर्क नहीं हुआ है।

मैं राजनीतिक लोगों को जानता हूं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस्लाम में चार शादियां करने की इजाजत है। लेकिन आज प्रैक्टिकल बात यह है कि यदि पूरे मुल्क का सर्वे किया जाए, सन् 1973 में सर्वे हुआ था जिसका नतीजा यह निकला था कि मुसलमानों से बहुत ज्यादा हिन्दू भाइयों में एक से ज्यादा शादियां करने का रिवाज है। हमारे देवरिया के पंडित जी इसी पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। उन्होंने सात शादियां कर रखी थीं लेकिन तब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी थी कि आपने ब्राह्मण होकर सात शादियां कर रखी हैं। उनके पास एक बार में 4-5 से कम बीवियां कभी नहीं रहीं। मैं अपनी बात करता हूं। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। 15-16 साल पहले मेरी बीवी का देहान्त हो गया लेकिन आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की। उसी तरह हिन्दुओं में भी बहुत सारे भाई होंगे। किसी कम्युनिटी के बारे में यह कहना कि चार शादियों का रिवाज है, यह ठीक नहीं है।

हमारे भाई ने सलमान रुशदी की बात कही कि उसने एक किताब लिखी जिससे उनपर कत्ल का फतवा हो गया। मैं कहता हूं कि सलमान रुशदी ने तो किताब में मुसलमानों के पैगम्बर को गालियां दी थीं। अगर फतवा हुआ तो क्या गलत है। आज यदि मुम्बई में बाला साहेब ठाकरे को कोई गाली दे दे,

तो शायद वह जिंदा नहीं बचने पायेगा। फतवा होना, न होना तो बहुत बड़ी बात है। आपको जिस बात पर गुस्सा आता है, दूसरों को भी उस बात पर गुस्सा आ सकता है। सलमान रुश्दी ने कोई किताब नहीं लिखी थी, उसने सिर्फ गालम-गलौच की थी। देखिये मैं आपको नहीं दे रहा हूं, सिर्फ गालम-गलौच से भरी हुई किताब, जो मुसलमानों के पैगम्बर हैं, उनके खिलाफ उनका मजाक उड़ाया था, उनको भला-बुरा कहा था, गालियां दी थीं। जाहिर है कि उससे उत्तेजना फैलेगी।

**प्रो० रासा सिंह रावत :** आपने पढ़ी है ?

**श्री इलियास आजमी :** हां, मैंने देखी है।

**प्रो० रासा सिंह रावत :** देखी है कि पढ़ी है ?

**श्री इलयास आजमी :** पढ़ी भी है।

**श्री भगवान शंकर रावत :** पढ़ना तो गुनाह है. ऐसा गुनाह आपने नहीं किया होगा, मैं जानता हूं।

**श्री इलियास आजमी :** मैंने तो उनकी विंच ऑफ थॉट भी पढ़ी है।

**प्रो० रासा सिंह रावत :** मजहब में अक्ल को दखल नहीं है, इसलिए बात खत्म हो गई।

**श्री इलियास आजमी :** सभापति महोदय, उसी वक्त जब ये सलमान रुश्दी के सब हंगामें चल रहे थे, मैं मुम्बई में गया था। मेरे एक क्रिश्चियन दोस्त थे, मुझसे कहने लगे कि मुसलमान इतने उत्तेजित क्यों होते हैं, क्यों यह सलमान रुश्दी का हंगामा हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं अभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर या चौराहे पर मंच लगाकर यह साबित करने लगूं कि तुम्हारी मां और बाप के बारे में तुम्हारा बाप भड़वा था या तुम्हारी मां खुदा-ना-खास्ता तवायफ थी तो तुम क्या करोगे ? उसने कहा मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा कि बस, इतनी देर में तुम्हारी सारी उदारता हवा हो गई ? दुनिया के एक अरब मुसलमानों के जो मां-बाप से भी ज्यादा जिसको मुसलमान मानते हैं, उसके बारे में अगर सलमान रुश्दी ने इस तरह की बात की है तो मुसलमानों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उत्तेजित न हों, लेकिन उसको यहां भी पेश किया जा रहा है। वन्दे मातरम् का सवाल यहां पेश किया गया। मैं कहता हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले :** इसलिए पेश किया था कि वहां कानून बनाते हैं।

**श्री इलियास आजमी :** मैं सवाल करता हूं कि क्या सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा, इसको किन लोगों ने राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में 15 जुबाने हों या 20 जुबानें हों, इससे अच्छा देशभक्ति का कोई गीत किसी भी भाषा में नहीं है। आप वह भी गाइये, वन्दे मातरम् भी गाइये, लेकिन आप सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा कहीं नहीं गाते, बल्कि मजबूर करते हैं कि वन्दे मातरम् सब लोग गायें। आप किसी को मजबूर क्यों करते हैं। मैं वन्ते मातरम् का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जब आप किसी को मजबूर करते हैं, उसको अपनी बेबसी का जब अहसास होता है तो वह उसका विरोध करना शुरू कर देता है, यह इन्सान की फितरत है।

वक्त नहीं है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मेरे पास इस सिलसिले में मैटर की कोई कमी नहीं है, घंटा, आधा घंटा, दो घंटे, जितना भी हो, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं सदन का ज्यादा समय लूं। मेरा रिकार्ड है कि मैंने जितना समय दिया गया है, उससे ज्यादा समय मैंने नहीं लिया।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का चोर विरोध करने के लिए

[श्री इलियास आज़मी]

इसको मैं देशहित के इसको खिलाफ, राष्ट्रहित के खिलाफ, इसको जबरदस्ती किसी पर अपनी मर्जी तोपने वाला विधेयक समझता हूं और यह समझता हूं कि एक भावना है कि किसी को दबाकर, ताकत के बल पर दबाकर अपने महकूम बनाया जाये, उस भावना से लाया गया है। जहां तक लोग कहते हैं, तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, मैं कहता हूं कि यह वोट की राजनीति के तहत लाया गया है। अगर कोई 12-14 परसेंट आबादी का तुष्टीकरण करते हैं तो आप लोग तो 80 परसेंट को उत्तेहित करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ उनमें भय की मानसिकता पैदा करते हैं कि मुसलमान एक दिन अक्सीरियत में हो जायेगा। चार शादियां करता है, 25 लड़के पैदा करता है, यह भी वोट की राजनीति आप कर रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए वोट की राजनीति आप पहले बन्द कीजिए, दूसरे खुद बन्द कर देंगे। वोट की राजनीति के लिए यह बिल लाया गया है, इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** अब, विधि मंत्री बोलेंगे। माननीय मंत्री बोलना शुरू करें उसके पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक के प्रस्तावक इस स्थगन से सहमत हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत :** मान्यवर, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि पोस्टपोनमेंट की कन्वेंशन यहां पहले रही है। दसवीं लोक सभा में श्री बसुदेव आचार्य, अगर मैं सही नाम रीकलैक्ट कर पा रहा हूं तो उनके बिल में इस तरह का हुआ था। लेकिन वह चेयर के द्वारा रूल्स को रिलैक्स करके किया गया था। मुझे यह बताया गया कि अगर मैं इसके लिए एग्री करता हूं तो फिर से, नये सिरे से बैलट होगा। उसके लिए तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, किस्मत से बिल आते हैं। अब मैं उसकी हत्या अपने हाथ से कर दूं, यह तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यह बड़े राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।

अगर कोई ऐसा रास्ता निकल सके तो आदरणीय चेयर रूल को रिलैक्स करके उसको ले ले। दसवीं लोक सभा में जो प्रिसीडेंस है उसके हिसाब से इस पर अंतिम निर्णायक विचार हो सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आवेश में इसे वापस ले लूं, यह मैं नहीं करूंगा। जैसा कई मित्रों ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, सुब्बारामी जी का बिल भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी इस तरह से हत्या करके मैं दूसरा बिल लाऊं, यह नहीं होगा। यह तो मैं यही कहूंगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसलिए कम से कम हाउस में तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा इसके ऊपर निर्णय हो, क्योंकि सारे देश की, समाज की निगाहें इस पर लगी हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। सरकार की बात कही जा रही है। पढ़कर कई मित्रों ने बताया, 'दी स्टेट सैल इनडेवर', लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि सरकार ने इनडेवर क्या किया है। मैंने लाइब्रेरी की खाक छानी, लेकिन मुझे इनडेवर कहीं सरकार का दिखा नहीं। इसलिए मजबूर होकर मैं इस सदन में यह बिल लाया हूं। यह बिल मैंने दसवीं लोक सभा में भी पेश किया था, तब बैलेट में नम्बर नहीं आया, अब आया है। यह समाज के हित में है इसलिए इस पर निर्णायक निर्णय होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** मेरे विचार से श्री भगवान शंकर रावत द्वारा उठाया गया मुद्दा काफी विसंगत है। क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। बैलट के पश्चात इसे प्राथमिकता मिली है। नियम को निलंबन किए जाने के कतिपय पूर्ण उदाहरण हमारे पास हैं। नियम 30 के उप-नियम (i) के अनुसार हम नियम निलंबित कर सकते हैं। हम आज वह पूर्वोदाहरण का अनुसरण करेंगे। माननीय सदस्य भी विस्तार से उत्तर देना चाहता हूं और आप भी विस्तार से उत्तर देना चाहते हैं। अतः मैं समझता हूं कि जहाँ तक इस मुद्दे का संबंध है तो हमें वह नियम को लागू नहीं करना चाहिए जिससे कि अगले दिन सदस्यों की वरियता समाप्त न हो। अब, यदि श्री भगवान शंकर जी अपना प्रस्ताव पेश करते हैं तो उनकी वरियता समाप्त किए बिना हम यह मुद्दा अगले दिन लेंगे और उनके द्वारा प्रस्ताव पेश करने की दशा में हम इसे अगले दिन तक के लिए लम्बित रख सकेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत :** अगली सीटिंग में इस पर विचार हो, मंत्री जी जवाब दें, फिर मुझे जवाब देने का अवसर मिले। उसके बाद जो भी सदन निर्णय करेगा, क्योंकि यह सदन की सम्पत्ति है, हमें मंजूर है। जैसी आपकी मंशा है, जहां तक मैं समझा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** यही मेरा निवेश है। दूसरे दिन आप लोगों की वरियता बनाये रखने के लिए उस उप-नियम को निलंबित रखा जाता है।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत :** यह तो सदन की सम्पत्ति है, प्रायेरिती बाहर से नहीं लेनी है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** इस विधयेक की वरियता समाप्त नहीं होगी। विधेयक के शेष भाग पर चर्चा अगले दिन की जा सकती है। अब, इसके स्थगन का प्रस्ताव आप पेश कर सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री भगवान शंकर रावत :** अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है।

*[अनुवाद]*

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री भगवान शंकर रावत द्वारा पेश किया गया संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44 आदि का लोप) की गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाए।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि श्री भगवान शंकर रावत द्वारा पेश किया गया संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44 आदि का लोप) की गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

**अपराह्न 8.00 बजे**

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नियम 30 के उप-नियम (i) के उपबंध तथा लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 29 के परन्तुक के अनुसार, श्री भगवान शंकर रावत का संविधान (संशोधन) विधेयक 1996 (अनुच्छेद 44 आदि का लोप) पर चर्चा के आवेदन को, जिसे आज स्थगित कर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत दिन के लिए रखा गया है, निलंबित रखा जाये जिससे कि उसे बिना बैलट के पहला मुद्दा के रूप में कार्य सूची में शामिल किया जा सके।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नियम 30 के उप-नियम (i) के उपबंधों के अनुसार तथा लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 29 के परन्तुक के अनुसार, श्री भगवान शंकर रावत का संविधान (संशोधन) विधेयक 1996 (अनुच्छेद 44 आदि का लोप) पर चर्चा के आवेदन को, जिसे आज स्थगित कर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत दिन के लिए रखा गया है, निलंबित रखा जाये जिससे कि उसे बिना बैलट के पहला मुद्दा के रूप में कार्य सूची में शामिल किया जा सके।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

**श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण** (कराड़) : केवल मंत्री महोदय और प्रस्तावक उत्तर दे सकते हैं। अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**सभापति महोदय :** अब सूची के अनुसार कोई वक्ता नहीं बचा है। केवल मंत्री और प्रस्तावक अपने उत्तर देंगे।

*अब हम मद संख्या 23 लेंगे।*

---

**अपराह्न 8.01 बजे**

## भिक्षावृत्ति का उत्सादन विधेयक*

*[अनुवाद]*

**सभापित महोदय :** श्री रेड्डी, आपके पास पांच मिनट का वक्त और है। अतः, आप विधेयक पेश कर सकते हैं।

**डा० टी० सुब्बाराम रेड्डी** (विशाखापत्तनम) : क्या मैं विधेयक अभी पेश कर अगले दिन इस पर बोल सकता हूं ?

**सभापति महोदय :** हमने सभा का समय अपराह्न 8.05 बजे तक बढ़ा दिया है। विधेयक पेश करने के लिए आपके पास काफी वक्त है।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि मैं विघयेक आज पेश करता हूं तो क्या मैं वक्ता के रूप में कल भी बोल सकता हूं ?

**सभापति महोदय :** कृपया अपने विषय के बारे में बात करे अन्यथा, अपराह्न 8.05 बजे के पश्चात आपको विधेयक पेश करने का वक्त भी नहीं मिलेगा।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं** :

"कि भिक्षावृति का उत्सादन करने वाला विधेयक और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक में मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूं :

जो कोई भी, किसी व्यक्ति को, उसके निगरानी संरक्षा या देख-रेख में रह रहे बच्चो सहित, भिक्षावृति के लिए दवाब डालता है या उसे प्रोत्साहन देता है या जो कोई भी भिक्षावृति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को जनसाधारण के सामने प्रदर्शित करता है उसे ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने की दशा में पहली बार सचेत किया जाएगा और यदि सचेत करने के पश्चात भी वह इन गतिविधियों में लिप्त रहता है। तो उसे 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

भिक्षावृति करते पाये गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ गिरफ्तारी से आशय उसे जेल भिजवाना ही नहीं अपितू उसे विशेष उपचार भी दिया जाना है जिसके बारे में मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा।

समुचित सरकार शिक्षा का प्रबंध और प्रत्येक जिला में उपयुक्त संरचना का निर्माण सहित ऐसी योजनायें बनायेंगी जिससे कि भिखारी उपयुक्त रोजगार पा सके और अपना जीवकोपार्जन कर सके।

संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए सभी कल्याणकारी उपायों के बावजूद देश में भिक्षावृति बिना किसी रोकथाम के जारी है जो एक दुःख की बात है। यह प्रथा विशेषकर महानगरों और शहरी

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 2.5.97 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी]

क्षेत्रों में जारी है। इसमें शामिल ऐसे संगठित गिरोह हैं जो मासूम बच्चों का उत्पीड़न करते हैं और उन्हें भिक्षावृति करने के लिए बाध्य इस उद्देश्य से नहीं करते कि इन लड़के-लड़कियों का जीवकोपार्जन हो सके बल्कि गिरोह के मुखिया और संगठनों के लिए धन इकट्ठा किया जा सके। कुछ लोग ने तो बच्चों को भिक्षावृति में लाने को अपना व्यापार बना लिया है। वे बच्चों का उपहरण करते हैं और उन्हें भिक्षावृति कर भारी धन कमाने के लिए बाध्य करते हैं।

1971 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 10 लाख भिखारी थे। आज देश में इनकी संख्या कितनी है हम नहीं जानते।

भिक्षावृति में लिप्त बच्चों, महिलाओं और पुरूषों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुर्नवास के कार्यक्रमों सहित भिक्षावृति निवारण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। इन भ्खिारियों के लिए जीवकोपार्जन के कुछ अन्य विकल्प भी ढूंढने होंगे।

अतः, यह उचित समय है कि भिक्षावृति के निवारण के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए और इन अभागे लोगों के जीवकोपार्जन के लिए वैकल्पिक साधन भी ढूंढने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में विधेयक प्रस्तुत करता हूं और इस पर चर्चा किए जाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सभापति से अनुरोध करता हूं कि अगली बार मुझे ज्यादा वक्त दें जिससे कि मैं विधेयक के बारे में और सूचना दे सकूं।

**सभापति महोदय** : यदि आप समाप्त करते हैं तो फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको विधेयक पेश करने और उस पर बोलने का मौका दिया गया है। यदि आप आगे बोलना चाहते हैं तो आपको अपनी चर्चा जारी रखनी होगी।

**डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : सारे प्रयासों के बावजूद पूरे देश में भिक्षावृति जारी है। जब हम लोगों को फटे पुराने कपड़ों में देखते हैं तो हमें दुख होता है। कुछ लोग विकलांग होते हैं। हम कुछ लोगों को भीषण ठंड में भी असहनीय दशा में भी देखते हैं।

**सभापति महोदय** : डा० रेड्डी आप बाद में जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार, 5 मई, 1997 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनःसमवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 8.05 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 मई, 1997/15 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---